

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		xi
विहंगावलोकन		xiii
पहला अध्याय - राज्य शासन का वित्त		
प्रस्तावना	1.1	2
गत वर्ष के संदर्भ से वित्त की प्रवृत्ति	1.2	4
वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.3	4
लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली	1.4	5
आधारभूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति	1.5	7
संसाधनों की प्रयुक्ति	1.6	10
आवंटन प्राथमिकताओं पर व्यय	1.7	13
परिसम्पत्तियां एवं देयताएँ	1.8	16
घाटे का प्रबन्धन	1.9	21
राजकोषीय अनुपात	1.10	22
दूसरा अध्याय - विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	25
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	25
आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	26
व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना	2.4	32
पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ	2.5	32
व्यय की अधिकता	2.6	32
पांच अनुदानों की नमूना जांच के परिणाम	2.7	33

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
तीसरा अध्याय - निष्पादन मूल्यांकन		
उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियम एवं नियमों का क्रियान्वयन (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	3.1	35
मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएँ (जल संसाधन विभाग)	3.2	53
चौथा अध्याय - लेन-देनों की लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानियाँ/अधिक भुगतान	4.1	
वन विभाग		
आरा मिलों के भौतिक सत्यापन पर कपटपूर्ण व्यय	4.1.1	71
अधिक भुगतान; निष्फल/निरर्थक व्यय	4.2	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
आधार शिला लगाने के समारोह, चाहर दीवारी के निर्माण तथा परामर्श शुल्क पर निष्फल व्यय	4.2.1	75
लोक निर्माण विभाग		
अतिरिक्त परत के अनुप्रयोग के कारण अतिरिक्त लागत	4.2.2	76
टेक कोट पर 1.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय	4.2.3	77
प्राक्कलन में अनावश्यक प्रावधान के कारण अतिरिक्त लागत	4.2.4	79
उच्च विशिष्टियों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत	4.2.5	81

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमित व्यय	4.2.6	82
वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय	4.2.7	84
जल संसाधन विभाग		
अधिक महंगी विशिष्टियाँ अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत	4.2.8	85
अनुबंध के विवेकहीन परिसमापन के कारण अतिरिक्त लागत	4.2.9	86
संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित पक्ष/परिहार्य व्यय	4.3	
राजस्व विभाग		
भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना (भुइयों) के अन्तर्गत निजी फर्मों को अनुचित लाभ एवं अतिरिक्त व्यय	4.3.1	88
व्यपवर्तन/निधियों का दुरुपयोग	4.4	
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
जल ग्रहण विकास निधि सृजित करने के लिये कार्यक्रम निधियों का दुरुपयोग	4.4.1	91
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना निधियों का व्यपवर्तन	4.4.2	92
नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु	4.5	
सामान्य प्रशासन विभाग		
वेतन अग्रिम की वसूली न होना	4.5.1	93
स्कूल शिक्षा विभाग		
इंदिरा सूचना शक्ति योजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन	4.5.2	94

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
पांचवा अध्याय - सरकारी विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र		
गृह विभाग		
जेल विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	5.1	97
छठवां अध्याय		
सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	6.1	115
लेन-देन लेखापरीक्षा	6.2	
छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम मर्यादित		
1.41 करोड़ रुपये की कीमत के होलोग्राम की वसूली न होने से हानि	6.2.1	122
गोदाम किराया वसूल न होने से हानि 29.40 लाख रुपये	6.2.2	122
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल		
दावे कालातीत होने से हानि	6.2.3	123
सातवां अध्याय		
राजस्व प्राप्तियां		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	7.1	125
बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर	7.2	127
संग्रहण की लागत	7.3	129
प्रति निर्धारित वाणिज्यिक कर का संग्रहण	7.4	130
बकाया राजस्व	7.5	130
निर्धारण हेतु बकाया	7.6	131
कर अपवंचन	7.7	131
प्रतिदाय	7.8	131
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.9	132
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया	7.10	132

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा कंडिकाएँ		
कर राजस्व		
वाणिज्यिक कर		
छूट का अनियमित प्रदाय किया जाना	7.11	133
विक्रय की गलत कटोत्री	7.12	133
कर का अनारोपण	7.13	134
क्रय कर का अनारोपण	7.14	135
शास्ति का न/कम लगाया जाना	7.15	135
कर योग्य विक्रय पर कर का अनारोपण	7.16	136
कर की अनियमित वापिसी	7.17	137
सकल विक्रय का गलत निर्धारण	7.18	137
कर का कम आरोपण	7.19	138
राज्य उत्पाद शुल्क		
अल्कोहल का कम उत्पादन	7.20	139
स्प्रिट के न्यूनतम स्कंध का न रखा जाना	7.21	139
उत्पाद शुल्क की हानि	7.22	140
व्यय की वसूली न होना	7.23	141
उत्पाद शुल्क की वसूली न होना	7.24	141
उत्पाद शुल्क की वसूली न होना	7.25	142
वाहनों पर कर		
वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	7.26	143
अन्य राज्यों से कर की वसूली न होना	7.27	143
भू-राजस्व		
प्रब्याजी और भू-भाटक का कम निर्धारण/भुगतान न करना	7.28	144
दुकानों की नीलामी न होना	7.29	145
प्रब्याजी एवं भू-भाटक का कम निर्धारण	7.30	145

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अन्य कर राजस्व		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
बीमा क्षेत्र के अप्राधिकृत व्यक्तियों से मुद्रांकों का क्रय	7.31	146
संपत्तियों का न्यून मूल्यांकन	7.32	147
मुद्रांक शुल्क का गलत आरोपण	7.33	148
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत छूट	7.34	148
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत/अनाधिकृत छूट	7.35	149
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	7.36	150
चोरी के कारण राजस्व की हानि	7.37	150
कर-भिन्न राजस्व		
वन प्राप्ति		
बाँस कूपों से विदोहन न होने से राजस्व हानि	7.38	151
वनोपज के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	7.39	152
खनन प्राप्ति		
रॉयल्टी की कम वसूली	7.40	154
रॉयल्टी पर ब्याज की वसूली न होना	7.41	155
खनन पट्टे पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	7.42	155
अनिवार्य किराया एवं ब्याज का कम आरोपण	7.43	156
अन्य कर-भिन्न राजस्व		
मत्स्य पालन विभाग		
रॉयल्टी की वसूली न होने से राजस्व हानि	7.44	156
लोक निर्माण विभाग		
पट्टा राशि एवं ब्याज की वसूली न होना	7.45	157
लोक निर्माण विभाग में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण	7.46	158

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
1.1	31 मार्च 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	1.8	161
1.2	वर्ष 2004-05 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.8	163
1.3	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	1.8	166
1.4	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण	1.8	167
1.5	पहले अध्याय में उपयोग में लाए गए शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार	1.4	169
1.6	उपयोग न किए गए अनुदानों एवं ऋणों का विवरण पत्रक	1.7.1	170
1.7	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली इकाईयों का विवरण पत्रक	1.7.1	171
2.1	वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा	2.3.1	172
2.2	प्रकरण जिनमें अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही	2.3.1	175
2.3	वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.3.1	179
2.4	अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है	2.3.3	181
2.5	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.5	182
2.6	प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	2.3.5	185
2.7	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था	2.3.5	186

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
2.8	योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण	2.3.6	187
2.9	गलत पुनर्विनियोग - कुछ प्रकरण जिनमें निधियाँ समर्पण/पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं, यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था	2.3.7	191
2.10	गलत पुनर्विनियोग- कुछ प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप अंतिम रूप से आधिक्य रहा	2.3.7	192
2.11	बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण	2.3.7	195
2.12	अधिक व्यय को आवरण करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अत्यधिक आवर्धन के प्रकरण	2.3.7	196
2.13	बजट प्रावधान का व्यपगत होना	2.3.8	197
2.14	निधियों का समर्पण	2.3.8	199
2.15	अविवेकपूर्ण एवं अवास्तविक समर्पण। ऐसे प्रकरण जहाँ उपलब्ध बचत से अधिक राशि का समर्पण किया गया	2.3.9	202
2.16	अविवेकपूर्ण एवं वास्तविक समर्पण। प्रकरण जिनमें व्यय अधिक होने के बावजूद राशियाँ समर्पित की गईं	2.3.9	203
2.17	पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ	2.5	204
2.18	वर्ष 2004-05 के दौरान व्यय की अधिकता	2.6	205
2.19	योजनाओं के अन्तर्गत सारभूत बचत का विवरण	2.7.2	206
2.20	शून्य व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.2	208
2.21	योजनाओं के अन्तर्गत अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.2	209

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
2.22	चयनित अनुदानों की योजनाओं में अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान/गलत पुनर्विनियोग दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.3	210
2.23	योजनाओं के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों पर प्रावधान एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.4	212
2.24	योजनाओं के अन्तर्गत माह मार्च 2005 में व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	2.7.6	214
3.1	नस्तीबद्ध, निराकृत एवं उम्मानुसार लम्बित प्रकरणों का विवरण	3.1.8	216
3.2	विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2.6	217
3.3	दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत	3.2.19	218
3.4	संयुक्त कार्य का विभाजन तथा उच्चतर दरों पर निविदाएँ स्वीकृत करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2.21	219
3.5	अमनेर मोतीनाला योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु कार्य का विभाजन तथा उच्चतर दरों पर निविदाएँ स्वीकृत करने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2.21	220
4.1	इमल्शन के स्थान पर बिटूमिन अपनाने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.3	221
4.2	ताजी बिछाई गई बिटूमिनस परतों के मध्य टेक कोट करने से अनियमित भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.3	223

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
4.3	स्थलस्थ ढलित अस्तरण (कास्ट-इन-सीटू लाइनिंग) के स्थान पर पूर्व ढलित सीमेन्ट कांक्रीट अस्तरण (पी.सी.सी.लाइनिंग) के निष्पादन के कारण अतिरिक्त परिहार्य लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.8	224
4.4	ऑकड़ों का अद्यतनीकरण (आधार वर्ष 2002) करने में अनियमित अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.3.1	225
4.5	वेतन अग्रिमों के बकाया की सूची	4.5.1	226
6.1	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2005 को बजट से प्राप्त पूँजी ऋण/अंशपूँजी, अन्य ऋण और लंबित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.1 6.1.3 6.1.4 6.1.5	227
6.2	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिये, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	6.1.6 6.1.7	229
6.3	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारण्टियों, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिनपर ऋण स्थगन दिया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूँजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2005 के अंत में प्राप्य सहायता तथा लंबित गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.5	231
6.4	विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.8	232
6.5	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं पर प्रत्युत्तर लंबित रहने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.8	232

प्राक्कथन

- 1 संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
- 2 इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में मार्च 2005 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।
- 3 शेष अध्याय लोक निर्माण विभाग, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों सहित विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में है तथा राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियाँ समाहित हैं।
- 4 इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान लेखों की नमूना जांच के समय ध्यान में आए साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। 2004-05 से बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय सम्मिलित हैं; प्रथम दो अध्यायों में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं विनियोग लेखों पर टिप्पणियाँ तथा शेष पाँच अध्यायों में से चार में जेल विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए कुछ चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तीन लेखा परीक्षा समीक्षाएँ सम्मिलित हैं, तथा विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय लेनदेनों एवं राजस्व प्राप्तियों की 54 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का विहंगावलोकन

2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय की तुलनात्मक वृद्धि (7.6 प्रतिशत) कम थी। परिणामस्वरूप 2003-04 के दौरान 641 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से राज्य ने 146 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। राज्य के स्वयं के स्रोत जिसमें कर एवं कर भिन्न राजस्व सम्मिलित है, का अंशदान राजस्व प्राप्तियों का 62 प्रतिशत था।

वर्ष 2004-05 में पूंजीगत व्यय भी 26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2003-04 के 1016 करोड़ रुपये से 1279 करोड़ रुपये हो गया एवं 2004-05 में राजकोषीय घाटा 2003-04 के 2204 करोड़ रुपये से घटकर 1231 करोड़ रुपये रहा। वेतन एवं पेंशन (2653 करोड़ रुपये) तथा ब्याज भुगतान (1152 करोड़ रुपये) जिसने राज्य की कुल प्राप्तियों का 52 प्रतिशत उपभोग किया अभी भी चिंता का क्षेत्र है। राजकोषीय देयताएँ भी 2001-02 के 7421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 12227 करोड़ रुपये हो गई एवं ये देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2001-02 के 25 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 35 प्रतिशत हो गई।

1634.33 करोड़ रुपये की समग्र बचतें मूल अनुदान/विनियोजन की 15.5 प्रतिशत थी। यह बचत, अनुदान एवं विनियोजन के 150 प्रकरणों में 1767.69 करोड़ रुपये की बचतों में से अनुदान एवं विनियोजन के कुल नौ प्रकरणों में 133.36 करोड़ रुपये के आधिक्य को कम करने के परिणामस्वरूप थी।

(कंडिकाएं 1.1 से 1.10 एवं 2.2)

2. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियम एवं नियमों का क्रियान्वयन

संसद द्वारा 1986 में, उपभोक्ताओं को माल एवं सेवाओं के प्रदाय के दोनों हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण का बुनियादी उद्देश्य उनकी शिकायतों का सस्ते में एवं त्वरित निवारण करना था

जो कि अभी तक अधिकांशतः अप्राप्त रहा क्योंकि राज्य के गठन से उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण हेतु कोई महत्वपूर्ण सार्थक पहल नहीं की गई। राज्य आयोग 2 1/2 वर्ष पश्चात गठित किया गया, उपभोक्ता परिषदों को स्थापित नहीं किया गया, उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु मध्यस्थता नहीं की गई, प्रकरणों का निराकरण धीमा था, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियमों को लागू करने वाले तंत्र कठोर बाध्यताओं के अधीन क्रियान्वित थे तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकांशतः परिवीक्षण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1)

3. मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएँ

मार्च 2007 के अंत तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 1.05 लाख हेक्ट. (मध्यम: 0.50 लाख हेक्ट.; लघु: 0.55 लाख हेक्ट.) निर्मित करने का लक्ष्य अधिकांशतः अप्राप्त रहा। 31 मार्च 2005 तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता केवल 0.37 लाख हेक्टेयर (मध्यम: 0.01 लाख हेक्ट.; लघु: 0.36 लाख हेक्ट.) का सृजन हुआ। धीमी प्रगति के मुख्य कारण दोषपूर्ण स्थल चयन, गलत अनुमान, कमान क्षेत्रों का अतिव्यापन, भू-अनार्जन इत्यादि थे। निविदाकरण एवं संविदाओं को प्रदान करने में अनियमितताएँ एवं अतिरिक्त व्यय के प्रकरण थे जिनसे लागत कीमत बढ़ी। जल उपभोक्ता संस्थाएँ, जो नहर प्रणाली को चालू रखने एवं उनके संधारण हेतु जिम्मेदार थी, को भुगतान की गई संधारण अनुदानों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु परिवीक्षण तंत्र नहीं था। सिंचाई क्षमता की उपयोगिता में 40 प्रतिशत की भारी कमी थी।

(कंडिका 3.2)

4. जेल विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र

जेल विभाग का मुख्य उद्देश्य बंदियों की अभिरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल एवं उचित रहन-सहन की स्थितियों को सुनिश्चित करना है। जेल विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्राविधियों में बहुत सी चूक प्रकट हुई। कमजोर बजटीय, वित्तीय एवं संचालन नियंत्रणों के कारण त्रुटि और अनियमितताओं की जोखिम क्षमता भारी थी। जेलों का परिवीक्षण विभागीय तौर पर और निर्दिष्ट अतिरिक्त विभागीय निकायों दोनों ही माध्यमों से अपर्याप्त था, तथा समस्या क्षेत्रों का पता लगाने एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रही। संचालन में कमियों के परिणाम बड़ी संख्या में अपूर्ण कार्य, जेलों में अत्यधिक भीड़, विचाराधीन बंदियों की उच्च लंबितता, निरंतर बंदियों के भागने, मार्गस्थ बंदियों के लिए अपर्याप्त पुलिस गार्ड और बंदियों की समयपूर्व रिहाई की समीक्षा नहीं करने में प्रकट हुए।

(कंडिका 5.1)

5. लेन देनों की लेखा परीक्षा

विभिन्न सरकारी विभागों एवं उनके मैदानी कार्यकर्ताओं की वित्तीय लेन देनों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच में हानि एवं खराब तरीके से 15.88 करोड़ रुपये के व्यय के निम्नांकित उदाहरण प्रकट हुए:

वन विभाग में आरा मिलों के भौतिक सत्यापन पर 2.29 करोड़ रुपये का कपटपूर्ण व्यय एवं 7.36 करोड़ रुपये का निष्फल एवं निरर्थक व्यय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में (87.48 लाख रुपये) लोक निर्माण विभाग में (3.42 करोड़ रुपये), जल संसाधन विभाग में (2.11 करोड़ रुपये) एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में (94.71 लाख रुपये) प्रकाश में आया।

राजस्व विभाग में 1.79 करोड़ रुपये का परिहार्य एवं अधिक व्यय था जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 1.27 करोड़ रुपये तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 39.88 लाख रुपये की निधियों का दुरुपयोग एवं व्यपवर्तन किया गया।

(कंडिका 4.1 से 4.5)

6. सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

31 मार्च 2005 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नौ सरकारी कम्पनियाँ एक विद्युत नियामक आयोग एवं दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। 11 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों (नौ सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक कम्पनियों) में 1060.46 करोड़ रुपये का निवेश था।

(कंडिका 6.1.1 एवं 6.1.2)

नौ सरकारी कम्पनियों, दो सांविधिक निगम एवं एक विद्युत नियामक आयोग में से केवल तीन सरकारी कम्पनियों एवं नियामक आयोग द्वारा 2004-05 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।

(कंडिका 6.1.6)

अद्यतन अंतिम लेखों के अनुसार तीन कार्यरत सरकारी कम्पनियों को 5.51 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई तथा एक सरकारी कम्पनी एवं एक सांविधिक निगम ने कुल 10.64 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। यद्यपि एक सांविधिक निगम ने वर्ष 2004-05 में पूर्व वर्ष के लिए 10 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया।

(कंडिका 6.1.7)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रूचिकर विषय

सरकारी कम्पनी

छत्तीसगढ़ राज्य मदिश निगम मर्यादित

1.41 करोड़ रुपये की कीमत के होलोग्राम की वसूली न होने से हानि।

(कंडिका 6.2.1)

29.40 लाख रुपये का गोदाम किराया वसूल न होने के कारण हानि।

(कंडिका 6.2.2)

सांविधिक निगम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

दावे कालातीत हो जाने के कारण 1.78 करोड़ रुपये की हानि।

(कंडिका 6.2.3)

राजस्व प्राप्तियाँ

लेखा परीक्षा कंडिकाएँ

वाणिज्यिक कर

2.30 करोड़ रुपये के कर भुगतान माल पर गलत छूट देने के परिणामस्वरूप 63.46 लाख रुपये की शास्ति सहित 84.61 लाख रुपये के कर का कम आरोपण।

(कंडिका 7.12)

घोषणा पत्रों पर कच्चे माल का क्रय करने से 24.89 लाख रुपये के क्रय कर का अनारोपण।

(कंडिका 7.14)

विक्रेता के सकल विक्रय का गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 12.06 लाख रुपये के कर का कम आरोपण।

(कंडिका 7.18)

राज्य उत्पाद शुल्क

आसवानी पर सरकारी स्थापना के व्यय की वसूली न होने के परिणामस्वरूप 27.92 लाख रुपये के राजस्व की हानि।

(कंडिका 7.23)

वाहनों पर कर

3.20 करोड़ रुपये के मोटर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण एवं वाहन मालिकों से वसूली न होना।

(कंडिका 7.26)

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

लाइसेंस विहीन मुद्रांक विक्रेताओं से 77.99 लाख रुपये के मुद्रांक क्रय किए गए।

(कंडिका 7.31)

सम्पत्तियों के न्यून मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 25.43 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली।

(कंडिका 7.32)

वन प्राप्तियाँ

बाँसों के विदोहन न होने के परिणामस्वरूप 27.40 करोड़ रुपये की राजस्व हानि।

(कंडिका 7.38)

खनन प्राप्तियाँ

विवरणी के अंतिम स्कंध में गलत छूट के परिणामस्वरूप 2.79 करोड़ रुपये की रायल्टी की कम वसूली होना।

(कंडिका 7.40)

पहला - अध्याय

राज्य शासन की वित्त व्यवस्था

सारांश

वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और राजस्व व्यय में (7.6 प्रतिशत की) अपेक्षाकृत कम वृद्धि थी। परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 में हुए ₹. 641 करोड़ के राजस्व घाटे से राज्य ने रुपये 146 करोड़ की राजस्व बचत अर्जित की। पूंजीगत व्यय में भी 2003-04 में 1016 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 1279 करोड़ रुपये का हो जाने से 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटा 2003-04 में ₹. 2204 करोड़ से कम होकर 2004-05 में रुपये 1231 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्थक वृद्धि, कर राजस्व में 25 प्रतिशत, सहायतानुदान में 33 प्रतिशत एवं केन्द्रीय कर अन्तरण में 19 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2003-04 की तुलना में, वर्ष के दौरान कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः बिक्री व्यापार आदि पर कर (375 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (56 करोड़ रुपये), स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस (77 करोड़ रुपये) इत्यादि में हुई। विक्रय व्यापार आदि पर कर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य स्रोत था जो कर राजस्व का 52 प्रतिशत रहा। इसके बाद राज्य आबकारी (14 प्रतिशत), स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस (8 प्रतिशत) एवं माल और यात्रियों पर कर (9 प्रतिशत) इत्यादि रहे। कर-भिन्न राजस्व के स्रोतों में प्रमुख अंशदाता अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग (55 प्रतिशत) एवं वानिकी एवं वन्य जीव (13 प्रतिशत) रहे। राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त कर एवं कर भिन्न राजस्व का राजस्व प्राप्तियों में 62 प्रतिशत का अंशदान था।

राज्य का व्यय कुल मिलाकर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2003-04 में 8174 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 8495 करोड़ रुपये हो गया राजस्व व्यय, जो कि कुल व्यय का 83.6 प्रतिशत था, वर्ष 2004-05 में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

अधिक ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में, वेतन एवं पेंशन (2653 करोड़ रुपये) तथा ब्याज भुगतान (1152 करोड़ रुपये) ने ही राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत का उपभोग कर लिया। राजकोषीय देयताएं जो 2001-02 में 7421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 12227 करोड़ रुपये हो गईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के अनुपात के रूप में ये देयताएं 2001-02 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 35 प्रतिशत हो गईं तथा वे राजस्व प्राप्तियों का 1.69 गुना थीं।

1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे उन्नीस विवरणों में निहित हैं, जिनमें राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ और व्यय के साथ ही पूंजीगत प्राप्तियाँ और व्यय प्रदर्शित हैं। वित्त लेखों की रूप रेखा बॉक्स 1.1 में वर्णित है।

बॉक्स 1.1

विवरण क्रमांक 1 राज्य सरकार के लेन-देनों के सारांश का प्रदर्शन करता है- राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में प्राप्तियाँ और व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत मदें, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं भुगतान आदि।

विवरण क्रमांक 2 में 2004-05 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाते हुए पूंजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण निहित है।

विवरण क्रमांक 3 में सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ चालन व्यय और संधारण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि दिए गए हैं।

विवरण क्रमांक 4 में राज्य के ऋणों की स्थिति जिसमें आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से उधारियां, अन्य अनुगृहिताओं और ऋणों की सेवाएं निहित हैं, का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 5 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों और अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतान और वसूलियों की बकाया, इत्यादि का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 6 सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी का सार दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 7 ऐसे शेषों से निर्मित नगद शेषों और निवेशों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 8 31 मार्च 2005 की स्थिति में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 9 वर्ष 2004-05 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व और व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 10 वर्ष के दौरान प्रभारित और दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 11 लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 12 में राजस्व व्यय के लेखे योजना, राज्य योजनागत और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पृथक रूप से लघु शीर्षों के अधीन एवं पूंजीगत व्यय के लेखे मुख्य शीर्ष वार दर्शाए गए हैं ।

विवरण क्रमांक 13 2004-05 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण दर्शाता है।

विवरण क्रमांक 14 2004-05 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कंपनियों अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेश का विवरण दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 15 2004-05 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय एवं इस व्यय के लिए जिन मुख्य स्रोतों से निधियाँ जुटाई गईं को दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 16 ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सम्बंधित लेखाओं के शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों के विस्तृत लेखे दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 17 छत्तीसगढ़ सरकार के ऋणों और अन्य ब्याजधारी बाध्यताओं का विस्तृत लेखा प्रदर्शित करता है ।

विवरण क्रमांक 18 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत लेखा, वर्ष के दौरान ऋणों की राशि का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2005 की स्थिति में शेष और वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विवरण दर्शाता है ।

विवरण क्रमांक 19 चिन्हित रक्षित निधियों के शेषों का विवरण दर्शाता है।

1.2 गत वर्ष के संदर्भ में वित्त की प्रवृत्ति

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य शासन की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रुपये में)

2003-04	क्रम संख्या	मुख्य संकलन	2004-05
भाग - क प्राप्तियाँ			
5959	1	राजस्व प्राप्तियाँ (2 + 3 + 4)	7249
2588	2	कर राजस्व	3228
1124	3	कर भिन्न राजस्व	1244
2247	4	अन्य प्राप्तियाँ	2777
11	5	बिना ऋण वाली पूंजीगत प्राप्तियाँ	15
11	6	उनमें से ऋण की वसूली	15
5970	7	कुल प्राप्तियाँ (1 + 5)	7264
भाग-ख व्यय			
5091	8	आयोजनेत्तर व्यय (9+11)	5509
5059	9	राजस्व लेखों पर	5483
1054	10	उनमें से ब्याज का भुगतान	1152
32	11	पूँजीगत लेखों पर	26
30	12	उनमें से ऋण वितरण	23
3083	13	आयोजना व्यय (14+15)	2986
1541	14	राजस्व लेखों पर	1620
1542	15	पूँजीगत लेखों पर	1366
528	16	उनमें से ऋण वितरण ¹	90
8174	17	कुल व्यय (8+13)	8495
भाग-ग घाटा			
2204	18	राजकोषीय घाटा (17-1-5)	1231
(-) 641	19	राजस्व घाटा (-)/बचत (+)(9+14-1)	(+)146
1150	20	प्रारम्भिक घाटा (18-10)	79

1.3 वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार

तालिका 1: जैसा कि वित्त लेखों के विवरण पत्र 1 एवं अन्य विस्तृत विवरण पत्रों से प्रकट होता है, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियों व व्यय, लोक ऋण प्राप्तियों एवं संवितरण को समाहित कर वर्ष 2004-05 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के वित्त को सारांशिकृत करती है।

¹ अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं अग्रिम

तालिका 1: वर्ष 2004-05 हेतु प्राप्तियों और संवितरण का सार

(करोड़ रुपये में)

2003-04	प्राप्तियाँ	2004-05	2003-04	संवितरण	2004-05		
खण्ड-क राजस्व							
					आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
5959	I राजस्व प्राप्तियाँ	7249	6600	I राजस्व व्यय	5483	1620	7103
2588	कर राजस्व	3228	2154	सामान्य सेवाएं	2492	2	2494
1124	कर - भिन्न राजस्व	1244	2269	सामाजिक सेवाएं	1376	1055	2431
1570	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1876	1917	आर्थिक सेवाएं	1363	563	1926
677	भारत सरकार से अनुदान	901	260	सहायता अनुदान / अंशदान	252	--	252
खण्ड-ख पूँजीगत							
--	II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	1016	II पूँजीगत परिव्यय	3	1276	1279
11	III ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ²	15	558	III ऋण और अग्रिमों का संवितरण²	23	90	113
2432	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ	1910	778	IV लोक ऋण का भुगतान	1152	--	1152
7071	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	9295	6824	IV लोक लेखा संवितरण	8536	--	8536
718	प्रारम्भिक शेष	415	415	अन्तिम शेष	701	--	701
16191	योग	18884	16191	योग	15898	2986	18884

1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

वर्ष 2004-05 के वित्त लेखों के विवरण में प्राप्तियों एवं व्यय की मुख्य राजकोषीय प्रवृत्तियों को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों द्वारा दर्शाया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए आधारभूत सूचक हैं (i) संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसम्पत्तियाँ और देयताएं और (iv) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा प्रेक्षकों में संसाधन के संग्रहण के प्रयत्नों के संचयी प्रभाव, ऋण सेवाओं और सुधारात्मक राजकोषीय उपायों को भी लिया गया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का वित्तीय निष्पादन एक निकाय के रूप में सामान्यतः राजकोषीय तत्त्वों की सापेक्ष व्याख्या हेतु अपनाए जाने वाले अनुपातों के एक समूह के उपयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिवेदित मापदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाए गए हैं।

² अन्तर्राज्यीय समाशोधन के समायोजन सहित ऋण एवं अग्रिम

बॉक्स 1.2
प्रतिवेदित मापदण्ड

राजकोषीय तत्व जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व और पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण और राजस्व एवं राजकोषीय घाटे प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित 1993-94 पर आधारित नवीन सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला का उपयोग किया गया है।

कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के आधार के संदर्भ में उतार-चढ़ाव की सीमा में आगामी अनुमानों पर तरलशीलता प्रक्षेत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अनुपात भी दर्शाए गए हैं। कुछ शब्दों के उपयोग को परिशिष्ट- 1.5 में स्पष्ट किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (ii) लोक लेखा में रखे गये हैं। ये बॉक्स 1.3 में परिभाषित हैं।

बॉक्स 1.3
राज्य सरकार की निधियाँ और लोक लेखा

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुर्नभुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।	भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रदाय के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

लोक लेखा

समेकित निधि से सम्बन्धित सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, ये शासकीय लेखे में दर्शाए जाने वाले ऐसे लेन-देन हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार, साहूकार के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियाँ, लघु बचतें, अन्य जमाएं, इत्यादि से सम्बन्धित लेन-देन, कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है और इसी से सम्बन्धित संवितरणों को किया जाता है।

1.5 आधारभूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति

1.5.1 संसाधनों का परिमाण एवं स्रोत

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ और लोक लेखा से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संधीय करों एवं शुल्क में राज्यांश और केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक साधनों से प्राप्तियाँ अर्थात् बाजार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों/व्यापारिक बैंकों इत्यादि से उधारियाँ आदि और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। लोक लेखों प्राप्तियों में लोक लेखा में नगद और नगद निवेश को छोड़कर सभी जमा सम्मिलित हैं।

तालिका - 2 राज्य शासन की वर्ष 2004-05 के लिये 18,469 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ दर्शाती है। इसमें से राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 7,249 करोड़ रुपये की हैं जो कुल प्राप्तियों का 39 प्रतिशत होती है। शेष प्राप्तियाँ उधारियों एवं लोक लेखे से प्राप्त हुईं।

तालिका 2: छत्तीसगढ़ के संसाधन (2004-05)

(करोड़ रुपये में)

I राजस्व प्राप्तियाँ				7249
II पूँजीगत प्राप्तियाँ				1925
	(अ)	विविध प्राप्तियाँ	-	
	(ब)	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	15	
	(स)	लोक ऋण प्राप्तियाँ	1910	
III लोक लेखा प्राप्तियाँ				9295
	(अ)	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	449	
	(ब)	आरक्षित निधि	301	
	(स)	जमा और अग्रिम	900	
	(द)	उचंत और विविध	5428	
	(य)	प्रेषण	2217	
कुल प्राप्तियाँ				18469

तालिका-3 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में और विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। जहां 2001-02 से 2004-05 में राजस्व प्राप्तियाँ 66 प्रतिशत बढ़ी, ऋण प्राप्तियाँ उतार चढ़ाव के साथ 2001-02 से 2003-04 में 144 प्रतिशत बढ़ी एवं 2004-05 में कम हुई (2003-04 का 21 प्रतिशत)।

तालिका-3 प्राप्तियों के साधन: प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ		लोक लेखा से प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋण भिन्न प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ			
2001-02	4376	09	995	5620	11000	29518
2002-03	5417	19	1613	6924	13973	29715
2003-04	5959	11	2432	7071	15473	32321
2004-05	7249	15	1910	9295	18469	35156 ³

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ -

सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखों के विवरण पत्र 11 में है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर और कर भिन्न राजस्व, भारत सरकार से अंतरित केन्द्रीय कर और सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

³ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्ष 2003-04 में अर्जित 8.77 प्रतिशत की वृद्धि दर को विचार कर गणना की गई क्योंकि राज्य सरकार से अन्तिम आँकड़े प्रतिक्षित थे।

समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि की दर, इन प्राप्तियों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात और इनकी तरलशीलता तालिका 4 में दर्शाई गई है।

तालिका-4 राजस्व प्राप्तियाँ - आधारभूत मानदण्ड

(मूल्य: करोड़ रुपये में और अन्य प्रतिशत में)


	2001-02*	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ में)	4376	5417	5959	7249
स्वयं के कर (प्रतिशत)	45.6	43.0	43.4	44.5
कर भिन्न राजस्व (प्रतिशत)	16.5	17.7	18.9	17.2
केन्द्रीय कर अंतरण (प्रतिशत)	26.9	24.9	26.3	25.9
सहायता अनुदान (प्रतिशत)	11.0	14.5	11.4	12.4
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	-	23.8	10.0	21.6
राजस्व प्राप्तियाँ/राज्य सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.8	18.2	18.4	20.6
राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)	-	0.667	8.77	8.77
राजस्व तरलशीलता (अनुपात)- कुल	-	35.7	1.14	2.5
स्वयं की कर के साथ राजस्व तरलशीलता	-	25.13	1.28	2.8

* छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ था। इसलिए वृद्धि की दर, राजस्व तरलशीलता और राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि निर्धारित नहीं की गई।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2003-04 की 5959 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 7249 करोड़ रुपये हो गईं। प्राथमिक रूप से 2004-05 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, कर राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि, भारत सरकार के केन्द्रीय करों और शुल्क में राज्य के अंश में 19 प्रतिशत की वृद्धि, और कर भिन्न राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। राज्य सरकार के अपने संसाधनों से औसतन 62 प्रतिशत का राजस्व आया। सहायता अनुदान और केन्द्रीय कर अंतरण दोनों का कुल राजस्व में लगभग 38 प्रतिशत अभिदान था। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय व्यापार आदि पर कर (52 प्रतिशत), राज्य आबकारी (14 प्रतिशत), विद्युत कर और शुल्क (10 प्रतिशत) वस्तुओं और यात्रियों पर कर (नौ प्रतिशत), मुद्रांक और पंजीयन शुल्क (आठ प्रतिशत), इत्यादि थे। कर-भिन्न राजस्व मुख्य रूप से अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

(55 प्रतिशत), वन एवं वन्य जीवन (13 प्रतिशत) और लघु सिंचाई (आठ प्रतिशत) से प्राप्त हुआ ।

(करोड़ रुपये में)



1.5.3 राजस्व बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2005 की स्थिति में राजस्व बकाया की राशि 175.55 करोड़ रुपये थी जिसमें से 49.55 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

बकाया मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर (131.45 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (3.81 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (19.28 करोड़ रुपये) विद्युत प्रभार पर कर (19.28 करोड़ रुपये) और मुद्रांक एवं पंजीयन फीस (1.73 करोड़ रुपये), से संबंधित थे । राजस्व बकाया में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई और यह कुल कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का चार प्रतिशत थी ।

1.6 संसाधनों की प्रयुक्ति

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति

वित्त लेखों के विवरण पत्र 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को अंकित कर कुल व्यय दर्शाया जाता है। राज्य में कुल व्यय 2001-02 के 5,502 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-2005 में 8,495 करोड़ रुपये हो गया ।

राज्य का कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि, राजस्व प्राप्तियाँ एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात एवं इसकी तरलशीलता तालिका-5 में निम्नानुसार दर्शाई गई है:

तालिका-5 कुल व्यय - आधारभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	5502	6409	8174	8495
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	--	16.5	27.5	3.9
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.6	21.6	25.3	24.2
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय (प्रतिशत में)	79.5	84.5	72.9	85.3
कुल व्यय की निम्न से तरलशीलता				
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	24.74	3.14	0.4
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	--	0.693	2.75	0.2

कुल व्यय का 85 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से वित्तपोषित था एवं शेष उधारियों से वहन किया गया था ।

क्रियाकलापों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों को मिलाकर कुल व्यय माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों से संबंधित अंश को तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6 व्यय के घटक- सम्बन्धित अंश (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सामान्य सेवाएं	32.1	29.0	26.6	29.7
सामाजिक सेवाएं	36.7	34.7	30.0	31.6
आर्थिक सेवाएं	27.3	32.9	33.3	34.4
सहायता अनुदान	2.4	2.5	3.2	3.0
ऋण एवं अग्रिम ⁴	1.5	0.9	6.8	1.3

⁴ अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है ।

ब्याज के भुगतानों में तीव्र वृद्धि के कारण, कुल व्यय में ब्याज भुगतानों का संबंधित अंश वर्षों से बढ़ता रहा है। 2004-05 में कुल व्यय का गैर-विकासात्मक व्यय (सामान्य सेवाएं मय ब्याज भुगतान) 30 प्रतिशत, विकासात्मक व्यय (सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर) 66 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिमों तथा सहायता अनुदान की चार प्रतिशत गणना की गई।

1.6.2 राजस्व व्यय का संयोग

कुल व्यय में राजस्व व्यय का विशिष्ट अंश था। राजस्व व्यय आमतौर पर वर्तमान स्तर की परिसम्पत्तियों और सेवाओं के रख-रखाव हेतु किया जाता है। कुल मिलाकर राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि की दर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात एवं इसकी तरलशीलता तालिका-7 में निम्नानुसार दर्शाई गई है :-

तालिका-7 राजस्व व्यय- आधारभूत मापदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व व्यय (करोड़ रुपये में)	4945	5530	6600	7103
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	--	11.8	19.3	7.6
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.8	18.6	20.4	20.2
कुल व्यय से राजस्व व्यय का प्रतिशत	89.9	86.3	80.7	83.6
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	113.0	102.0	110.8	97.9
निम्न से राजस्व व्यय की तरलशीलता				
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	17.7	2.2	0.9
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	--	0.497	1.93	0.4

राज्य का राजस्व व्यय 2001-02 के 4,945 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 7103 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय का आयोजनेत्तर घटक 77 प्रतिशत था जबकि आयोजना व्यय केवल 23 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय का खंडवार व्यय दर्शाता है कि सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित) पर 35 प्रतिशत (2,494 करोड़ रुपये), सामाजिक सेवाओं पर 34 प्रतिशत (2,431 करोड़ रुपये) और आर्थिक सेवाओं पर केवल 27 प्रतिशत (1,926 करोड़ रुपये) व्यय था।

2004-05 के दौरान राजस्व व्यय कुल उपलब्ध निधियों का 38 प्रतिशत लेखांकित किया गया। यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंश (कुल प्राप्तियों का 39 प्रतिशत) से कुछ ही कम था, जिसके कारण राजस्व बचत (145.82 करोड़ रुपये) हुई। राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात 2003-04 के 111 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 98 प्रतिशत रह गया।

1.6.3 उच्च वेतन और पेन्शन व्यय

राज्य की राजस्व प्राप्तियों के लगभग 37 प्रतिशत का अकेले वेतन एवं पेन्शन भुगतानों में ही उपयोग किया गया था। यह व्यय 2002-03 के 2214 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 2653 करोड़ रुपये हो गया लेकिन राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत के संबंध में घटने की प्रवृत्ति रही जैसा कि तालिका- 8 में दर्शाया गया है :-

तालिका-8

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
वेतन और पेन्शन व्यय	2283.56	2213.66	2517.69	2652.55
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	52.2	40.9	42.3	36.6
राजस्व व्यय से प्रतिशत	46.2	40.0	38.1	37.3

1.6.4 ब्याज भुगतान

विशुद्ध रूप से मुख्यतः राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधारियों पर अनवरत निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान 2001-02 के 731 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 1152 करोड़ रुपये हो गए।

तालिका-9

वर्ष	ब्याज भुगतान	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
	(करोड़ रुपये में)	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2001-02	731	16.7	14.8
2002-03	810	15.0	14.6
2003-04	1,054	17.7	16.0
2004-05	1152	15.9	16.2

1.7 आवंटन प्राथमिकताओं पर व्यय

वित्त लेखे के विवरण पत्र- 12 में दर्शाए गए राज्य के आयोजना व्यय, पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक व्यय की प्रकृति वाले वास्तविक व्यय राज्य की आवंटन प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। कुल व्यय के इन घटकों का ऊंचा अनुपात व्यय की अच्छी गुणवत्ता दर्शाता है। राज्य के कुल व्यय में इन घटकों के व्यय अंश का प्रतिशत नीचे तालिका- 10 में दिया गया है।

तालिका-10 व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय का प्रतिशत)⁵

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आयोजनागत व्यय	28.2	33.0	37.7	35.2
पूँजीगत व्यय ⁶	10.1	13.7	19.3	16.4
विकासात्मक व्यय	64.0	67.6	63.4	66.0

2004-05 में आयोजनागत व्यय 2001-02 के कुल व्यय के 28 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। 2004-05 में पूँजीगत व्यय 2001-02 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया है। लेकिन, दोनों में वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में कुछ कमी आई।

2004-05 में विकासात्मक व्यय (5,606 करोड़ रुपये) में से सामाजिक सेवाओं पर 48 प्रतिशत व्यय (2,687 करोड़ रुपये) लेखांकित किया गया जिसमें से 66 प्रतिशत (1785 करोड़ रुपये), सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जल प्रदाय व मल निकास पर व्यय किया गया।

तालिका-11 सामाजिक क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सामान्य शिक्षा	697	750	969	1190
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	244	272	292	316
जल प्रदाय एवं मल निकास	254	281	287	279
योग	1195	1303	1548	1785

इसी प्रकार विकासात्मक व्यय का 52 प्रतिशत (2920 करोड़ रुपये) आर्थिक सेवाओं पर लेखांकित किया गया। जिसमें से 46 प्रतिशत (1342 करोड़ रुपये) व्यय इस क्षेत्र के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (742 करोड़ रुपये), परिवहन (446 करोड़ रुपये) तथा ऊर्जा (154 करोड़ रुपये) पर लेखांकित किए गए हैं।

⁵ ऋणों एवं अग्रिमों पर संवितरण तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित कुल व्यय

⁶ ऋण एवं अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित

तालिका-12 आर्थिक क्षेत्र का व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
उर्जा	82	86	208	154
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	289	525	550	742
परिवहन	233	428	484	446
योग	604	1039	1242	1342

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्वायत्त संस्थाओं एवं प्राधिकरणों द्वारा गैर वाणिज्यिक आधार पर लोक उपयोगी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये निकाय/संस्थाएँ शासन से सारभूत वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को भी शासन के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिये सरकार द्वारा सारभूत वित्तीय सहायता दी जाती है। शासन द्वारा यह अनुदान मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव, शालाओं एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव, सड़कों का सुधार एवं नगरपालिका व स्थानीय संस्थाओं के अधीन अन्य संचार सुविधाओं हेतु दिया जाता है।

वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को दी गई सहायता की मात्रा निम्नानुसार थी-

तालिका-13

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	निम्न हेतु सहायता	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	शिक्षा	86.75	89.94	118.06	145.87
2.	शक्ति/ऊर्जा	64.25	65.00	88.27	146.72
3.	कृषि	15.60	16.46	12.16	15.13
4.	आवास एवं शहरी विकास	8.76	34.91	28.09	17.60
5.	अन्य विकासात्मक गतिविधि (खाद्य एवं पूर्ति तथा सहकारी संस्थाएँ)	2.03	4.96	0.86	27.27
	योग	177.39	211.27	247.44	352.59
	राजस्व प्राप्तियों से सहायता का प्रतिशत	4.01	3.9	4.2	4.9
	राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	3.6	3.8	3.7	5

सहायता अनुदानों के नियमों एवं विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में अपेक्षित है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिये जारी किए गए अनुदान का उसी वित्त वर्ष के दौरान पूरी तरह उपयोग होना चाहिये। शेष यदि कोई हो, तो उसे शासन को अतिशीघ्र वापस कर देना चाहिये। तथापि वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न संस्थाओं/निकायों को जारी किए गए अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। वर्ष में कुल 352.59 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया जिसमें से 39.40 करोड़ रुपये की राशि का व्यय नहीं किया गया और बचत का प्रतिशत 10 से 100 तक रहा। अनुदानों का उपयोग करने की विभागवार जानकारी **परिशिष्ट 1.6** में दी गई है।

निर्देशों के अनुसार अनुदान संस्था से यह अपेक्षित है कि प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 2001-02 से 2004-05 के दौरान स्वीकृत अनुदानों संबंधी 553.50 करोड़ रुपये की राशि (2001-02 : ₹. 2.06 करोड़, 2002-03 : ₹. 2.47 करोड़, 2003-04 : ₹. 196.38 करोड़ और 2004-05 : ₹. 352.59 करोड़) के 475 उपयोगिता प्रमाण पत्र (2001-02 : 18, 2002-03 : 12, 2003-04 : 175, और 2004-05 : 270) अगस्त 2005 तक लंबित थे (**परिशिष्ट- 1.7**)।

2001-05 की अवधि हेतु 24 अनुदान संस्थाओं से वार्षिक लेखे एवं वित्तीय सहायता उपयोगिता के विवरण लंबित थे।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

सरकारी लेखांकन पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि एवं भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता। तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का समावेश किया जाता है। वित्त लेखे के विवरण पत्र 16 सहपठित विस्तृत विवरण पत्र-17 में ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों जिनसे देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की संगणना की जाती है, के अंतर्गत वर्ष के अन्त में शेष दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-1.1 में 31 मार्च 2005 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों की 31 मार्च 2004 की स्थिति से तुलना कर सार प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण पत्र में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा ली गई उधारियाँ जैसे कि आन्तरिक उधारियाँ, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि की प्राप्तियों से निर्मित देयताएँ समाविष्ट हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम समाविष्ट हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की देयताओं को वित्त लेखे में दर्शाया गया है। तथापि, इनमें राज्य के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों एवं राज्य द्वारा जारी गारंटियों/सुविधा पत्रों को शामिल नहीं किया गया है। **परिशिष्ट- 1.1 से 1.4** में 2003-04 एवं 2004-05 की अवधि के मध्य राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की तुलना दर्शाई गई है।

1.8.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

अवधि के दौरान 89.45 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि 2004-05 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (67.26 करोड़ रुपये) इन पर किए गए राजस्व व्यय का मात्र 75 प्रतिशत था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2005 तक 3,041.54 करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली कम से कम 71 परियोजनाएँ निर्माणाधीन थीं। निर्माणाधीन एवं अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ण सूची प्रतीक्षित थी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

सरकार द्वारा विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु पूँजीगत परिव्यय में निवेश किया जाता है। निवेशों के वर्षवार विवरण एवं प्राप्त लाभांश/ब्याज निम्नानुसार थे :

तालिका 14: निवेश पर प्रतिफल

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	लाभांश/ब्याज प्राप्ति ⁷
2001-02	15.29	5.00
2002-03	35.94	25.57
2003-04	56.94	34.82
2004-05	87.86	निरंक

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

⁷ राज्य के गठन के पूर्व किये गये निवेश पर लाभांश एवं ब्याज सम्मिलित है।

2004-05 के दौरान घोषित लाभांश/प्राप्त ब्याज की राशि सरकार को जमा नहीं की गई थी।

सरकार, विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक क्रियाकलापों के लिये सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। अप्रैल 2001 से मार्च 2005 तक की अवधि हेतु दिए गए ऋण एवं अग्रिम की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 15: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्रारंभिक शेष	138.33	184.34	223.58	770.62
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	49.52	57.70	557.68	113.04
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	3.51	18.46	10.64	14.79
अंतिम शेष	184.34	223.58	770.62	868.87
निवल वृद्धि (+)/कमी(-)	46.01	39.24	547.04	98.25

1.8.5 रोकड़ शेषों का प्रबन्धन

सामान्य रोकड़ शेष समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के संयुक्त शेषों को प्रदर्शित करता है।

रिजर्व बैंक के साथ किये गये एक अनुबंध के तहत 1 नवम्बर 2000 से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रत्येक दिन बैंक में 72 लाख रुपये का न्यूनतम शेष रखना ही है। बैंक प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में सरकार को बैंक में उनके दैनिक शेष की सूचना ई-मेल द्वारा देता है। यदि यह शेष राशि साप्ताहिक निपटारे के दिनों में सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम होती है तो इस कमी की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (सामान्य या विशेष) लेकर या भारत सरकार के विनिमय पत्रों को बेचकर की जाती है। साधारण अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज बैंक दर से (6 प्रतिशत) (अ) प्रारंभिक 90 दिनांक के लिए (ब) 90 दिनों के पश्चात बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज लगता है। इसके अतिरिक्त, जब आवश्यक हो राज्य शासन द्वारा अधिविकर्ष भी लिया जाता है। यह अवलोकन किया गया कि शासन द्वारा 2004-05 के दौरान शासन द्वारा किसी भी अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग नहीं किया गया।

1.8.6 अदेय देयताएं

राजकोषीय देयताएं - भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य भारत के गणराज्य की सीमा के भीतर, राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उन सीमाओं के अंदर यदि कोई हो जैसा कि राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, उधार ले सकता है। राज्य विधायिका द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु नियम पारित नहीं किया गया है।

यह अवलोकन किया गया कि राज्य की राजकोषीय देयताएं 2001-02 की 7,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 12,227 करोड़ रुपये हो गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इन देयताओं का अनुपात 2001-02 का 25 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 35 प्रतिशत हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 1.69 गुनी थीं।

तालिका-16 में राज्य की राजकोषीय देयताओं, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों से इन देयताओं का अनुपात और अपने संसाधनों एवं इन देयताओं की तरलशीलता संबंधी मानदण्ड दिए गए हैं।

तालिका 16: राजकोषीय देयताएं -मूलभूत मानदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजकोषीय देयताएं (करोड़ रुपये में)	7,421	9,245	11,144	12227
वृद्धि की दर (प्रतिशत में)	*	24.6	20.5	9.7
निम्न से राजकोषीय देयताओं का अनुपात				
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.1	31.1	34.5	34.7
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	169.6	170.7	187.0	168.7
निम्न से राजकोषीय देयताओं की तरलशीलता				
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात में)	*	36.88	2.34	1.1
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात में)	*	1.03	2.05	0.4

* चूंकि राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को हुई है इसलिए विचार नहीं किया गया।

बढ़ती देयताएं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के स्थायित्व की समस्या उठाती है। राजकोषीय दायित्वों के स्थायित्व के सूचकों में से एक राजकोषीय देयताओं पर भारित ब्याज दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मध्य सकारात्मक उपस्थिति है। राजकोषीय देयताओं की स्थिरता के संदर्भ में भारित ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज को तालिका- 17 में दर्शाया गया है।

तालिका-17 ऋण स्थिरता

ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
भारत ब्याज दर	*	9.7	10.3	9.86
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	*	0.667	8.77	8.77
ब्याज फौलाव	*	(-) 9.03	(-) 1.53	(-) 1.09

* राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को होने के कारण विचार नहीं किया गया।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात निधियों की निवल उपलब्धता राजकोषीय देयताओं की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। पिछले 4 वर्षों में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों के संबंध में प्राप्तियों एवं पुर्नभुगतान की स्थिति तालिका-18 में दी गई है।

तालिका - 18 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आन्तरिक ऋण				
(क) प्राप्तियां	653.75	1179.19	1977.60	1480.61
(ख) पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज (शोधन निधि सहित))	341.51	417.09	588.53	860.14
(ग) उपलब्ध निवल निधि (क-ख)	312.24	762.10	1389.07	620.47
(घ) उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत) उ.नि.नि X 100/प्राप्तियाँ	48	65	70	42
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम				
(च) प्राप्तियाँ	340.86	434.12	454.39	429.20
(छ) पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	501.13	754.39	1096.61	1392.45
(ज) उपलब्ध निवल निधियां (च-छ)	(-)160.27	(-)320.27	(-) 642.22	(-) 963.25
(झ) उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	(-) 47	(-) 74	(-) 141	(-)224
कुल लोक ऋण				
(त) प्राप्तियाँ	994.61	1613.31	2431.99	1909.81
(थ) पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	842.64	1171.48	1685.14	2252.59
(द) उपलब्ध निवल निधियां (त-थ)	151.97	441.83	746.85	(-) 342.78
(ध) उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	15.3	27.4	30.7	(-)17.9

आकस्मिक देयताएं

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा सृजित कुछ निश्चित देयताओं जैसे ऋणों के पुनर्भुगतान, अंश पूँजी आदि के लिए तथा इनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। ये राज्य की आकस्मिक देयताएं निर्मित करती हैं। राज्य विधानमण्डल द्वारा संविधान के अनुच्छेद

293 के अधीन ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कोई नियम पारित नहीं किया गया है जिस तक राज्य की संचित निधि की जमानत पर सरकार गारन्टी दे सकती है। वित्त लेखे का विवरण पत्र-6 दर्शाता है कि मार्च 2005 तक सरकार द्वारा संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिकाओं, निगमों एवं नगरक्षेत्रों को 1343 करोड़ रुपये राशि की गारंटी दी गई। 31 मार्च 2005 की स्थिति में 620 करोड़ रुपये की गारंटी लंबित थी। 1 नवम्बर 2000 से पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य द्वारा 9,710 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई थी, इसमें 43 करोड़ रुपये का बंटवारा हो गया है एवं शेष 9,667 करोड़ रुपये की गारंटी को अभी भी मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजित किया जाना है।

1.9 घाटे का प्रबन्धन

1.9.1 राजकोषीय असन्तुलन

सरकारी लेखे में घाटा उसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राजकोषीय प्रबंधन में सरकार की दूरदर्शिता का सूचक है। इसके अतिरिक्त, घाटे की वित्त व्यवस्था के उपाय तथा इस हेतु सृजित एवं उपयोग किए गए संसाधन राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरण पत्र-1) जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य दर्शाता है 2001-02 के 569 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002-03 में 113 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन 2003-04 में पुनः बढ़कर 641 करोड़ रुपये हो गया। इस घाटे के स्थान पर वर्ष 2004-05 में 146 करोड़ रुपये की राजस्व बचत हुई। राजकोषीय घाटा जो सरकार की कुल उधारियों एवं कुल संसाधनों के अन्तर को प्रदर्शित करता है, भी वर्ष 2001-02 के 1,117 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 973 करोड़ रुपये और पुनः 2003-04 में बढ़कर 2204 करोड़ रुपये और 2004-05 में कम होकर 1231 करोड़ रुपये हो गया। राज्य वित्त से यह भी प्रतिबिंबित हुआ कि प्रारंभिक घाटे में 2001-02 के 386 करोड़ रुपये से 2002-03 में 163 करोड़ रुपये तक घटने की प्रवृत्ति के पश्चात 2003-04 में तेजी से बढ़कर 1,150 करोड़ रुपये और 2004-05 में तेजी से गिरावट के साथ 79 करोड़ रह गया जैसा कि तालिका-19 में दर्शाया गया है।

तालिका-19 राजकोषीय असन्तुलन आधारभूत मापदण्ड

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व घाटा(-)/बचत (+) (करोड़ रुपये में)	(-) 569	(-) 113	(-) 641	(+)146
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	1117	973	2204	1231
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	386	163	1150	79
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (-)अथवा राजस्व बचत/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (+) (प्रतिशत)	(-) 1.9	(-) 0.3	(-) 2.0	(+) 0.4
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद. (प्रतिशत)	3.8	2.9	6.8	3.5
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.3	0.5	3.6	0.2
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (+) या राजस्व बचत/राजकोषीय घाटा(-) (प्रतिशत)	(+) 50.9	(+) 11.6	(+) 29.1	(-)11.9

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात 2001-02 के 51 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 12 प्रतिशत रह गया तथा 2003-04 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। जबकि वर्ष 2004-05 में राजस्व बचत के कारण, राजस्व बचत का राजकोषीय घाटा से अनुपात 12 प्रतिशत था।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्त व्यवस्था सुदृढ़, लचीली एवं अभेद्य होना चाहिये। कुछ मूल संदर्शकों जो उपलब्ध संसाधनों की यथेष्टता एवं प्रभावशीलता व इनके उपयोग का आँकलन करते हैं, संबंधित क्षेत्रों को प्रकाश में लाते हैं एवं इसके महत्वपूर्ण पक्षों को ग्रहण करते हैं, के संदर्भ में 2001-05 में सरकार के वित्त की सारांशिकृति स्थिति नीचे तालिका- 20 में दर्शाई गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के करों का अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों की तरलशीलता, कर प्रणाली की प्रकृति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि से, संसाधनों पर राज्य की बढ़ती हुई पहुँच को दर्शाती है। ये अनुपात 2001-05 के दौरान संसाधनों की तरलशीलता एवं सुदृढ़ता को इंगित करते हुए अनवरत सुधार दिखा रहे थे।

राज्य के व्यय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता एवं साधनों की तरलशीलता एवं संबंधित सुदृढ़ता को इंगित करते हैं। 2004-05 में राजकोषीय असंतुलन के अनुपात दर्शाते हैं कि राजकोषीय घाटे का 12 प्रतिशत, राजस्व बचत द्वारा पूर्ण किया गया।

तालिका-20: राजकोषीय दक्षता के अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय सूचक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
I साधनों की तरलशीलता				
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.8	18.2	18.4	20.6
राजस्व तरलशीलता (अनुपात)	*	35.7	1.14	2.5
स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.8	7.8	8.0	9.2
स्वयं के कर से साथ राजस्व तरलशीलता	*	25.13	1.28	2.8
II व्यय प्रबन्धन				
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.6	21.6	25.3	24.2
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	79.5	84.5	72.9	85.3
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.9	86.3	80.7	83.6
पूँजीगत व्यय(ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण व अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित) /कुल व्यय	10.1	13.7	19.3	16.4
विकासत्मक व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)/कुल व्यय	64.0	67.6	63.4	66.0
राजस्व प्राप्तियों से कुल व्यय की तरलशीलता	*	69.3	275	18.0
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की तरलशीलता	*	49.7	193.3	35.2
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन				
राजस्व घाटा (-)/राजस्व बचत (+) (करोड़ रुपये में)	569	113	641	(-) 146
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	1117	973	2204	1231
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	386	163	1150	79
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (+) या राजस्व बचत/राजकोषीय घाटा (-)	(+) 50.9	(+) 11.6	(+) 29.1	(-) 11.9
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन				
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.1	31.1	34.5	34.8
राजकोषीय देयताएँ/ राजस्व प्राप्तियाँ	169.6	170.7	187	168.7
राजकोषीय देयताओं की राजस्व प्राप्तियों के साथ तरलशीलता (अनुपात)	*	1.03	2.05	0.45
राजकोषीय देयताओं की स्वयं की प्राप्तियों के साथ तरलशीलता (अनुपात)	*	1.17	1.57	0.47
ब्याज में वृद्धि	*	(-) 9.03	(-) 1.53	(-) 1.09
उपलब्ध सकल निधि	15.3	27.4	30.7	(-) 17.95
V राजकोषीय स्वास्थ्य के अन्य सूचक				
लाभ लागत अनुपात	105	612	414	1255
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.38	0.47	0.49	0.57

* राज्य की नवंबर 2000 में स्थापना के कारण नहीं लिया गया ।

निष्कर्ष :- छत्तीसगढ़ ने राजस्व प्राप्तियों में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की और तुलनात्मक रूप से राजस्व व्यय में 7.6 प्रतिशत की कम वृद्धि रही परिणाम स्वरूप वर्ष 2003-04 में हुए रूपये 641 करोड़ के राजस्व घाटे से राज्य ने रूपये 146 करोड़ रूपये की राजस्व बचत अर्जित की। पूँजीगत व्यय में भी 2003-04 में 1016 करोड़ रूपये से बढ़कर 2004-05 में 1279 करोड़ रूपये हो जाने से 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटा 2003-04 में 2204 करोड़ रूपये से कम होकर 2004-05 में 1231 करोड़ रूपये हो गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों को समाविष्ट कर 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में संयुक्त मध्य प्रदेश की नवम्बर 2000 पूर्व की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का बंटवारा तथा किए जाने वाले अन्य वित्तीय समायोजनों की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रदर्शित होगी।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण

2. आवंटीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोग लेखे प्रति वर्ष बनाए जाते हैं। ये विनियोग अधिनियम के संबंध में बजट की भारत तथा दत्तमत दोनों मर्दों पर अधिकृत राशियों के साथ ही विविध विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय सूचित करते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों एवं विनियोगों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में था। विनियोग लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधान, संबद्ध नियमों तथा विनियमों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वास्तविक व्यय की स्थिति वर्ष 2004-05 का सारांश निम्नानुसार है -

(करोड़ रूपए में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	अंतर बचत (-) /आधिक्य (+)
दत्तमत	I-राजस्व	6621.34	373.52	6994.86	5801.54*	(-) 1193.32
	II-पूंजीगत	1661.63	134.10	1795.73	1280.64*	(-) 515.09
	III-ऋण तथा अग्रिम	146.56	6.00	152.56	113.04	(-) 39.52
कुल दत्तमत		8429.53	513.62	8943.15	7195.22	(-)1747.93
भारित	IV-राजस्व	1192.40	183.77	1376.17	1408.07	(+) 31.90
	V-पूंजीगत	0.54	--	0.54	0.05	(-) 0.49
	VI-लोक ऋण	932.66	136.79	1069.45	1151.65	(+) 82.20
	VII-अंतर्राज्यीय समाशोधन	--	0.01	0.01	--	(-) 0.01
कुल भारत		2125.60	320.57	2446.17	2559.77	(+)113.60
महायोग		10555.13	834.19	11389.32	9754.99	(-)1634.33

* टीप - इन व्यय आंकड़ों में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियां (राजस्व: रु.106.56 करोड़ एवं पूंजी: रु.1.56 करोड़) सम्मिलित नहीं हैं।

तालिका राज्य सरकार के बजट में अधिक प्राक्कलन दर्शाती है। समग्र रूप से 1634.33 करोड़ रूपए की बचत मूल अनुदानों/विनियोगों का 15.5 प्रतिशत थी यह 150 अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरणों में 1767.69 करोड़ रूपए की बचतों में से कुल नौ अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरणों में 133.36 करोड़ रूपए के आधिक्य के समायोजन का परिणाम थी। 654 उपशीर्षों के आधिक्य/बचत के स्पष्टीकरण या तो शासन से प्राप्त नहीं हुए थे अथवा अपूर्ण थे जो कि बचत/आधिक्य वाले कुल 694 उपशीर्षों का 94 प्रतिशत होते हैं।

उपरोक्त तालिका अनुसार, वास्तविक व्यय में सम्मिलित लोक लेखा में अंतरित राशियां वर्षांत तक अप्रयुक्त रही, जिसका विवरण निम्न है -

(i) राशि रूपए 6.71 करोड़ (राजस्व: रू.4.76 करोड़ एवं पूंजी: रू.1.95 करोड़) मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800 अन्य जमा में निरंक भुगतान प्रमाणकों द्वारा 31 मार्च 2005 को अंतरित।

(ii) राशि रू.177.32 करोड़ (जमा: रू.230.74 करोड़ (-) आहरण: रू.53.42 करोड़), 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित। वर्ष के दौरान जमा राशि रू.230.74 करोड़ में रू.3.51 करोड़ निरंक भुगतान प्रमाणक द्वारा अंतरित किए गए।

2.3 आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आवंटीय प्राथमिकताओं से विनियोग

नौ अनुदानों की आवंटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचत/आधिक्य के विश्लेषण ने दर्शाया कि कुछ क्षेत्रों में बहुत बचतें थीं जैसे कि पुलिस, वित्त, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना आदि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है -

अनुदान संख्या 03-पुलिस

(करोड़ रूपए में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	336.31			
अनुपूरक	6.00	342.31	277.18	(-)65.13

मुख्यतः 2055-पुलिस-केंद्रीय पुलिस बल तैनाती (रू.5 करोड़), अन्य पुलिस (रू.11.33 करोड़), पुलिस बल का आधुनिकीकरण (रू.36 करोड़), सड़क सुरक्षा कोष से व्यय (रू.1.50 करोड़) एवं होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण (रू.1.90 करोड़) के अंतर्गत बचत थी। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 6-वित्त विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रूपए में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	620.44			
अनुपूरक	65.37	685.81	547.19	(-)138.62

मुख्यतः शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-संचालनालय वित्तीय सूचना प्रबंध प्रणाली (रु.5.21 करोड़), 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य व्यय (रु.150 करोड़), 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-सेवा एवं मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान (रु.13.58 करोड़) के अंतर्गत बचत थी। इन बचत को मुख्यतः शीर्ष 2071-सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय (रु.32.03 करोड़) और परिवार पेंशन (रु.5.70 करोड़) के अंतर्गत हुए आधिक्य व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया। आधिक्य/बचत का कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 23- जल संसाधन विभाग

(करोड़ रूपए में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	341.82			
अनुपूरक	0.15	341.97	251.91	(-)90.06

मुख्यतः 4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत व्यय-01-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-232-भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान (रु.20 करोड़), 237-निष्पादन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2) (रु.8 करोड़), 237-भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान (रु.70 करोड़), 03-251-बांध तथा संलग्न कार्य (रु.13.03 करोड़), 251-भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान (रु.7.00 करोड़) के अंतर्गत बचत थी। इन बचतों को मुख्यतः 4701-01-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-232-निष्पादन स्थापना (यूनिट 1 एवं 2) (रु.6.58 करोड़), 232-बाँध एवं संलग्न कार्य (रु.25.05 करोड़) के अंतर्गत हुए आधिक्य व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया। बचत/आधिक्य का कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 30-पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रूपए में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	180.95			
अनुपूरक	19.43	200.38	136.22	(-)64.16

मुख्यतः 2501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (रु.5.27 करोड़), 2505-ग्रामीण रोजगार-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-संपूर्ण रोजगार योजना (रु.13.77 करोड़), 2515-अन्य ग्राम विकास

कार्यक्रम-राज्य आयोजना (सामान्य), राष्ट्रीय समविकास योजना (रु.22.50 करोड़), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (रु.10.06 करोड़), ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (रु.3.78 करोड़) के अंतर्गत बचत थीं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

(करोड़ रुपए में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	571.81			
अनुपूरक	62.85	634.66	459.25	(-)175.41

मुख्यतः 2202-सामान्य शिक्षा-केंद्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सामाजिक शिक्षा कक्षाएं (रु.7.02 करोड़), आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-प्राथमिक शिक्षा (रु.5.69 करोड़), आवासीय समिति को अनुदान (रु.5.06 करोड़), बस्तर विश्वविद्यालय (रु.5.50 करोड़) और पद्मश्री राज मोहिनी देवी विश्वविद्यालय अंबिकापुर (रु.6.50 करोड़), 2505-ग्राम रोजगार-केंद्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-संपूर्ण रोजगार योजना (रु.9.29 करोड़), 2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-राष्ट्रीय सामुदायिक विकास योजना (रु.37.50 करोड़), 2215-जल आपूर्ति एवं सफाई-केंद्र क्षेत्रीय योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना (रु.15.87 करोड़), आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-भू-जल स्रोतों का रिचार्जिंग (रु.4.61 करोड़), 2403-पशुपालन-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-दुधारू गाय प्रदाय योजना (रु.18.30 करोड़) के अंतर्गत बचत थीं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

(करोड़ रुपए में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	309.94			
अनुपूरक	47.50	357.44	270.86	(-)86.58

मुख्यतः 4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-बांध तथा संलग्न कार्य (रु.43.50 करोड़), मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड) (रु.7.16 करोड़), 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-लघु सिंचाई योजना (रु.7.06 करोड़), लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड) (रु.22.81 करोड़) के अंतर्गत बचत थीं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

(करोड़ रुपए में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	212.38			
अनुपूरक	18.45	230.83	150.97	(-)79.86

मुख्यतः 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-वृहद पुलों का निर्माण (रु.12.24 करोड़), राज्यों के राजमार्ग (रु.10.07 करोड़), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (रु.33.71 करोड़), नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत-ग्रामीण मार्गों का निर्माण (रु.30.96 करोड़) और केंद्र क्षेत्रीय योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण (रु.8.65 करोड़) के अंतर्गत बचतें थीं। इन बचत को अंशतः शीर्ष 5054-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कॉरीडोर को निर्माण (रु.13.10 करोड़) और नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण (रु.7.73 करोड़) के अंतर्गत आधिक्य व्यय से मुख्यतः प्रतिसंतुलित किया गया था। बचत का कारण मुख्यतः प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने एवं देर से प्राप्त होने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्वीकृति प्राप्त कार्यों के न होने के कारण हुआ था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(करोड़ रूपए में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	164.92			
अनुपूरक	12.81	177.73	63.29	(-)114.44

मुख्यतः 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-पेयजल की पूर्ति (रु.4.27 करोड़), आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं का अंतरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चि मार्जिन धननिधि- अकाल राहत निधि (रु.33.16 करोड़), राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण (रु.49.49 करोड़), पुनःस्थापना के लिए अन्य कार्य हेतु सहायता (रु.2.86 करोड़), 2402-मृदा एवं जल संरक्षण-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना (रु.9.08 करोड़) और 2702-लघु सिंचाई-कृषि (रु.3.28 करोड़) के अंतर्गत बचत थी। उपरोक्त बचत रु.49.49 करोड़ का मुख्य कारण भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि स्वीकृति प्राप्त न होना था। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए थे (जुलाई 2005)।

अनुदान संख्या 59- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(करोड़ रूपए में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	100.00			
अनुपूरक	निरंक	100.00	39.67	(-) 60.33

बचत 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (रु.60.33 करोड़) के अंतर्गत थी। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था (जुलाई 2005)।

मांग संख्या 64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

(करोड़ रूपए में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	127.61			
अनुपूरक	4.50	132.11	35.09	(-) 97.02

मुख्यतः 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत-वृहद पुलों का निर्माण (रु.8.37 करोड़), नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण (रु.47.52 करोड़), अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण (रु.23.69 करोड़), 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-ग्राम गिरोदपुरी में जैतखम्भ का निर्माण (रु.7.35 करोड़) के अंतर्गत बचत थी। बचत मुख्यतः कार्य की स्वीकृति न होने, प्रशासनिक स्वीकृति विलंब से अथवा न प्राप्त होने एवं अधिक आबंटन प्राप्त होने के कारण थी।

यह भी देखा गया कि -

69 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ से अधिक व्यय कम पड़ा जो कुल प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक भी था जिसकी कुल राशि रु.1613.47 करोड़ थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है। इसमें से दो¹ प्रकरणों में पाया गया कि इनमें 100 प्रतिशत बचत थी। यह भी देखा गया कि तीन² प्रकरणों में लगातार दूसरे वर्ष 100 करोड़ रूपए से भी अधिक बचत थी। इसमें से दो प्रकरण (मांग सं.6 और 41) में लगातार तीसरे साल में बचत थी।

38 प्रकरणों में 5 करोड़ रूपए या अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में कुल प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक की कुल 938.14 करोड़ रूपए की सारभूत बचतें देखी गईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में सूचित किया गया है।

केंद्रीय योजनाओं के 19 प्रकरणों में 76.78 करोड़ रूपए के संपूर्ण प्रावधान की राशि अप्रयुक्त रही जो कि प्रत्येक प्रकरण में रु.1 करोड़ या उससे अधिक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

2.3.2 बजट प्रावधान के बिना व्यय

राज्य विधायिका द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से अनुमोदन के बिना कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यह पाया गया कि 13.22 करोड़ रूपए, विनियोग-लोक ऋण के अंतर्गत शीर्ष 6003-111-5670 केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों में विधायिका के अनुमोदन के बिना व्यय किए गए।

¹ मांग संख्या 58 और 65 पूंजीगत (दत्तमत)

² मांग संख्या 6 वित्त विभाग से संबंधित व्यय, 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता और 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व दत्तमत)

2.3.3 आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

गत वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदानों/विनियोगों पर आधिक्य के सभी प्रकरण राज्य विधायिका द्वारा नियमित होने चाहिए। तथापि वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक 831.82 करोड़ रूपए के आधिक्य को अगस्त 2005 तक नियमित नहीं किया गया था।

2004-05 की अवधि के प्रावधान पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन वर्ष के दौरान चार अनुदानों (दत्तमत) के अंतर्गत 11.06 करोड़ रूपए एवं पांच विनियोगों (भारित) के अंतर्गत 122.30 करोड़ रूपए के आधिक्य का नियमितीकरण किया जाना था (परिशिष्ट 2.4)।

2.3.4 मूल बजट एवं अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान प्राप्त 834.19 करोड़ रूपए के अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान के 7.9 प्रतिशत थे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 51 प्रकरणों में 408.51 करोड़ रूपए का किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था। प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिया गया है।

13 प्रकरणों में 25.69 करोड़ रूपए की वास्तविक अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 83.11 करोड़ रूपए के अत्यधिक पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किए गए, परिणामस्वरूप 57.42 करोड़ रूपए की बचत हुई। इन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 2.6 में दिया गया है।

पांच प्रकरणों में 319.54 करोड़ रूपए के अनुपूरक प्रावधान, 126.62 करोड़ रूपए के अधिक व्यय को नियमित करने में असमर्थ रहने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए जिसका विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

2.3.6 सारभूत आधिक्य

17 अनुदानों/विनियोगों की 32 योजनाओं में कुल 191.87 करोड़ रूपए, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से 1 करोड़ रूपए या उससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से अधिक का व्यय हुआ। इसका विवरण परिशिष्ट 2.8 में दिया गया है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई जहां बचत प्रत्याशित है, से दूसरी इकाई जहां अतिरिक्त निधियां आवश्यक हैं, को निधियों का अंतरण है। परिशिष्ट 2.9, 2.10, 2.11 एवं 2.12 में विवरण दिया गया है कि किस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण विवेकहीन सिद्ध हुआ।

2.3.8 प्रत्याशित बचतें समर्पित न करना

व्यय करने वाले विभागों द्वारा जब कभी भी बचतें प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों अथवा इनके अंश को वित्त विभाग को समर्पित करना आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2004-05 के अंत में विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के 129 प्रकरणों में विभागों द्वारा कुल 1034.36 करोड़ रूपए की बचतें समर्पित नहीं की गईं। इनमें से 32 प्रकरणों में सारभूत बचतों की कुल राशि 948.99 करोड़ रूपए जो कि प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपए या उससे अधिक थी, समर्पित नहीं की गई थी। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

कुल समर्पित राशि 832.28 करोड़ रूपए में से 829.72 करोड़ रूपए (99.7 प्रतिशत) अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन दर्शाते हुए मार्च 2005 के अंतिम दिन समर्पित किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

2.3.9 निधियों का अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण समर्पण

अनुदानों/विनियोगों के 13 प्रकरणों में उपलब्ध बचत रु.80.94 करोड़ के विरुद्ध राशि रु.102.67 करोड़ समर्पित करने के परिणामस्वरूप राशि रु.21.73 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ तथापि अन्य 4 प्रकरणों में राशि रु.77.59 करोड़ रूपए का समर्पण किया गया जबकि इनमें पहले से ही राशि रु.88.92 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था। विवरण **परिशिष्ट 2.15 और 2.16** में दिया गया है।

2.4 व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना

विभागीय व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से प्रति माह पुनर्मिलान किया जाना चाहिए। तथापि बहुत से विभागों में यह पुनर्मिलान बकाया था। कुल 124 नियंत्रण अधिकारियों में से केवल 20 के लेखों का पूर्णतः पुनर्मिलान हुआ, 40 का आंशिक पुनर्मिलान माह अगस्त 2004 तक हुआ था एवं 64 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण वर्ष अर्थात् बारह महीने पुनर्मिलान नहीं किया गया।

2.5 पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

वित्तीय नियम के अनुसार (i) समर्पण/पुनर्विनियोग के सभी स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करना चाहिए (ii) मुख्य शीर्ष, उपशीर्ष, योजना शीर्ष आदि का विवरण, जिससे समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किया गया है, का स्पष्ट उल्लेख स्वीकृति में होना चाहिए (iii) जिस शीर्ष में समर्पण/पुनर्विनियोजन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है उसमें निधि का बजट प्रावधान होना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2004-05 में रु.146.11 करोड़ का दोषपूर्ण समर्पण/पुनर्विनियोजन शासन द्वारा किया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दिया गया है।

2.6 व्यय की अधिकता

वर्ष के दौरान व्यय का एकरूप प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। सामान्य वित्तीय नियम के नियम 69 के अनुसार व्यय की अधिकता विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंत के महीनों में, नियमों का उल्लंघन माना जाता है। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि

15 प्रकरणों में मार्च 2005 की अवधि में वर्ष भर के कुल व्यय का 41 से 87 प्रतिशत तक व्यय किया गया। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दिया गया है।

2.7 पांच अनुदानों की नमूना जांच के परिणाम

व्यय एवं बजट नियंत्रण पर टिप्पणियां

पांच अनुदानों³ से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच एवं विनियोग लेखे वर्ष 2004-05 की जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआ -

2.7.1 व्यय नियंत्रण पंजियों का संधारण नहीं करना

व्यय नियंत्रण पंजियों, जिसमें अनुदान की राशि, अधीनस्थ इकाइयों को पुर्नआबंटन, पुर्नविनियोजन, समर्पण तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मासिक व्यय का प्रगामी योग भी दर्शाए जाते हैं, नमूना जांच किए गए अनुदानों³ के सभी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संधारित नहीं की गई थी। इससे व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि भविष्य में व्यय नियंत्रण पंजियां संधारित की जाएंगी।

2.7.2 दोषपूर्ण बजट प्रावधान का आंकलन

नमूना जांच किए गए अनुदानों³ के सभी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बजट प्रावधान का आंकलन, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर न करते हुए, तदर्थ आधार पर किया गया था। त्रुटिपूर्ण बजट आंकलन के परिणामस्वरूप राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत रु.103.88 करोड़ (रु.17.13 करोड़, रु.29.00 करोड़ और 57.75 करोड़, अनुदान संख्या 13,19 और 27 में क्रमशः) एवं पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत रु.83.11 करोड़ (रु.0.60 करोड़, रु.1.31 करोड़, रु.79.86 करोड़ और रु.1.34 करोड़, अनुदान संख्या 13,19,42 और 57 में क्रमशः) का अत्याधिक प्रावधान हुआ।

27 योजनाओं के प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल 183.63 करोड़ रूपए की सारभूत बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में दर्शाया गया है। छः अन्य योजनाओं में संपूर्ण प्रावधान कुल रु.22.58 करोड़ रूपए का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि **परिशिष्ट 2.20** में दर्शाया गया है।

11 योजनाओं में से प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक का कुल 43.88 करोड़ रूपए का सारभूत आधिक्य व्यय हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.21** में दर्शाया गया है।

2.7.3 योजनाओं के अंतर्गत अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान और दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन

छः योजनाओं में कुल रु.25.29 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था जबकि अन्य चार योजनाओं में कुल रु.8.73 करोड़ का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे, अंततः कुल 6.83 करोड़ रूपए का व्यय अधिक रहा। दो योजनाओं में राशि रु.0.58

³ अनुदान क्र.13-कृषि, 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 27-स्कूल शिक्षा, 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

करोड़ का, पुनर्विनियोजन के माध्यम से, दोषपूर्ण आहरण हुआ जबकि इनमें रु.5.73 करोड़ का अधिक व्यय हो चुका था परिणामतः अंतिम आधिक्य रु.6.31 करोड़ का हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.22** में दिया गया है। अनुदान संख्या 42 में मख्य शीर्ष 5054-04-796-800-0102-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत राशि रु.21.50 लाख का भी अनियमित पुनर्विनियोजन दत्तमत से भारत में हुआ था।

2.7.4 चयनित योजनाओं में शीर्ष वेतन भत्ते के अंतर्गत अत्याधिक/अपर्याप्त प्रावधान

वेतन और भत्तों का प्रावधान, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नहीं थे क्योंकि उद्देश्य शीर्ष 01-वेतन एवं भत्तों के अंतर्गत कुल 45.04 करोड़ (आयोजना: 7.85 करोड़ रूपए एवं आयोजनेतर: 37.19 करोड़ रूपए) का आधिक्य प्रावधान हुआ था। जबकि अनुदान संख्या 19 एवं 27 के अंतर्गत, तीन योजनाओं में कुल रु.6.96 करोड़ (आयोजना: रु.0.52 करोड़ एवं आयोजनेतर: रु.6.44 करोड़) का अपर्याप्त प्रावधान रहा जिससे इन योजनाओं में इतनी ही राशि का आधिक्य व्यय हुआ। अनुदान संख्या 57 के अंतर्गत एक योजना में उद्देश्य शीर्ष 23-अन्य प्रभार में प्राधिकृत प्रावधान के विरुद्ध, रु.1.10 करोड़ का व्यय, उद्देश्य शीर्ष 01-वेतन एवं भत्तों में किया गया था जिसके कारण सूचित नहीं किए गए थे। आगे 16 योजनाओं में कुल व्यय रूपए 538.80 करोड़ के विरुद्ध, रूपए 519.48 करोड़ (96.4 प्रतिशत) (आयोजना: रु.52.05 करोड़ एवं आयोजनेतर: रु.467.43 करोड़) का व्यय वेतन भत्तों पर किया गया था। जो यह दर्शाता था कि राशियां मुख्यतः वेतन भत्तों के भुगतान में प्रयुक्त रहीं। विवरण **परिशिष्ट 2.23** में दिया गया है।

2.7.5 व्यय आंकड़ों का मिलान न करना

अनुदान क्रमांक 13,19,27 एवं 57 के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-05 के व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान, महालेखाकार (लेखा शाखा) छत्तीसगढ़ की पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों से लेखा बंद होने के पूर्व नहीं किया गया। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण व्यय का पुनर्मिलान नहीं हो सका एवं इस संबंध में प्रयास किए जा रहे थे। जबकि अनुदान संख्या 42 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि पुनर्मिलान किया जा चुका है। उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि व्यय के आंकड़ों में अंतर अभी भी मौजूद था।

2.7.6 योजनाओं के अंतर्गत मार्च में व्यय की अधिकता

अनुदान संख्या 13,19,27 एवं 42 के अंतर्गत 21 योजनाओं में, मार्च 2005 में किया गया व्यय, कुल व्यय का 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था जैसा कि **परिशिष्ट 2.24** में विवरण दिया गया है। जो वित्त वर्ष के अंत में बजट प्रावधान के उपयोग की प्रवृत्ति दर्शाता है जबकि संपूर्ण वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह में एकरूपता से व्यय करना चाहिए था।

तीसरा अध्याय

निष्पादन मूल्यांकन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1 उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियम एवं नियमों का कार्यान्वयन

मुख्यांश -

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता विवादों का त्वरित एवं सरल प्रतितोष एवं जागरूकता विस्तार के द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त करने हेतु अधिनियमित किया गया। राज्य शासन द्वारा राज्य के गठन के पश्चात से उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण हेतु कोई सार्थक पहल नहीं की गई। राज्य आयोग का गठन ढाई वर्ष बाद किया गया, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित नहीं की गई, उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई हस्तक्षेपनीय उपाय नहीं किया गया, प्रकरणों का निराकरण धीमा था, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियमों का प्रवर्तन तन्त्र गंभीर विवशताओं के साथ क्रियाशील था। शासन द्वारा अनुश्रवण लगभग नगण्य था। समीक्षा में निम्नानुसार मुख्य लेखा परीक्षा निष्कर्ष निकले।

➤ मार्च 2005 तक राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों में 2898 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे एवं राज्य शासन द्वारा लंबित प्रकरणों के समय से निराकरण करने हेतु कोई पहल नहीं की गई। राज्य आयोग में मात्र 33 प्रतिशत एवं जिला फोरमों में 20 प्रतिशत प्रकरण निर्धारित समयसीमा 90/150 दिवस की अवधि में निराकृत किये गये।

(कंडिका 3.1.8)

➤ उपभोक्ताओं के अधिकारों में अभिवृद्धि एवं संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किसी भी स्तर पर नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1.11)

➤ उपभोक्ता जागरूकता/शिक्षा के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य बजट में निधियों का प्रावधान नहीं किया गया एवं भारत सरकार से भी कोई निधि प्राप्त नहीं की गई, स्वयंसेवी संगठन शामिल नहीं थे, उपभोक्ता कल्याण निधि एवं उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित नहीं किये गये।

(कंडिका 3.1.12)

➤ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का प्रवर्तन, अपर्याप्त खाद्य निरीक्षकों की संख्या एवं अपमिश्रण की अधिक संभावनाओं वाले खाद्य पदार्थों के नमूनों का कम संख्या में संकलन एवं उनकी जांच के कारण वस्तुतः निष्क्रिय था।

(कंडिका 3.1.14 एवं 3.1.15)

3.1.1. प्रस्तावना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु जिसमें प्रदायित माल एवं सेवा संबंधित दोनों हित सन्नहित हैं, संसद ने वर्ष 1986 में अधिनियमित किया जबकि इसके पूर्व के अधिनियमों में निरीक्षण, नियंत्रण एवं निम्न स्तर के माल एवं सेवा प्रदाय से संबंधित दोषियों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही का प्रावधान था। लेकिन उनमें उपभोक्ताओं को प्रावधानों का लाभ अथवा दोषियों के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त नहीं थे, प्रवर्तन एवं अभियोजन शासन द्वारा ही किया जाता था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 उपभोक्ताओं को माल निर्माता एवं सेवा प्रदायकर्ता के विरुद्ध सीधे विधि उपचार हेतु अधिकृत करता है।

यह समीक्षा राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (अधिनियम) तथा उससे संबंधित दूसरे अधिनियम जैसे बॉट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1985, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रवर्तन पर केन्द्रित है।

3.1.2. लेखा परीक्षा के उद्देश्य -

लेखा परीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न का आंकलन करना था :-

- क्या कोई दस्तावेजी-नीति वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा अधोसंरचना को सशक्त करने हेतु विद्यमान है;
- अधिनियम में वर्णित न्यायिक निर्णय तंत्र किस सीमा तक सृजित किया गया है;
- क्या उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन अधिसूचित किया गया तथा ये परिषदें कार्य कर रही थी;
- क्या उपभोक्ताओं की शिकायतों का सामयिक निदान था;
- राज्य आयोग एवं उपभोक्ता फोरमों में कर्मचारी एवं अधोसंरचना पर्याप्त थी;
- क्या विभिन्न पहल लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने में सफल रही एवं
- दूसरे अन्य संबंधित अधिनियमों का प्रवर्तन।

3.1.3. लेखा परीक्षा का मापदण्ड

राज्य आयोग, जिला फोरम, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, नियंत्रक बॉट एवं माप आदि के कार्यों का, उनके द्वारा जन-जागरण एवं समयावधि में विवादों का निराकरण हेतु पहल संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में निहित प्रावधानों तथा कार्यपालिक निर्देशों के अनुरूप आंकलन किया गया है। अधोसंरचना, कर्मचारी तथा निधि की पर्याप्तता की उपलब्धता का आंकलन संबंधित नियमों, मानदण्डों तथा शासन एवं राज्य आयोग द्वारा जारी आदेशों के संदर्भ में किया गया था।

3.1.4. संगठनात्मक संरचना

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (राज्य आयोग) राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिये प्रतितोषण तंत्र का प्रमुख है और जिला फोरम उसकी सहायक है। राज्य आयोग एवं जिला फोरम में सचिवालयीन कर्मचारियों के अतिरिक्त एक-एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। राज्य आयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (राष्ट्रीय आयोग) नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा बाँट माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित किये जाते हैं जिसका प्रमुख शासन का प्रमुख सचिव होता है। बाँट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम का क्रियान्वयन करने हेतु नियंत्रक, बाँट एवं माप प्रशासकीय प्रमुख तथा उसकी सहायता के लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त नियंत्रक एक उप नियंत्रक तथा मैदानी स्तर पर सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक होते हैं।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य अपमिश्रण निवारण तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रशासन अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय प्रमुख है, जिसकी सहायता के लिए उपनियंत्रक, खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो कि जिला स्तर पर पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन होते हैं। शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव इन अधिनियमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करता रहता है।

3.1.5. लेखा परीक्षा पद्धति एवं समावेशन

संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राज्य आयोग एवं 16 में से चार जिला¹ फोरमों, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालकों खाद्य एवं औषधि प्रशासन बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक अम्बिकापुर एवं रायगढ़ तथा नियंत्रक बाँट एवं माप के कार्यालयों के माह नवम्बर 2000 से मार्च 2005 तक के अभिलेखों की एक नमूना जांच माह अप्रैल और सितम्बर 2005 के मध्य की गई। राज्य की राजधानी सहित चार जिला फोरमों का चयन ओ.आर.जी. द्वारा चयनित चार जिलों में से दो जिले² तथा शेष जिलों में से एक जिला³ चयनित किया गया। नमूना विधियां जो प्रयोग में लाई गई वह एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर⁴. तथा पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर⁵.थी। प्रयुक्त की गई लेखापरीक्षा पद्धति लेखा परीक्षित इकाई के अभिलेखों की समीक्षा और विभिन्न शासकीय स्तरों पर चर्चा थी।

सामाजिक अनुसंधान का ओ.आर.जी.केन्द्र जो कि ए.सी.निलसन ओ.आर.जी.मार्ग प्राईवेट लिमिटेड का एक प्रभाग थी की सेवाएँ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा

¹ बिलासपुर, धमतरी, रायपुर, और सरगुजा

² धमतरी और सरगुजा

³ बिलासपुर

⁴ सिपल रैनडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट

⁵ प्रोबेबलिटी प्रपोर्शनल टू साइज विथ रिप्लेसमेंट

उपभोक्ताओं, शिकायतकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा निर्माताओं इत्यादि के पास जाकर एक नमूना सर्वेक्षण करने हेतु ली गई। ओ.आर.जी.मार्ग ने राज्य के चार⁶ जिलों में 236 शिकायतकर्ताओं तथा नौ निर्माता/सेवा प्रदायकों के अतिरिक्त 1,472 उपभोक्ताओं जो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के थे का सर्वेक्षण किया। (लेखा परीक्षा द्वारा तीन की नमूना जांच को सम्मिलित करते हुए) सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस समीक्षा में यथा स्थान समाविष्ट किये गये हैं। ओ.आर.जी.मार्ग सर्वेक्षण के निष्कर्षों का कार्यपालिक सारांश इस समीक्षा के **अनुलग्नक** के रूप में दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 वित्तीय प्रबंधन

राज्य शासन द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के लिए वार्षिक बजट में मुख्य शीर्ष 2408 अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत निधियाँ प्रावधानित की गईं। राज्य आयोग द्वारा निधियों का जिला फोरमों को पुनरावंटन किया गया। महालेखाकार के लेखाओं के अनुसार नवंबर 2000 से मार्च 2005 तक किए गए बजट प्रावधानों एवं व्यय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार था:

(रूपये लाख में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+)%
(नवम्बर) 2000-01	124.64	119.48	(-)5.16(4)
2001-02	137.34	69.63	(-) 67.71(49)
2002-03	85.80	56.74	(-) 29.06(34)
2003-04	85.01	87.10	(+) 2.09(2)
2004-05	160.03	140.17	(-) 19.86(12)
योग	592.82	473.12	(-) 119.70

वेतन भत्तों पर अनवरत बचत

अधिक बचत मुख्य रूप से वेतन भत्तों पर थीं। आयोग के कथनानुसार बचत अमले की कमी के कारण हुई। 2001-02 एवं 2002-03 के प्रत्येक वर्ष में रूपये 10 लाख का प्रावधान आठ अंशकालिक जिला फोरमों को पूर्णकालिक फोरमों में परिवर्तित करने हेतु किया गया था लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ एवं निधियाँ अनुपयोगी रही।

उपभोक्ता कल्याण निधि का गठन न किया जाना

उपभोक्ता शिक्षा के लिए राज्य बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया एवं भारत सरकार से भी जनजागृति शिविर, निःशुल्क कानूनी सहायता इत्यादि हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि का गठन अक्टूबर 2005 तक नहीं हुआ था। तथापि वर्ष 2005-06 के बजट में 25 लाख रूपये का प्रावधान राज्यांश के लिए किया गया।

राज्य शासन द्वारा भारत शासन से प्राप्त 75 लाख रूपये राज्य आयोग को विमुक्त न करना

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा राज्य आयोग के लिए 75 लाख रूपये की वित्तीय सहायता केन्द्रीय योजना राज्य/संघ शासित

⁶ बस्तर, धमतरी, रायपुर और सरगुजा

राज्यों के उपभोक्ता फोरमों की अधोसंरचना के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय सहायता के अंतर्गत स्वीकृत की गई (मार्च 2005)। लेकिन उक्त राशि अगस्त 2005 तक राज्य आयोग को आवंटित नहीं की गई थी।

क्रियान्वयन

न्याय निर्णय तंत्र का सृजन

उपभोक्ता सशक्तीकरण हेतु नीति निर्धारण न करना

राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण हेतु अभिलिखित नीति अथवा दीर्घ/अल्प कालिक कार्य योजना नहीं बनाई गई। राज्य में विद्यमान न्याय निर्णय तंत्र पूर्व मध्य प्रदेश राज्य से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ जिसका राज्य गठन के पश्चात कुछ सीमा तक सुदृढीकरण किया गया।

3.1.7. अधिनियम की धारा 9 (क) एवं (ख) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (जिला फोरम) प्रत्येक जिले में एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (राज्य आयोग) राज्य में राज्य शासन द्वारा स्थापित किये जाने थे।

नये राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के ढाई वर्ष पश्चात राज्य आयोग स्थापित किया गया (मई 2003) एवं तब तक मध्य प्रदेश राज्य आयोग भोपाल ही राज्य आयोग के रूप में निरंतर रहा। धारा 17-बी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग की सर्किट बेंच की स्थापना बिलासपुर में जून 2003 में की गई।

सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला फोरम स्थापित न होना

छत्तीसगढ़ के सभी 16 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम राज्य गठन (नवम्बर 2000) के पूर्व ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित की गई थी। 16 जिला फोरमों में से पांच⁷ पूर्णकालिक फोरम जिनमें अध्यक्ष एवं सदस्य पदस्थ होकर कार्यरत थे एवं दिसम्बर 2004 में तीन⁸ और जिला फोरम पूर्णकालिक जिला फोरम के रूप में अधिसूचित किए गए। अंशकालिक जिला फोरम कोरबा को पूर्णकालिक जिला फोरम में परिवर्तित करने संबंधी भेजा गया प्रस्ताव (फरवरी 2005) शासन के पास लंबित था (अगस्त 2005)। तीन नयी घोषित पूर्णकालिक फोरमों में से कोरिया एवं रायगढ़ जून 2005 से क्रियाशील थे। जबकि बस्तर फोरम अगस्त 2005 तक सदस्यों के दोनों पद रिक्त होने से अक्रियाशील था। अंशकालिक फोरमों में केवल सदस्य पदस्थ थे जबकि इनमें अध्यक्ष नहीं थे। पूर्णकालिक फोरमों के अध्यक्ष ही अंशकालिक फोरमों के अतिरिक्त प्रभार में थे और माह में एक बार बैठते थे। अंशकालिक फोरमों का पूर्णकालिक फोरमों में परिवर्तित न किये जाने का मुख्य कारण कम संख्या में प्रकरण दायर होना था।

ओ.आर.जी.-मार्ग के सर्वेक्षण के परिणामों ने भी यह दर्शाया कि मात्र सात प्रतिशत उपभोक्ता ही प्रतितोषण अभिकरण के अस्तित्व के बारे में जानते थे। इनमें से भी 50 प्रतिशत को जिला फोरम कहाँ स्थित है की जानकारी नहीं थी। सर्वेक्षण में आगे प्रगट हुआ कि मात्र 20 प्रतिशत उपभोक्ता ही महसूस करते थे कि शासन द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के बचाव हेतु कुछ प्रयास किया जा रहा था जबकि अन्य का इसके विपरीत अथवा इस विषय पर कोई मत नहीं था।

⁷ बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगाँव और सरगुजा

⁸ बस्तर, कोरिया और रायगढ़

प्रकरणों का निराकरण

3.1.8 जिला उपभोक्ता फारमों एवं राज्य आयोग में वर्ष 2003 से मार्च 2005 तक दायर एवं निराकृत प्रकरणों का वर्षवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है-

कलेण्डर वर्ष	राज्य आयोग					जिला फोरम				
	वर्ष के पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में दायर प्रकरण	योग	वर्ष में निराकरण (प्रतिशत)	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरण	वर्ष के पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में दायर प्रकरण	योग	वर्ष में निराकरण (प्रतिशत)	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरण
2003	1175 ⁹	267	1442	463 (32)	979	2626	1650	4276	1484 (35)	2792
2004	979	807	1786	1054 (59)	732	2792	1544	4336	2060 (48)	2276
2005 मार्च तक	732	172	904	208	696	2276	333	2609	407	2202

राज्य आयोग एवं प्रत्येक जिला फोरम में उनके आरंभ से मार्च 2005 तक दायर एवं निराकृत प्रकरण एवं आयुवार लंबित प्रकरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

कुल 2898 प्रकरण 31 मार्च 2005 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित थे। विगत तीन वर्षों में लंबित प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 32 से 59 के मध्य था। लंबित प्रकरण क्रमशः प्रारंभ से ही संचित हुए एवं प्रारंभ से राज्य आयोग द्वारा 71 प्रतिशत एवं जिला फोरमों द्वारा 89 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किये गये।

अंशकालिक फोरमों में कम निराकरण

पांच अंशकालिक जिला फोरमों में, कम प्रकरण दायर होने के बावजूद, निराकरण का प्रतिशत, कुल प्रतिशत (89) से बहुत कम था तथा यह 34 (कोरिया) से 67 प्रतिशत (जांजगीर) के मध्य था।

तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित 248 प्रकरणों में से 29 (रायगढ़-26, दुर्ग-2 एवं राजनांदगांव 1) एवं छः प्रकरण (रायगढ़-4, दुर्ग-1, राजनांदगांव-1) क्रमशः पांच एवं 10 वर्षों से लंबित थे। शासन द्वारा लंबित प्रकरणों के सुविधाजनक निराकरण के लिये कोई पहल नहीं की गई।

राज्य आयोग एवं जिला फोरमों ने क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत प्रकरण निर्धारित समय में निराकृत किये

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (3क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शिकायत की सुनवाई यथासमय शीघ्रतापूर्वक की जायगी जहाँ शिकायत में वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा नहीं की गयी हो, वहाँ विरुद्ध पक्षकार द्वारा नोटिस के प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर तथा यदि उसमें वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा हो तो पांच माह के भीतर, शिकायत निराकृत करने का प्रयास किया जायेगा। तथापि यह पाया गया कि 15 मार्च 2003 के पश्चात दायर

⁹ मध्य प्रदेश राज्य आयोग, भोपाल से 968 प्रकरण प्राप्त हुए और 207 प्रकरण नवम्बर 2002 से 4 मई 2003 तक पंजीबद्ध हुए।

प्रकरणों में से राज्य आयोग में मात्र 33 प्रतिशत (21 में से 7) एवं जिला फोरमों में 20 प्रतिशत (3270 में से 663) निर्धारित समय सीमा में निराकृत हुए। इस प्रकार शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अप्राप्त रहा।

सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि प्रकरण के निराकृत होने में औसतन 11 माह लगे। अनिराकृत प्रकरण औसतन 32 माह से लंबित थे।

अंशकालिक फोरमों में कम पंजीकरण एवं निराकरण

यह देखा गया कि शिकायतों का पंजीकरण एवं निराकरण अंशकालिक जिला फोरमों में बहुत कम था। पूर्णकालिक फोरमों में पंजीकृत 20 प्रकरण प्रति लाख जनसंख्या के विरुद्ध औसतन 5 प्रकरण प्रति लाख जनसंख्या अंशकालिक फोरमों में पंजीकृत हुए। पूर्णकालिक फोरमों के 92 प्रतिशत निराकरण के विरुद्ध अंशकालिक फोरमों का निराकरण 72 प्रतिशत था।

आठ अंशकालिक जिला फोरमों में कोई सचिवालयीन अमला एवं टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर एवं फोटोकॉपियर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सभी संबंधित जिलाध्यक्ष कार्यालयों से संचालित होती है। पूर्ण कालिक फोरमों में ये सभी सुविधाएँ अच्छी तरह से उपलब्ध हैं तथा उनकी निराकरण दर भी अच्छी है। इस प्रकार इन्हीं बाध्यताओं के कारण अंशकालिक फोरमों में कम निराकरण हुआ। जबकि पूर्णकालिक फोरमों एवं आयोग सुसज्जित थे, अमला एवं अघोसंरचना संबंधी कुछ कमियों को, जो निम्नानुसार वर्णित है, दूर करने से निराकरण में सुधार होगा।

3.1.9 अमला तंत्र

अमला तंत्र में एकरूपता का अभाव

राज्य शासन द्वारा पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के लिए समान अमला निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार पूर्णकालिक जिला फोरमों में विभिन्न अमला कार्यरत था। आठ अंशकालिक जिला फोरमों के लिए कोई सचिवालयीन अमला स्वीकृत नहीं था। सचिवालय संवर्ग में क्लर्क के सभी पांच पद पाँचों¹⁰ जिला फोरमों में रिक्त थे। स्टेनॉ टायपिस्ट के दो पद दो¹¹ जिला फोरमों में रिक्त थे। राज्य आयोग में 36 में से नौ सचिवालयीन पद रिक्त थे।

यह देखा गया कि कई अवसरों पर अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद भिन्न अवधि के लिए रिक्त रहे जिसके कारण निराकरण में विलम्ब एवं प्रकरण लंबित हुए। सदस्यों के नौ पद (दुर्ग, बस्तर एवं जांजगीर में दो पद प्रत्येक एवं रायपुर, कवर्धा एवं कोरबा में एक पद प्रत्येक) मार्च/मई 2005 से, अगस्त 2005 की स्थिति में रिक्त थे। इस प्रकार बस्तर, दुर्ग एवं जांजगीर की फोरमें अक्रियाशील थी। सरगुजा जिला फोरम में अध्यक्ष का पद छः माह (1 मई 2003 से 28 अक्टूबर 2003) तक रिक्त रहा। परिणामस्वरूप वर्ष 2004 में निराकृत प्रकरणों (257) की तुलना में वर्ष 2003 में कम संख्या में प्रकरण (96) निर्णीत हुए।

¹⁰ बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगाँव और सरगुजा

¹¹ रायपुर और सरगुजा

3.1.10 स्वयं के भवनों की अनुपलब्धता

केवल तीन पूर्णकालिक फोरमों¹² के पास अपने भवन थे। दस फोरमों जिलाध्यक्ष कार्यालय से संचालित थी, दो फोरमों¹³ के भवन निर्माणाधीन थे एवं एक फोरम किराये के भवन में संचालित थी। दुर्ग एवं रायपुर जिला फोरम के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग को रुपये 10 लाख प्रत्येक के लिए उपलब्ध कराये गये थे। तथापि शासन द्वारा भूमि आवंटित न किये जाने से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।

3.1.11 उपभोक्ता संरक्षण परिषदें

उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्द्धन एवं संरक्षण करने के लिये अधिनियम की धारा 7 एवं 8 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, राज्य शासन द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद (राज्य परिषद) राज्य स्तर पर एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (जिला परिषद) जिला स्तर पर गठित की जानी थी।

तथापि, राज्य शासन द्वारा राज्य परिषद एवं जिला परिषदों के सृजन हेतु अथवा वांछित नियमों को बनाने एवं अधिसूचित किये जाने हेतु कोई पहल अभी तक नहीं की गई। परिणाम स्वरूप परिषदों के गठन के उद्देश्य अप्राप्त रहे जो कि अगले अनुच्छेद में वर्णित है।

3.1.12 उपभोक्ता जागरूकता

उपभोक्ता जागरूकता के सृजन हेतु कोई पहल न किया जाना

राज्य एवं जिला उपभोक्ता परिषदों का मुख्य क्रियाकलाप उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता का सृजन करना था। न तो परिषदों का गठन किया गया और न ही शासन द्वारा उपभोक्ता शिक्षा के लिए कोई पहल की गई। उपभोक्ता शिक्षा एवं राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि के सृजन हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया एवं राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से जनजागृति शिविर, निःशुल्क कानूनी सहायता इत्यादि हेतु कोई अनुदान न तो मांगा गया और न ही प्राप्त हुआ एवं स्वैच्छिक संगठनों को भी उपभोक्ता जागरूकता संबंधी क्रियाकलापों में शामिल करने हेतु कोई पहल नहीं की गई। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों को किसी भी जिले में स्थापित नहीं किया गया। उपभोक्ता उद्भूत सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक/मुद्रित माध्यमों से विज्ञापनों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु कोई संचार माध्यम नीति नहीं थी एवं उपभोक्ता से संबंधित क्रियाकलापों में जिला प्रशासन को सम्मिलित नहीं किया गया। राज्य शासन द्वारा किया गया एक मात्र क्रियाकलाप उपभोक्ता उद्भूत वार्षिक उपभोक्ता दिवस का आयोजन था।

आदिवासी एवं उद्योग विहीन जिलों से कम शिकायतें

ऐसी स्थिति में शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों के उपभोक्ता संचार माध्यम के अनावरण के कारण अधिक जागरूक थे जबकि पिछड़े क्षेत्र के उपभोक्ता कम जागरूक थे। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों¹⁴ की जिला

¹² बिलासपुर, राजनांदगाँव और सरगुजा

¹³ बस्तर और रायगढ़

¹⁴ बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, रायगढ़ और सरगुजा

फोरमों में आरंभ से प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर मात्र 58 शिकायतें पंजीकृत हुईं इसके विपरीत अन्य जिलों की जिला फोरमों में 124 शिकायतें प्रति लाख जनसंख्या पंजीकृत हुईं। इसी प्रकार औद्योगिक जिलों में पंजीकृत 150 शिकायत प्रति लाख के विरुद्ध अनौद्योगिक जिलों¹⁵ में मात्र 55 शिकायत प्रति लाख पंजीकृत पायी गईं।

ओ.आर.जी.- मार्ग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणामों में पाया गया कि 48 प्रतिशत सर्वेक्षित उपभोक्ताओं ने ही अधिनियम की जानकारी को महत्व दिया लेकिन मात्र 19 प्रतिशत ने इसके बारे में प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक (75¹⁶ प्रतिशत) एवं मुद्रित माध्यम (51 प्रतिशत) से इसके विषय में सुना। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में से मात्र 12 प्रतिशत ने अधिनियम के बारे में सुना था। जागरूक उपभोक्ताओं में से 44 प्रतिशत को अधिनियम के बारे में विगत चार वर्षों में ही जानकारी प्राप्त हुई थी, जबकि यह विगत 19 वर्षों से अस्तित्व में था। स्वयंसेवी संगठनों से मात्र 0.8 प्रतिशत उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त हुई थी। सर्वेक्षण किये गये उपभोक्ताओं में से 76 प्रतिशत उपभोक्ता अधिकारों से अनभिज्ञ थे।

सर्वेक्षित शिक्षित उपभोक्ताओं में से 29 प्रतिशत ने अधिनियम के बारे में सुना था जबकि मात्र तीन प्रतिशत सर्वेक्षित अशिक्षित उपभोक्ता इसके बारे में जानते थे। विभिन्न व्यवसायिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण नमूनों में 65 प्रतिशत शासकीय कर्मचारी, 51 प्रतिशत सेवा निवृत्त, 43 प्रतिशत स्वरोजगारी, तीन प्रतिशत अकुशल श्रमिक, चार प्रतिशत कृषक एवं छः प्रतिशत कुशल श्रमिक अधिनियम से अवगत थे। इससे यह परिलक्षित होता है कि समाज के हाशिये पर पड़े हुए वर्ग में जागरूकता न्यूनतम थी। तथापि निर्माता एवं सेवा प्रदाय कर्ता, अधिनियम एवं प्रतितोषण तंत्र से अच्छी तरह अवगत थे। जागरूकता में यह भारी अंतर उपभोक्ताओं के लिए अहितकारी था।

शिकायतकर्ताओं के सर्वेक्षण में उचित प्रक्रिया की जानकारी का स्तर भी सम्मिलित किया गया था। लगभग 18 प्रतिशत ने मुद्रांक पत्र का उपयोग किया एवं 10 प्रतिशत ने न्यायलयीन शुल्क जमा किया (मार्च 2003 के पहले) जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सभी शिकायतकर्ता शिक्षित थे एवं उनकी मासिक पारिवारिक औसत आय रूपये 13,868 थी तथा मुख्यतः शहरी क्षेत्र के थे। शिकायतकर्ताओं ने प्रतितोषण तंत्र को सरल किन्तु त्वरित नहीं पाया। प्रकरणों में किया गया अधिकांश व्यय वकीलों को भुगतान पर हुआ। इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के प्रतितोषण का लाभ केवल शहरी क्षेत्र के शिक्षित मध्यम आय वर्ग तक सीमित था।

3.1.13 अनुश्रवण

शासन स्तर पर अनुश्रवण का अभाव

राज्य आयोग में प्रत्येक जिले से वादों के पंजीकरण एवं निराकरण के बारे में मासिक जानकारी प्राप्त होती है जिसे वह समेकित कर तथा स्वयं की सांख्यिकी सहित संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को शासन को प्रस्तुत करने हेतु

¹⁵ बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, जशपुर, काँकर, कर्वा, कोरिया, महासमुंद, राजनांदगाँव और सरगुजा
¹⁶ कुछ उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में एक से अधिक स्रोत से जान पाये और एक से अधिक स्रोत में सम्मिलित किये गये। अतः 100 प्रतिशत से अधिक।

प्रेषित की जाती है। लेखा परीक्षा को शासन ने ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो कि वादों के निराकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण तथा वादों के सामयिक निराकरण हेतु शासन ने कोई उपाय किया हो।

संबंधित अधिनियमों का प्रवर्तन तंत्र

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954

यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण के अभिशाप को उन्मूलित करने एवं मानव जीवन एवं स्वास्थ्य को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों द्वारा जिनमें तैयार किया एवं परोसने योग्य खाद्य पदार्थों के विक्रय से होने वाले भय को दूर करने के उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया गया। प्राथमिक कार्यवाही खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों अथवा अन्य संस्थाओं से जो कि बनाने, बेचने, भण्डारण, वितरण अथवा प्रदर्शन में शामिल हो से नमूने एकत्रित करना है। इसके पश्चात नमूनों की जांच की जाती है एवं अपमिश्रण अथवा विशिष्टीकृत स्तर के न पाये जाने वाले प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अभियोजन स्थापित किया जाता है।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं चयनित चार जिलों¹⁷ के उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिलेखों की नमूना जांच में अधिनियम के प्रवर्तन में निम्नांकित कमियाँ परिलक्षित हुई-

3.1.14 खाद्य संस्थानों का सर्वेक्षण

खाद्य संस्थान बिना पर्यवेक्षण के संचालित

नियंत्रक द्वारा खाद्य संस्थानों का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप राज्य में खाद्य संस्थानों की संख्या की जानकारी अज्ञात थी एवं बहुतायत संख्या में वे बिना जांच एवं पर्यवेक्षण के संचालित थे। उक्त जानकारी के अभाव में सभी संस्थानों का चरणबद्ध तरीके से समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना निर्मित करना कठिन था।

3.1.15 खाद्य नमूनों का अपर्याप्त संग्रहण

निरीक्षकों का अति अभाव

पूर्व मध्य प्रदेश में स्वीकृत 62 खाद्य निरीक्षकों के पद के विरुद्ध राज्य शासन ने 38 पद स्वीकृत किये (सितम्बर 2004)। राज्य गठन के समय 22 निरीक्षक थे जिनमें से सेवानिवृत्त होने से अप्रैल 2005 के अंत में मात्र 4 निरीक्षक रह गये।

निर्धारित लक्ष्य (1999-2000) के अनुसार प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को प्रतिमाह 10 नमूने एकत्रित करने थे। अर्थात् राज्य गठन के समय (2000) 220 नमूने प्रतिमाह (22 निरीक्षकों द्वारा) एकत्रित होते थे जो खाद्य निरीक्षकों की कमी के कारण घटते-घटते 40 नमूने प्रतिमाह रह गये। लक्ष्य को पुनरीक्षित कर समावेशन बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

जनवरी 2001 से अप्रैल 2005 तक चार नमूना जांच किये गये जिलों में लिए गए खाद्य नमूनों की सांख्यिकी निम्नानुसार तालिकाबद्ध है-

¹⁷ बिलासपुर, दूर्ग, रायगढ़ और रायपुर

स.क्र.	जिले का नाम	निरीक्षकों की संख्या	नमूनों की लक्षित संख्या	लिये गये नमूने	कमी (प्रतिशत)	खुले खाद्य पदार्थों के नमूनों (%)	ग्रामीण क्षेत्र से लिये गये नमूने (%)
1.	बिलासपुर	3 से 1	1000	332	668 (67)	44 (13)	92(28)
2.	दुर्ग	4 से 1	1420	702	718 (51)	235(33)	39(6)
3.	रायगढ़	1	520	91	429 (82)	12(13)	37(41)
4.	रायपुर	7 से 1	1730	768	962 (56)	232(30)	322 (45)

अप्राप्त लक्ष्य और ग्रामीण क्षेत्रों से अपर्याप्त खाद्य नमूने

इससे यह स्पष्ट होता है कि 10 नमूने प्रति माह प्रत्येक निरीक्षक द्वारा लिए जाने का लक्ष्य भी किसी भी नमूना जांचे किये गये जिले में प्राप्त नहीं किया जा सका। सभी जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक कमी थी तथा सर्वोच्च 82 प्रतिशत रायगढ़ जिले में थी। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से कम नमूने लिए गये थे सबसे कम छः प्रतिशत (दुर्ग) जिले में थे। खुले खाद्य पदार्थों के नमूने भी बहुत कम थे, दो जिलों में तो 13 प्रतिशत ही थे। निरीक्षकों की धीमे धीमे घटती संख्या एवं लक्ष्य की कम प्राप्ति के संयोग के परिणामस्वरूप नमूने लेने एवं परीक्षण का स्तर बहुत निम्न रहा।

इस प्रकार नमूनों में भारी अंतर था तथा अधिक खतरे वाले यथा खुले खाद्य पदार्थों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से काफी कम संख्या में नमूने लिये गये एवं जांचे गये। यह देखा गया कि रायगढ़ में अपमिश्रित पाये गये 12 नमूनों में से आठ खुले खाद्य पदार्थों के थे।

अधिक अपमिश्रित पदार्थों के कम नमूने जाँचे गये

इसी प्रकार ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें परीक्षण के दौरान अधिक अपमिश्रण पाये गये थे के अधिक संख्या में नमूने लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि वे पदार्थ अधिक अपमिश्रण की भेद्यता को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित तालिका इस प्रकार के कुछ पदार्थों को दर्शाती है जो राज्य में, अपमिश्रित सभी पदार्थों के औसत की अपेक्षा, अधिक मात्रा में अपमिश्रित पाये गये थे-

खाद्य पदार्थों की श्रेणी	2000		2001		2002		2003	
	लिए गये एवं विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपमिश्रण का प्रतिशत	लिए गये एवं विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपमिश्रण का प्रतिशत	लिए गये एवं विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपमिश्रण का प्रतिशत	लिए गये एवं विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपमिश्रण का प्रतिशत
सभी श्रेणी के कुल नमूने	860	10	862	09	797	09	634	16
दूध	49	29	56	34	12	33	20	30
पेय	29	--	33	06	30	17	93	22
मक्खन, घी एवं दूध के उत्पाद	76	13	72	13	69	06	66	23
अनाज, अनाज के उत्पाद एवं दालें	97	24	58	07	100	13	47	34

इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक उपभोग के पदार्थ जैसे दुध, पेय, मक्खन, घी एवं दूध के उत्पाद तथा अनाज एवं दालें अधिक मात्रा में अपमिश्रित पाये गये थे फिर भी

इन पदार्थों के बहुत ही कम नमनों का आगामी चक्रों में परीक्षण किया गया। इस प्रकार नमूनों के चयन की यह प्रक्रिया अप्रभावी थी।

नमूनों के चयन को युक्तिसंगत बनाने के लिए, पदों की भर्ती एवं कार्यवाही को प्रभावशील बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे राज्य में अधिनियम का प्रवर्तन प्रतिकूल रहा।

3.1.16 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मार्च 2003 में रायपुर में स्थापित हुई परंतु वह उपस्करों से पूर्णतः युक्त नहीं थी तथा किराये के भवन में संचालित हो रही थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 1500 नमूने प्रति वर्ष की क्षमता होने के बावजूद मार्च 2003 से अगस्त 2005 के दौरान मात्र 1440 नमूने प्राप्त कर विश्लेषित किये गये। इससे खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता का कम उपयोग हुआ।

3.1.17 अभियोजन की दर कम रहना

अभियोजन की औसत दर 20 प्रतिशत थी

राज्य में वर्ष 2000 से 2003 के दौरान न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की संख्या, दोषमुक्ति प्रकरण एवं अभियोजित प्रकरण निम्नानुसार थे:

वर्ष	न्यायालय में पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण	दोषमुक्त प्रकरणों की संख्या	अभियोजित प्रकरणों की संख्या	अभियोजन का प्रतिशत	
					प्रकरण पंजीकृत	निर्णीत प्रकरण
2000	109	54	51	03	03	06
2001	77	54	48	06	08	11
2002	68	23	10	13	19	57
2003	98	16	08	08	08	50
योग	352	147	117	30	09	20

इससे यह स्पष्ट है कि अभियोजन का प्रतिशत बहुत कम था। नियंत्रक ने अवगत कराया कि कम अभियोजन का प्राथमिक कारण अधिकांश खाद्य निरीक्षक जिन्होंने अभियोजन प्रक्रिया आरंभ की थी, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वे प्रायः कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते थे। नियंत्रक को जिलों से सामयिक विहित प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे थे परन्तु उनका अनुश्रवण और अनुसरण नहीं किया गया। एक प्रतिवेदनानुसार (सितम्बर 2003) दो बच्चों की मृत्यु के बाद जिलाध्यक्ष, दुर्ग के निर्देशों पर भिलाई की बेकरियों से लिए गए नमूने अपमिश्रित पाये गये, शंका की गई कि मृत्यु जहरीला क्रीम रोल खाने से हुई होगी। इस प्रकरण पर नियंत्रक द्वारा कोई आगामी कार्यवाही नहीं की गई। विभाग को इस समस्या से निबटने के लिए संस्थागत तंत्र को विकसित करना आवश्यक था।

औषधि एवं सौन्दर्य प्रशासन अधिनियम, 1940

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (नियंत्रक) औषधि एवं सौन्दर्य प्रशासन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाये गये औषधि एवं सौन्दर्य प्रशासन नियम, 1945 (नियम) का क्रियान्वयन कर रहा था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसी औषधियों और सौन्दर्य प्रसाधनों को बेचना और बनाने की रोक-थाम करना है जो अवचिन्हित, नकली तथा अपमिश्रित हों। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि प्रतिष्ठानों को निरीक्षण करना, तथा अनुज्ञप्ति प्रदाय करना एवं औषधि बनाने, बेचने, भण्डार एवं वितरण करने वाले प्रतिष्ठानों से नमूनों का संकलन करना था। औषधि के नमूने जाँच हेतु केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता भेजे जाते थे। अवचिन्हित, नकली तथा अपमिश्रित नमूने पाये जाने पर विभाग को निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी थी।

लेखा परीक्षा जाँच में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:

3.1.18 नियामक अमले की अपर्याप्तता

राज्य शासन ने औषधि निरीक्षकों के पदों के सृजन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये थे। औषधि निरीक्षकों के 21 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल पाँच ही कार्यरत थे, उनमें से एक मुख्यालय पर तथा शेष चार जिलों¹⁸ में पदस्थ थे। राज्य के शेष 12 जिले इन्हीं पाँच औषधि निरीक्षकों के अतिरिक्त प्रभार में थे।

3.1.19 अनुज्ञप्तिकरण

राज्य गठन के पश्चात नियंत्रक द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित औषधि प्रतिष्ठानों को चिन्हित करने हेतु पूरे राज्य का सर्वेक्षण अथवा निरीक्षण नहीं करवाया गया।

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, अम्बिकापुर तथा रायगढ़ जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इन दोनों जिलों के जिला अस्पतालों के रक्त कोष बिना वैध अनुज्ञप्ति के जनवरी 1999 से संचालित थे। यह अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के सर्वथा विपरीत था और निर्धारित सुरक्षा एवं गुण-मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.1.20 औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण

अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार प्रत्येक औषधि निरीक्षक को उनके कार्यक्षेत्र में औषधि विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्ति वाले सभी प्रतिष्ठानों का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना था।

जिला अस्पतालों के रक्त बैंकों का बिना अनुज्ञप्ति के संचालन

¹⁸ बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और रायपुर

औषधि निरीक्षकों के अधिकार क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों की संख्या एवं उनके द्वारा किये गये निरीक्षणों का वर्षवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

जिला	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या	प्रतिष्ठानों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या
रायपुर	1099	705	1326	780	1076	507	815	428	725	528
बिलासपुर	706	475	789	1103	939	921	1001	348	1070	368
रायगढ़	149	167	119	130	184	199	198	209	219	227

औषधि प्रतिष्ठानों का अप्रत्याप्त निरीक्षण

उपरोक्त से इस बात की पुष्टि होती है कि अधिकांश औषधि प्रतिष्ठानों का किसी भी वर्ष में दो बार निरीक्षण नहीं हुआ और रायपुर और बिलासपुर जिलों में बहुत से प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष निरीक्षण से वंचित रहे। दुर्ग जिले में पदस्थ औषधि निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षणों की जानकारी लेखा-परीक्षा को प्रदाय नहीं की गयी।

नमूना जांच किये गये जिलों में पदस्थ किसी भी औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किया गया यद्यपि इसका नियमों में प्रावधान है। अभिलेखों के अभाव में निरीक्षणों का परिणाम और अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

औषधि नमूनों का त्रुटिपूर्ण चयन

निर्धारित लक्ष्यानुसार प्रत्येक औषधि निरीक्षक को प्रति माह पाँच नमूने जाँच हेतु लेने थे। परन्तु यह देखा गया कि अधिकांश महीनों में औषधि निरीक्षकों ने एक ही दिन में एक ही प्रतिष्ठान से पाँच नमूने ले लिये। इससे नमूने लेने की प्रतिनिधित्व प्रवृत्ति कम हुई। कई माहों में औषधि के नमूने नहीं लिये गये (औषधि निरीक्षक रायपुर ने चार माहों में बिलासपुर और दुर्ग ने पाँच माहों में और रायगढ़ ने 22 माहों में) महासमुंद और कोरबा जिलों से जनवरी 2003 से कोई नमूने नहीं लिए गये थे, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी और रायपुर जिलों के जिला अस्पतालों से एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के औषधि भण्डार से कोई भी नमूने नहीं लिए गए। अधिकांश नमूने शहरी क्षेत्र अर्थात् जिला मुख्यालयों से लिए गए।

औषधि नमूनों के विश्लेषण प्रतिवेदनों का प्राप्त न होना

लेखा परीक्षण में यह भी ज्ञात हुआ कि औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता को अप्रैल 2000 से मार्च 2005 के मध्य 1084 नमूने विश्लेषण हेतु प्रेषित किये गये उनमें से 323 नमूनों¹⁹ की जाँच रिपोर्ट जून 2005 तक अप्राप्त थी। लंबित रिपोर्टों को मंगवाने हेतु औषधि निरीक्षकों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार नियंत्रक केन्द्रीय औषधि जाँच प्रयोगशाला को बहुतायत में भेजे गये नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने में, औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण अभिलेख का संधारण न करना तथा निरीक्षकों द्वारा त्रुटिपूर्ण/कम नमूने लेने के संबंध में अनुश्रवण तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने में असफल रहे।

¹⁹

बिलासपुर-93, दुर्ग-111, रायगढ़-61, और रायपुर-58

बॉट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985
--

3.1.21 भारत सरकार ने यह अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया जिससे कि व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संस्थानों के द्वारा प्रयुक्त बॉट एवं माप की परिशुद्धता को सामयिक अंश शोधन एवं निरीक्षण के द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य के नाप तौल विभाग द्वारा किया जा रहा था।

नियामक कर्मचारियों की कमी

संचालनालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह प्रगट हुआ कि निरीक्षकों के 28 स्वीकृत पदों में से 11, सहायक नियंत्रक के दो (तीन स्वीकृत) एवं एक उप नियंत्रक का पद राज्य के अस्तित्व में आने के समय से ही रिक्त पड़े थे। इन रिक्तियों के कारण नियामक अमला राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को आच्छादित करने में असमर्थ था। विभाग ने बताये अनुसार कर्मचारियों की कमी के कारण जन-जागरण क्रिया-कलाप भी प्रभावित हुए।

उपरोक्त नियामक कर्मचारियों की कमी के अतिरिक्त 97 स्वीकृत पदों में से 33 अन्य पद भी माह अगस्त 2005 की स्थिति में रिक्त पड़े थे जिसके कारण विभाग का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा था।

बिलासपुर एवं रायपुर जिले में विभाग की दो प्रयोगशालाएँ हैं, इनमें मैदानी स्तर पर मानक के रूप में उपयोग में आने वाले कार्यकारी बांटो का वार्षिकी अंशशोधन किया जाता है परन्तु वे इलोकट्रॉनिक जाँच सुविधा रहित हैं।

3.1.22 निष्कर्ष

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के बारे में शासन ने कोई नीति नहीं बनाई है। अधिनियम के अधीन एक मात्र क्रियाकलाप शिकायत प्रतितोषण तंत्र था, जो कि पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। तीन अंशकालिक जिला फोरमों को पूर्णकालिक घोषित करने के अतिरिक्त कोई अन्य पहल राज्य गठन के पश्चात नहीं की गई एवं उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित नहीं की जा सकी, उपभोक्ताओं के जागरूकता में वृद्धि नहीं हुई एवं प्रकरणों का निराकरण धीमा रहा। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियमों का प्रवर्तन नियामक अमले की भारी कमी के कारण अपर्याप्त था। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमों के क्रियान्वयन में शासन द्वारा अनुश्रवण कम था।

3.1.23 अनुशंसाएं

- शासन को चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण और उससे संबंधित अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावशाली बनाने हेतु लघु एवं दीर्घकालीन नीति संबंधी पहल प्रतिपादित करें।
- शासन को समय-समय पर अंशकालिक फोरमों को पूर्णकालिक फोरमों में बदलने हेतु औचित्य का सामयिक आंकलन करना चाहिए।
- उपभोक्ताओं में जागृति लाने हेतु राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों एवं जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों को शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये।
- शासन को उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उचित उपाय करने की पहल करना चाहिये तथा जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों एवं इलेक्ट्रानिक/मुद्रित माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि का गठन करना चाहिए तथा उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित क्रियाकलापों हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करना चाहिए।
- शासन को कर्मचारियों एवं अधोसंरचना की पर्याप्त व्यवस्था कर राज्य आयोग एवं जिला फोरमों को पूर्ण कार्यपरक बनाना चाहिये जिससे प्रकरणों का त्वरित एवं नियमित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रवर्तन तंत्र के सुदृढीकरण हेतु उपभोक्ता संरक्षण और उससे संबंधित अधिनियमों जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि तथा बाँट एवं माप के प्रभावपूर्ण संचालन हेतु नियामक कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

मामला शासन के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2005) तथापि अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

अनुलग्नक

ओ.आर.जी. मार्ग द्वारा किये गये सर्वेक्षण का कार्यपालिक सारांश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कार्यात्मक स्थिति को समझने के लिए सर्वेक्षण में काफी संख्या में उपभोक्ताओं, शिकायतकर्ताओं निर्माताओं, सेवा प्रदायकर्ताओं स्वयंसेवी संगठनों एवं उपयुक्त प्रयोगशालाओं को समावेशित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1472 उपभोक्ताओं से जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के थे, सम्पर्क किया गया। इसके अतिरिक्त 236 शिकायतकर्ताओं, नौ निर्माताओं/सेवा प्रदायकर्ताओं और एक प्रयोगशाला से साक्षात्कार किया गया। सर्वेक्षण माह जुलाई के दूसरे सप्ताह से चार अगस्त तक किया गया।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- कुल मिलाकर 48 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी को महत्व दिया। 76 प्रतिशत उपभोक्ता अधिकारों से अनभिज्ञ थे और 81 प्रतिशत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से अनभिज्ञ थे। 39 प्रतिशत उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के लाभ से सहमत थे।
- अधिनियम में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लाभ सन्निहित थे परन्तु केवल ग्रामीण क्षेत्र की 12 प्रतिशत जनसंख्या ने इसके बारे में सुना था।
- क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कोई प्रत्यन कर रही है इसके उत्तर में 20 प्रतिशत व्यक्तियों ने सकारात्मक उत्तर दिया शेष ने या तो नकारात्मक उत्तर दिया अथवा अनभिज्ञता जताई।
- जन जागरूकता का औपचारिक स्रोत-इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित माध्यम क्रमशः 75 प्रतिशत और 51 प्रतिशत थे और केवल जागरूक उपभोक्ताओं का 0.8 प्रतिशत ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में स्वयंसेवी संगठनों से जानकारी प्राप्त कर सका।
- लगभग 44 प्रतिशत जागरूक उपभोक्ताओं को अधिनियम के बारे में पिछले चार वर्षों में ज्ञात हुआ था जबकि अधिनियम विगत 19 वर्षों से अस्तित्व में था।
- कुल मिलाकर 7 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें किसी प्रतितोष अभिकरण की जानकारी थी। और यह जानकारी उनमें अधिक थी जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अधिकारों की जानकारी थी।
- प्रतितोषण अभिकरण के बारे में जानकारी रखने वालों में से 50 प्रतिशत को उनके जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम कहाँ पर स्थित है, ज्ञात नहीं था।
- सभी शिकायतकर्ता शिक्षित थे। उनकी औसतन मासिक परिवारिक आय 13868/-रूपये थी। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रतितोषण अभिकरणों के द्वारा प्रदाय की गई सुविधाओं का लाभ मात्र शहरी क्षेत्र के शिक्षित वह भी समाज के मध्यम अथवा उच्च मध्यम वर्ग ने उठाया।
- अधिकांश शिकायतें (68 प्रतिशत) सेवाओं के विरुद्ध थी जैसे कि अन्य वित्तीय सेवाएँ, संचार व्यवस्था, यातायात एवं बीमा।

- अधिकांश शिकायतकर्ताओं को प्रतितोषण अभिकरणों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (31 प्रतिशत) मुद्रित माध्यम (63 प्रतिशत) मित्र एवं परिजनों (37 प्रतिशत) से जानकारी मिली। स्वयंसेवी संगठन जागरूकता का लोकप्रिय स्रोत नहीं थे (1.6 प्रतिशत)।
- लगभग 18 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने मुद्रांक पत्रों का उपयोग प्रकरण दर्ज करने के लिए किया जिनमें अधिकांश प्रकरणों में (88 प्रतिशत) वकीलों अथवा अभिकर्ताओं ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी।
- लगभग 10 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं, जिन्होंने मार्च 2003 के पहले शिकायत पंजीकृत करायी थी, ने बिना इस तथ्य को जाने कि न्यायालय शुल्क मार्च 2003 से प्रभावशील हुआ था, न्यायालय शुल्क जमा किये।
- प्रकरणों के विभिन्न स्तरों में लगने वाले समय का विश्लेषण यह दर्शाता है कि एक प्रकरण के पंजीकरण में औसतन 3 दिन लगते थे एवं 29 दिन सूचना वितरण के लिए, सूचना वितरण के 16 दिनों बाद पहली सुनवाई की बैठक होती थी।
- प्रकरण को सुलझाने में औसतन 7.1 सुनवाई लगी थी। लगभग 44 प्रतिशत प्रकरण 7.6 सुनवाई के बाद निराकृत हुए एवं इनमें से अधिकांश प्रकरण अन्य वित्तीय सेवाओं (34 प्रतिशत) के विरुद्ध थे।
- एक प्रकरण को निराकृत करने में औसतन 11 माह का समय लगता था, अनिराकृत प्रकरण औसतन 32 माह से लंबित थे।
- ऐसे 43 प्रकरणों थे जिनमें डिक्री जारी हो चुकी थी तथा क्षतिपूर्ति अभी तक प्राप्त होना शेष थी। क्षतिपूर्ति औसतन 23 माह से लंबित थी। जिन्हें क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई थी, उन्हें प्राप्त करने में औसतन 5-6 माह का समय लगा।
- शिकायतकर्ताओं ने औसतन 1445 रुपये का व्यय, प्रकरण को निराकृत करने में किया जिसमें बड़ा अंश (औसत 1431 रुपये) वकीलों की शुल्क का था।
- निर्माता एवं सेवा प्रदायकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से भली भांति परिचित थे जबकि इसके विपरीत बहुत सारे उपभोक्ता अधिनियम तथा प्रतितोषण पद्धति से अनभिज्ञ थे।

शिकायतकर्ताओं ने प्रतितोषण पद्धति को सरल किन्तु त्वरित नहीं पाया। तथापि निर्माता एवं सेवा प्रदायकर्ताओं ने यह मद व्यक्त किया कि प्रक्रिया सरल, त्वरित एवं अव्ययकारी होना चाहिये।

जल संसाधन विभाग

3.2 मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं

मुख्यांश

एक लाख पांच हजार हेक्टेयर (मध्यम:0.50 लाख हेक्टेयर: लघु: 0.55 लाख हेक्टेयर) की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को सृजन करने का लक्ष्य मार्च 2007 तक अधिक परिमाण में अप्राप्त रहा। सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 31 मार्च 2005 तक मात्र 0.37 लाख हेक्टेयर थी (मध्यम: 0.01 लाख हेक्टेयर लघु: 0.36 लाख हेक्टेयर)। धीमी प्रगति मुख्य रूप से दोषपूर्ण स्थल चयन, त्रुटिपूर्ण अनुमान, अतिच्छादित (ओवरलेप) कमान क्षेत्र, भू-अनार्जन इत्यादि के कारण थी। अतिरिक्त व्यय तथा निविदा एवं संविदाओं के प्रदान करने में अनियमिततायें इसके उदाहरण थे जिससे कि लागतें उँची हुईं। जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपे गये नहर प्रणालियों के चालन तथा रखरखाव हेतु भुगतान किए गए रखरखाव अनुदानों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए कोई परीक्षण तंत्र नहीं था। सिंचाई क्षमता की उपयोगिता में कमी उच्चतः 40 प्रतिशत थी।

- नौ सौ बानवे करोड़ अट्ठावन लाख रूपए के बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने 803.78 करोड़ रूपये वर्ष 2000-05 के दौरान व्यय किए। 188.80 करोड़ रूपये की बचत मुख्य रूप से शासन द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन को प्रदान करने में विलम्ब एवं नाबार्ड से परियोजनाओं की स्वीकृति की अप्राप्ति के कारण थी।

(कंडिका 3.2.6)

- मध्यम तथा लघु परियोजनाओं के माध्यम से 1.05 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य मार्च 2007 तक अधिक परिमाण में अप्राप्त रहेगा। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अत्यंत निम्न था (2 प्रतिशत)। प्रगति की धीमी गति मुख्य रूप से स्थल की दोषपूर्ण योजना, भू-अर्जन में विलम्ब तथा वन निराकरण की अप्राप्ति के कारण थी।

(कंडिका 3.2.10)

- सूतियापाट मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य बिना भौमिकीय अध्ययन का विचार किए हुए, प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप मध्य में कार्य के रोकने में 4.70 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.11)

- खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना (मध्यम) में जल उपलब्धता के गलत आँकलन से प्रस्तावित कमान क्षेत्र में 5155 हेक्टेयर (42 प्रतिशत) की प्रचुर कमी आई।

(कंडिका 3.2.12)

- नमूना जांच किए गए जिलों में 184 हेक्टेयर वन भूमि के अपेक्षित निराकरण के बिना नवम्बर 2000 से मार्च 2004 के मध्य ग्यारह लघु सिंचाई परियोजनाएं निष्पादन हेतु प्रारंभ की गईं जो कि अपूर्ण रहीं क्योंकि अपेक्षित निराकरण प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण इन परियोजनाओं पर किया गया व्यय 10.66 करोड़ रुपये निष्फल रहा।

(कंडिका 3.2.14)

- मोंगरा बैराज मध्यम परियोजना के निर्माण में पश्च-निविदा बदलाव के कारण ठेकेदार को 1.58 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(कंडिका 3.2.16)

- मध्यम/लघु परियोजनाओं में उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन को टालने के लिए कार्यों के अनियमित विभाजन के फलस्वरूप 1.83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.2.20 एवं 3.2.21)

- जल उपभोक्ता संथाएं, जिनको नहर प्रणालियों के चालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, को भुगतान किए गए रखरखाव अनुदानों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु कोई परिवीक्षण तंत्र नहीं था।

(कंडिका 3.2.23)

- सात लाख उन्चास हजार हेक्टेयर (मध्यम: 2.25 लाख हेक्टेयर लघु: 5.24 लाख हेक्टेयर) की सृजित क्षमता के विरुद्ध उपयोगिता मात्र 4.52 लाख हेक्टेयर (मध्यम: 1.80 लाख हेक्टेयर, लघु: 2.72 लाख हेक्टेयर) थी।

(कंडिका 3.2.24)

3.2.1 प्रस्तावना

अस्सी प्रतिशत लोगों का कृषि पर निर्भर होने से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान कहलाता है। नवंबर 2000 में राज्य निर्माण के समय 13.28 लाख हेक्टेयर कुल सिंचाई क्षमता अर्थात् 48.28 लाख हेक्टेयर निवल बुवाई क्षेत्र (एनएसए) का 27.5 प्रतिशत वाली 2013¹ निर्मित सिंचाई परियोजनाएं तथा 388² निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं मध्यप्रदेश से विरासत में ली।

नवंबर 2000 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान, एक मध्यम तथा 86 लघु सहित 87 परियोजनाएं निर्मित हुईं एवं कुल सिंचाई क्षमता 2.24 लाख हेक्टेयर की वृद्धि से 15.52 लाख हेक्टेयर हो गई। राज्य शासन ने 162³ नवीन सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत कीं तथा 31 मार्च 2005 तक राज्य में तीन वृहद, 30 मध्यम एवं 2067 लघु सहित 2100 निर्मित परियोजनाएं तथा सात वृहद, आठ मध्यम एवं 448 लघु परियोजनाओं सहित 463 निर्माणाधीन परियोजनाएं थीं।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

जल संसाधन विभाग प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में निष्पादी रचना के प्रधान, प्रमुख अभियंता के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु संपूर्ण जिम्मेदार है। मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं तीन मुख्य अभियंताओं के प्रभाराधीन थी जिसकी सहायता तीन अधीक्षण अभियंताओं एवं 39 कार्यपालन अभियंताओं द्वारा की जाती है।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्न का आंकलन करना थे -

- निधि व्यवस्था तथा उसका उपयोग निधियों पर नियंत्रण सहित।
- रीति जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं निष्पादन हेतु चयनित की गईं।
- निष्पादन में चूकें/भूलें।
- सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग की मात्रा/सीमा।
- सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव की पर्याप्तता।

¹ वृहद: 3, मध्यम:29 तथा लघु:1981

² वृहद: 4, मध्यम: 7 तथा लघु: 377

³ वृहद: 3, मध्यम: 2 तथा लघु: 157

3.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं शासन की सिंचाई सांख्यिकी के अलावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अपनायी गई मध्यप्रदेश कार्य विभाग नियमावली तथा मध्यप्रदेश सिंचाई विशिष्टियां लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में प्रयुक्त की गई थीं।

3.2.5 लेखापरीक्षा समावेशन एवं प्रणाली

प्रमुख अभियंता कार्यालय, दो मुख्य अभियंताओं तथा सात⁴ संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से, जिन्होंने नवंबर 2000 से मार्च 2005 की अवधि में तीन मध्यम एवं 112 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन किया था, की समीक्षा अप्रैल से अगस्त 2005 के दौरान संपन्न की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन

3.2.6 निधि व्यवस्था

मध्यप्रदेश से विरासत में मिली निर्माणाधीन मध्यम एवं लघु परियोजनाओं हेतु निधि तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत नवीन परियोजनाओं के लिए तीन स्रोतों से वित्त उपलब्ध थे। मार्च 2005 तक निर्माणाधीन आठ मध्यम एवं 448 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से दो मध्यम तथा 296 लघु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण द्वारा वित्तपोषित थीं। नाबार्ड ऋण व्यवस्थानुसार छत्तीसगढ़ शासन नाबार्ड द्वारा निराकृत की गई परियोजनाओं पर प्रारंभिक व्यय राज्य बजट के माध्यम से किए जाते थे। तत्पश्चात् नाबार्ड द्वारा व्यय के ग्राह्य मदों की प्रतिपूर्ति के रूप में ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। पांच मध्यम तथा 152 लघु परियोजनाएं राज्य आयोजना के अंतर्गत वित्तपोषित थीं तथा एक मध्यम परियोजना भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) के अंतर्गत वित्तपोषित थी।

2000-05 के दौरान मध्यम एवं लघु परियोजनाओं पर किए गए कुल व्यय 803.78 करोड़ रूपए में से 466.10 करोड़ रूपए राज्य निधि से, 314.40 करोड़ रूपए नाबार्ड ऋण के माध्यम से एवं 23.28 करोड़ रूपए एआइबीपी के अंतर्गत वित्त पोषित थे। ब्यौरे परिशिष्ट 3.2 में दिए गए हैं।

⁴ परियोजना संभाग, सूतियापाट, मोंगरा एवं खरखरा तथा जल संसाधन संभाग, दुर्ग, मुंगेली, पेंड्रा रोड एवं बिलासपुर।

गत पांच वर्षों के दौरान बजट आवंटन, व्यय तथा बचतों के वर्णन निम्नवत थे -

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	आधिव्य (+)/बचतें(-)
2000-01*	51.00	36.10	(-) 14.90
2001-02	125.63	104.18	(-) 21.45
2002-03	201.78	163.69	(-) 38.09
2003-04	248.11	196.76	(-) 51.35
2004-05	366.06	303.05	(-) 63.01
योग	992.58	803.78	(-) 188.80

* नवंबर 2000 से

प्रत्येक वर्ष में बचतें, वर्ष 2000-01 में 14.90 करोड़ रूपए से 2004-05 में 63.01 करोड़ रूपए हो गई थी। प्रमुख अभियंता ने बताया कि राज्य शासन द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन (2004-05) को देने में विलंब तथा नाबार्ड से स्वीकृतियों की प्राप्ति न होना बचत के मुख्य कारण थे। मुख्य अभियंता, हसदेव तथा महानदी-गोदावरी (एमजी) कछार ने वर्ष के अंत में आवंटन की प्राप्ति, प्रत्येक वर्ष फरवरी-मार्च में व्यय पर प्रतिबंध लगाना, प्रमुख अभियंता से आवश्यकता से अधिक उच्चतर आवंटन की प्राप्ति, भू-अनार्जन, वन भूमि का निराकरण न होना, बजट में प्रस्तावित एवं शामिल की गई अधिकांश योजनाओं के प्राक्कलनों का न बनाया जाना, बचतों के कारण बतलाए।

3.2.7 व्यय तथा आवंटनों पर नियंत्रण

दो कछारों में आवंटनों के ऊपर नियंत्रण की कमी के कारण, 2002-05 के दौरान 3.98 करोड़ रूपए आवंटनों से अधिक व्यय किए गए

मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार रायपुर तथा हसदेव कछार बिलासपुर के कार्यालयों में वार्षिक व्यय पत्रकों की संवीक्षा करने पर प्रकट हुआ कि वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान 57.06 करोड़ रूपए के कुल आवंटन के विरुद्ध संभागों ने 61.04 करोड़ रूपए व्यय किए गए परिणामस्वरूप 3.98 करोड़ रूपए का व्यय आवंटनों से अधिक किया गया। उत्तर में मुख्य अभियंताओं ने बताया कि व्यय करने के पश्चात् प्रमुख अभियंता द्वारा इन शीर्षों में किए गए मूल आवंटनों को कम करने से अधिक व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि यद्यपि प्रमुख अभियंता तीन वर्षों तक लगातार इस मामले से अवगत थे, वह आवंटनों की समस्या को नियमित करने में असमर्थ रहे।

3.2.8 नाबार्ड से प्रतिपूर्ति का अनियमित दावा

नाबार्ड से प्रतिपूर्ति दावा हेतु अग्राह्य भवन कार्यों पर मेसनरी कार्यों में गलत वर्गीकृत कर एक करोड़ रूपए व्यय किए।

नाबार्ड ऋण की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों के निर्माण पर किया गया व्यय प्रतिपूर्ति हेतु नहीं था। कार्यपालन अभियंता, सूतियापाट परियोजना संभाग द्वारा के-भवनों पर एक करोड़ रूपए व्यय किए गए। यह राशि प्रतिपूर्ति दावे में "सी-मेसनरी इकाई-II, नहर शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर दर्शायी गई जो कि तथ्यों की गलत प्रस्तुति थी।

3.2.9 चैक आहरण सुविधा का दुरुपयोग

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 490 के अनुसार जैसा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया "निर्देशन एवं प्रशासन कार्यालयों (मुख्य/प्रमुख अभियंता कार्यालयों) के व्यय कोषालय आहरणों के माध्यम से करने थे। इस प्रावधान का उल्लंघन कर मुख्य/प्रमुख अभियंता कार्यालयों के 1.58 करोड़ रूपए के आकस्मिक भुगतान चैकों के माध्यम से कार्यपालन अभियंताओं, जल संसाधन संभाग रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर द्वारा कराये गये। प्रमुख अभियंता ने बताया कि यह प्रक्रिया विद्युत तथा दूरभाष बिलों के विलंबित भुगतानों पर दंड से बचत हेतु अनुसरण की जा रही थी। औचित्य स्वीकार्य नहीं था। अनियमित पद्धति संस्थित की गई थी जिसके माध्यम से प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कोषालय जांच-पड़ताल से बचकर निकल रहे थे तथा चैक आहरण सुविधा का दुरुपयोग हो रहा था।

कार्यक्रम प्रबंधन

3.2.10 कार्यक्रम उद्देश्य

विभाग ने मार्च 2007 के अंत तक मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 50,000 हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से 55,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन करने हेतु लक्ष्य नियत किया था। लक्ष्य में मार्च 2007 तक सात मध्यम परियोजनाएं तथा 377 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने की परिकल्पना की गई थी।

मध्यम परियोजनाओं हेतु पांच वर्षों में 50,000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध विभाग ने 2002-05 के दौरान नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति के माध्यम से मात्र 11,500 हेक्टेयर (23 प्रतिशत) की अतिरिक्त क्षमता रूपांकित की। इस अवधि में अतिरिक्त सृजित क्षमता 1035 हेक्टेयर थी (लक्ष्य का 2 प्रतिशत)। उसी प्रकार लघु परियोजनाओं हेतु पांच वर्षों में 55,000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध विभाग ने 2002-05 के दौरान 35,875 हेक्टेयर (लक्ष्य का 65 प्रतिशत) की अतिरिक्त क्षमता रूपांकित की थी। इस अवधि में अतिरिक्त सृजित क्षमता 36,490 हेक्टेयर (लक्ष्य का 66 प्रतिशत) थी। इस प्रकार, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त क्षमता का सृजन लक्ष्य के साथ पंक्ति में था जबकि मध्यम परियोजनाओं हेतु क्षमता का सृजन निम्न था तथा लक्ष्यों के सम्भाव्य पुनर्मूल्यांकन एवं परिवीक्षण की आवश्यकता थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश की कार्य विभाग नियमावली अपनाई जिसमें परियोजनाओं की जीवनक्षमता निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। प्राथमिक एवं विस्तृत सर्वेक्षणों द्वारा स्थापित, सभी परियोजनाओं का एक संभाव्यता प्रतिवेदन होना चाहिए। मध्यम परियोजनाओं हेतु केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से अनापत्ति प्रमाणपत्र पूर्व आवश्यकता थी। इन प्राथमिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक परियोजना हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया गया था। जीवनक्षम पाई गई परियोजनाएं प्रशासकीय अनुमोदन (एए) देने हेतु प्रस्तावित होनी थीं। अनुदेश सम्भूत करते हैं कि सिविल कार्यों के निष्पादन के पूर्व भू-अर्जन तथा वनभूमि निराकरण हो जाने चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भू-अर्जन तथा वन निराकरणों में विलंब, दोषपूर्ण योजना मुख्य रूप से सिंचाई क्षमता के सृजन में कमी हेतु आरोपणीय थे जिनकी अनुवर्ती कड़िकाओं में विवेचना की गई है।

3.2.11 दोषपूर्ण परियोजना चयन तथा योजना

सूतियापाट मध्यम सिंचाई परियोजना में 450 मी. लंबा तथा 30 मी. ऊँचा बांध समाविष्ट था तथा 6960 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु (4060 हेक्टेयर खरीफ एवं 2900 हेक्टेयर रबी फसलों) 34.10 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) जल सम्भूत करने हेतु नियत की गई। परियोजना लागत 43.42 करोड़ रुपये नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित होना थी।

भारतीय भौमिकीय सर्वेक्षण के प्रतिकूल भौमिकीय प्रतिवेदन के बावजूद सूतियापाट मध्यम परियोजना कार्य हेतु 42.10 करोड़ रूपए प्रदान किए गए परिणामस्वरूप 4.70 करोड़ रूपए का निष्फल व्यय हुआ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अक्टूबर 2002 में तैयार किया गया यद्यपि भारतीय भौमिकीय सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा भौमिकीय अध्ययन समाप्त नहीं हुआ था। जीएसआई के निर्देशों के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता (सितंबर 2002) द्वारा प्राथमिक जांचों के निष्पादन में बांध स्थल पर चट्टानी रचना में उच्च मात्रा का रिसाव दर्शाया गया था। मुख्य अभियंता को दिसंबर 2002 में जीएसआई अंतरिम प्रतिवेदन में अनुपयुक्त भौमिकीय परत दर्शायी गई जो कि परियोजना की तकनीकी आर्थिक नींव के माध्यम से रिसाव नियंत्रित करने के प्रभावी उपायों सहित मूल्यांकित होना आवश्यक थी।

तथापि, ऐसे पुनर्मूल्यांकन को करने के बजाय मार्च 2003 में एकमुश्त ठेका हेतु निविदाएं जारी की गई थी। यद्यपि शासन ने प्रशासनिक अनुमोदन (एए) नहीं दिया था। 36.95 करोड़ रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 2003 में दिया गया तथा बांध, नहरों, कालोनी, भवन इत्यादि का निर्माण कार्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान सहित 42.10 करोड़ रूपए का कार्य आदेश सितंबर 2003 में एक ठेकेदार को अगस्त 2005 तक पूर्ण करने हेतु प्रदान किया गया।

ठेकेदार द्वारा ठेके में दिया गया आवश्यक सर्वेक्षण या अनुसंधान कार्य संचालित किए बिना निष्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया, किंतु फरवरी 2005 तक केवल 10 प्रतिशत कार्य (4.70 करोड़ रूपए लागत) ही पूर्ण कर सका एवं मई 2005 में उसका ठेका धीमी प्रगति के कारण समाप्त कर दिया गया। इस बीच में जीएसआई का अंतिम प्रतिवेदन मई 2004 में प्रस्तुत किया गया जिसमें अंतरिम प्रतिवेदन में इंगित की गई समस्याओं को दोहराया गया। विभाग ने भी नींव उपचार के संबंध में विषयवस्तु विशेषज्ञ से परामर्श लिया। विशेषज्ञ का प्रतिवेदन (जून 2004) भी दर्शाता है कि विलक्षण चट्टान रचना तथा भेदनीयता के कारण उपयुक्त नींव बनावट को प्राप्त करना बहुत कठिन था। केंद्रीय जल आयोग ने निर्देशित किया (अप्रैल 2005) कि बहाव के प्रतिकूल (अपस्ट्रीम) खाई की कटाई (सीओटी)⁵ का मिट्टी कार्य तब तक आरंभ नहीं किया जाए जब तक कि रिसाव नियंत्रण उपायों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। मुख्य अभियंता ने बताया (मई 2005) कि नींव के माध्यम से रिसाव नियंत्रण केंद्रीय जल आयोग तथा जीएसआई से परामर्श करके अभी भी अंतिम रूप देने के अधीन था।

⁵ कट आफ ट्रेंच

इस प्रकार, यदि निर्धारित प्रक्रिया परियोजना के जीवनक्षम को सुनिश्चित कर अनुसरण की जाती तो निष्पादन कार्य आरंभ नहीं होता क्योंकि रिसाव की समस्या जो कि एक गंभीर तकनीकी समस्या थी ढाई वर्षों के पश्चात भी अनियोजित रही। आरंभ में समस्या के पूर्ण अवगत होने के बावजूद निष्पादन कार्य आरंभ करने में अनुचित जल्दी दर्शायी गई थी; विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को जीएसआई प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम रूप दिया गया; प्रशासनिक अनुमोदन के पहले निविदाएं जारी की गई तथा ठेकेदार द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण के बिना कार्य प्रारंभ किया गया था। परिणामतः, 4.70 करोड़ रूपए व्यय करने के पश्चात ऐसे स्थल पर कार्य जो कि विभिन्न भौमिकीय प्रतिवेदनों के अनुसार बिल्कुल अनुपयुक्त था, अनिश्चित समय के लिए रूक गया।

3.2.12 त्रुटिपूर्ण अनुमान के कारण कमान क्षेत्र में न्यूनता

खरखरा तथा महानदी दो जलाशय, भिलाई इस्पात संयंत्र को 9700 मिलियन घनफुट जल प्रदाय कर रहे थे। वर्ष 1990 में बीएसपी द्वारा जल पुनर्चक्रीय (रीसाइक्लिंग) अपनाने के कारण यह आवश्यकता कम हो गई और 6000 मिलियन घनफुट तक आ गई। परिणामतः इन दो जलाशयों की वचनबद्ध जल उपयोगिता काफी कम हो गई।

1998-99 में आंकलन के अनुसार खरखरा जलाशय द्वारा बीएसपी को केवल 1800 मिलियन घनफुट जल प्रदाय करना था तथा विभागीय गणना के अनुसार इस जलाशय में 2140 मिलियन घनफुट जल अतिरिक्त शेष रहता। अतिरिक्त शेष जल के उपयोग के लिए म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग ने 33.75 किमी लंबी अरेखीय खरखरा मोहदीपाट नहर (केएमसी) के निर्माण हेतु फरवरी 1999 में 23.81 करोड़ रूपए का प्रशासकीय अनुमोदन किया। नई नहर प्रणाली विद्यमान अरेखीय खरखरा प्रदायक (फीडर) नहर (केएफसी) के 8.5 किमी से निकाली गई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा (दिसंबर 2002) प्रशासकीय अनुमोदन 43.82 करोड़ रूपए संशोधित किया गया। निष्पादन पर कुल राशि 20.82 करोड़ रूपए खर्च की गई थी (अप्रैल 2005)।

आंकलित अतिरिक्त शेष 2140 मिलियन घनफुट जल छः हेक्टेयर प्रति मिलियन घनफुट दर से, 12145 हेक्टेयर खरीफ फसल को सिंचित करने के लिए परियोजना पर विचार किया गया।

तथापि, संचारण हानियों हेतु अतिरिक्त शेष जल का विभागीय आंकलन अरेखीय नहर प्रणाली में नहीं दिया गया था। बोधी⁶, भोपाल द्वारा जारी (दिसम्बर 1988) तकनीकी परिपत्र के अनुसार एक अरेखीय नहर में 44 प्रतिशत जल संचारण हानि होना थी जो कि इस परियोजना हेतु 915 मिलियन घनफुट निकाली गई थी। आगे, नहर के प्रारंभिक प्रसारों (रीचिस) हेतु सिंचाई आवश्यकता उचित रूप से आंकलित नहीं की गई थी। इन प्रसारों में 345 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए जल निकासी हेतु प्रावधान संबलपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना (एलआइएस) को शामिल करके बाद में जोड़ा गया (नवम्बर 2004)। इससे लक्षित कमान क्षेत्र में जल उपलब्धता 60 मिलियन घनफुट तक कम हो गई। इस प्रकार, केएमसी हेतु वास्तविक जल उपलब्धता कमान क्षेत्र सिंचाई हेतु प्रक्षेपित 2140 मिलियन घनफुट के विरुद्ध मात्र 1165 मिलियन घनफुट रह जाएगी।

⁶ बोधी: ब्यूरो आफ डिजाइन हाइडल एंड ईरिगेशन।

इस प्रकार, 12145 हेक्टेयर लक्षित कमान क्षेत्र के विरुद्ध छः हेक्टेयर प्रति मिलियन घनफुट की दर से मात्र 6990 हेक्टेयर हेतु वास्तविक सिंचाई संभव होगी। कमान क्षेत्र घटने के कारण उसकी निर्माण लागत प्रति हेक्टेयर 36,000 रूपए (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनानुसार) से बढ़कर 63,000 रूपए हो जाएगी तथा परियोजना से उद्भूत लाभ भी वस्तुतः 40 प्रतिशत के अधिक से कम हो जाएंगे।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (जून 2005) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अपनाई गई छः हेक्टेयर प्रति मिलियन घनफुट सिंचाई की मानक ड्यूटी में सभी संचारण हानियां तथा वाष्पीकरण शामिल हैं एवं जोड़ा था कि प्रस्तावित सिंचाई में कमी नहीं आएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्य पत्राचारों/अभिलेखों में कार्यपालन अभियंता द्वारा व्यक्त किए गए विचार परस्पर विरोधी थे, जिसमें उसने अपनी टीप में स्वीकार किया था कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रक्रम पर संचारण हानियां 44 प्रतिशत हद तक पूर्व दर्शित नहीं थी तथा अपने अर्द्धशासकीय पत्र जो कि मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को संबोधित किया गया था, में निवेदन किया था कि केएमसी हेतु नहर रेखीकरण (लाइनिंग) पर विचार किया जाए क्योंकि संचारण हानियों के कारण सिंचाई कमान लगभग 30 प्रतिशत असिंचित रह जाएगा।

3.2.13 आवश्यक भू-अर्जन बिना कार्यों की स्वीकृति तथा शुरुआत

राज्य के 32 जल संसाधन संभागों में निर्माणाधीन मध्यम तथा लघु परियोजनाओं के लिए अर्जन हेतु 15013 हेक्टेयर भूमि अभिज्ञापित की गई जिसमें से मार्च 2005 तक मात्र 7838 हेक्टेयर (52 प्रतिशत) भूमि का अर्जन हुआ। जल संसाधन विभाग द्वारा भू अर्जन अधिकारियों को जमा राशि 100.70 करोड़ रूपए में से मार्च 2005 तक 51.36 करोड़ रूपए भूमि मुआवजा हेतु वितरित किए गए। शेष राशि 49.34 करोड़ रूपए भू अर्जन अधिकारियों द्वारा बचत बैंक खातों में रखी गई थी।

बिना पूर्ण भू अर्जन के परियोजनाओं का निष्पादन प्रारंभ कर दिया गया

चार⁷ जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि तीन निर्माणाधीन मध्यम तथा 26 लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति जिन पर 116.17 करोड़ रूपए पहले ही व्यय किए जा चुके थे, 1617 हेक्टेयर भू अर्जन न होने के कारण रूक गए। 25.37 करोड़ रूपए का भू अर्जन अग्रिम, संबंधित भू अर्जन अधिकारियों के बचत बैंक खातों में अवरूद्ध हो गया।

3.2.14 वनभूमि निराकरण प्राप्त किए बिना कार्य का आरंभ

वनभूमि संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार, वनक्षेत्र में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोई सिविल कार्य आरंभ नहीं किए जायें। मध्यप्रदेश शासन ने भी निर्देश जारी किए थे (सितंबर 1990) कि कोई कार्य, बिना वनभूमि निराकरण के निष्पादन हेतु आरंभ नहीं किए जाने चाहिए।

एक सौ चौरासी हेक्टेयर वनभूमि का निराकरण न होने से 10.66 करोड़ रूपए का निष्फल व्यय

दो मुख्य अभियंताओं के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 184 हेक्टेयर वनभूमि निराकरण की आवश्यकता होते हुए भी माह नवंबर 2000 एवं मार्च 2004 के

⁷ परियोजना संभाग, सूतियापाट, मोंगरा एवं खरखरा तथा तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग

मध्य 11 लघु सिंचाई परियोजनाएं निष्पादन हेतु आरंभ की गईं। प्रकरणों का निराकरण अभी तक प्रतीक्षित था (मार्च 2005)। इन परियोजनाओं पर 10.66 करोड़ रूपए व्यय किए गए जिनसे आज दिनांक तक कोई लाभ या प्रतिलाभ नहीं हुआ क्योंकि परियोजनाएं अनेक वर्षों से अपूर्ण पड़ी थीं।

परियोजनाओं का निष्पादन

निष्पादन, निविदाओं तथा ठेकों के प्रदान करने में विभिन्न अपर्याप्तताओं के कारण परियोजनाओं की दक्षता विपरीत रूप से प्रभावित हुई तथा व्यय लाभों के अनुरूप नहीं थे एवं अधिक/अतिरिक्त व्यय के अवसर थे। विशिष्ट उदाहरण सविस्तार नीचे दिए गए हैं -

3.2.15 अतिरिक्त भुगतान

मिट्टी कार्य के गलत तथा अधिक मापों के कारण 9.86 लाख रूपए का अतिरिक्त भुगतान

खरखरा मोहदीपाट नहर (केएमसी) के किमी 0 से 6 तथा किमी 13.05 से 16 तक का निर्माण कार्य दो ठेकेदारों को 56.10 लाख रूपए एवं 1.16 करोड़ रूपए के लिए क्रमशः जुलाई 2002 तथा फरवरी 2003 में प्रदान किया गया था। ठेकेदारों ने 2,34,473 घनमीटर मिट्टी कार्य की सकल मात्रा के विरुद्ध 2,66,504 घनमीटर मिट्टी की खुदाई की। लेखापरीक्षा द्वारा परिलक्षित हुआ कि मापों को अभिलिखित करते समय भू-तलों (लेवल) को लेवल पुस्तिका में अभिलिखित सर्वेक्षित भू-तलों तथा एल-सेक्शन की तुलना में 0.12 मी. से 2.55 मी ऊंचा होना दर्शाया गया। सर्वेक्षित तलों (लेवल) से इस विभिन्नता के कारण 32,031 घनमीटर अधिक मिट्टी कार्य हेतु 9.86 लाख रूपए अतिरिक्त भुगतान किए गए।

केएमसी में मिट्टी कार्य तथा 26 पक्के कार्य (स्ट्रक्चर्स) (किमी 19 से 33.50) का निर्माण कार्य दो अलग-अलग अनुबंधों के माध्यम से एक ठेकेदार को प्रदान किया गया। उसे 1.27 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया तथा धीमी प्रगति के कारण उसके ठेके समाप्त कर दिये गये। अंतिम मापों से प्रकट हुआ कि चल लेखा देयकों में 8.33 लाख रूपए का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली नहीं हुई (जून 2005)।

कार्यपालन अभियंता ने बताया (जून 2005) कि मिट्टी कार्य के संबंध में भू सतह तरंगायित थी तथा निष्पादित लेवल सर्वेक्षित लेवलों से परस्पर संबंधित नहीं हो सके जो कि अंतर्वर्ती स्थितियों में लिए गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सर्वेक्षित लेवलों की तुलना में प्रारंभिक लेवलों में विभिन्नता हेतु औचित्य अभिलेख द्वारा समर्थित नहीं था। समाप्त किए गए ठेकों के संबंध में कार्यपालन अभियंता ने उत्तर दिया (मार्च 2005) कि ठेकेदार के देयधन से वसूली की जाएगी।

3.2.16 रूपांतरण में पश्च निविदा परिवर्तनों के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ

अनुबंध के पश्चात फाटकों के रूपांतरण में परिवर्तन के कारण ठेकेदार को 1.58 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से नक्शों (ड्राइंग्स) का निराकरण कराये बिना मोंगरा बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना (ठेका की अनुमानित लागत 40.56 करोड़ रूपए) का निर्माण कार्य एकमुश्त ठेका पर 69.82 करोड़ रूपए का (ठेका की अनुमानित लागत के मूल्यांकन से 72.15 प्रतिशत अधिक पर) एक ठेकेदार को फरवरी 2004 में प्रदान किया गया था। अनुबंध में 51629 रूपए प्रति मैट्रिक टन (एमटी) की दर से देय 2056.59 एमटी संपूर्ण वजन के दो टियर नौ नंबर लंबवत फाटकों (15मी x 6मी) के फेब्रीकेशन,

प्रदाय तथा खड़ा करने (इरेक्शन) का प्रावधान था। मद सीडब्ल्यूसी की अनुशंसा (दिसम्बर 2004) प्राप्त होने पर 14.50 मी x 8.55मी आकार के 10 रेडियल फाटकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यद्यपि संपूर्ण वजन में कोई परिवर्तन नहीं था किंतु एकीकृत दर अनुसूची (1998) के अनुसार प्रतिस्थापित मद 47,175 रूपए प्रति एमटी के हिसाब से देय था। भुगतान उच्च दर पर किया गया तथा 4,454 रूपए प्रति एमटी के अंतर के कारण ठेकेदार को 1.58 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ मिला।

कार्यपालन अभियंता ने बतलाया (जून 2005) कि लंबवत फाटकों का रेडियल फाटकों से प्रतिस्थापन सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित था तथा कहा कि रेडियल फाटकों में अतिरिक्त पुर्जो तथा फेब्रीकेशन औजारों की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था। अनुमोदित रेडियल फाटकों का भुगतान एकीकृत दर अनुसूची के अनुसार होना चाहिए था तथा यदि अतिरिक्त पुर्जो एवं औजारों के कारण अतिरिक्त भुगतान औचित्यपूर्ण था तो उसे, यदि ग्राह्य था, आंकलन कर अलग से भुगतान करना चाहिए था।

3.2.17 गतिशीलन (मोबिलाइजेशन) अग्रिम तथा ब्याज की वसूली न होना

सूतियापाट मध्यम परियोजना हेतु ठेकेदार को 42 लाख रूपए का गतिशीलन अग्रिम भुगतान किया गया (जनवरी 2004) जो कि सात प्रतिशत ब्याज सहित वसूली योग्य था। मई 2005 में ठेका समाप्त कर दिया गया था (धीमी प्रगति के कारण) उस समय तक मात्र 2 लाख रूपए वसूल किए गए थे। शेष 44.04 लाख रूपए (मूलधन: 40 लाख रूपए तथा ब्याज: 4.04 लाख रूपए) की वसूली मई 2005 तक नहीं की गई थी। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि वसूली करने हेतु मुख्य अभियंता से अनुदेश चाहे जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ब्याज सहित बकाया अग्रिम की वसूली अनुबंधानुसार स्पष्टतया आवश्यक है तथा आगे अनुदेशों की आवश्यकता नहीं थी।

3.2.18 ठेकेदार को अनुचित लाभ

दो करोड़ पंद्रह लाख रूपए का अग्रिम भुगतान करने से ठेकेदार को अनुचित लाभ

बिलासपुर व्यपवर्तन लघु सिंचाई परियोजना में बिलासपुर हावड़ा रेल्वे लाइन से एक नहर क्रासिंग के निर्माण की आवश्यकता थी। कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन खारंग संभाग, बिलासपुर द्वारा दिसंबर 2004 में रेल्वे ठेकेदार (राइट्स) के साथ अनुबंध किया गया, जैसा कि रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा चाहा गया था तथा वर्षाकाल सहित 12 माह के अंदर पूर्ण करने हेतु 3.37 करोड़ रूपए का कार्य आदेश जारी किया गया था। 1.58 करोड़ का अधिकतम अग्रिम भुगतान हेतु अनुबंध में शर्त थी। यद्यपि जुलाई 2005 तक कार्य आरंभ नहीं हुआ था फिर भी 3.73 करोड़ रूपए का पूर्ण अग्रिम भुगतान किया गया था (मार्च 2005 तक)। परिणामस्वरूप ठेकेदार को 2.15 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ दिया गया। कार्यपालन अभियंता ने (जुलाई 2005) उत्तर दिया कि निष्पादन में गति लाने हेतु रेल्वे ठेकेदार द्वारा मांगने पर पूर्ण अग्रिम भुगतान किया गया था। उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि ठेकेदार की मांग की ओर ध्यान न देते हुए (अनपेक्ष करते हुए) अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान अनुज्ञेय नहीं था। इसके अतिरिक्त, शीघ्र निष्पादन हेतु दिया गया औचित्य भी अस्वीकार्य था क्योंकि कार्य प्रदान करने के छः माह पश्चात भी ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ नहीं किया था।

3.2.19 त्रुटिकर्ता ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत वसूल न होना

कार्यो हेतु अनुबंध की धारा 4.3.3 निर्दिष्ट करती है कि कार्यपालन अभियंता ठेकेदार द्वारा अपूर्ण छोड़े गए कार्यो को अन्य ठेकेदार को सौंप सकता है अथवा त्रुटिकर्ता ठेकेदार की जोखिम तथा लागत पर विभागीय रूप से पूर्ण करा सकता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हल्दीमुंडा व्यपवर्तन लघु सिंचाई परियोजना (जशपुर) की बांयी तट मुख्य नहर के चेन⁸ क्रमांक 264 से 497 तक के मिट्टी कार्य तथा 19 पक्के कार्यो (स्ट्रक्चर्स) एवं अमदानिया व्यपवर्तन परियोजना (राजनादगांव) की बांयी तट मुख्य नहर के चेन 165 से 203 तक के मिट्टी कार्य तथा स्ट्रक्चर्स के ठेकों को विभिन्न ठेकेदारों को प्रदान किया गया था परंतु उनके द्वारा अपूर्ण छोड़ दिए गए। ये त्रुटिकर्ता ठेकेदारों की जोखिम तथा लागत पर अन्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराना थे। 17.76 लाख रूपये जैसा कि ब्यौरा परिशिष्ट-3.3 में दिया गया है, त्रुटिकर्ता ठेकेदारों से वसूल नहीं किए गए थे (सितंबर 2005)।

3.2.20 कार्य का अनियमित प्रदान

एकल बोलियों के अलावा जिसमें कि ठेका को प्रदान करने की शक्ति अगले उच्च प्राधिकारी को है मुख्य अभियंता एक करोड़ रूपए तक के ठेकों को प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। 68.35 लाख रूपये की अनुमानित लागत सहित मासाभाट वितरणिका (मध्यम सिंचाई परियोजना) तथा उसकी पांच नहरों के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता द्वारा एकल निविदा स्वीकार की गई तथा एक ठेकेदार (मेसर्स आर.एस.तिवारी) को 91.58 लाख रूपए हेतु एकीकृत दर अनुसूची (यूएसआर) से 33.99 प्रतिशत अधिक पर दिसंबर 2003 में कार्य प्रदान किया गया यद्यपि यह उसकी शक्तियों के अंदर नहीं था। इसी परियोजना में एक समरूप कार्य (मटेवा वितरणिका अनुमानित लागत 50.07 लाख रूपए) इसी माह में अन्य ठेकेदार (मेसर्स एस.एस.बिल्डर्स, दुर्ग) को 6.038 प्रतिशत कम यूएसआर पर प्रदान किया गया था। 40 प्रतिशत उच्चतर दरों की निविदा स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 36.65 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत आई। इसके अलावा, एकल निविदा होने के कारण यह प्रमुख अभियंता के क्षेत्र के अंदर आती थी परंतु मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार रायपुर द्वारा अनियमित रूप से निर्णीत कर स्वीकृत की गई थी।

3.2.21 कार्यो का विभाजन

संयुक्त कार्य को विभाजित कर उच्चतर दरों पर प्रदाय करने के फलस्वरूप 1.46 करोड़ रूपए की अतिरिक्त लागत।

अनुदेशानुसार एक करोड़ रूपए तक की अनुमानित लागत के कार्य मुख्य अभियंता द्वारा, एक करोड़ रूपए से 1.5 करोड़ रूपए तक के प्रमुख अभियंता द्वारा तथा 1.5 करोड़ रूपए से अधिक के शासन द्वारा निविदित तथा प्रदान किए जा सकते हैं। अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि कई अवसरों में, संयुक्त कार्य विभाजित कर निम्न प्राधिकारी द्वारा पृथक-पृथक निविदित तथा प्रदान किए जा रहे थे, इस प्रकार उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से पूर्ण रूप से बच कर निकल रहे थे। यह विभिन्न स्तरों पर निर्णय करने की वित्तीय सीमाओं को लागू करने का रचना कार्य का संपूर्ण विलयन था तथा मूल वित्तीय नियंत्रण को संपूर्ण रूप से निष्प्रभावी करता है। प्रचलित विवशताओं, शासन के

⁸ चेन: 30 मीटर फैलाव की चालू दूरी

लाभदायक घटकों जैसे अनेक लघु ठेकेदारों से बड़ी स्पर्धा के कारण कम दरें, ठेकेदारों की अनुपलब्धता जो बड़े संयुक्त कार्य कर सकें इत्यादि का हवाला देते हुए इस कार्यवाही को सामान्य रूप से औचित्यपूर्ण माना था। ऐसे समर्थन/औचित्य स्वीकार्य नहीं थे। यदि संयुक्त कार्यों का विभाजन कार्यों के हित में आवश्यक था तो विभाजन हेतु औचित्य का हवाला देते हुए सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए थे तथा ये उसके अनुमोदन से किए जा सकते थे। तथापि, इस निर्णय निर्मिति शक्ति का निम्न प्राधिकारी अनधिकार स्वत्व जमा रहे थे जो कि अत्यंत अनियमित था। नमूना जांच में ऐसे अनेक प्रकरण ध्यान में आए जिनमें विभाजन किया गया, परिणामस्वरूप 1.46 करोड़ रूपए की अतिरिक्त लागत आई, जो नीचे दिए गए हैं -

अनुमानित लागत 3.93 करोड़ रूपये सहित खरखरा मोहदीपाट नहर के आरडी 0 से 13050 मी तक का मिट्टी कार्य तथा स्ट्रक्चर्स का निर्माण तीन समूहों में विभाजित किया गया। विभाजन के पश्चात मुख्य अभियंता, महानदी-गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर द्वारा दिसंबर 2001 एवं अगस्त 2003 के मध्य निविदाएं स्वीकृत की गईं जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में दिया गया है। चूंकि कार्यों का संयुक्त मूल्य 3.93 करोड़ रूपए था, निविदाओं को स्वीकृत करना राज्य शासन की सीमा के अंदर था। विभाजन करने से 4.74 प्रतिशत एवं 22.36 प्रतिशत के मध्य उच्चतर दर पर कार्य प्रदान करने के फलस्वरूप 30.80 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत आई।

दो सौ सतहत्तर लाख सन्तानवे हजार रूपए लागत का चापी लघु सिंचाई तालाब की मुख्य नहर आरडी 0 से 12000 मीटर तक का मिट्टी कार्य (जल संसाधन संभाग, पेंड्रारोड) तीन समूहों में विभाजित किया गया अर्थात् आरडी 0 से 4500 मीटर (ठेके की अनुमानित राशि 72.98 लाख रूपए), आरडी 4500 से 8000 मीटर (ठेके की अनुमानित राशि 107.83 लाख रूपए) तथा आरडी 8000 से 12000 मीटर (ठेके की अनुमानित राशि 97.16 लाख रूपए)। मुख्य अभियंता हसदेव कछार, बिलासपुर ने अक्टूबर 2002 एवं मई 2003 के मध्य क्रमशः तीन ठेकेदारों की निम्नतम दरें 17.15 प्रतिशत, 2.09 प्रतिशत तथा 30.89 प्रतिशत एकीकृत दर अनुसूची से अधिक स्वीकृत की थीं। समान निरंतर प्रसारों (शीचिस) के दो समूहों में निविदाओं की उच्चतर दर की स्वीकृति के फलस्वरूप 38.97 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत आई। संयुक्त कार्य शासन के क्षेत्र में था।

लागत 3.71 करोड़ रूपये का अमनेर मोतीनाला लघु सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर के चैन 330 मी से 815 मी तक के निर्माण का संयुक्त कार्य छः समूहों में विभाजित कर एकल ठेकेदार को छः विभिन्न मद दर अनुबंधों पर 5.79 प्रतिशत कम एवं 8.76 प्रतिशत 1998 से प्रभावशाली एकीकृत दर अनुसूची से अधिक दरों पर प्रदान किया गया (मई 2000-जून 2001) कार्य को छः समूहों में विभाजित कर शासकीय स्वीकृति का परिवर्जन किया गया। विभाजन तथा उन्हें एकीकृत दर अनुसूची से 5.79 प्रतिशत निम्नतम दर के संदर्भ में उच्चतम दरों पर कार्य प्रदान करने के परिणामस्वरूप 35.63 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि **परिशिष्ट-3.5** में दर्शाया गया है। मुख्य अभियंता ने उत्तर दिया (जून 2005) कि कुछ स्थलों में अनेकों समस्याओं के कारण, जैसे भू-अर्जन इत्यादि, एक समय में संपूर्ण नहर विस्तार निष्पादित कराना व्यवहार्य नहीं था। यही कारण शासन को बताकर ठेका विभाजन पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए था।

तीन सौ तिरेपन लाख छब्बीस हजार रूपए की अनुमानित लागत का हल्दीमुंडा व्यपवर्तन लघु सिंचाई परियोजना के चेन क्रमांक 0 से 497 तक का मिट्टी कार्य तथा 39 पक्के कार्यों (मेसनरी स्ट्रक्चर्स) का निर्माण तीन निविदाओं में विभाजित किया गया तथा मई तथा जून 2002 के मध्य मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत किए गए।

स. क्र.	निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक	कार्य का ब्यौरा	अनुमानित लागत (लाख रूपए में)	ठेके की राशि (लाख रूपए में)	निविदा प्रतिशत
1.	2/एसएसी/ 2001-02, दि.30.7.2001	दांयी तट मुख्य नहर चेन 0 से 48, 4 मेसनरी स्ट्रक्चर्स	64.08	76.71	18.04 % अधिक
2.	--तदेव--	चेन 48 से 264 26 मेसनरी स्ट्रक्चर्स	116.06	127.70	10.98 % अधिक
3.	--तदेव--	चेन 264 से 497 19 मेसनरी स्ट्रक्चर्स सहित	173.12	157.57	8.98 % कम

संपूर्ण कार्य शासन द्वारा प्रदान करना चाहिए था तथा अनुक्रमांक 1 एवं 2 हेतु उच्चतर दर पर कार्य का प्रदान करके, संयुक्त कार्य का विभाजन के परिणामस्वरूप 40.45 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत आई। मुख्य अभियंता ने उत्तर में बताया (अगस्त 2005) कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा कार्यक्रम अनुमोदित होने के आधार पर निविदा आमंत्रण सूचनाएं (एनआईटी) जारी की गई थी। तथापि, निविदाओं के विभाजन हेतु औचित्य नहीं दिया गया था।

3.2.22 मिट्टी कार्य तथा संहतिकरण का अनियमित निष्पादन

ठेकेदारों के माध्यम से, जबकि विभागीय मशीनें कार्यहीन थीं, 8.79 करोड़ रूपए लागत के संहतिकरण कार्यों का अनियमित निष्पादन

मध्यप्रदेश शासन के अनुदेश (यथा अपनाए गए) सम्भृत करते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं हेतु सन्निहित 5,000 घनमीटर से अधिक मात्राओं के मिट्टी कार्य तथा संहतिकरण मात्र विद्युत एवं यांत्रिकीय (इं एंड एम) संरचना की मशीनों द्वारा निष्पादित करना थे। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रमुख अभियंता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात ठेकेदारों का उपयोग करना था। वर्ष 2002-05 में 8.79 करोड़ रूपए का मिट्टी कार्य तथा संहतिकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ठेकेदारों के माध्यम से खरखरा, पेंडारोड तथा तांदुला संभागों द्वारा निष्पादित कराया गया। प्रमुख अभियंता के अभिलेख दर्शाते हैं कि इसी अवधि के दौरान विद्युत एवं यांत्रिकीय, रायपुर, बिलासपुर तथा रूद्री संभागों में 36 मशीनें कार्यहीन पड़ी थीं।

अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बगैर जबकि विभागीय मशीनें कार्यहीन थीं, 8.79 करोड़ रूपए का ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन अनियमित था। कार्यपालन अभियंताओं, पेंडारोड तथा खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग दुर्ग ने उत्तर में बताया कि विद्युत एवं यांत्रिकीय की मशीनें अत्यंत पुरानी, कार्याक्षम तथा बन्द होने की ओर उन्मुख थीं।

बताई गई विवशताओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत एवं यांत्रिकीय संरचना के माध्यम से मिट्टी कार्य के निष्पादन के संबंध में विभागीय अनुदेशों की शासन स्तर पर समीक्षा की आवश्यकता है।

3.2.23 मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का रखरखाव

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (अपनाया गया) में विभिन्न परियोजनाओं की नहर प्रणालियों के चालन तथा रखरखाव को जल उपभोक्ता संथाओं (डब्ल्यूयूए) द्वारा 40 रूपए प्रति हेक्टेयर के भुगतान पर सौंपने हेतु व्यवस्था की गई है। नवंबर 2000 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान 732 जल उपभोक्ता संथाओं को 6.37 करोड़ रूपए का कुल संधारण अनुदान प्रदाय किया गया।

नहरों के रखरखाव हेतु 149 जल उपभोक्ता संथाओं को 1.70 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। रखरखाव कार्यों के लेखे उपलब्ध नहीं थे।

पांच⁹ जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि यद्यपि 149 जल उपभोक्ता संथाओं को 1.70 करोड़ रूपए के अनुदान भुगतान किए गए थे परंतु न तो अनुदानग्रहीता जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा जल संसाधन संभागों को लेखा/उपयोगिता प्रमाणपत्र और न ही निष्पादित किए गए रखरखाव कार्यों के ब्यौरे प्रस्तुत किए थे। परिवीक्षण का कोई तंत्र नहीं था कि क्या अनुदान, रखरखाव हेतु उपयोग किए जा रहे थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी प्रकट हुआ कि विभाग अन्य योजनाओं की निधियों का उपयोग करके नहर प्रणालियों का अभी भी रखरखाव कर रहा था। वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के दौरान रोजगार जनित कार्यक्रम द्वारा निधित 3.91 करोड़ रूपए जल संसाधन संभाग मुंगेली, खारंग तथा खरखरा मोहदीपाट ने रखरखाव पर व्यय किए। चूंकि जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा किये गये रखरखाव की कोई जानकारी नहीं थी, यह आंकलन करना संभव नहीं था कि क्या रखरखाव कार्यों में कोई अतिच्छादन (ओवरलेप) था। यह अवलोकन किया गया था कि जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा रखरखाव के रचनाकार्य को उल्लेख करने वाले प्रचलित नियम तथा विनियमों, उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों, परीवीक्षण एवं लेखातंत्रों इत्यादि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव देने के लिए नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार, रखरखाव अनुदान जल उपभोक्ता संथाओं को बिना किसी परिवीक्षण या जवाबदेयिता के संवितरित किया जा रहा था।

3.2.24 सिंचाई क्षमता का उपयोग

राज्य में 38 (30 निर्मित तथा 8 निर्माणाधीन) मध्यम सिंचाई परियोजनाएं एवं 2515 (2067 निर्मित तथा 448 निर्माणाधीन) लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनकी मार्च 2005 में कुल रूपांकित क्षमता क्रमशः 268367 तथा 664505 हेक्टेयर थी। 2000-01 से 2004-05 के दौरान सिंचाई स्थिति निम्नवत है -

⁹ खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, जल संसाधन संभागों, तांदुला दुर्ग, खारंग बिलासपुर, पेंडारोड तथा मुंगेली।

(क्षेत्र हेक्टेयरों में)

नौ लाख तैंतीस हजार हेक्टेयर रूपांकित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध सृजित क्षमता मात्र 7.49 लाख हेक्टेयर थी। उपयोगी क्षमता 4.52 लाख हेक्टेयर अभी भी निम्न थी।

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	सृजित क्षमता की उपयोगिता का औसत प्रतिशत
मध्यम सिंचाई परियोजनाएं						
परियोजनाओं की संख्या निर्माणाधीन	7	7	6	8	8	70.44
निर्मित	29	29	30	30	30	
रूपांकित क्षमता	256867	256867	256867	268367	268367	
सृजित क्षमता	223647	223647	224682	224682	224682	
उपयोगी क्षमता	99806	187489	157143	165976	179667	
उपयोगिता का औसत	44.62	83.83	69.94	73.87	79.96	
लघु सिंचाई परियोजनाएं						
परियोजनाओं की संख्या निर्माणाधीन	377	377	416	448	448	43.61
निर्मित	1981	1981	2017	2067	2067	
रूपांकित क्षमता	628630	628630	644818	664505	664505	
सृजित क्षमता	487724	487724	504254	524214	524214	
उपयोगी क्षमता	171996	267478	202387	188129	272328	
उपयोगिता का औसत	35.26	54.84	40.13	35.88	51.94	

2000-01 से 2004-05 तक बजट आवंटन तथा व्यय में प्रायः तिगुनी बढ़ोत्तरी हुई है एवं निर्मित परियोजनाओं की संख्या 2010 से 2097 तक बढ़ी थी किंतु इस अवधि में उपयोगिता प्रायः स्थितिशील रही तथा अनुवर्ती वर्षों में ह्रास ही हुई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं की सृजित क्षमता की औसत उपयोगिता (43.61 प्रतिशत) मध्यम परियोजनाओं (70.44 प्रतिशत) की तुलना में निम्न रही।

तीन¹⁰ संभागों तथा एक मुख्य अभियंता¹¹ के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 19669 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली 127 लघु परियोजनाओं की उपयोगिता गत पांच वर्षों के दौरान शून्य रही थी। यह 12 परियोजनाओं में रखरखाव की कमी, नौ परियोजनाओं में बांध तथा कछार के माध्यम से रिसाव, 67 परियोजनाओं में कमान (सैच्य क्षेत्र) का परस्पर व्याप्त होना (ओवरलेप), नौ परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण, चार परियोजनाओं में विद्युत देयकों का भुगतान न करने के कारण विद्युत विच्छेदन, 13 परियोजनाओं में कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु अनुबंध निष्पादित न करना थे।

¹⁰ तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग दुर्ग, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर।

¹¹ मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर।

जल संसाधन संभाग खारंग द्वारा 13 परियोजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं दी गई, चूंकि यह उपलब्ध नहीं थी। विभिन्न संभागों के कार्यपालन अभियंताओं ने निम्न उपयोगिता हेतु उपरोक्त कहे गए कारणों को स्वीकार किया परंतु उपयोगिता के उन्नत करने हेतु उठाए गए कदमों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

3.2.25 परिवीक्षण

कम निष्पादन हेतु कारण पर्याप्त रूप से परिवीक्षित तथा मूल्यांकित नहीं किए गए थे

प्रमुख अभियंता तथा मुख्य अभियंता कार्य विभाग नियमावली में विहित/निर्धारित नियतकालिकता के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण संचालित कर रहे थे। तथापि, समस्याग्रस्त क्षेत्रों हेतु कारण जैसे सिंचाई क्षमता में गिरावट, अनेक परियोजनाओं में शून्य सिंचाई, विभिन्न निर्माण कार्यकलापों में विलंब आदि, प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंताओं के पास उपलब्ध नहीं थे एवं लेखापरीक्षा पूछताछ में बताया गया कि ये ब्यौरे निष्पादन संभागों से सतत रूप से मांगे गए थे। इस प्रकार, यद्यपि निरीक्षण किए जा रहे थे किंतु ये अत्यंत अप्रभावी तथा सामान्य प्रकृति के थे क्योंकि समस्याओं हेतु कारण तथा कम निष्पादन प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं द्वारा पर्याप्त रूप से परिवीक्षित तथा मूल्यांकित नहीं किए गए थे। इस तरह, परिवीक्षण तंत्र सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

3.2.26 उपसंहार

एक लाख पांच हजार हेक्टेयर (मध्यम:0.50 लाख हेक्टेयर: लघु: 0.55 लाख हेक्टेयर) की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को सृजन करने का लक्ष्य मार्च 2007 तक अधिक परिमाण में अप्राप्त रहा। सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 31 मार्च 2005 तक मात्र 0.37 लाख हेक्टेयर थी (मध्यम: 0.01 लाख हेक्टेयर लघु: 0.36 लाख हेक्टेयर)। धीमी प्रगति मुख्य रूप से दोषपूर्ण स्थल चयन, त्रुटिपूर्ण अनुमान अतिच्छादित (ओवरलेप) कमान क्षेत्र, भू-अनार्जन इत्यादि के कारण थी। अतिरिक्त व्यय तथा निविदा एवं संविदाओं के प्रदान करने में अनियमिततायें इसके उदाहरण थे जिससे कि लागतें उँची हुईं। जल उपभोक्ता संथाओं को सोंपे गये नहर प्रणालियों के चालन तथा रखरखाव हेतु भुगतान किए गए रखरखाव अनुदानों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए कोई परिवीक्षण तंत्र नहीं था। सिंचाई क्षमता की उपयोगिता में कमी उच्चतः 40 प्रतिशत थी।

3.2.27 अनुशंसाएं

- प्रमुख अभियंता तथा मुख्य अभियंताओं द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को जारी आवंटनों को उचित ढंग से नियंत्रित करना चाहिए।
- परियोजना व्यवस्थापन में निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए तथा पूर्ण सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के पश्चात निष्पादन आरंभ करना चाहिए।
- भू अर्जन तथा वनभूमि निराकरण जैसी समस्याओं से ग्रसित रूकी हुई परियोजनाओं में निधियों की अवरुद्धता को टालने के लिए, इन्हें कार्य निष्पादन के पूर्व ही कर लेना चाहिए।
- अपूर्ण परियोजनाओं के पुनर्जीविकरण हेतु प्रस्तावों की विस्तार से संवीक्षा की जानी चाहिए। यह निरूपित करने के लिए कि क्या पूर्व में प्रगति में रूकावट डालने वाली समस्याएं सुलझा ली गई हैं।

- जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा, निर्मित परियोजनाओं के रखरखाव के परीक्षण हेतु उपयुक्त तंत्र पुनःस्थापित करना चाहिए।

उपरोक्त बिंदु/अभ्युक्तियां शासन को भेजी गई थीं (सितंबर 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

चौथा अध्याय

लेन देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

4.1 कपटपूर्ण आहरण/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/अधिक भुगतान

वन विभाग

4.1.1 आरा मिलों के भौतिक सत्यापन पर कपटपूर्ण व्यय

"आरा मिलों के भौतिक सत्यापन हेतु, उच्च अधिकारियों की बिना स्वीकृति एवं बजट प्रावधानों के वन संरक्षक द्वारा अनियमित आदेशों के जारी किए जाने से 2.29 करोड़ रूपए का कपटपूर्ण व्यय हुआ।

"म.प्र.काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984" (अंगीकृत) की धारा 7 के अनुसार आरा मिलों¹ के निरीक्षण हेतु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है। वनमंडल अधिकारियों को अनुज्ञप्ति हेतु पदासीन किया गया है।

वन संरक्षक वृत्त रायपुर, कार्यालय के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2005) में पाया गया कि अनुज्ञापित आरा मिलों के भौतिक सत्यापन हेतु मजदूरों के भुगतान पर माह अप्रैल 2003 से फरवरी 2004 तक राशि 2.29 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। सत्यापन दिसंबर 2002 और फरवरी 2004 के मध्य किया गया। इस निरीक्षण में सत्यापित आरा मिलों में मजदूरों द्वारा लट्टे फैलाने, मापने तथा पुनःथप्पीकरण का कार्य किया गया ताकि लट्टों की संख्या एवं घनत्व को आरा मिलों की स्टॉक पंजी से मिलान हो सके। इस प्रकार के कार्य करने हेतु उड़नदस्ते द्वारा वन अग्रिम आहरित किया गया और उसे मजदूरों को भुगतान प्रमाणकों के रूप में समायोजित किया गया। उड़नदस्ता वनसंरक्षक वृत्त रायपुर से संचालित किया गया जिसमें एक प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी और पांच वन रक्षक शामिल थे।

यह देखा गया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार आरा मिलों का निरीक्षण वनमंडल अधिकारियों द्वारा किया जाना था जबकि इसी प्रकार का कार्य वनसंरक्षक रायपुर के प्राधिकार से किया गया जिसमें अत्यधिक व्यय हुआ। वनसंरक्षक को किसी भी मद में अधिकतम व्यय हेतु 5 लाख रूपए तक की वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी जबकि अपनी

¹ आरा मिल से तात्पर्य ऐसा संयंत्र और मशीनरी है जिसमें लकड़ी की चिराई यांत्रिकी एवं विद्युत द्वारा की जाती है। जंगल विभाग से लट्टों की खरीद, चिराई और लकड़ी बेचने संबंधी अनुज्ञापत्र वनमंडल अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। आरा मिलों द्वारा मासिक पंजियां संधारित की जाती हैं जिसमें काष्ठ की प्राप्ति, चिराई एवं निस्तारण दर्शाये जाते हैं तथा उसका लेखा वनमंडल अधिकारियों (अनुज्ञापत्र प्रदाता अधिकारी) को प्रस्तुत करना होता है।

शक्तियों से परे 2 करोड़ रूपए इस कार्य हेतु स्वीकृत किए गए। सत्यापन हेतु कोई लेखा शीर्ष/बजट आबंटन उपलब्ध नहीं था एवं इस व्यय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन तैयार कर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। इन सारी प्रक्रियाओं को नजर अंदाज करते हुए बजट आबंटन के प्रावधानों के उल्लंघन में अनाधिकृत व्यय को छुपाने हेतु मुख्य शीर्ष "इमारती काष्ठ का राजकीय व्यापार" में लेखांकित किया गया। विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशानुसार (1989) आरा मिलों के भौतिक सत्यापन पर हुए व्यय को "इमारती काष्ठ का राजकीय व्यापार" के मद में शामिल करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया था।

वनसंरक्षक वृत्त रायपुर द्वारा जारी आदेश में व.मं.अधिकारी उदंती (जून 2003) और व.म.अधिकारी महासमुंद (अगस्त 2003) को उड़नदस्ता रायपुर वन वृत्त द्वारा प्रस्तुत सारे देयकों का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया। आदेशों में यह निर्देशित नहीं किया गया कि किस प्रकार के कार्यों के लिए, उड़नदस्ते द्वारा बिल दिए जाएंगे। उड़नदस्ता वनसंरक्षक वृत्त, रायपुर के प्रशासनिक अधिकार में था, इसलिए साधारणतः उसके द्वारा किया गया व्यय भी वृत्त कार्यालय द्वारा ही वहन किया जाना था। फिर भी आरा मिलों के भौतिक सत्यापन पर किया गया व्यय पांचों संभागों तथा वन संरक्षक वृत्त रायपुर में भारित किया गया।

अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक पांच² वन मंडलों और वन संरक्षक, रायपुर द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी उड़नदस्ते को 48 धनादेश राशि 2.91 करोड़ रूपए के जारी किए गए थे। इनमें 36 धनादेश ऐसे थे जिनकी राशि 2.77 करोड़ रूपए वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना कर (अक्टूबर 2003 में) आहरित किए गए थे, कार्यों के व्यय हेतु परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा धनादेश जारी करने की प्रतिदिन अधिकतम सीमा 1.5 लाख रूपए की थी तथा दूसरा धनादेश तभी जारी किया जाना था जब उपयोग किए गए पूर्व धनादेश की राशि 20,000 रूपए से कम हो। 36 धनादेश निर्धारित सीमा से अधिक राशि के थे जिनमें से 15 धनादेश³ 10 लाख रूपए से अधिक राशि के थे और सबसे अधिक धनराशि 13.98 लाख रूपए का धनादेश वन मंडलाधिकारी उदंती द्वारा जारी किया गया।

अत्यधिक संख्या में अनियमितताओं के पाए जाने पर, वनसंरक्षक रायपुर तथा पांच वनमंडलों के मासिक लेखों की समीक्षा की गई तथा राशि 2.29 करोड़ रूपए के 727 प्रमाणकों को आरा मिलों के भौतिक सत्यापन से संबंधित पाया गया तथा जिनका भुगतान अप्रैल 2003 से फरवरी 2004 की अवधि में किया गया।

प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि मजदूरों का भुगतान एक निस्तारण पत्रक द्वारा गैंगमैनों को किया गया। प्रत्येक गैंगमैन ने मजदूरों के समूह की ओर से भुगतान स्वीकार किया जो उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। यह देखा गया कि ज्यादातर प्रमाणकों में गैंगमैनों के हस्ताक्षर, उसी प्रमाणक में दो जगहों पर भिन्न पाए गए। कुछ प्रकरण ऐसे भी थे, जिनमें हस्ताक्षरों की स्पेलिंग उसी प्रमाणक में दो जगहों पर भिन्न थी। इसके अलावा सभी प्रमाणक संबंधित उप वनमंडलाधिकारियों द्वारा बिना सत्यापित एवं प्रमाणित

² उदंती, महासमुंद, धमतरी, रायपुर सामान्य और रायपुर पूर्व।

³ 10 धनादेश उदंती वनमंडल अधिकारी द्वारा, 4 धनादेश वन मंडल अधिकारी धमतरी द्वारा और एक धनादेश व.म.अधिकारी रायपुर पूर्व द्वारा जारी किए गए।

किए, वन संरक्षक तथा पांचों वन मंडलाधिकारियों द्वारा मान्य कर, भुगतान के लिए पारित किए गए। यह (जून 1990) में जारी विभागीय निर्देशों की अवहेलना थी, क्योंकि सभी प्रमाणक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उपवनमंडलाधिकारियों के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना था जो उप वनमंडल अधिकारी प्रमाणकों में दर्शाए गए कार्य का निरीक्षण कर प्रमाणक में सत्यापन टीप अंकित करेंगे कि कार्य संतोषजनक पाया गया और प्रमाणक भुगतान के लिए सही थे, तदुपरांत वन मंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर प्रमाणकों को भुगतान हेतु पारित करेंगे। इस प्रकार सभी कार्यालयों में, आरा मिलों के देयकों में एक स्तर की जांच को जान बूझकर नजरअंदाज किया गया। जबकि इन्हीं कार्यालयों के अन्य प्रमाणकों को उप वनमंडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया था।

प्रमाणकों के एक इलेक्ट्रॉनिक संकलन और विश्लेषण से यह पाया गया कि यद्यपि ज्यादातर आरा मिलें रायपुर संभाग के क्षेत्र में स्थित थी, आरा मिलों के सत्यापन से संबंधित ज्यादातर प्रमाणक उदंती और महासमुंद संभागों में लेखांकित किए गए। रायपुर, महासमुंद एवं धमतरी संभागों के क्षेत्राधिकार की आरा मिलों के सत्यापन से संबंधित 1.08 करोड़ रूपए का व्यय उदंती वन मंडल द्वारा किया गया, (कुल व्यय का 47 प्रतिशत) जिसमें अपने क्षेत्राधिकार के आरा मिलों के सत्यापन का एक भी प्रमाणक नहीं था।

सांख्यिकीय जानकारी जो प्रमाणकों से संकलित की गई, ने दर्शाया गया कि उड़नदस्ते के छः सदस्यों द्वारा तथाकथित निरीक्षण की कार्यवाही आश्चर्यजनक रूप से चलाई गई। 200 दिनों में 727 भौतिक सत्यापन किए गए। इसमें लकड़ी फैलाना, मापना और 2.63 लाख घ.मी. लकड़ी पुनःथप्पीकरण करना था जिसमें 28.32 लाख लट्टे, जो 13,844 मजदूरों द्वारा, 4,300 गैंगमैनों के अधीन 2.95 लाख मानव दिवस में किया गया। औसतन 70 मजदूर, प्रतिदिन प्रत्येक आरा मिलों में कार्यरत थे। इनमें से 33 दिन, ऐसे थे जब 15 से अधिक आरा मिलों का एक ही दिन में, भिन्न-भिन्न स्थलों का सत्यापन किया गया। सबसे ज्यादा 28 मिलों का सत्यापन एक दिन में किया गया। सौ का सत्यापन रविवार को प्रारंभ किया गया, आठ का सत्यापन 15 अगस्त 2003 को, चार का 2 अक्टूबर 2003 को, तीन का 1 नवंबर 2003 (छ.ग.राज्य स्थापना अवकाश दिवस) को किया गया। यह भौतिक रूप से असंभव कार्य था, जो धोखाधड़ी को इंगित करता है। उड़नदस्ते के सदस्यों के यात्रा देयकों के मिलान एवं परस्पर सत्यापन हेतु जांच की गई जिसमें यह देखा गया कि दस्ते के समस्त छः सदस्यों द्वारा जुलाई 2003 से फरवरी 2004 तक की अवधि के प्रस्तुत यात्रा देयकों में, एक ही स्थान के लिए, समान यात्राएं दर्शाई गई थी, जो एक जैसी यात्राएं थीं। यात्रा देयकों के अनुसार दस्ते द्वारा साधारणतः जिन स्थानों की यात्राएं की गई वे उन दिनों सत्यापित की गई आरा मिलों के स्थान से भिन्न थी, जो धोखाधड़ी का दूसरा संकेत था। इस अवधि में जब वे इस स्तर के निरीक्षण के कार्य में लगे थे, तब उन्होंने 244 दिनों में विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे जीप, टैक्सी, मोटर साइकिलों में कुल 2.87 लाख कि.मी. की यात्राएं भी की थीं।

वन संरक्षक रायपुर ने अपने क्षेत्राधिकार के 523 अनुज्ञप्त आरा मिलों की एक सूची उपलब्ध कराई। जिसमें से 269 आरा मिलों का भौतिक सत्यापन उड़नदस्ते द्वारा किया

गया। इस सूची का प्रमाणकों से मिलान करने पर चौंकाने वाले अंतर पाए गए। जिन 132 आरा मिलों का भुगतान किया गया वह 269 आरा मिलों की सूची में शामिल नहीं थे और 36 प्रमाणक ऐसे आरा मिलों के थे, जो वृत्त की 523 अनुज्ञप्त आरा मिलों की सूची में नहीं थे। व.म.अधिकारी महासमुंद द्वारा अलग से प्रस्तुत सूची जिसमें दो आरा मिलों को भुगतान किया गया, बंद हो चुकी थी। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्रमाणक किसी भी अन्य अभिलेखों से मेल नहीं खाते, जैसे यात्रा देयक, सत्यापित मिलों की सूची इत्यादि।

उपरोक्त दर्शाए गए तथ्यों से यह साबित हुआ कि शासन को राशि 2.29 करोड़ रूपए की धोखाधड़ी मुख्य नियंत्रण को जान बूझकर नजरअंदाज करते हुए की गई। वनसंरक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु बिना बजट प्रावधान एवं उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के अनियमित आदेश जारी किए गए और इतने बड़े असाधारण व्यय को जानबूझकर सीमा से अधिक छः कार्यालयों द्वारा व्यय को "इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार" शीर्ष के अंदर लेखाबद्ध किया गया। धनादेश निर्धारित सीमा से अधिक राशि के जारी किए गए, प्रमाणक बिना उपवनमंडलाधिकारियों के प्रमाणीकरण के पारित किए गए, बहुत सारे प्रमाणक जो धोखाधड़ी व स्थानों से संबंधित थे। मजदूरों को भुगतान किए गए प्रमाणक और यात्रा देयकों की तिथियों से मेल नहीं खाती। उड़नदस्ते के छः सदस्यों द्वारा जिस प्रयोजन हेतु आरा मिलों के इतने बड़े पैमाने पर माह दिसंबर 2002 से फरवरी 2004 तक किए गए निरीक्षण में जिसमें 2.29 करोड़ रूपए व्यय हुआ स्टॉक में अंतर का एक भी प्रकरण नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा की सभी आपत्तियां शासन ने स्वीकार की (अक्टूबर 2005) और उत्तर में यह बताया कि इस क्रियाकलाप को इतने बड़े पैमाने पर प्रारंभ करने हेतु वन संरक्षक के आदेश नियमानुसार नहीं थे एवं बिना बजट प्रावधान के भौतिक सत्यापन कराए जाने के लिए शासन अथवा किसी भी मुख्यालयों से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई थी। आगे यह कहा गया कि वनसंरक्षक ने अपने अधीनस्थ व.म.अधिकारियों के उड़नदस्ते को धनादेश जारी करने संबंधी जो निर्देश जारी किए वे नियमों के विरुद्ध थे तथा पांचों वन मंडल अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि के धनादेश जारी करने के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि उड़नदस्ते के यात्रा देयकों और मजदूरों के भुगतान के प्रमाणकों में काफी भिन्नता थी और उड़नदस्ते द्वारा जिस प्रयोजन हेतु यह कार्य किया गया, जांच में सही नहीं पाया गया। फिर भी राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी निर्धारित करने में क्या कार्यवाही की गई, नहीं बताया।

4.2 अधिक भुगतान/निष्फल/निरर्थक व्यय

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.2.1 आधार शिला लगाने के समारोह, चाहर दिवारी के निर्माण तथा परामर्श शुल्क पर निष्फल व्यय।

स्थापित न किए गये चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ की आधार शिला लगाने के समारोह, चाहर दिवारी के निर्माण तथा परामर्श शुल्क पर राशि 87.48 लाख रुपये का निष्फल व्यय एवं राशि 5.50 करोड़ रुपये की निधियों का अवरुद्ध होना।

रायगढ़ जिले में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने के निर्णय (दिसम्बर 2001) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ शासन ने, लोहार सिंह गाँव में 25 एकड़ भूमि आवंटित की (जुलाई 2002) एवं छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति रायपुर⁴ (पंजीकृत समिति) के तत्वावधान में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए राज्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक करोड़ रूपए स्वीकृत किए (जुलाई 2003)।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिसूचित चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने के नियम, निर्धारित करते हैं कि, किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। यह चिकित्सा शिक्षा के संस्थान को स्थापित करने के निर्धारित मानदण्डों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए है।

मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2004) तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (मई 2005) में प्रकट हुआ कि, राज्य शासन ने 6.10 लाख रुपये आधार शिला लगाने के समारोह पर (जून 2003) तथा 31.90 लाख रुपये चाहर दिवारी के निर्माण पर व्यय किए। समिति द्वारा, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, परामर्शदाताओं को (अगस्त 2003) राशि 49.48 लाख रुपये अग्रिम भुगतान किए।

चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ के स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को अगस्त 2003 में अग्रेषित किया गया, जिसे चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के साथ संलग्न 300 बिस्तरों के अस्पताल की उपलब्धता के बुनियादी मापदण्ड को पूर्ण न किए जाने के कारण दिसम्बर 2003 में अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही, अगस्त 2003 में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु राशि 5 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान स्वीकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के अस्वीकार करने के बावजूद भी, इस राशि को आहरित कर समिति के बैंक खाते में दिनांक 31 मार्च 2004 को जमा किया गया। वैकल्पिक स्थान पर आवश्यक अपेक्षाओं

⁴ आगे समिति के रूप में संदर्भित की जानी है।

के साथ महाविद्यालय के स्थापित किए जाने का कोई पुनरीक्षित प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित नहीं किया गया (सितम्बर 2005)।

उत्तर में, शासन ने आधारभूत शर्तों को पूर्ण न किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2005) तथा बताया कि निर्मित चाहर दिवारी का उपयोग वैकल्पिक प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। साथ ही, शासन स्तर पर चिकित्सा महाविद्यालय के स्थल के स्थानान्तरण के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है एवं इस तरह, 87.48 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त कुल राशि 6 करोड़ रुपये में से 5.50 करोड़ रुपये भी समिति के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़े रहे, परिणामतः निधियां अवरूद्ध रहीं।

लोक निर्माण विभाग

4.2.2 अतिरिक्त परत के अनुप्रयोग के कारण अतिरिक्त लागत

एल.बी.एम.की भाँति बिटुमिनस मेकेडम की अतिरिक्त परत के अनुप्रयोग के कारण अतिरिक्त लागत 34.87 लाख रुपये

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा.मा.मंत्रा.) ने रा.रा.-200 के 90 से 99 कि.मी.में सड़क सतह में सुधार (आई.आर.क्यू.पी.) के लिए 1.89 करोड़ रुपये का एक प्राक्कलन स्वीकृत किया (मई 2002)। प्राक्कलन में, इस शर्त पर कि कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन एवं विशिष्टियों में परिवर्तन पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा, सम्पूर्ण सड़क सतह पर 50 मिमी.मोटे बिटुमिनस मेकेडम सहित, परिच्छेद सुधार के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिटुमिनस मेकेडम, कुल 55 मिमी.(3619 घनमीटर) का प्रावधान था। कार्य एक ठेकेदार को 1.65 करोड़ रुपये की लागत पर (दर-अनुसूची से 21.10 प्रतिशत कम) सौंपा गया (जुलाई 2002)।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (का.अ.) लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) संभाग बिलासपुर में तृतीय चल देयक (नवम्बर 2003 में भुगतान) की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सुसंहत बेस कोर्स के सुधार एवं भूपृष्ठ के पुनर्निर्माण के लिए बिटुमिनस मेकेडम की एक मद, जिसे लीन बिटुमिनस मेकेडम दर्शाया गया था, 50 से 60 मि.मी.की मोटाई में निष्पादित (2598.75 घनमीटर) किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन में, यद्यपि इसका प्रावधान नहीं था। भारतीय रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुसार खराब हुए वाटर-बाउन्ड मेकेडम या अत्याधिक क्षतिग्रस्त डामरीकृत सड़क के लिए बेस की तैयारी के लिए, वाटर-बाउन्ड मेकेडम का प्रावधान किया जाना था। अतः विभाग को लीन बिटुमिनस मेकेडम की अतिरिक्त परत को बिछाने के स्थान पर, वाटर-बाउन्ड मेकेडम का उपयोग करते हुए बेस कोर्स का निष्पादन करना चाहिए था, जैसा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में प्रावधानित था। 443 रुपये प्रति घनमीटर की दर से वाटर-बाउन्ड मेकेडम

के स्थान पर 2144 रुपये प्रति घनमीटर की दर से अतिरिक्त परत बिछाने के कारण शासन को 34.87⁵ लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता (का.अ.) ने बताया (जनवरी 2005) कि मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र रायपुर द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मार्च 2003 में प्रस्तुत किए गए, जिनमें अतिरिक्त कार्य को सम्मिलित किया गया था। मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र रायपुर ने उत्तर दिया (जुलाई 2005) कि स्वीकृति प्रतीक्षित है। यद्यपि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की स्वीकृति विगत दो वर्षों (अक्टूबर 2005) से लंबित है, लीन बिटुमिनस मेकेडम के निष्पादन के लिए सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। उत्तर, आपत्ति की पुष्टि करता है कि कार्य का निष्पादन मानदण्डों के विरुद्ध एवं अनुबंध का उल्लंघन कर, किया गया था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2005), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2005)।

4.2.3 टेक कोट पर 1.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय

टेक कोट के लिए अधिक महंगे पेविंग बिटुमेन के उपयोग के कारण 1.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत और ताजी बिछाई गई बिटुमिनस परतों के मध्य टेक कोट पर अनियमित भुगतान 22 लाख रुपये

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा.मा.मंत्रा.) की विशिष्टियों में प्रावधान है कि विद्यमान सड़क सतह पर एक और बिटुमिनस निर्माण के पूर्व, कम श्यान द्रव बिटुमिनस सामग्री का एक एकल टेक कोट प्रयुक्त होना है। टेक कोट के लिए प्रयुक्त योजक बिटुमिनस इमल्शन या कट-बैक जैसा भी ठेके में उल्लिखित हो, होना चाहिए। प्रमुख अभियंता (प्र.अ.) लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी दर अनुसूची (द.अ.) (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत एवं जून 2000 से लागू) में बिटुमिनस इमल्शन एवं अधिक महंगे पेविंग बिटुमेन का उपयोग करते हुए टेक कोट के लिए दरें प्रावधानित है।

कार्यपालन अभियंता (का.अ.) लोक निर्माण विभाग (भ/स) रायपुर-III एवं बालोद संभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि सड़कों के सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण के लिए, विभिन्न सड़कों, यथा राज्यीय राजमार्ग (13), मुख्य जिला सड़कें (19), अन्य जिला सड़कें (8) एवं ग्रामीण सड़कें (8) के लिए 48 अनुबंधों, का 2001 से 2004 के मध्य निष्पादन किया गया, जिनमें टेक कोट के लिए इमल्शन के स्थान पर अधिक महंगे पेविंग बिटुमेन का उपयोग किया गया। प्राक्कलन में अधिक महंगी मद के उपयोग के लिए कोई सुस्पष्ट औचित्य सम्मिलित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 1.36 करोड़ रुपये का परिहार्य अधिक व्यय हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में दर्शित है।

⁵ 2144 रूपए प्रति घनमीटर की दर से लीन बिटुमिनस मेकेडम (-) 443 रुपये प्रति घनमीटर की दर से वाटर-बाउन्ड मेकेडम = 1701 रुपये। लीन बिटुमिनस मेकेडम की निष्पादित मात्रा 2598.75 घनमीटर = 1701 रुपये (-) 21.10% = 34,87,754 रुपये

कार्यपालन अभियंता, बालोद संभाग ने बताया (दिसम्बर 2004) कि इमल्शन की तुलना में बिटुमेन में अधिक योजक गुणधर्म एवं विशेषता थी तथा गिट्टी से बिटुमेन की परत के हटने को कम करने में लाभप्रद था एवं अधिक चक्र भार के दबाव को सहन कर सकता था जिसने कुल मिलाकर सड़कों को अधिक आयुकाल दिया। कार्यपालन अभियंता रायपुर संभाग ने बताया (जुलाई 2004) कि कार्य स्वीकृत प्राक्कलनों, स्थल परिस्थितियों एवं राज्य में प्रचलित प्रथा के अनुसार निष्पादित किए गए।

प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) कि विशिष्टियों के अनुसार टेक कोट के लिए योजक बिटुमेन इमल्शन होना चाहिए किन्तु बिटुमेन का उपयोग किया गया क्योंकि अनुवर्ती निर्माण होने के पहले, बिटुमेन इमल्शन के टेक कोट को समस्त वाष्पशील पदार्थों के वाष्पित होने तक परिरक्षण के लिए छोड़ना अपेक्षित होता था। इस प्रकार, यातायात को काफी समय तक रोकना होता है या विशिष्टियों के अनुसार सड़क के व्यपवर्तन की व्यवस्था करनी होती थी।

बिटुमेन की तकनीकी श्रेष्ठता पर उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियाँ इन तकनीकी कारकों को सम्मिलित करते हुए व्युत्पन्न की गई हैं तथा इसमें केवल इमल्शन, टेक कोट हेतु प्रावधानित था। यह भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार की गई, अप्रैल 2005 से लागू नई दर अनुसूची में पेटिंग बिटुमेन से टेक कोट की कोई मद नहीं थी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा.मा.मंत्रा.) की विशिष्टियाँ यह भी उपबंधित करती हैं कि यदि अनुवर्ती बिटुमिनस परत यातायात खोले बिना उसी दिन बिछाई जाती है तो ताजी बिछाई गई बिटुमिनस परत के ऊपर टेक कोट अलग किया जा सकता है। 1 जून 2000 से लागू लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश की दर-अनुसूची में भी प्रावधानित है कि यातायात की असाधारण परिस्थिति के कारण अनुवर्ती बिटुमिनस परत के लिए टेक कोट का प्रयोग आवश्यक पाया जाता है तो मुख्य अभियंता (मु.अ.) की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त की जानी चाहिए। इन मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए दो संभागों के कार्यपालन अभियंताओं ने, मुख्य अभियंता के पूर्व अनुमोदन के बिना 11 सड़क कार्यों पर सेमीडेंस बिटुमिनस कांक्रीट/मिश्रित सील सरफेस की अनुवर्ती परतों को बिछाने से पूर्व ताजे बिछाए गए बिटुमिनस मेकेडम पर टेक कोट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 21.91 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

कार्यपालन अभियंता, रायपुर एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (छत्तीसगढ़) रायपुर ने उत्तर दिया कि विभिन्न सड़कों, जिनमें बिटुमिनस कार्य किया गया, 3 मीटर से 3.65 मीटर चौड़ाई वाली एकांगी सड़कें थी एवं जहाँ पर यातायात को व्यपवर्तित करने की कोई सुविधा नहीं थी और सड़क की चौड़ाई के आधे हिस्से में कार्य नहीं किया जा सकता था तथा व्यपवर्तन मार्ग की लागत 7 लाख रुपये प्रति कि.मी.आती थी। कार्यपालन अभियंता, बालोद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

टेक कोट के अनावश्यक प्रयोग का, संकीर्ण सड़क के आधार पर औचित्य सिद्ध करने का कार्यपालन अभियंता एवं प्रमुख अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रारंभिक

बिटुमिनस परत बिछाते समय सड़क, यातायात के लिए बंद होती थी और शोल्डर्स के माध्यम से यातायात को व्यपवर्तित किया जाता था। इसलिए उसी दिन अगली परत को बिछाने के लिए कुछ थोड़े घंटों के लिए और बंद करना, विशिष्टियों का उल्लंघन एवं अतिरिक्त व्यय का परिहार रोकने के लिए संभव था। दर-अनुसूची में प्रावधान अनुसार, जहाँ पर टेक कोट का प्रयोग नितान्त आवश्यक हो, मुख्य अभियंता की पूर्व अनुमति भी लेना चाहिए थी। मुख्य अभियंता के पूर्व अनुमोदन के बिना 11 सड़क कार्यों में ताजी बिछाई गई बिटुमिनस परत पर टेक कोट का निष्पादन करने के कारण 21.91 लाख रुपये परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को भेजा गया (जनवरी 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

4.2.4 प्राक्कलन में अनावश्यक प्रावधान के कारण अतिरिक्त लागत

अनुचित प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पी.सी.सी.) एवं प्राक्कलन में अनावश्यक प्रावधान के परिणामस्वरूप 43.58 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा.मा.मंत्रा.) द्वारा सड़क एवं सेतु कार्यों हेतु जारी विशिष्टियों में अनुबंधित है कि विद्यमान सड़क के भू-पृष्ठ (प्रोफाइल) को सुधारने के लिए विभिन्न मोटाई का प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, जैसा कि नक्शों/टेके में दर्शाया गया है, बिछाया जाएगा। नई बिछाई गई वाटर बाउन्ड मेकेडम अथवा बिटुमिनस मेकेडम परतों के लिए, वियरिंग कोर्स के साथ तैयार सड़क सतह प्रावधानित होती है एवं नई तैयार की गई सतह एवं अनुवर्ती वियरिंग कोर्स के मध्य प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

कार्यपालन अभियंता (का.अ.), लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग महासमुन्द ने वाटर बाउन्ड मेकेडम से डामरीकरण में परिवर्तन के लिए दो कार्य (जुलाई, नवम्बर 2002) और डामरीकरण के नवीनीकरण का एक कार्य (मार्च 2002), तीन अलग-अलग ठेकेदारों को, दरों की अनुसूची से 15.80 प्रतिशत से 31.86 प्रतिशत अधिक के मध्य सौंपे। कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुमत्य अवधि वर्षाकाल सहित चार से दस माह के मध्य थी। इन ठेकेदारों को 3.08 करोड़ रुपये के अंतिम भुगतान फरवरी एवं अप्रैल 2004 के मध्य किए गए थे।

नमूना जाँच में प्रकट हुआ (अगस्त 2004) कि वाटर बाउन्ड मेकेडम से डामरीकरण में परिवर्तन के लिए सड़कों में से एक में (बागबहरा-झालप), सड़क के नए बिछाए गए वाटर बाउन्ड मेकेडम पर अभिन्न भाग के रूप में प्रोफाइल करेक्टिव परत, सहित 20 मि.मी.मोटे ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट का वियरिंग कोर्स की भाँति प्रावधान था, यद्यपि अनुबंध में सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार, नए बिछाए गए समतल वाटर बाउन्ड मेकेडम पर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के कारण भुगतान अनुबंध एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के विपरीत थी, जिसके परिणामस्वरूप 20.56 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इस सड़क पर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ती है, भारी यातायात की दृष्टि से ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट की अधिक मात्रा का प्रावधान केम्बर-सुधार के लिए था एवं सम्पूर्ण व्यय प्राक्कलित लागत के अंतर्गत था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नई वाटर बाउन्ड मेकेडम परत बिछाते समय केम्बर-सुधार किया जाना चाहिए था, न कि अधिक महंगे ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट के उपयोग से। स्वीकृत प्राक्कलन में भी ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट के साथ प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स शामिल नहीं था एवं विशिष्टियों के विपरीत था।

अन्य दो कार्यों में, संकरा-परसवानी-लाड़ीपुर एवं बसना-पीथमपुर सड़क के नवीनीकरण में वाटर बाउन्ड मेकेडम से डामरीकरण कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति में ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट से प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, अनुमोदित प्राक्कलन में अभिन्न भाग के रूप में सम्मिलित था। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के विपरीत था। ठेकेदार ने वाटर बाउन्ड मेकेडम/बिटुमिनस मेकेडम की मर्दे एवं कारपेट के अभिन्न भाग के रूप में ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट से प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स निष्पादित किया, के परिणामस्वरूप 23.01 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता ने बताया कि संकरा-परसवानी-लाड़ीपुर के विषय में वाटर बाउन्ड मेकेडम परत के पश्चात वियरिंग कोर्स तत्काल नहीं बिछाया जा सकता था क्योंकि सड़क को सूखने के लिए तीन माह तक खुली रखना आवश्यक था एवं फलस्वरूप भारी वर्षा एवं यातायात के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई। इस प्रकार उक्त मद प्राक्कलनों में सम्मिलित थी। बसना-पीथमपुर सड़क के विषय में विभाग ने उत्तर दिया कि कार्य अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार निष्पादित किया गया एवं सड़क पर भारी यातायात के कारण डामरीकरण अधिक मोटाई में निष्पादित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि प्राक्कलन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए तैयार किए गए। यह भी कि, संकरा-लाड़ीपुर सड़क का कार्य खुले मौसम में (जुलाई से फरवरी) किया गया था, सूखने के लिए तीन माह का समय आवश्यक नहीं था एवं वियरिंग परत को वाटर बाउन्ड मेकेडम परत के साथ-साथ बिछाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वाटर बाउन्ड मेकेडम परत में किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति वाटर बाउन्ड मेकेडम से की जानी थी न कि प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स से।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2004); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

4.2.5 उच्च विशिष्टियों को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत

सड़क निर्माण में उच्च विशिष्टियों के स्वीकार करने के कारण 1.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत

प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी किए (13 सितम्बर 2002) कि नाबार्ड सहायता प्राप्त सड़क कार्य, भारतीय रोड कांग्रेस के अनुसार भूपृष्ठ डिजाइन (क्रस्ट डिजाइन) करते हुए 50 मि.मी.बिटुमिनस मेकेडम (बी.एम.) एवं 20 मि.मी.मिश्रित सील सरफेस (एम.एस.एस.) अथवा सेमीडेंस बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के साथ निष्पादित किए जाने चाहिए। यह भी निर्देशित किया गया कि कम मोटाई वाले भूपृष्ठ के पूर्ववर्ती प्राक्कलन भी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित किए जावें एवं कार्य, अनुमोदन उपरांत निष्पादित किए जाने थे।

दो लोक निर्माण विभाग संभागों⁶ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि दो सड़क कार्यों के मूल प्राक्कलनों में ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट के साथ सील कोट प्रावधानित था। संभागों ने अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत किए, जिनमें बिटुमिनस मेकेडम/मिक्स सील सरफेस एवं एस.डी.बी.सी.सम्मिलित थे, परन्तु यह भारतीय रोड कांग्रेस के अनुसार भूपृष्ठ डिजाइन को पुनरीक्षित किए बिना किया गया। तत्पश्चात, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्य निष्पादित किए गए (नवम्बर एवं दिसम्बर 2004) इसके परिणामस्वरूप 1.06⁷ करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि उच्चतर विशिष्टियों वाले कार्य शासन के आदेश दिनांक 22 फरवरी 2003 के अनुसार एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में निष्पादित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे। जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 22 फरवरी 2003 में प्रावधानित है कि आवश्यकता के अनुसार उच्चतर विशिष्टियाँ अपनाना चाहिए। यह "आवश्यकता" भूपृष्ठ डिजाइन के लिए आई.आर.सी.-37 के अनुवर्तन में है जो ज्यादा वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन⁸ (सी.वी.पी.डी.) एवं मिट्टी की उच्च सी.बी.आर.⁹, सड़कों में बी.एम.के साथ एस.डी.बी.सी.के उपयोग को उल्लिखित करता है जिसका तत्कालीन प्रकरण में अनुसरण नहीं किया गया। प्रमुख अभियंता द्वारा बाद में निर्देश जारी किए गए (मई एवं जून 2003) कि भूपृष्ठ डिजाइन, सी.वी.पी.डी.एवं सी.बी.आर.के आधार पर आई.आर.सी.विशिष्टियों के अनुसार निश्चित रूप से की जानी चाहिए एवं जहाँ सड़कों के लिए बी.एम.के साथ एम.एस.एस.अथवा एस.डी.बी.सी.का उपयोग विशिष्टियों के अनुसार नहीं दर्शाया गया है, ओ.जी.पी.सी.के साथ सील कोट का उपयोग किया जाना चाहिए।

⁶ कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग बेमेतरा एवं कवर्धा संभाग

⁷ कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग बेमेतरा 38.65 लाख रुपये और कवर्धा संभाग 66.88 लाख रुपये

⁸ सी.वी.पी.डी.- वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन

⁹ सी.बी.आर.- केलिफोर्निया बिअरिंग अनुपात जो कि भूपृष्ठ डिजाइन का मानक है एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर है।

इस प्रकार, अनुदेशों की अवहेलना करते हुए संभागों द्वारा कार्य निष्पादित किए गए एवं सक्षम प्राधिकारी ने पुनरीक्षित प्राक्कलन (सितम्बर 2005) तक स्वीकृत नहीं किए थे।

प्रकरण शासन को भेजा गया (मई एवं जून 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2005)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.2.6 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमित व्यय

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दर्शाए 68.17 लाख रुपये का अनियमित व्यय।

अतिरिक्त श्रम रोजगार, खाद्य सुरक्षा प्रदाय करने एवं ग्रामीण लोगों के पोषण स्तर को सुधारने के प्रारंभिक उद्देश्यों के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई (सितम्बर 2001)।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशानिर्देश एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश उपबंधित करते हैं कि, श्रम गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी थी एवं श्रमिक तथा सामग्री के व्यय का अनुपात 60:40 अनुरक्षित किया जाना था। बड़ी सामग्री के घटकों से समाविष्ट कार्यों को तब तक स्वीकृत/निष्पादित नहीं किया जाना था, जब तक सीमेन्ट, स्टील इत्यादि बड़े घटकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि का उपबन्ध अन्य स्रोतों/अन्य कार्यक्रमों से न किया जावे। ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ, रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2004) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा जारी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जाँच (जून 2005) में प्रकट हुआ कि, बड़ी सामग्री घटकों से समाविष्ट 27 कार्य (25 "रिडिफोर्समेन्ट सीमेन्ट कांक्रिट स्लेब कलवर्ट, एक गोदाम एवं एक पचरी¹⁰) स्वीकृत किए गए। उक्त कार्यों पर कुल व्यय 1.30 करोड़ रुपये था। मानकों के अनुसार, सामग्री पर अधिकतम 51.61 लाख रुपये व्यय किए जाने चाहिए। तथापि, सामग्री घटकों पर राशि 77.58 लाख (60.13 प्रतिशत) व्यय किए गये। इस तरह, 25.97 लाख रुपये सामग्री पर अनियमित रूप से व्यय किए गए। यदि यह राशि, मानकों के अनुसार, 52.66 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन की प्रचलित दर से मजदूरी पर व्यय की जाती तो, 49,311 मानव दिवसों का अतिरिक्त रोजगार सृजित हो सकता था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रत्युत्तर में, तथापि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ ने बताया (जून 2005) कि, व्यक्तिगत कार्य में मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात (60:40) अनुरक्षित नहीं किया जा सकता एवं कुछ प्रकरणों में यह अनुपात 30:70 तक जाता है, परन्तु यह अनुपात (60:40) सम्पूर्ण जिले के लिए लिया जाना चाहिए।

¹⁰ पचरी से आशय है घाट-नदी के किनारे स्नान का स्थान।

उत्तर सूचित करता है कि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन कार्यों को जानबूझकर स्वीकृत करने का निर्णय लिया जिसमें सामग्री घटक अधिक था। इस तरह, योजना के उद्देश्यों को जानते हुए उपेक्षित किया गया एवं लक्षित हितग्राही समूह राशि 25.97 लाख रुपये के अर्जक रोजगार तथा मजदूरी से वंचित रहा।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशानिर्देश ठेकेदारों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया तो निर्धन ग्रामीणों के बीच लक्षित समूह जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सीमांत खेतीहर, कृषि श्रमिक इत्यादि का संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। ठेकेदार जो लाभ के आधार पर कार्य करते हैं; कुशल श्रमिकों मशीनों एवं गैर स्थानीय श्रमिकों को नियोजित कर सकते हैं; जिससे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रयोजन विफल होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुकमा (दंतेवाड़ा) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2005) में प्रकट हुआ कि, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के मौखिक आदेशों से अवधि 2002-04 में 42.20 लाख रुपये के व्यय को सम्मिलित करते हुए नौ निर्माण कार्य (सात आर.सी.सी.स्लेब कलवर्ट, एक वाटर बाउण्ड मेकाडम सड़क तथा एक निस्तारी तालाब¹¹) ठेकेदारों को सौंपे गये। उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ के सत्यापन के पश्चात् ठेकेदारों को नगद या अनाज के रूप में भुगतान किया गया तथा जिसे ठेकेदार द्वारा आगे श्रमिकों को वितरित करना था। तथापि, विभाग द्वारा हितग्राही की पहचान एवं अपेक्षित भुगतान को सुनिश्चित करने की जाँच पड़ताल नहीं की गई। इस तरह 42.20 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय अनियमित था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रत्युत्तर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुकमा ने बताया (मार्च 2005) कि, आर.सी.सी.स्लेब के कार्य जिला पंचायत, दंतेवाड़ा द्वारा स्वीकृत किये गये एवं कार्यों को यथासंभव शीघ्र पूर्ण करने के लिए लागू प्रचलित दर अनुसूची से ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये गए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि, योजना के लिए निधियाँ मुख्यतः निर्धनों में से निर्धन के लिये रोजगार उत्पादित करने हेतु उपलब्ध करवाई गई थी, न कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए।

प्रकरण शासन को सूचित (जनवरी 2005) किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2005)।

¹¹ निस्तारी तालाब का उपयोग, स्थानीय जनसंख्या की पीने के पानी के अतिरिक्त, पानी की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति एवं जानवरों के लिये किया जाता है।

4.2.7 वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय

स्थल का त्रुटिपूर्ण चयन, उपलक्षित सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा न करने से पौधों की जीविता में कमी एवं 26.54 लाख रुपये का निष्फल व्यय।

सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण विकास गतिविधियाँ एवं एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम में, न्यून उपयोगी/पड़त भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एवं स्थानीय लोगों को आय का जीवनक्षम स्रोत एवं ईंधन, चारा उपलब्ध कराने हेतु वनीकरण सम्मिलित है। दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था, कि वनीकरण का कार्य उन स्थलों पर किया जाना था जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था।

शासन ने, मृदा एवं जलवायु स्थिति पर आधारित, वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम जीविता प्रतिशत, 40 प्रतिशत निश्चित (अक्टूबर 1986) किया एवं इससे कम जीविता प्रतिशत को असफल माना जावेगा।

जलग्रहण विकास परियोजनाएँ, जिला पंचायत, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा एवं रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2005 से जून 2005) में प्रकट हुआ कि, 56 जलग्रहण समितियों ने 54.43 लाख रुपये की लागत के वृक्षारोपण लिए। स्थलों के त्रुटिपूर्ण चयन, चौकीदारों की व्यवस्था न करने एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण जीविता प्रतिशत निर्धारित प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम रहा। इसके परिणामस्वरूप शासन को नीचे दिए गए विवरणानुसार 26.54 लाख रुपये की हानि हुई:-

(रुपये लाख में)

जिले का नाम	कार्यक्रम का नाम	जलग्रहण समितियों की संख्या	वृक्षारोपण का वर्ष	लगाये गये पौधों की कुल संख्या	जीवित रहे पौधों की संख्या	जीविता प्रतिशत	कुल व्यय	पौधों के कम जीवित रहने के कारण हानि ¹²
दुर्ग	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम	17	2002-04	20771	3636	0 - 36	1.32	0.79
जगदलपुर	सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम	12	2002-04	250923	69289	7 - 39	14.48	6.10
कोरबा	सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम	17	2002-04	16889	3651	0 - 38	7.25	3.35
रायपुर	एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम	10	2002-03	32984	6117	0 - 20	31.38	16.30
कुल योग		56	-	321567	82693	-	54.43	26.54

(*) हानि = 40 - पौधों की जीविता का वास्तविक प्रतिशत = वृक्षारोपण की लागत 40 प्रतिशत

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतें, जगदलपुर एवं कोरबा ने बताया कि, पौधों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे थे एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार, उन क्षेत्रों को जहाँ वृक्षारोपण किया गया था, हितग्राहियों को सौंपा गया जिन्होंने उचित देखभाल सुनिश्चित नहीं की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

¹² हानि की गणना 100 प्रतिशत कार्यक्षमता पर 40 प्रतिशत जीविता को ध्यान में रखते हुए की गई है।

जिला पंचायत, दुर्ग ने बताया कि, दीमक, जलाभाव एवं पशुओं द्वारा क्षति के कारण जीविता में कमी रही। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के उत्तर दर्शाते हैं कि उन्होंने वृक्षारोपण को जीवित रखने को सुनिश्चित करने के लिए काफी कम प्रयास किए। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य शासन का (फरवरी 2005) पड़त भूमि विकास कार्यक्रम का एक मध्यावधि मूल्यांकन भी सूचित करता है कि जिस मिट्टी में वृक्षारोपण किया गया था उसकी प्रकृति कड़ी मुसम तथा चट्टानी परत थी, जिसमें पौधों की जीविता के लिए निरंतर देखभाल, सुरक्षा एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह इंगित करता है कि कम जीविता के लिए त्रुटिपूर्ण स्थल चयन भी अंशदायी रहा।

इस तरह, वृक्षारोपण पर किया गया 26.54 लाख रुपये का व्यय निष्फल था एवं न्यून उपयोगी/पड़त भूमि की उत्पादकता बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों को ईंधन, चारा तथा आय का जीवनक्षम स्रोत प्रदाय करने का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (अगस्त 2005); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

जल संसाधन विभाग

4.2.8 अधिक महंगी विशिष्टियाँ को अपनाने के कारण अतिरिक्त लागत

तकनीकी परिपत्र के प्रतिकूल अधिक महंगी विशिष्टियों को अपनाने के कारण 55.37 लाख रुपये की अतिरिक्त परिहार्य लागत आई

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी, तकनीकी परिपत्र (जनवरी 1984) एवं नहर अस्तरण (केनाल लाइनिंग) के लिए विशिष्टियों (दिसम्बर 1995) में प्रावधानित है कि 3 घनमीटर प्रति सेकेण्ड (क्यूमेक) से अधिक जलप्रवाह वाली नहरों के आधारतल एवं पार्श्व ढलानों का एम-100 दृढ़ता (1:3:6 का साधारण मिश्रण) के स्थानस्थ-ढलित कांक्रीट द्वारा अस्तरण किया जाना चाहिए। कांक्रीट स्लैब की मोटाई, 3 मीटर की जल गहराई तक 75 मि.मी. एवं 3.0 मीटर से अधिक गहराई के लिए 100 मि.मी. होनी चाहिए। महानदी जलाशय परियोजना के परियोजना प्रतिवेदन में भी एम-100 श्रेणी के स्थानस्थ-ढलित कांक्रीट द्वारा अस्तरण करना उल्लिखित है।

महानदी मुख्य नहर के भागों में, जहाँ जलप्रवाह 12 से 80 क्यूमेक तक था, अस्तरण कार्य के लिए नवम्बर 2002 से जुलाई 2004 के दौरान चार मद-दर-निविदाएं निष्पादित की गई थी।

अस्तरण, अनुशंसित स्थलस्थ ढलित कांक्रीट के स्थान पर अधिक महंगे 500 x 500 x 60 मि.मी. के पूर्व ढलित कांक्रीट (पी.सी.सी.) स्लैबों से किया गया। तकनीकी परिपत्र के प्रतिकूल अधिक महंगी विशिष्टियों को अपनाने के कारण 55.37 लाख रुपये की अतिरिक्त परिहार्य लागत आई (जैसा कि परिशिष्ट 4.3 में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता महानदी जलाशय परियोजना बांध संभाग क्र.2 रूद्री ने बताया कि अस्तरण के पूर्ववर्ती प्रकार को निरंतरता प्रदान करने के लिए एवं अस्तरण की समान सौंदर्यपरक अनुभूति प्राप्त करने के लिए अस्तरण पूर्व ढलित कांक्रीट स्लैबों द्वारा किया गया था। कार्यपालन अभियंता महानदी जलाशय परियोजना बांध संभाग क्र.2 रूद्री ने अन्य लाभ के तथ्य, जैसे कि स्थल पर व्यापक उत्पादन, संकुचन, चटकना इत्यादि बताए। उत्तर विश्वासोत्पादक नहीं था क्योंकि अस्तरण को तकनीकी परिपत्र के अनुसार किया जाना था। विशिष्टियाँ यह भी दर्शाती हैं कि छोटे पूर्व ढलित कांक्रीट स्लैब की अपेक्षा स्थलस्थ स्लैब उच्चतर दबाव संभालने के लिए निर्मित होते हैं एवं चटकने के लिए कम संभावित होते हैं। विशिष्टियों का पूर्ववर्ती उल्लंघन, आगामी उल्लंघन की निरंतरता के लिए आधार नहीं होना चाहिए। तकनीकी आधार, निकटस्थ पी.सी.सी.की दूरियों के मध्य में स्थलस्थ ढलित स्लैबों का उपयोग नहीं किए जा सकने के कारणों को स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं करते थे। मात्र सौंदर्यपरक कारण, अतिरिक्त लागत व्यय करने एवं विशिष्टियों के उल्लंघन के लिए पर्याप्त आधार न्यायोचित नहीं थे, जबकि अन्य संभाग¹³ विशिष्टियों के अनुसार अस्तरण कार्य कर रहे हैं।

प्रकरण शासन को भेजा गया (जुलाई 2004); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

4.2.9 अनुबंध के विवेकहीन परिसमापन के कारण अतिरिक्त लागत

अनुबंध के विवेकहीन परिसमापन एवं अन्य ठेकेदार को कार्य सौंपने के कारण 1.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार, पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्रालय भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन-भूमि का अपारक्षण (डिरेजर्वेशन) पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

कार्यपालन अभियंता (का.अ.), हसदेव नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया द्वारा 2.66 करोड़ रुपये की लागत पर प्राक्कलित, खरसिया उप नहर के आर.डी.9420 मीटर पर जलवाही-सेतु (एक्वाडक्ट) के निर्माण का कार्य, मद-दर पर 2.25 करोड़ रुपये की लागत (एकीकृत दर अनुसूची-1998 से 15.69 प्रतिशत कम) पर ठेकेदार "अ" को सौंपा गया (दिसम्बर 1999) तथा इसे 15 माह के मध्य पड़ने वाले वर्षाकाल सहित पूर्ण किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया कि प्रस्तावित जलवाही-सेतु (एक्वाडक्ट) वन-भूमि, जिसे निर्माण के प्रारम्भ से पूर्व जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) को स्थानांतरित किया जाना था, पर स्थित था। इस प्रकार, वांछित वन-अनापत्ति प्राप्त किए बिना, एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए एक ठेका करना अनियमित था। विभाग द्वारा वन-भूमि के अधिग्रहण न करने के कारण ठेकेदार "अ" ने (जनवरी 2001) कार्य को समयावधि में पूर्ण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। मुख्य अभियंता ने मार्च 2002

¹³ कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग, क्रमांक 2, बालौदाबाजार

तक समय वृद्धि प्रदान की (जून 2001) क्योंकि जल संसाधन विभाग द्वारा वन-भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी।

अनुविभागीय अधिकारी, वन, जाँजगीर-चाँपा संभाग ने भी ठेकेदार को सूचित किया (जनवरी 2002) कि वन-अनापत्ति के अभाव में कार्य करना वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा।

ठेकेदार "अ" मार्च 2002 की बढ़ाई गई अवधि तक मात्र 0.52 करोड़ रुपये तक का कार्य निष्पादित करने में सक्षम था। तब तक वन-अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई थी। कार्यपालन अभियंता ने यह स्थिति अधीक्षण अभियंता को सूचित की (मार्च 2002), जिसने अनुबंध परिसमापित किया (अप्रैल 2002)। परिसमापन के क्रम में, अधीक्षण अभियंता ने यह भी निर्देशित किया कि शेष कार्य के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं एवं वन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय अपनाए जाएं।

तदनुसार, विभाग ने, 2.15 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के शेष कार्य के लिए पुनर्निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की यद्यपि वन अनापत्ति तब भी लंबित थी। इसे छः माह के भीतर (अक्टूबर 2002) 2.99 करोड़ रुपये की लागत (दर-अनुसूची से 39.21 प्रतिशत अधिक) पर ठेकेदार "ब" को सौंपा गया। वांछित वन अनापत्ति, जिसके कारण पूर्व अनुबंध का परिसमापन हुआ था, उस समय तक प्राप्त नहीं की गई थी। कार्य, 3.29 करोड़ रुपये की लागत पर दूसरे ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया (अप्रैल 2004) और उसका अंतिम देयक उसी माह में भुगतान किया गया। पूर्ववर्ती ठेके के परिसमापन एवं नये ठेके को सौंपने के परिणामस्वरूप प्रारंभिक अनुबंधित लागत से 1.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा आपत्ति (जून 2004) के उत्तर में मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने बताया (फरवरी 2005) कि वन विभाग की आपत्ति के कारण प्रथम ठेका समाप्त किया गया था। यह भी बताया गया कि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग एवं जिलाध्यक्ष जाँजगीर-चाँपा के हस्तक्षेप के पश्चात वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य जारी रखने के लिए अनुमति दी गई यद्यपि वन अनापत्ति तब भी लंबित थी। कार्य फरवरी 2004 में पूर्ण किया गया।

मुख्य अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं होता था कि शेष कार्य के लिए पुनर्निविदा क्यों की गई थी यद्यपि प्रथम ठेके को समाप्त करने के कारण, यथा वन अनापत्ति का अभाव अपरिवर्तित रहे। इससे स्पष्टतः प्रदर्शित होता है कि जहाँ प्रथम ठेकेदार पूर्ण रूप से असफल हुआ, कार्यपालिक हस्तक्षेप के कारण द्वितीय ठेकेदार सफल हुआ जबकि अन्य सभी परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहीं।

इसके अलावा पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि में निर्माण कार्य किया जाना वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2005) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

4.3 संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित पक्ष, परिहार्य व्यय

राजस्व विभाग

4.3.1 भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना (भुइया) के अन्तर्गत निजी फर्मों को अनुचित लाभ एवं अतिरिक्त व्यय

निजी फर्मों को आंकड़ों के अधतनीकरण हेतु रुपये 1.17 करोड़ का अनुचित लाभ तथा अप्रयुक्त एवं अनावश्यक लेखन सामग्री पर अधिक भुगतान रुपये 61.78 लाख

भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पूर्ववर्ती राज्य मध्यप्रदेश में आयुक्त भू अभिलेख द्वारा प्रारंभ (1998-99) की गई थी। खसरा (पी-II)¹⁴ डाटाबेस को कम्प्यूटरीकृत करना प्रारंभिक कार्य था। कुछ जिले जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के भाग हैं में कुछ प्रारंभिक खसरा डाटा (आंकड़ों) की प्रविष्टि विभागीय स्तर पर की गई थी। तदनन्तर आधार वर्ष 1999 की स्थिति में हस्तलिखित खसरा अभिलेखों के प्रविष्टि, अधतनीकरण, अंतिम प्रिंट और और अंतिम खसरा से संबंधित डाटा सी.डी. प्रदाय करने हेतु जिलाधाशों द्वारा निजी फर्मों से प्रथक अनुबंध (मई से अगस्त 1999 के मध्य) किये गये। योजना भुइया के नाम से नवम्बर 2002 में पुन प्रारंभ की गई एवं आधार वर्ष 2002 की स्थिति में खसरा प्रविष्टियों का अधतनीकरण कराया गया।

राज्य के 16 जिलों में से आठ¹⁵ जिलाधीश कार्यालय के भू-अभिलेख की जांच में पाया गया कि:

फर्मों को अनुचित लाभ के फलस्वरूप अधिक भुगतान

विभिन्न अनुबंध(मई-अगस्त 1999) में प्रति नया खसरा हेतु प्रविष्टि दर रुपये 2.11 से रुपये 2.15 के मध्य तथा प्रति खसरा अधतनीकरण हेतु रुपये 1.80 निर्धारित की गई थी। आधारवर्ष 2002 हेतु अधतनीकरण का कार्य उन्हीं फर्मों द्वारा उसी अनुबंध के तहत किया गया था।

इस कार्य हेतु भुगतान वास्तविक रूप से अधतनीकृत खसरा संख्या के लिये किया जाना चाहिये था। चार¹⁶ जिलों में से कोई भी जिलाधीश अधतनीकरण हेतु संधारित पंजी एवं वास्तविक आंकड़े लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं कर सके। आधारवर्ष 1999 से आधारवर्ष 2002 (सितंबर) के शतप्रतिशत खसरा के अधतनीकरण हेतु भुगतान अप्रैल 2003 से जनवरी 2005 के मध्य किये गये। अतः उसी फर्म को जिसे पूर्व में पूरे डाटा प्रविष्टि हेतु भुगतान किया गया था पुनः अधतनीकरण हेतु उनके द्वारा ही की गई प्रविष्टियों हेतु

¹⁴ यह तहसील के अंदर भूमि का अनन्य सर्वेक्षण क्रमांक होता है और पी-~~II~~ भी कहलाता है।

¹⁵ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, रायगढ़ और रायपुर

¹⁶ बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर

भुगतान किया गया। यह अनियमित था क्योंकि इस मध्यावधि में (वर्ष 1999-सितम्बर 2002) खसरो में अधतन केवल नामांतरण¹⁷ की वजह से ही हुये होंगे।

विभागीय पत्राचारों (जून-जुलाई 2003) में दर्शाया गया था कि प्रायः नामांतरण प्रतिवर्ष कुल खसरो के छः से सात प्रतिशत और किसी भी परिस्थिति में 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होते हैं। वर्ष 1999 से सितम्बर 2002 के दौरान अधतनीकरण की अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। शतप्रतिशत वास्तविक प्रविष्टियों के अधतनीकरण हेतु बिना जांच भुगतान किये जाने के फलस्वरूप रूपये 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित करने पर जिलाधीशों द्वारा बताया गया कि भुगतान आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश के निर्देश (जून 2000) और आयुक्त, भू अभिलेख, छत्तीसगढ़ के निर्देश (मार्च 2004) के अनुरूप किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था। आयुक्त, भू-अभिलेख के निर्देश (जून 2000) उन प्रारंभिक प्रविष्टियों के अधतनीकरण से संदर्भित था जो कि अनुबंध से पूर्व विभागीय स्तर पर कुछ गांवों के संदर्भ में किया गया था। यह आधारवर्ष 1999 के डाटाप्रविष्टि से संबंधित था जिसे बाद में फर्म द्वारा स्वयं के प्रविष्टियों के शतप्रतिशत अधतनीकरण के भुगतान के औचित्य को प्रमाणित करने हेतु उद्धृत नहीं किया जा सकता। आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ के निर्देश (मार्च 2004) एवं पूर्व के निर्देश (जुलाई 2003) यह दर्शाते हैं कि भुगतान कुछ सर्वे संख्या (खसरा) और अधतनीकरण हेतु अनुबंधित दर के आधार पर किया जाना चाहिये था और अधतनीकरण की दर एक जिले में कुल सर्वे संख्या के छः से सात प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिये थी।

अंतिम प्रिंट हेतु लेखन सामग्री पर अधिक भुगतान

अनुबंध के अनुसार फर्म द्वारा खसरो के अंतिम प्रिंट तीन प्रतियों में प्री-प्रिंटेड लेखन सामग्री पर जो कि विभाग द्वारा प्रदान की जानी थी पर प्रदान किया जाना था। तदनन्तर यह निर्णय लिया गया (मार्च 2002/अप्रैल 2003) कि फर्म अपने लेखन सामग्री पर अंतिम प्रिंट प्रदान कर सकती थीं जिस हेतु उन्हें रूपये 1129 प्रति पैकेट (1000 शीट्स) का भुगतान किया जाना था। एक पृष्ठ पर तीन खसरा प्रविष्टि प्रिंट किया जाना था ताकि भविष्य में पटवारी¹⁸ सुगमता से इन प्रतियों पर संशोधन अंकित कर सकें।

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया है कि अंतिम प्रिंट की प्रतियों में तीन के स्थान पर औसतन 10 खसरा प्रविष्टियां मुद्रित थीं लेकिन लेखन सामग्री हेतु भुगतान तीन खसरा प्रविष्टि प्रतिपृष्ठ की दर से मार्च 2003 से जनवरी 2005 के मध्य किया गया।

जब यह विषय ध्यान में लाया गया तब जिलाधीश, दंतेवाड़ा ने कहा (अगस्त 2003) कि वसूली की कार्यवाही की जावेगी; जिलाधीश रायगढ़ ने कहा (फरवरी 2005) कि फर्म को किये गये भुगतान की जांच की जावेगी। जिलाधीश बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर ने कहा (नवम्बर 2004-फरवरी 2005) कि लेखन सामग्री हेतु भुगतान फर्म को आयुक्त

¹⁷ नामांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिक्री, भूदान, न्यायालयीन डिक्री, फौती (उत्तराधिकार), बंधक, बंटवारा, वसीयत एवं विनिमय विलेख के कारण वर्तमान स्वामि (यों) से दूसरे (रों) को भूमि का स्थानांतरण होता है।

¹⁸ वह व्यक्ति जो ग्राम (मों) में भू-अभिलेख संघारित करता है।

भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ के निर्देश (जून 2002) के अनुरूप किया गया जिसमें यह उल्लेख था कि प्रतिपृष्ठ कितने खसरा प्रिंट होने हैं यह साफ्टवेयर में पूर्व निर्धारित है और डाटाप्रविष्टि करने वाले फर्म इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। निर्देशों में यह भी उल्लेख था कि यदि तीन से अधिक खसरा प्रविष्टि प्रतिपृष्ठ की जावे तब भी भुगतान तीन प्रविष्टि प्रतिपृष्ठ को आधार मानकर ही किया जावे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था। जब साफ्टवेयर में प्रतिपृष्ठ प्रिंट होने वाले खसरा की संख्या पूर्व निर्धारित थी तब इस संख्या एवं प्रयुक्त होने वाली लेखन सामग्री की गणना साफ्टवेयर में पूर्व निर्धारित प्रतिपृष्ठ प्रिंट के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिये था। वास्तविक औसत दर था ऐसे में तीन खसरा प्रिंट प्रति पृष्ठ को आधार मानने का कोई औचित्य नहीं था। आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ द्वारा साफ्टवेयर में पूर्व निर्धारित प्रति पृष्ठ प्रिंट किये जाने वाले वास्तविक खसरा की जांच किये बिना जारी किये गये अनियमित निर्देशों के फलस्वरूप रुपये 55 लाख का अधिक भुगतान फर्मों को अप्रयुक्त लेखन सामग्री के लिये किया गया। इसके अलावा प्रतिपृष्ठ तीन खसरा प्रिंट प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्णतः विफल रहा।

अनुबंध के अनुसार खतौनी¹⁹(बी-1) के अंतिम प्रिंट भी फर्मों द्वारा तीन प्रतियों में प्रदाय किया जाना था किंतु आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ के निर्देश (जुलाई 2003) के अनुसार बी-1 का प्रिंट केवल एक प्रति में ही प्राप्त किया जा सकता था।

तथापि, उक्त निर्देशों के विरुद्ध बस्तर एवं रायपुर जिले में वितरित बी-1 का अंतिम प्रिंट अप्रैल 2004 से मई 2004 के मध्य तीन प्रतियों में प्राप्त किये गये जिसके विरुद्ध रुपये 1129 प्रति पैकेट की दर से भुगतान फर्म को किया गया।

संबंधित जिलाधीशों द्वारा समय पर कार्यवाही न किये जाने एवं आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ के निर्देशों को फर्म को प्रेषित न किये जाने से बी-1 के अंतिम प्रिंट अनावश्यक रूप से प्राप्त किये गये फलस्वरूप रुपये 6.78 लाख का परिहार्य भुगतान लेखन सामग्री मद में हुआ।

मामला शासन को सूचित किया गया (अगस्त 2005); उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2005)।

¹⁹ इसमें अनुक्रमानुसार आबंटित खाता क्रमांक के साथ वर्णक्रमानुसार छोटे गये अभिलेखों की स्वामित्व-वार जानकारी निहित है, जिसे भी बी-४ कहा जाता है।

4.4 व्यपवर्तन/निधियों का दुरुपयोग

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग

4.4.1 जलग्रहण विकास निधि सृजित करने के लिए कार्यक्रम निधियों का दुरुपयोग

1.27 करोड़ रुपये के जलग्रहण विकास निधि का अनियमित सृजन

चयनित ग्रामों के लाभ के लिये विभिन्न जलग्रहण विकास गतिविधियों हेतु, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग द्वारा जलग्रहण विकास के लिए दिशानिर्देश (पुनरीक्षित 2001) जारी किए गये हैं।

यह उल्लेखित था कि, जलग्रहण विकास निधि का सृजन, सामान्य परिसम्पत्तियों के सुधार एवं संधारण के लिए अथवा परियोजना अवधि के पूर्ण होने के पश्चात सामान्य उपयोग के लिये, किया जाना चाहिये। निधियों का सृजन हितग्राहियों के अंशदानों²⁰ से होना था एवं योजना के पूर्ण होने के पश्चात स्थानीय जलग्रहण समितियों को सौंपा जाना था।

जिला पंचायत, दुर्ग, जगदलपुर तथा कोरबा के अन्तर्गत जलग्रहण समितियों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल से जून 2005) में प्रकट हुआ कि, उक्त जिलों में हितग्राहियों से अंशदान संचय करने के स्थान पर योजना निधि के 1.27 करोड़ रुपये का उपयोग जलग्रहण विकास निधि का सृजन, जलग्रहण विकास गतिविधियों में परिनिर्णयित श्रमिकों को 5 से 10 प्रतिशत मजदूरी का कम भुगतान कर किया गया। यद्यपि योजना के दिशानिर्देशों में जलग्रहण विकास निधियाँ सृजन के लिए श्रमिकों से कोई भुगतान नहीं लिया जाना उपबंधित था।

परिणास्वरूप, शासकीय अभिकरण द्वारा, जलग्रहण विकास निधियों का सृजन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से किया गया, तथा श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से वंचित हुए।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत, जगदलपुर तथा कोरबा ने तथ्यों को स्वीकार कर, बताया कि, भविष्य में सिर्फ उपयोगकर्ता समूहों/उपयोगकर्ताओं से अंशदान सुनिश्चित किया जावेगा जबकि (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) जिला पंचायत, दुर्ग ने सूचित किया कि उत्तर, परियोजना अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत किया जावेगा।

²⁰ व्यक्तिगत भूमि पर कार्य के निर्माण की लागत का 10% न्यूनतम तथा सामुदायिक भूमि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे के लोगों द्वारा धरित भूमि पर निर्माण कार्य की लागत का 5% किया जाना था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2005)।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.4.2 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना निधियों का व्यपवर्तन

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत क्रय किए गये 39.88 लाख रुपये के उपकरणों का जिला अस्पतालों को व्यपवर्तन

शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ प्रदाय करना उद्देशित था। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (ग्रामीण स्वास्थ्य प्रभाग) द्वारा योजना के स्वास्थ्य घटक पर जारी दिशानिर्देश (जुलाई 2000) में परिकल्पित है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु निधियों का उपयोग (अ) निधियों के पचास प्रतिशत को अस्तित्व की एवं कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के सुदृढीकरण पर औषधियों, आवश्यक उपभोज्य, को प्राप्त करने में, ए.एन.एमस्²¹ की यात्रा लागत की आकस्मिकताओं पर, आवश्यक उपकरणों की मरम्मत, फर्नीचर्स की मरम्मत/प्रतिस्थापन पर एवं, (ब) पचास प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों की अधोसंरचना के सुदृढीकरण, मरम्मत एवं संधारण के लिए, पेयजल प्रदाय, पर्याप्त प्रसाधन सुविधाएँ एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर किया जाना था।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2005) में प्रकट हुआ कि, उपरोक्त दिशानिर्देशों के विपरीत 2002-03 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त 39.88 लाख रुपये का उपयोग संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार जिला अस्पतालों के उन्नयन हेतु उच्च मूल्य उपकरण क्रय करने में किया गया :-

स. क्र.	वर्णन	मात्रा	इकाई मूल्य	कुल लागत (रुपये)	जिला अस्पतालों को जारी
1.	एक्स-रे मशीन 300 एम.ए.	1	5,72,045	5,72,045	जशपुर
2.	एक्स-रे मशीन 500 एम.ए.	1	7,51,557	7,51,557	दंतेवाड़ा
3.	पल्सर आक्सीमीटर	10	85,627	8,56,270	कोरबा-3
					दुर्ग-2
					महासमुन्द-2
					कवर्धा-2
					धमतरी-1
4.	कार्डियोटोकोग्राफ	5	2,03,867	10,19,335	कोरबा-3
					महासमुन्द-2
5.	ब्लड गैस एनालाईजर	1	7,88,888	7,88,888	रायपुर
				39,88,095	

ग्रामीण क्षेत्रों में दरवाजे पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य अधोसंरचना के

²¹ आक्जीलरी नर्सिंग मिडवाइफ।

उन्नयन तथा सुदृढीकरण का उद्देश्य, जिला अस्पतालों में कीमती उपकरण क्रय करने से पूर्णतः विफल हो गया।

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2005) कि, नये सृजित जिलों जशपुर, दंतेवाड़ा एवं कवर्धा के जिला अस्पतालों में ग्रामीण ज्यादातर इलाज करवाते थे। जिला अस्पताल अभी भी पूर्णतः सुसज्जित नहीं है एवं उपकरणों के क्रय पर बजट की मात्र छोटी राशि का उपयोग किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिला अस्पतालों के लिए उपकरण विभाग के नियमित बजट में से क्रय किए जाने चाहिए।

इस तरह, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की निधियों का जिला अस्पतालों को व्यपवर्तन किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदाय की जाने वाली बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ, विस्तारित नहीं की जा सकी।

4.5 नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु

सामान्य प्रशासन विभाग

4.5.1 वेतन अग्रिम की वसूली न होना

राज्य शासन द्वारा 94.74 लाख रुपये का वेतन अग्रिम वसूल नहीं किया गया, जिसकी परिणिति शासकीय कर्मचारियों को अनुचित लाभ के रूप में हुई।

मध्यप्रदेश राज्य के, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ने एक अधिसूचना (अक्टूबर 2000) जारी की, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ स्थानान्तरित किए गए कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। उनमें से एक लाभ, दो माह का वेतन अग्रिम (मूल वेतन) जिसकी वसूली बारह समान किशतों में होनी थी, भी था।

परिशिष्ट 4.5 में दर्शाये गये 23 इकाईयों के अभिलेखों की अगस्त से दिसम्बर 2004 के बीच की गई नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि, छत्तीसगढ़ स्थानान्तरित किए गए 843 कर्मचारियों के 94.74 लाख रुपये के वेतन अग्रिम की वसूली अभी तक (अप्रैल 2005) नहीं की गई थी, क्योंकि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने आगामी आदेशों तक वेतन अग्रिम की वसूली स्थगित करने के आदेश (मई 2001) जारी किए थे। तत्पश्चात (जनवरी 2004) सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पूर्व वेतन से अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान से, वेतन अग्रिम की वसूली किए जाने के आदेश जारी किए।

शासन ने सूचित किया (जुलाई 2005) कि, यह सोचा गया कि, राज्यों के बीच परिसम्पत्तियों के बटवारे के समय ऐसी वसूली पर विचार किया जा सकेगा। आगे यह बताया गया (नवम्बर 2005) कि कर्मचारी संघ के निवेदन पर विचार करने के बाद वसूली को स्थगित किया गया। शासन का दृष्टिकोण सही नहीं है। वेतन अग्रिमों को

नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार वसूली आवश्यक है एवं तीन वर्ष से अधिक या उनकी सेवानिवृत्ति तक राशि के कर्मचारियों के पास बने रहने देना शासन के वित्तीय नियमों की अवहेलना है। जबकि वसूल किये गये राशि के मध्यप्रदेश को भुगतान के संबंध में परिसम्पत्तियों के बटवारे के समय विचार किया जा सकता था।

ऐसे अग्रिम की सकल राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें शासन के सभी विभाग शामिल है। शासन द्वारा वेतन अग्रिमों की तत्काल वसूली के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाने चाहिए एवं इस खाते में वसूल की गई कुल राशि की सूचना लेखापरीक्षा को दी जानी चाहिए।

स्कूल शिक्षा विभाग

4.5.2 इंदिरा सूचना शक्ति योजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन

इंदिरा सूचना शक्ति योजना अन्तर्गत 1.82 करोड़ रुपये का संस्था को, जिसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिये जाने का दायित्व सौंपा गया था, किया गया भुगतान, प्रशिक्षण कार्यक्रम के कमतर कार्यान्वयन एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप न होने से, अनियमित था।

कक्षा 9, 10, 11 तथा 12वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सभी बालिका विद्यार्थियों एवं साथ ही साथ अन्य समुदाय की गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिका विद्यार्थियों के लिये मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु शैक्षणिक सत्र 2001-02 से छत्तीसगढ़ राज्य में "इंदिरा सूचना शक्ति योजना" प्रारंभ की गई।

एक निजी संस्था "आल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट) जिसे सम्मिलित राज्य में कम्प्यूटर शिक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश शासन ने अनुबंधित किया था, को छत्तीसगढ़ में यही कार्य नये अनुबंध के द्वारा तीन वर्ष की अवधि हेतु सौंपा गया (जून 2001)। अनुबंध में कम्प्यूटर शिक्षण, अधोसंरचना एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 54 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह से भुगतान उपबंधित था।

चार जिला शिक्षा अधिकारियों, अम्बिकापुर, बिलासपुर, महासमुन्द तथा रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2004 से मार्च 2005) में प्रकट हुआ कि, 2001-04 की अवधि में आईसेक्ट को 1.82 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों ने प्राचार्यों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जमा किए गये मासिक देयकों के आधार पर भुगतान किया जिसमें मात्र उपस्थित छात्रों की संख्या एवं समन्वयक के नाम को दर्शाया गया था। इस तरह, जिला शिक्षा अधिकारियों ने, भुगतान करते समय, कम्प्यूटर्स की आवश्यक संख्या, इन्टरनेट सुविधा, अनुदेशकों की संख्या, प्रत्येक दल में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षाओं की अवधि, के उपबंधन को, जैसा कि अनुबंध की शर्तों में आवश्यक था, सुनिश्चित नहीं किया। जाँच में निम्न कमियाँ प्रकट हुई :-

अनुबंध में उपबंधित था कि, प्रत्येक केन्द्र पर इन्टरनेट कनेक्शन के साथ प्रत्येक शाला में पाँच कम्प्यूटर सहायक उपकरणों के साथ प्रतिष्ठापित करना थे यह देखा गया कि,

281 शालाओं में आवश्यक 1405 कम्प्यूटर्स के विरुद्ध मात्र 616 कम्प्यूटर (44 प्रतिशत) प्रतिष्ठापित किए गये, एवं इनमें से 32 शालाओं में से प्रत्येक में पाँच कम्प्यूटर्स उपलब्ध थे। किसी भी शाला में इन्टरनेट की सुविधा नहीं थी। प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेन्ट्री, बिलासपुर द्वारा संस्था को की गई शिकायत (नवम्बर 2001) भी, विद्यार्थियों की तुलना में कम संख्या में कम्प्यूटर्स प्रतिष्ठापित किए जाना एवं निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जाना, सुनिश्चित करती है। अम्बिकापुर की छः शालाओं को छोड़कर, प्रिंटर, मोडम, यू.पी.एस. एवं प्रोजेक्टर जैसे अन्य सहायक उपकरण भी प्रदाय नहीं किए गये। अनुज्ञप्त साफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था।

अनुबंध में यह भी उपबंधित था कि, ठेकेदार द्वारा विद्यार्थियों के प्रत्येक दल के लिए अर्हता प्राप्त अनुदेशक लगाये जाने थे एवं अनुदेशक विद्यार्थी अनुपात को 1:20 संधारित किया जाना था। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखा गया कि, नमूना जाँच किए गये जिलों में 18997 छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्ष के दौरान 111 अनुदेशक लगाये गये। इस तरह, यह संदेहास्पद है कि, 1:20 के मान्य अनुपात के अनुसार, वास्तविक अनुदेशक विद्यार्थी अनुपात संधारित किया गया। एकत्र की गई जानकारी से, आगे प्रकट हुआ कि, अम्बिकापुर में 10 अनुदेशक तथा बिलासपुर में 17 के पास, अनुबंध में उल्लेखित कम्प्यूटर अहर्ता²² नहीं थी, जिसने प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

स्थान के मुफ्त प्रयोग के बदले में संस्था द्वारा 10 अध्यापकों/अमले को मुफ्त प्रशिक्षण तथा संस्थान प्रमुख द्वारा चयनित अतिरिक्त 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को मुफ्त सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जानी थी। यह देखा गया कि, बिलासपुर जिले को छोड़कर, अध्यापकों/अमले को एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त विद्यार्थियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के निष्पादन में असंतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद भी, शालाओं के प्राचार्यों द्वारा उच्चाधिकारियों को कमियों को सूचित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं सामान्य प्रक्रिया के रूप में देयक तैयार किए गये तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किए गये। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर तथा रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर के एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किये गये निरीक्षण (अप्रैल 2004) के प्रतिवेदन से भी सूचित हुआ कि बालिका विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में प्रतिष्ठापित कम्प्यूटरों की संख्या कम थी। प्रशिक्षण समय के नियमित विषय कक्षाओं के अतिव्यापन के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी आई एवं योजना के अन्तर्गत रूपांकित पाठ्यक्रम की तुलना में विद्यार्थियों का स्तर काफी नीचे था।

²² कम्प्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग/एप्लीकेशन्स/सूचना प्रौद्योगिकी में स्तानक इंजीनियर अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्तानकोत्तर (एम.सी.ए.) अथवा बी.सी.ए.अधिमान्यता 1 वर्ष का अनुभव सहित अथवा पी.जी.डी.सी.ए.अधिमान्यता 1 वर्ष का अनुभव अथवा तीन वर्षीय डी.सी.ए./इंजीनियरिंग/अधिमान्यता 2 वर्ष का अनुभव सहित सूचना प्रौद्योगिकी अथवा "ब" स्तरीय डी.ओ.ई.एक्सीलेरेटेड पाठ्यक्रम अथवा "ए" स्तरीय डी.ओ.ई.एक्सीलेरेटेड पाठ्यक्रम अधिमान्यता 1 वर्ष के अनुभव सहित अथवा बी.सी.ए.कम्प्यूटर विज्ञान अधिमान्यता 1 वर्ष अनुभव सहित।

यद्यपि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियाँ मौजूद थी, नमूना जाँच किए गये जिलों में आईसेक्ट को किया गया 1.82 करोड़ रुपये का सकल भुगतान अनियमित था।

संचालक लोक शिक्षण, रायपुर ने बताया (नवम्बर 2005) कि, जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण के असंतोषप्रद संचालन की, अथवा कम्प्यूटर्स की अपर्याप्त संख्या पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए तथा संचालनालय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठकों से योजना की प्रगति का परीक्षण किया गया एवं कोई कमियाँ प्रतिवेदित नहीं की गईं।

संचालक, लोक शिक्षण का उत्तर, तीन जिला शिक्षा अधिकारियों (अम्बिकापुर, महासमुन्द तथा रायगढ़) के उत्तर के विरोधाभासी है, जिन्होंने अनियमितताओं को स्वीकारा किन्तु संचालक, लोक शिक्षण को सूचित करने में असफल रहे एवं जिन्होंने शाला प्राचार्यों पर उपबन्धों को लागू करने का उत्तरदायित्व थोप दिया। संचालक, लोक शिक्षण का उत्तर, अनुबंध की समाप्ति (14 जून 2004) के तुरन्त पश्चात्, उनके दिनांक 29 जून 2004 के आदेश का विरोधाभासी भी है, जिसके द्वारा अनुबंधीय उपबन्धों के उल्लंघन पर आईसेक्ट को किए गये सभी भुगतानों की वसूली हेतु कारण बताओं नोटिस दिया गया था।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

पाँचवा अध्याय

सरकारी विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

गृह विभाग

5.1 जेल विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

विशेषतायें

जेल विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा के दौरान आन्तरिक नियंत्रण प्रविधियों के अनुपालन में चूकें प्रकट हुईं। त्रुटि और अनियमितताओं की संभावित जोखिम भारी थी तथा विभाग कमजोर बजटीय, वित्तीय एवं संचालन संबंधी नियंत्रणों के कारण स्रोतों के अधिकतम उपयोग के जरिये अपने निर्दिष्ट कार्यों को दक्षतापूर्वक परिपूर्ण करने में असमर्थ रहा। उप इकाइयों का अनुश्रवण दोनों, विभागीय तौर पर और निर्दिष्ट अतिरिक्त विभागीय निकायों के जरिये अपर्याप्त था तथा समस्या-क्षेत्रों का पता लगाने अथवा सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने में विफल हुआ। इस प्रकार, अवास्तविक बजट अनुमानों, अपूर्ण कार्य, जेलों में अत्यधिक भीड़, विचाराधीन बंदियों की भारी लंबित स्थिति, निरंतर बंदियों के भागने, मार्गस्थ बंदियों के लिए अपर्याप्त पुलिस गार्ड और बंदियों की समयपूर्व रिहाई की समीक्षा न करने आदि की, कमियाँ सालोंसाल बनी रहीं।

- जेलों में अत्यधिक भीड़ के बावजूद, निर्माण कार्यों के पूर्ण न होने के कारण अतिरिक्त स्थान सृजित नहीं किया जा सका, यद्यपि निधियाँ उपलब्ध थीं।

(कंडिका 5.1.13)

- बीमारी का विवरण, नमूना जाँच किये गये 19 बंदियों में से, 16 के हिस्ट्री टिकिटों में अंकित नहीं था; जैसा कि निर्धारित था।

(कंडिका 5.1.17)

- 2001 से 2004 तक की अवधि में कुल बंदियों के 48 से 51 प्रतिशत विचाराधीन बंदी निरूद्ध थे परन्तु उनके प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु निर्दिष्ट कदम नहीं उठाये गये।

(कंडिका 5.1.18 एवं 5.1.19)

- जेलों से 18 बंदियों के भागने के बावजूद, नियमित सैन्य प्रशिक्षणों/अलार्म परेडों/अकस्मात् रात्रि निरीक्षणों के जरिये भागना/जेल-खंडनों को रोकने में जेल प्राधिकारियों की तत्परता सुनिश्चित नहीं हुई।

(कंडिका 5.1.20)

➤ महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, जेल (जे.म.नि.), उप जेलों में जेल अधीक्षकों, परिदर्शक बोर्ड, अनाधिकारिक परिदर्शकों और जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किये जाने वाले निर्दिष्ट निरीक्षणों में कमियाँ थीं।

(कंडिका 5.1.23)

➤ नये प्रिजन बिल तथा जेल नियमावली के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों पर राज्य शासन ने कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

(कंडिका 5.1.24)

➤ दंडित बंदियों की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने के लिए समीक्षा नहीं की गई क्योंकि निर्दिष्ट सलाहकार बोर्ड गठित नहीं किए गए।

(कंडिका 5.1.25)

प्रस्तावना

5.1.1 किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि, उसका संचालन, मितव्ययी, त्वरित तथा प्रभावी तरीके से प्रचलित विधियों एवं नियमों से किया जा रहा है। शासन के पास एक सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्र है, जहाँ सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है एवं विशिष्ट क्रियात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण, संबंधित विभाग द्वारा स्वयं कार्यान्वित किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं को सौंपे गये कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक योजना अस्तित्व में है, जबकि निर्धारित आंतरिक नियंत्रण पर साथ ही साथ दृढ़ता सुनिश्चित की गई है। आंतरिक नियंत्रण, एक संगठन के संचालन का अभिन्न अंग होने के साथ ही यह आंतरिक लेखापरीक्षा के ध्यान का मुख्य केन्द्र भी है। जेल विभाग के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नियंत्रण तंत्र का पालन मुख्य कारक है जिससे कैदियों की सुरक्षा, अभिरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं रहने की उचित व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

जेल विभाग शासन के प्रमुख सचिव, गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था तथा महानिदेशक, जेल (जे.म.नि.) की अध्यक्षता में उप महानिरीक्षक, जेल (उ.म.नि.) सहायता करते थे। जेल महानिरीक्षक के पूर्ण नियंत्रण के अधीन जेल अधीक्षकों की अध्यक्षता में चार¹ केन्द्रीय जेलें, छः² जिला जेलें और 17³ उप जेलें (कुल 27 इकाइयाँ) थीं।

1 अम्बिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर

2 बैकुंठपुर, दुर्ग, जशपुर, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगाँव

3 बलोदाबाजार, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, धमतरी, डोंगरगढ़, गरियाबंद, जाँजगीर, कांकेर, कटघोरा, महासमुन्द, मनेन्द्रगढ़, नारायणपुर, पेंड्रारोड, सामानुजगंज, संजरी बालोद, सुकमा और सूरजपुर

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विस्तृत लेखापरीक्षा का उद्देश्य विभिन्न नियंत्रण उपायों की सूक्ष्म जाँच करना था जिससे कि यह निर्धारित करना, यदि :

- नियंत्रण प्रविधियाँ जो अधिनियम और नियम पुस्तिकाओं में उल्लिखित हैं, उनका अनुसरण किया गया;
- बजटीय, व्यय, कार्यचालन और सामग्री-प्रबंध संबंधी नियंत्रणों का पालन किया गया; और
- बंदियों की अभिरक्षा, के लिए नियंत्रण तंत्र का अनुसरण किया गया।

5.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

कारागार अधिनियम, 1894 एवं मध्यप्रदेश कारागार नियम, 1968 (छत्तीसगढ़ द्वारा मान्य तथा इसके आगे जेल नियमावली संदर्भित) में से प्राप्त नियंत्रण संरचना और प्रमाणों के विरुद्ध कथित लेखापरीक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा संवीक्षा की गई।

5.1.5 लेखापरीक्षा समावेशन एवं पद्धति

वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के लिए विभाग के वित्तीय साथ-ही-साथ कार्यचालन क्षेत्रों से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा जे.म.नि., चार केन्द्रीय जेलों में से दो (रायपुर और जगदलपुर), छः जिला जेलों में से दो (दुर्ग और रायगढ़) तथा 17 उप जेलों में से तीन (बेमेतरा, डोंगरगढ़ और कांकेर) के अधीक्षकों द्वारा संधारित अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गई। लेखापरीक्षा पद्धति प्राथमिक रूप से अभिलेख समीक्षा और जेल विभाग में विभिन्न स्तरों पर चर्चा पर आधारित थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय नियंत्रण

विभाग अपने निपटान पर रखे गये अनुदान या विनियोजन के विरुद्ध बजट अनुमानों को तैयार करने एवं व्यय पर बजटीय नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी था। वित्तीय नियंत्रण की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि जे.म.नि. बजट अनुमानों और उसके अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकार्यों द्वारा किए जा रहे व्यय पर निर्दिष्ट नियंत्रण नहीं रख रहा था। वित्तीय नियंत्रण कमजोर थे जैसाकि रोकड़ पुस्तक के अनुचित संधारण, कोषालय से मिलान न करना, देयक पंजियों में कोषालय प्रमाणक क्रमांक का अभिलेखांकन न करना और परिसंपत्तियों की खराब भौतिक अभिरक्षा में प्रकट हुए। नियंत्रण प्रक्रिया के आंशिक अनुपालन या अनुपालन न करने के कारण वित्तीय त्रुटियों, धोखा-धड़ी, दुर्विनियोजन या गबन होने और पता न लग पाने की भारी जोखिम थी। लेखापरीक्षा में ध्यान में आई नियंत्रण की कमियाँ नीचे दी गई हैं:

5.1.6 बजटीय नियंत्रण

अतिकथित बजट अनुमानों को तैयार करना

वर्ष 2000-01 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001) से 2004-05 के लिए माँग संख्या 5 हेतु बजट अनुमान अवास्तविक थे और परिणामस्वरूप 11 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक भारी बचत रहीं जिसका विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है :

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	कुल आवंटन	व्यय	बचत जो 31 मार्च को समर्पित की गई	बचत का प्रतिशत
2000-01 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001)	7.86	6.86	1.0	13
2001-02	19.10	16.19	2.91	15
2002-03	27.19	24.06	3.13	12
2003-04	28.14	25.10	3.04	11
2004-05	29.94	19.27	10.67	36
योग	112.23	91.48	20.75	18

(स्रोत : विभागीय आंकड़े)

इसे इंगित किए जाने पर जे.म.नि.ने कहा (अप्रैल 2005) कि विभाग में रिक्त पदों को न भरने के कारण बचत हुई। उत्तर ने वास्तविक आवश्यकताओं के विरुद्ध बजट अनुमान तैयार करने के मुख्य नियंत्रण की विफलता को रेखांकित किया तथा अनुमानों को, रिक्तियों के भरने की प्रत्याशा में रिक्त पदों के लिए नहीं बनाया जाना चाहिये था।

5.1.7 व्यय नियंत्रण

यद्यपि अधीनस्थ कार्यालयों ने जे.म.नि.को मासिक व्यय पत्रक भेजे थे, नियंत्रण कार्यालय में 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान व्यय नियंत्रण पंजियाँ संधारित नहीं की गईं। नियंत्रण पंजी के असंधारण के फलस्वरूप बजटीय नियंत्रण का अभाव, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अनुश्रवण का अभाव, वर्ष के अंतिम भाग की ओर अत्यधिक व्यय तथा तीन प्रकरणों⁴ में 21 लाख रुपये (2000-01 में 16 लाख रुपये और 2001-02 में 5.00 लाख रुपये) के अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किए गए जबकि उस शीर्ष में अंतिम रूप से बचत थी।

5.1.8 व्यय का पुनर्मिलान का करना

माँग संख्या 5 के अन्तर्गत विभागीय व्यय का, महालेखाकार द्वारा लेखांकित व्यय से सामयिक पुनर्मिलान, सामान्य वित्तीय नियम के नियम 66(2)(viii) के अधीन प्रावधानित है जो नियंत्रण अधिकारी (जे.म.नि.) को आश्वस्त करना था कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत विभागीय लेखे, कोषालय से आहरणों के सही चित्रण थे तथा पुनर्मिलान

⁴ उप शीर्ष 938- केन्द्रीय, जिला और उप जेलों के अंतर्गत 13.50 लाख रुपये एवं 5.00 लाख रुपये तथा उप शीर्ष 1529- जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण के अंतर्गत रुपये 2.50 लाख।

कपटपूर्ण आहरणों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण नियंत्रण था। तथापि जे.म.नि.के द्वारा 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान पुनर्मिलान नहीं किया गया और इन सभी वर्षों में विभागीय आँकड़े तथा महालेखाकार के आँकड़ों में अंतर पाया गया। 2000-05 की अवधि में महालेखाकार द्वारा लेखांकित व्यय के आँकड़े एवं विभागीय लेखों में दर्शित आँकड़ों में 31 लाख रुपये का अन्तर था।

जेल महानिरीक्षक ने बताया (सितम्बर 2005), अमले की कमी के कारण आँकड़ों का पुनर्मिलान नहीं किया जा सका।

5.1.9 बंदियों की मजदूरी के खातों का संधारण और परिचालन

मध्यप्रदेश कारागार नियम, 1968 के नियम 647(क) एवं (ख) में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार, दंडित⁵ बंदी द्वारा एक माह में उपार्जित मजदूरी का 50 प्रतिशत, पीड़ित अथवा उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिकर देने के लिए, एक सामान्य निधि (निधि) में जमा किया जाना था। निधि एक वैयक्तिक जमा खाता (वै.ज.खाता) के रूप में रखी जानी थी जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और जेल अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित करना था। मजदूरी का शेष 50 प्रतिशत दंडित और संबंधित जेल अधीक्षक के नाम से संयुक्त बचत बैंक खाते में जमा किया जाना था। इन खातों के संधारण और परिचालन की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं।

5.1.10 सामान्य निधि का प्रबंध

दंडित बंदियों की मजदूरी से पीड़ितों के लिए सृजित निधि का उपयोग अत्यल्प था

निधि का प्रबंध जिला मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष), पुलिस अधीक्षक (सदस्य) और संबंधित जेल अधीक्षक (सदस्य सचिव) की गठित एक समिति द्वारा किया जाना था। नमूना जाँच की गई इकाइयों में पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को वितरित करने हेतु निधि का उपयोग बहुत ही कम (10 प्रतिशत) पाया गया क्योंकि निधि प्रबंध करने वाली समिति पीड़ित पक्षों जिनको प्रतिकर देय था, उनकी पहचान करने में असफल थी।

दस आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निधि में जमा 1.83 करोड़ रुपये में से केवल 17.58 लाख रुपये 666 पीड़ितों को प्रतिकर देने हेतु वितरित किए गए।

अभिलेखों की आगे की गई नमूना जाँच में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

- अम्बिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और रायपुर में वै.ज.खाते मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 542 और 543 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बंद नहीं किए गए तथा वित्त विभाग के उचित प्राधिकार के बिना 2002-03 से शेष पड़े हुए थे। अगस्त/सितम्बर 2005 के अंत में वै.ज.खाते में 1.48 करोड़ रुपये का संचयित शेष पड़ा हुआ था।

⁵ एक व्यक्ति जिसको कारावास की सजा दी गई।

"पीडित निधि" के उपयोग न किए गए शेषों के वै.ज.खाते समुचित ढंग से संधारित नहीं किए गए।

- प्रबंध करने वाली समिति की, तिमाही बैठकों के निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग और कांकेर में 2000-05 (सितम्बर 2005 तक) की अवधि में, केवल दो से चार बार ही बैठकें की गईं।
- जिला जेल, दुर्ग में 9.53 लाख रुपये की राशि वैयक्तिक जमा खाते में रखने के स्थान पर रोकड़ में (2.08 लाख रुपये) और चालू खाते में (7.45 लाख रुपये) रखी गई तथा उप जेल, डोंगरगढ़ में 0.30 लाख रुपये की राशि बचत बैंक खाते में रखी गई। इसे इंगित किए जाने पर संबंधित अधीक्षकों ने कहा (अक्टूबर 2005) कि वैयक्तिक जमा खाता खोलने हेतु अनुमति चाही गई थी। इसी प्रकार, बेमेतरा में, 0.81 लाख रुपये की राशि चालू खाते में रखी गई थी।

इस प्रकार, 1.65 करोड़ रुपये की संचयित निधियाँ हितग्राहियों की पहचान न होने के कारण अवरूद्ध पड़ी रहीं क्योंकि इस प्रयोजन हेतु गठित समिति अनुदानग्रहीताओं/हितग्राहियों को पहचान करने हेतु कोई तंत्र विकसित करने में विफल रही।

5.1.11 बंदियों के लिए पृथक बचत बैंक खाते

बंदियों की मजदूरी का पचास प्रतिशत संयुक्त बचत बैंक खाते के स्थान पर नकद में अथवा एकल खाते में रखे गए

दंडित बंदियों द्वारा अर्जित पचास प्रतिशत मजदूरी का बंदी और जेल अधीक्षक के नाम से खोले गए संयुक्त बचत बैंक खाते में रखना था। केन्द्रीय जेल रायपुर, जगदलपुर और जिला जेल दुर्ग में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान प्रकट हुआ कि क्रमशः 42.66 लाख रुपये, 6.67 लाख रुपये और 2.08 लाख रुपये की राशियाँ अनधिकृत रूप से नकद में रखी गईं। केन्द्रीय जेल, रायपुर में, 4.53 लाख रुपये, केवल अधीक्षक के नाम से बैंक खाते में रखे गए और बंदी जिन्होंने मजदूरी उपार्जित की, उनका पता ज्ञात नहीं था। इस प्रकार, बंदियों को मजदूरी के कम भुगतान अथवा भुगतान न करने की संभावना नियंत्रित नहीं रखी जा सकी। ऐसी बड़ी राशियों को बैंक खाते में न रखने से उच्चकोटि के जोखिम की आशंका थी। इसे इंगित किए जाने पर संबंधित अधीक्षकों ने बताया (सितम्बर 2005) कि बैंक खाते खोलने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

रोकड़ प्रबंध

5.1.12 रोकड़ पुस्तक का संधारण

आठ⁶ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की नमूना जाँच के दौरान प्रकट हुआ कि रोकड़ पुस्तक के संधारण हेतु विद्यमान प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। निम्नलिखित चूकें/कमजोरियाँ दृष्टिगत हुईं :

- नमूना जाँच की गई सभी इकाइयों में रोकड़ पुस्तक प्रविष्टियाँ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अभिप्रमाणित नहीं की जा रही थीं तथा रोकड़ पुस्तक लिखने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा योगों की जाँच दैनिक आधार पर नहीं की गई।

⁶ जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बेमेतरा, डोंगरगढ़, कांकेर और जे.म.नि.मुख्यालय।

- रोकड़ पुस्तक में रोकड़ शेषों का भौतिक सत्यापन जेल मुख्यालय, रायपुर और उप जेल, डोंगरगढ़ के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था और सही होने का प्रमाण पत्र भी अंकित नहीं किया गया।
- माह के अंतिम कार्य दिवस को रोकड़ पुस्तक शेषों के विवरण/विश्लेषण अंकित नहीं किए जा रहे थे और संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किए गए।
- उप जेल, बेमेतरा और डोंगरगढ़ में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के देयक पंजियों में कोषालय प्रमाणक क्रमांक नियमित रूप से अंकित नहीं किए गए।
- समीक्षा की अविध के दौरान, कोषालयों में प्रेषणों का पुनर्मिलान, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कभी नहीं किया गया जिसके कारण यह सत्यापन करने योग्य नहीं था कि राशियाँ कोषालय में वास्तविक रूप से जमा की गईं और उचित लेखा-शीर्ष में लेखांकित की गईं।
- कार्यालयों में रोकड़ और भण्डार-सामग्री का लेन-देन करने वाले शासकीय सेवकों (जेल मुख्यालय: एक, केन्द्रीय जेल जगदलपुर: पाँच और उप जेल बेमेतरा: एक) से सुरक्षा प्रतिभूतियाँ प्राप्त नहीं की गईं।

कार्यचालन संबंधी नियंत्रण

5.1.13 जेलों में अत्यधिक भीड़

राज्य के जेलों में अत्यधिक भीड़ के बावजूद नई सुविधाओं के सृजन हेतु निधियों का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया गया।

राज्य की सभी जेलें 2001-05 की अवधि में अत्यधिक भीड़ युक्त थीं जैसा कि नीचे सारिणी में चित्रण किया गया है :

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	राज्य में सभी जेलों की क्षमता	बंदियों की औसत संख्या		योग	आधिक्य का प्रतिशत
		दंडित बंदी	विचाराधीन बंदी एवं अन्य		
2001	4503	4733	4934	9667	115
2002	4503	5044	4962	10006	122
2003	4563	4879	4456	9335	104
2004	4563	4752	4485	9237	102
2005 (जुलाई तक)	4563	4539	4510	9049	98

इस अत्यधिक भीड़ के उपरान्त भी विभाग ने "जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण" योजना के अन्तर्गत नई सुविधाओं के सृजन हेतु निधियों के प्रभावी एवं सामयिक उपयोग के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये थे जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है:

"जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण" योजना के अन्तर्गत 2002-04 के दौरान प्राप्त 14.94 करोड़ रुपये के कुल अनुदान में से, जे.म.नि. ने नई जेलों और बैरकों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 8.68 करोड़ रुपये आवंटित किए परन्तु उसका कोई अनुवर्तन नहीं था जिसके कारण केवल 4.42 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत) व्यय किए गए (अगस्त 2005) और शेष 4.26 करोड़ रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग के पास पड़ी हुई थी

(सितम्बर 2005)। इस प्रकार, आधुनिकीकरण हेतु निधियों की उपलब्धता के बावजूद जेलों में अत्यधिक भीड़ को कम नहीं किया जा सका। कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग 2004-05 और 2005-06 के लिए आगामी अनुदान का लाभ नहीं ले सका।

इसी प्रकार, ग्यारहवें वित्त आयोग से कुल अनुदान 84.46 लाख रुपये, निर्माण कार्य और उपकरणों के क्रय हेतु 2000-02 के दौरान प्राप्त हुए जिसमें से 63.34 लाख रुपये आठ⁷ बैरकों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 2001-04 के दौरान विमुक्त किए गए। यद्यपि सात बैरक पूर्ण किए गए (जून 2004), केवल पाँच⁸ विभाग को सौंपे गए। सौंपे गए बैरकों में से तीन⁹ उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे (सितम्बर 2005)।

जे.म.नि.ने बताया (सितम्बर 2005) कि सितम्बर 2005 तक कार्य पूर्ण करने हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार, पूर्ण न करने, पूर्ण बैरकों की अधिप्राप्ति न करने और नव-निर्मित बैरकों के उपयोग न करने के कारण अत्यधिक भीड़ की समस्याएँ बनी रहीं।

5.1.14 नये प्रवेश पर बंदियों का, पृथक इकाई में न रखा जाना

नये प्रवेश पर बंदी पृथक इकाई में नहीं रखे गए।

जेल नियमावली के नियम 302(2)(i)(ii) में प्रावधान है कि बंदियों के नये प्रवेश पर उन्हें जेलों के नियमों/अनुशासन से परिचित कराने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि वे संक्रामक रोगों से मुक्त थे, उन्हें कम से कम 10 दिनों के लिए पृथक इकाई में रखा जाना था। चार¹⁰ जेलों में, यद्यपि औसतन 130 से 1856 बंदी 2001-05 में प्रत्येक तिमाही के दौरान नये रूप से प्रविष्ट हुए, कोई भी बन्दी पृथक इकाई में नहीं रखा गया। जेल प्राधिकारियों ने यद्यपि चूक स्वीकार करते हुए स्थान की अनुपलब्धता को इसका कारण ठहराया (अक्टूबर 2005)।

5.1.15 किशोर बंदियों का पृथककरण

किशोर बंदी पृथक रूप से नहीं रखे गए।

यद्यपि जिला जेल, दुर्ग का एक पृथक खण्ड किशोर दण्डित बंदियों के लिए था, वे मुख्य जेल में अन्य बंदियों के साथ रखे गए और किशोर बंदी खण्ड आवश्यकतानुसार अस्थाई आधार पर हड़ताल आदि के दौरान गिरफ्तार किए गए बंदियों को रखने के लिए उपयोग किया जा रहा था। अधीक्षक, जिला जेल, दुर्ग ने यद्यपि चूक स्वीकार करते हुए कहा कि पर्याप्त स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण खण्ड का उपयोग नहीं किया जा सका।

5.1.16 बंदियों के अभिलेखों का संधारण

बंदियों के हिस्ट्री टिकट जेल नियमावली के उल्लंघन में आंशिक रूप से भरे गए।

छः¹¹ नमूना जाँच की गईं जेलों में बंदियों की 174 प्रवेश प्रविष्टियों और 89 हिस्ट्री टिकटों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ अर्थात् नये प्रवेश पर स्वास्थ्य, शारीरिक अनुरूप, मसूड़ों की स्थिति, श्रम का वर्ग, टीकाकरण, एड्स/क्षयरोग,

⁷ केन्द्रीय जेल: अम्बिकापुर और जगदलपुर (अपूर्ण); जिला जेल: दुर्ग और रायगढ़; उप जेल: बालोद (संजरी), बलोदाबाजार, जाँजगीर और महासमुन्द।

⁸ केन्द्रीय जेल: अम्बिकापुर; जिला जेल: दुर्ग और रायगढ़; उप जेल: बालोद (संजरी) और महासमुन्द।

⁹ जिला जेल: रायगढ़, उप जेल: बालोद (संजरी) और महासमुन्द।

¹⁰ केन्द्रीय जेल, रायपुर; जिला जेल, दुर्ग; उप जेल डोंगरगढ़ और बेमेतरा।

¹¹ केन्द्रीय जेल जगदलपुर और रायपुर, जिला जेल दुर्ग, उप जेल; बेमेतरा, डोंगरगढ़ और कांकर।

पाक्षिक वजन, रिहाई पर वजन आदि जैसा कि जेल नियमावली के प्रावधानों के अधीन आवश्यक थीं, कई प्रकरणों¹² में अंकित नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट हुआ कि ऐसी जानकारी के अभाव में बंदी के स्वास्थ्य की स्थिति को आंकना और प्रवेश के समय एवं अभिरक्षा के दौरान संक्रामक रोगग्रस्त बंदियों को अलग करना संभव नहीं था।

संबंधित जेल अधीक्षकों ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2005) कि भविष्य में प्रविष्टियों की जावेंगी और निर्दिष्ट प्रविधियों का अनुपालन किया जावेगा।

5.1.17 स्वास्थ्य और संबद्ध अभिलेखों का रख-रखाव

बंदियों के स्वास्थ्य अभिलेख का दायनीय रख-रखाव

केन्द्रीय जेल, रायपुर में चिकित्सा अधिकारी के मासिक प्रतिवेदन (मार्च और अगस्त 2005) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुष्ठ रोग एक से सात तक और क्षयरोग 16 से 19 तक के प्रकरण मार्च से अगस्त 2005 के दौरान बढ़ गए परन्तु प्रतिबंधात्मक कदम से संबद्ध कार्यवाही जो कि नियमों के अधीन की जानी थी, के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। एक प्रकरण एड्स के रूप में दर्ज था, जिसे अगस्त 2005 के प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया।

बीमार 19 बंदियों के हिस्ट्री टिकिटों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बीमारी का विवरण (अर्थात् क्षयरोग, कैंसर आदि) जो जेल नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक था, 16 बंदियों के हिस्ट्री टिकिटों में अंकित नहीं किया गया।

28 बीमार बंदियों (अगस्त 2005) में से केवल तीन प्रकरण (क्षयरोग, कैंसर और व्यक्त एड्स का प्रत्येक एक) चिकित्सा आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु जे.म.नि./शासन को अग्रेषित किए गए और बाकी बंदियों जो क्षयरोग से पीड़ित थे (18 में से एक 1995 से पीड़ित था) और कुष्ठरोगी (सात) की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए कि वे चिकित्सा आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु जे.म.नि./शासन को अग्रेषित हो सकें, जैसा कि जेल नियमावली के नियम 358(3)(ई), 365 और 366 के अन्तर्गत निर्दिष्ट था, उनकी समीक्षा कभी नहीं की गई।

कोई भी बंदी व्यक्तिगत/स्थानान्तरण नाम-सूची पर चिकित्सा अधिकारी के सिफारिश के बिना अन्य जेलों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। आगे, चिकित्सा अधिकारी को बंदी के स्थानान्तरण के एक दिन पहिले उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जाँच करनी चाहिए। चार¹³ जेलों में स्थानान्तरण प्रकरणों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि उक्त प्रविधि, बंदियों के अधिकांश स्थानान्तरणों में अंगीकार नहीं की गई।

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 15 और जेल नियमावली के नियम 120 में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुसार चिकित्सा अधिकारी को बंदियों के लिए मृत्यु का विवरण

¹² नमूना जाँच की गई 174 प्रवेश प्रविष्टियों में से (67- दंडित बंदी और 107- विचाराधीन बंदी) स्तंभों अर्थात् प्रवेश पर स्वास्थ्य (130 प्रकरण), शारीरिक अनुरूप (154 प्रकरण), प्रवेश के समय वजन (80 प्रकरण), चेचक से रक्षा (171 प्रकरण), श्रम का वर्ग (66 प्रकरण), मसूदों की स्थिति (67 प्रकरण) और रिहाई पर वजन (87 प्रकरण) अंकित नहीं पाई गई। 89 हिस्ट्री टिकिटों में से (62- दंडित बंदी और 27- विचाराधीन बंदी) नमूना जाँच की गई प्रविष्टियाँ स्तंभों में अंकित नहीं पाई गई अर्थात् प्रवेश के समय स्वास्थ्य (38 प्रकरण), श्रम का वर्ग (44 प्रकरण), बीमारी विवरण (64 प्रकरण), टीकाकरण (47 प्रकरण), मसूदों की स्थिति (49 प्रकरण), एड्स/क्षयरोग (58 प्रकरण), वजन (37 प्रकरण) और ऊँचाई (सात प्रकरण)।

¹³ रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़ और बेमेतरा।

अभिलिखित करना आवश्यक था। केन्द्रीय जेल, रायपुर में तीन मृत्यु प्रकरणों (जनवरी 2005 में) की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बंदी की श्रेणी, जेल में प्रदायित रोजगार, अस्पताल में भर्ती होने का दिनांक, मृत्यु का कारण, उस दिन प्रदायित भोजन की मात्रा, बीमारी की शिकायत का दिनांक, चिकित्सा अधिकारी को पहली बार दी गई बीमारी की सूचना का दिन, इत्यादि को दर्शाने वाले पंजी के कुछ स्तंभों को नहीं भरा गया और चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।

इसके आगे, 2003 से 2005 (13 सितम्बर तक) के दौरान 67 मृत्यु में से 33 प्रकरणों (2004: नौ और 2005: 24) में मजिस्ट्रियल जाँच रिपोर्ट और सात प्रकरणों (2003: एक और 2005: छः) में शव परीक्षा रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2005)।

5.1.18 विचाराधीन बंदियों को न्यायालयों में प्रस्तुत करना

विचाराधीन बंदी, वारंटों में उल्लिखित तिथियों को न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किए गए।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2001 से 2004 के दौरान राज्य की जेलों में विचाराधीन बंदी, अभिरक्षा में कुल निरूद्ध बंदियों के 48 से 51 प्रतिशत तक रखे गए :
(वार्षिक औसत)

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	बंदियों की औसत संख्या		अन्य प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए कुल योग	विचाराधीन बंदियों का प्रतिशत
	दंडित बंदी	विचाराधीन बंदी		
2001	4733	4920	9667	51
2002	5044	4954	10006	50
2003	4879	4444	9335	48
2004	4752	4475	9237	48

छः नमूना जाँच की गई जेलों में 2002-03 से 2004-05 के दौरान विभिन्न माहों में विचाराधीन बंदियों की कुल संख्या के 69 से 96 प्रतिशत तक न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए। जेल नियमावली के नियम 291(1) के अनुसार उनको वारंटों में उल्लिखित तिथियों को न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में उन्हें वांछित तिथियों को न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु द्वितीय/आगामी अवसरों पर प्रस्तुत किया गया। तदनुसार, वे छः माह से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए जेलों में दुर्बल होते रहे।

इसे इंगित किए जाने पर संबंधित जेल अधीक्षकों ने कहा (अक्टूबर 2005) कि पर्याप्त पुलिस गार्डों की अनुपलब्धता के कारण बंदियों को वारंट में उल्लिखित तिथियों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका और कि पर्याप्त गार्ड उपलब्ध कराने हेतु माँग-पत्र काफी पहले जे.म.नि.को अग्रेषित किए जा रहे थे परन्तु पर्याप्त पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं कराये जा सके। उत्तर ने दर्शाया कि विभाग, अपर्याप्त गार्डों के महत्वपूर्ण मुद्दे राज्य शासन के साथ उठाने में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन बंदियों को पहले से ही अत्यधिक भीड़युक्त जेलों में मुकद्दमे के बिना दीर्घ अवधि के लिए नजरबंद होना पड़ा।

5.1.19 लंबित विचाराधीन बंदी प्रकरणों की समीक्षा में अपर्याप्तता

न्यायालयों को प्रस्तुत किए जा रहे विचाराधीन प्रकरणों की लंबित स्थिति के मासिक पत्रकों में व्यक्तिगत लंबित स्थिति का कालखंडवार विभाजन नहीं दर्शाया गया।

जेल नियमावली के नियम 400 में प्रावधानित है कि जेल प्राधिकारियों को विचाराधीन बंदियों, जिनके प्रकरण एक माह से अधिक के लिए लंबित थे, उनके विवरण दर्शाते हुए मासिक पत्रक न्यायालयों को प्रस्तुत करना था ताकि न्यायालय लंबित प्रकरणों की समीक्षा और उनका त्वरित निपटान हेतु समर्थ हों। यद्यपि जेल प्राधिकारियों द्वारा लंबित प्रकरणों के पत्रक न्यायालयों और जे.म.नि.को प्रस्तुत किए जा रहे थे, उन्होंने प्रकरणों का कालखंडवार विभाजन नहीं दर्शाया। इस प्रकार, यद्यपि जुलाई 2005 के पत्रक में 5179 विचाराधीन बंदी जाँच/मुकद्दमा के पूर्ण होने के लिए प्रतीक्षारत प्रदर्शित किए गए, लंबित स्थिति का व्यक्तिगत कालखंडवार विभाजन और श्रृंखला जो छः माह से कम 3540, छः माह से एक वर्ष 1186, एक से पाँच वर्ष 448, पाँच वर्ष से अधिक चार और दस वर्ष से अधिक एक थी, उस पत्रक में नहीं दी गई। इस प्रकार पत्रकों में पूरी जानकारी प्रकट नहीं की गई और समस्या को पर्याप्त रूप में उजागर नहीं किया गया।

जेल नियमावली के नियम 82 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को विचाराधीन बंदियों और किशोर बंदियों की लंबित स्थिति सुनिश्चित करने हेतु तिमाही में एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत जेलों का निरीक्षण करना था। यह दृष्टिगत हुआ कि 27 में से 14 से 21 जेलों का, 2001-05 के दौरान वर्ष में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया। इस अवधि में जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने वाले निर्दिष्ट निरीक्षणों (78 प्रतिशत) के अत्यधिक बकाया रहने के कारण विचाराधीन बंदियों के लंबित प्रकरण शीघ्र निराकृत, जैसा कि जेल नियमावली में निहित था, नहीं किए गए।

5.1.20 बंदियों का जेल से भागना

बंदियों का भागना शासन को प्रतिवेदित नहीं किया गया और भागने वालों को पुनः गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

जेल प्राधिकारियों को बंदियों के जेल परिसर में गतिविधियों पर, शासकीय अस्पताल में इलाज के दौरान और मार्गस्थ होने के दौरान उनपर प्रभावी निगरानी/रखवाली के जरिये उनकी अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जे.म.नि.के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि जनवरी 2001 से अगस्त 2005 के दौरान कुल मिलाकर 79 बंदी (25 दंडित बंदी, 54 विचाराधीन बंदी) भाग गए (जेल परिसर से 18, अस्पतालों से 17, न्यायालयों से तीन और मार्गस्थ 41), जो कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। जिनमें से केवल 22 बंदी (पाँच दंडित बंदी और 17 विचाराधीन बंदी) पुनः गिरफ्तार किए गए। जे.म.नि.ने न तो इन भागने के प्रकरणों को शासन को प्रतिवेदित किया और न भागे हुए शेष (57) बंदियों को पुनः गिरफ्तार करने की कोई कार्यवाही प्रारंभ ही की। जेल से भागने को रोकने में जेल प्राधिकारियों की तत्परता संबंधी नियंत्रणों के साथ समझौता किया गया, अलार्म परेड और रात्रि निरीक्षण नहीं किए गए और प्रहरियों को सैन्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

जेल नियमावली के नियम 94 और 335 के अनुसार, जेलों के अधीक्षक को, जेल को तोड़ने हेतु किये गये प्रयास की स्थिति में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय जेलों में पाक्षिक और जिला एवं उप जेलों में मासिक रूप से अनिश्चित तिथि और समय

पर अलार्म परेड कराना था। छः¹⁴ जेलों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मई 2002 से सितम्बर 2005 तक की अवधि में अलार्म परेड या तो नहीं की गई या अलार्म परेड का नियमित अभ्यास जो कि माह में निश्चित तिथियों और समय पर किया जाता रहा, को एक सामान्य अभ्यास तक कम कर दिया गया। इस प्रकार अकस्मात् तत्व जो तत्परता निश्चित करता था, निकाल दिया गया, इसके आगे, अलार्म परेड के परिणाम, अभ्युक्तियाँ आदि, उपयुक्त पंजी में अंकित नहीं पाए गए। इसे इंगित किए जाने पर संबंधित जेल अधीक्षकों ने बताया (अक्टूबर 2005) कि भविष्य में नियमों का पालन किया जावेगा।

जेल नियमावली के नियम 93 और 328, अधीक्षक के उप जेलों में कम से कम माह में एक बार अकस्मात् रात्रि निरीक्षण हेतु प्रावधान करते हैं। उप जेलें, बेमेतरा और डोंगरगढ़ में अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि रात्रि अवलोकन जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया और अधीक्षक ने जनवरी 2005 से सितम्बर 2005 के दौरान रात्रि अवलोकन कभी नहीं किया। प्रहरियों को सैन्य प्रशिक्षण भी नहीं दिए गए जैसाकि कंडिका 5.1.26 में चर्चा की गई है।

5.1.21 प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश

प्रतिबंधित सामग्री की प्राप्ति के बावजूद उनकी जल्दी या निपटान के संबंध में कोई पंजी संधारित नहीं की जा रही थी।

जेल नियमावली के नियम 185, 570, 573 और कारागार अधिनियम की धारा 42 और 45 में प्रतिबंधित सामग्री और बंदियों से उनकी प्राप्ति पर की जाने वाली कार्यवाही वर्णित हैं। पाँच¹⁵ जेलों में (दुर्ग को छोड़कर जहाँ प्रतिबंधित सामग्री अर्थात् मोबाईल, चाकू, अफीम, नकदी नोट आदि, प्राप्त हुई और अभिलिखित की गई) बंदियों से प्राप्त प्रतिबंधित सामग्री और दी गई सजा को अभिलिखित करने के लिए कोई पंजी संधारित नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, संबंधित अधीक्षकों (रायपुर को छोड़कर) ने कहा (अक्टूबर 2005) कि भविष्य में प्राप्त प्रतिबंधित सामग्री अभिलिखित की जावेंगी। अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर ने बताया (सितम्बर 2005) कि कोई ऐसी सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का एक प्रतिवेदन (सितम्बर 2005) ने प्रकट किया कि आयोग द्वारा 24 सितम्बर 2005 को इसी जेल के अकस्मात् निरीक्षण के दौरान बीड़ी, हजामत सामग्री, निजी कपड़े आदि जैसी प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त हुई। इससे यह दर्शाता है कि जेलों में इन सामग्री का प्रवेश निरंतर बना हुआ था परन्तु उपयुक्त पंजी आदि के जरिये नियंत्रित नहीं किया जा रहा था।

जेल विभाग में अनुश्रवण तंत्र

निर्दिष्ट अनुश्रवण तंत्र जो आन्तरिक और बाह्य अभिकरणों द्वारा अर्थात् जेल महानिदेशक, जेल उप महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, परिदर्शक बोर्ड, आधिकारिक और अनाधिकारिक परिदर्शक के द्वारा नियमित निरीक्षण और प्रतिवेदित करना जेल विभाग में क्रियाशील नहीं थे जो कि उच्च प्राधिकारियों को प्रतिवेदनों और विवरणियों का अप्रस्तुतीकरण, जेलों के अपर्याप्त निरीक्षणों, जेल अधीक्षक द्वारा अनुश्रवण का अभाव आदि के द्वारा स्पष्ट हुए।

¹⁴ रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, बेमेतरा, डोंगरगढ़ और कांकेर

¹⁵ रायपुर, जगदलपुर, डोंगरगढ़, कांकेर और बेमेतरा।

इस प्रकार, संगठन के कार्य संपादित करने में कमियों को पहचान करने हेतु निर्दिष्ट नियंत्रणों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं :

5.1.22 प्रतिवेदनों और विवरणियों का प्रस्तुत न करना

जेल नियमावली के नियम 112 के अनुसार, जेलों के अधीक्षकों को पिछले वर्ष में अपनी जेल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासकीय मामले और सांख्यिकीय विवरण देते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जेल महानिदेशक को प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल के पूर्व प्रस्तुत करना था। 27 जेलों के वर्ष 2003-04 और 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदनों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि ये प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे अथवा जेल महानिदेशक द्वारा माँगे नहीं जा रहे थे। इसे इंगित किए जाने पर जेल महानिदेशक ने कहा (सितम्बर 2005) कि भविष्य में निर्दिष्ट प्रविधि का अनुसरण करने हेतु संबंधित अधीक्षकों और जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किये जावेंगे।

5.1.23 जेलों का निरीक्षण

जे.म.नि.के द्वारा 2001-05 के दौरान बारह जेलों का निरीक्षण एक बार भी नहीं किया गया

जेल नियमावली के नियम 72 (1) और (2) के अनुसार, जेल महानिदेशक को कम से कम दो वर्ष में एक बार प्रत्येक जेल का निरीक्षण करना था। यह देखा गया कि जेल महानिदेशक के द्वारा 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि में राज्य की 27 जेलों में से 12¹⁶ जेलों का निरीक्षण कभी नहीं किया गया और छः¹⁷ जेलों का निरीक्षण केवल एक बार किया गया।

जेलों के अधीक्षकों ने दैनिक अवलोकन नहीं किया

उप जेलें, डोंगरगढ़, बेमेतरा और कांकेर में अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि अधीक्षक के द्वारा जेल के दैनिक अवलोकन के प्रावधान के विरुद्ध उपर्युक्त जेलें जनवरी 2005 से सितम्बर 2005 तक की अवधि में अधीक्षकों के द्वारा केवल 52 बार, सात बार और 36 बार क्रमशः अवलोकित की गईं। यह इसका सूचक था कि अधीक्षकों के द्वारा उनकी जेलों में किए जाने वाले निर्दिष्ट नियंत्रण और अनुश्रवण का इस अवधि में अधिकांशतः अभाव था।

परिदर्शक बोर्ड विलंब से गठित किया गया और बहुत ही कम निरीक्षण किए

जेल नियमावली के नियम 814 और 815 के अनुसार, राज्य शासन को प्रत्येक जेल के लिए आधिकारिक परिदर्शकों (बोर्ड)¹⁸ और अनाधिकारिक परिदर्शकों (परिदर्शकों) का एक बोर्ड गठित करना था जिन्हें स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए था कि जेलों और बंदियों का कार्य-संपादन और प्रबंध निर्दिष्ट प्रविधियों और नियमावलियों के अनुसार था। बोर्ड और परिदर्शक 24 जेलों के लिए (नारायणपुर, पेण्ड्रारोड और सुकमा जेलों को छोड़कर) सितम्बर 2004/नवम्बर 2004 में नियुक्त किए गए।

¹⁶ जिला जेलें : जशपुर और कोरबा; उप जेलें : बालोद, गरियाबंद, जाँजगीर, कटघोरा, महासमुन्द, नारायणपुर, पेण्ड्रारोड, रामानुजगंज, सुकमा और सूरजपुर।

¹⁷ जिला जेल: रायगढ़; उप जेलें : बलौदाबाजार, बेमेतरा, दन्तेवाड़ा, धमतरी और मनेन्द्रगढ़।

¹⁸ परिदर्शक बोर्ड में पदाधिकारी परिदर्शक अर्थात् संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, संचालक, स्वास्थ्य सेवार्थ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी और अनाधिकारिक परिदर्शक अर्थात् राज्य के विधायक (कार्यकाल में), जिला योजना समिति की जेल उप समिति के सदस्य।

अनाधिकारिक परिदर्शकों द्वारा जेलों के अपर्याप्त अवलोकन

छः¹⁹ जेलों में अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि तिमाही अवलोकनों के मानदण्डों के विरुद्ध नवम्बर 2000 से अगस्त 2005 तक की अवधि में बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार की जेलों का निरीक्षण कभी नहीं किया (केन्द्रीय जेल, रायपुर में नवम्बर 2004 में केवल एक बार को छोड़कर)। इसी प्रकार, अनाधिकारिक परिदर्शकों द्वारा किए जाने वाले मासिक अवलोकनों के मानदण्डों के विरुद्ध अनाधिकारिक परिदर्शकों के द्वारा नवम्बर 2000 से अगस्त 2005 तक की अवधि में किए गए अवलोकन दो से 28 बार के बीच रहे। इसके आगे, पाँच²⁰ जेलों में अनाधिकारिक परिदर्शकों के द्वारा कोई सिफारिश/सुझाव नहीं दिए गए। इस प्रकार, बोर्ड और परिदर्शक, जेलों में प्रणालियों को सुधारने में प्रभावी ढंग से योगदान करने में विफल हुए।

5.1.24 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक प्रारूप आदर्श जेल नियमावली तैयार की और उसे विचार-विमर्श और अंगीकार करने हेतु राज्यों और संघ राज्यों को जारी किया था (मार्च 2001)। इसे इंगित किए जाने पर जेल महानिदेशक ने बताया (सितम्बर 2005) कि प्रारूप प्राप्त हुआ था परन्तु तब तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

5.1.25 बंदियों की समयपूर्व रिहाई की समीक्षा

बंदियों की दंड अवधि की समीक्षा हेतु परिदर्शक मंडलों का गठन नहीं किया गया

जेल नियमावली के नियम 359 में प्रावधान है कि राज्य में एक सलाहकार बोर्ड जेल महानिदेशक अध्यक्ष के रूप में, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अशासकीय सदस्य जो तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रूप में राज्य शासन द्वारा नियुक्त होगा, इन सबसे गठित किया जायेगा जो आकस्मिक दीर्घकालिक बंदियों और अभ्यासिक दीर्घकालिक बंदियों जिन्होंने अपनी अवधि के दो-तिहाई भाग का दण्ड भुगत लिया है तथा उनके आचरण और उनके द्वारा अर्जित परिहार की दृष्टि से उनकी रिहाई की तिथि तय करने के लिए ऐसे बंदियों के संबंध में न्यायालयों द्वारा दिए गए दण्ड की समीक्षा हेतु सिफारिश करेगा। इसके इंगित किए जाने पर जेल महानिदेशक ने बताया (सितम्बर 2005) कि बोर्ड गठित नहीं किया गया है। इस प्रकार, दीर्घकालिक बंदी ऐसी समीक्षा से वंचित हुए और ऐसी समीक्षा कुछ योग्य बंदियों के लिए पूरी अवधि बिताने के पूर्व रिहाई सुनिश्चित कर सकती थी।

5.1.26 कार्मिक प्रबंध

जेल विभाग में 1298 पदों के स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत स्थिति मार्च 2005 के अंत में केवल 882 थी। इस प्रकार विभाग में 31 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए थे। जेल महानिदेशक ने बताया (जून 2005) कि विभागीय नियुक्ति नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था और रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से स्वीकृति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2005)।

जेल नियमावली के नियम 202 में प्रावधान है कि कोई भी प्रहरी उनके मूल जिले की जेलों में नियुक्त नहीं किया जाएगा और कोई भी प्रहरी एक केन्द्रीय जेल में पाँच वर्ष से

¹⁹ केन्द्रीय जेलें, रायपुर और जगदलपुर; जिला जेल, दुर्ग; उप जेलें, बेमेतरा, डोंगरगढ़ और कांकेर।

²⁰ केन्द्रीय जेल, रायपुर; जिला जेल, दुर्ग; और उप जेलें, बेमेतरा, डोंगरगढ़ और कांकेर।

अधिक, एक जिला जेल में तीन वर्ष से अधिक और एक उप जेल में एक वर्ष से अधिक के लिए पदस्थापित नहीं किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किया गया था कि प्रहरी पक्षपात से मुक्त रहे और अंदरूनी हितों को बढ़ावा न दें परन्तु इसे निरंतर अपमानित किया गया जैसा कि अधोलिखित नमूना जाँच की गई जेलों में प्रहरियों की पदस्थापना पर एकत्रित आँकड़ों से स्पष्ट था:

जेल का नाम	पदस्थापित प्रहरियों की कुल संख्या	उसी जिले के रहने वाले प्रहरियों की संख्या	तीन/पाँच वर्ष से अधिक के लिए जेल में पदस्थापित प्रहरियों की संख्या
रायपुर	105	52	93
जगदलपुर	90	07	43
दुर्ग	21	02	16
कांकेर	09	--	07
बेमेतरा	18	03	18
डोंगरगढ़	21	--	20

जेल नियमावली के नियम 209 के अनुसार, प्रत्येक प्रहरी को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था ताकि वे अधिक दक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। यह देखा गया कि प्रहरियों को ऐसा प्रशिक्षण 2001-02 से 2005 (अगस्त तक) के दौरान नहीं दिया गया। इसे इंगित किए जाने पर जेल महानिदेशक ने बताया (सितम्बर 2005) कि राज्य में विभाग के पास इसके स्वयं का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं था और प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण करने एवं प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही की जावेगी। अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों जैसा कि राज्य पुलिस में प्रशिक्षण देने की संभावना का परीक्षण नहीं किया गया।

5.1.27 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन

अपर्याप्त लेखापरीक्षा इकाइयों का समावेशन और प्रतिवेदनों के जारी करने एवं अनुपालन करने में असाधारण विलंब

आन्तरिक नियंत्रण, न्यून निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने में

आन्तरिक लेखापरीक्षा, विभागीय अस्तित्व की सभी इकाइयों की आवधिक लेखापरीक्षा के जरिये निर्दिष्ट आन्तरिक नियंत्रणों के अनुसरण को सुनिश्चित करती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा जेल उप महानिरीक्षक की श्रेणी के कार्य-भारित अधिकारी के साथ जेल महानिदेशक के पूर्ण नियंत्रण के अधीन अस्तित्व में थी। एक वित्त अधिकारी, दो सहायक आन्तरिक लेखापरीक्षकों और चार लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध एक वित्त अधिकारी और एक लेखापरीक्षक कार्य कर रहे थे। ये दोनों अधिकारी/कर्मचारी जेल महानिदेशक कार्यालय में लेखा शाखा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को विभाग की सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से करनी थी। तथापि विभाग द्वारा 27 जेलों की लेखापरीक्षा के लिए कोई वार्षिक लेखापरीक्षा कार्य-योजना आरेखित नहीं की गई। समावेशित इकाइयों की प्रतिशतता 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि में 15 एवं 48 के मध्य रही जो न्यून आन्तरिक लेखापरीक्षा समावेशन का सूचक था।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों का समय पर जारी करना तथा आपत्तियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का आन्तरिक लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित नियंत्रण पंजियाँ आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में संधारित नहीं की गईं। छः प्रकरणों में, तीन माह से लेकर तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त

भी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए और चार प्रकरणों में आठ से 10 माह के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए। लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के पालन प्रतिवेदन भेजे जाने में, पाँच प्रकरणों में निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के तीन से 14 माह के मध्य विलंब हुआ। इस प्रकार निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने और उनके पालन में असाधारण विलंब हुआ।

जेल महानिदेशक ने कहा (सितम्बर 2005) कि अपर्याप्त अमला होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने में विलंब हुआ और भविष्य में निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने व उनके पालन हेतु उपयुक्त पंजियाँ संधारित की जाएंगी। इस प्रकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा निर्दिष्ट नियंत्रणों के अनुपालन सुनिश्चित करने में अप्रभावकारी थी।

5.1.28 निष्कर्ष

आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की समीक्षा से प्रकट हुआ कि वित्तीय नियंत्रण दोषयुक्त थे क्योंकि नियंत्रण पंजियाँ संधारित नहीं की गईं, व्यय के आँकड़ों का पुनर्मिलान महालेखाकार के साथ नहीं किया गया, बंदियों के मजदूरी खातों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया गया, रोकड़ पुस्तक के संधारण में कार्यविधिक कमियाँ थीं।

कार्यचालन नियंत्रणों में न्यूनता के कारण जेलों में अत्यधिक भीड़, किशोर बंदियों और संक्रामक रोगग्रस्त बंदियों को अलग नहीं रखा गया, बंदियों के अभिलेख उचित रूप से संधारित नहीं किए गए, न्यायालयों में विचाराधीन बंदी नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए और जेलों से बंदियों के भागने की घटनाएँ थीं।

निर्दिष्ट निरीक्षण विभागीय अधिकारियों और बाह्य निकायों द्वारा नियमित रूप से नहीं किए गए, दंडित बंदियों की समयपूर्व रिहाई की समीक्षा करने हेतु सलाहकार बोर्ड गठित नहीं किए गए, और प्रहरियों की पदस्थापना एवं प्रशिक्षण अविनियमित थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निरीक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदनों का जारी करना और उनके पालन भी दोषयुक्त थे।

5.1.29 सिफारिशें

- आवंटन और व्यय नियंत्रण पंजियाँ जेल महानिदेशक कार्यालय में संधारित की जानी चाहिए तथा लेखाओं का पुनर्मिलान करना चाहिए जैसा कि निर्दिष्ट है।
- नई जेलों और बैरकों का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए और पूर्ण हुए भवन, जेलों में भीड़ को कम करने के लिए तुरन्त उपयोग में लेना चाहिए।
- न्यायालयों में विचाराधीन बंदियों को प्रस्तुत करने हेतु गार्ड उपलब्ध कराने की प्रणाली गतिमान होनी चाहिए और न्यायालयों को विचाराधीन बंदियों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक प्रतिवेदनों में लंबित प्रकरणों के कालवार विश्लेषण दर्शाना चाहिए।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को एक निश्चित समयावधि में सभी इकाइयों का समावेश करते हुए लेखापरीक्षा कार्य-योजना बनाना आवश्यक है और निरीक्षणों का पालन कराना जेल महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मामला शासन को अक्टूबर 2005 में भेजा गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2005)।

छठवाँ अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

6.1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2004 को छः सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) की तुलना में 31 मार्च 2005 को नौ¹ सरकारी कम्पनियाँ, एक विद्युत नियामक आयोग तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित), कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों तथा नियामक आयोग की लेखापरीक्षा व्यवस्था नीचे दर्शाए अनुसार है -

क्र. सं.	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी.एस.ई.बी.)	विद्युत प्रदाय (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के नियम 14 सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185(2) (डी) के अंतर्गत	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा एक मात्र लेखापरीक्षा
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	राज्य भण्डार गृह अधिनियम 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

पूर्ववर्ती विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) का गठन किया (अक्टूबर 2001) एवं उसकी लेखापरीक्षा का कार्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत नियंत्रक- महालेखापरीक्षक को सौंपा गया।

सभी सरकारी कम्पनियों एवं वैधानिक निगमों के बारे में विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 6.1, 6.2 तथा 6.3** में दी गई है।

1 तीन कम्पनियों ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की हैं।

6.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में निवेश

क्रमशः मार्च 2004 एवं मार्च 2005 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के आठ कार्यरत उपक्रमों (छः सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम) एवं 11 कार्यरत उपक्रमों (नौ सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2003-04	8	73.92	2.00	37.46	113.38
2004-05	11	35.66	3.00	1021.81	1060.46 ²



कार्यरत सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2004 के 66.96 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 33.04 प्रतिशत के ऋण रूपी कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2005 को कुल निवेश क्रमशः 3.64 प्रतिशत एवं 96.36 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्न कंडिकाओं में दिया गया है -

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी एवं दीर्घकालिक ऋण) और इनका प्रतिशत निम्न पाई चार्टों में दर्शाया गया है:

² सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 733.57 करोड़ रुपये था (अन्य: 326.90 करोड़ रुपये)। वित्त लेखों के अनुसार आंकड़े 23.16 करोड़ रुपये हैं। अंतर मिलान के अधीन है।



6.1.3 कार्यरत सरकारी कम्पनियों

मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के अंत में कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	कार्यरत सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2003-04	6	11.39	2.00	33.75	47.14
2004-05	9	11.54	3.00	1.00	15.54

इन सरकारी कम्पनियों में शासकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति का अंश पूंजी और ऋण के रूप में परिशिष्ट 6.1 में विवरण दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में 31 मार्च 2004 को 28.40 प्रतिशत अंश पूंजी स्वरूप एवं 71.60 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2005 को कुल निवेश क्रमशः 93.50 प्रतिशत एवं 6.50 प्रतिशत था।

6.1.4 कार्यरत सांविधिक निगम

मार्च 2004 एवं मार्च 2005 के अंत में दो कार्यरत सांविधिक निगमों में निवेश निम्नानुसार था:

(राशि करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2003-04 ³		2004-05	
	पूंजी	ऋण	पूंजी	ऋण
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	23.12	1020.81	23.12	1020.81
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम	1.00	3.72	1.00	निरंक
योग	24.12	1024.53	24.12	1020.81

कार्यरत सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2004 के 2.30 प्रतिशत अंश पूंजी स्वरूप एवं 97.70 प्रतिशत ऋण स्वरूप के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2005 को कुल निवेश क्रमशः 2.31 प्रतिशत एवं 97.69 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंश पूंजी और ऋण के रूप में निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विवरण परिशिष्ट 6.1 में दिया गया है।

3 उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 4.11.04 के अनुसार, म.प्र.वि.मं. की अवितरित अंश पूंजी 14.4.01 को 23115 लाख रुपये थी जिसे अस्थायी रूप से अंश पूंजी का सम्पत्ति पर अनुपात में 2311.50 लाख रुपये छ.ग.रा.वि.मं. को प्रभाजित किया।

6.1.5 बजटीय व्यय अनुदान/सहायता, गारंटियाँ, देयताओं की माफी और ऋणों का अंश पूंजी में परिवर्तन

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, जारी गारंटियाँ, देयताओं की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों का अंश पूंजी में परिवर्तन संबंधी विवरण **परिशिष्ट 6.1** तथा **6.3** में दिए गए हैं।

2004-05 तक तीन वर्षों के लिए बजटीय व्यय (अंश पूंजी तथा ऋणों के रूप में) और राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को अनुदान/सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

	2002-03				2003-04				2004-05			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से अंश पूंजी व्यय	--	--	--	--	2	2.45	--	--	1	1.00	--	--
बजट से दिए गए ऋण	1	27.00	--	--	--	--	1	0.85	--	--	1	47.28
अन्य अनुदान/सहायता	2	258.19	1	62.87	2	153.66	2	78.11	2	40.84	1	75.46
कुल निगम	3⁴	285.19	1⁴	62.87	4⁴	156.11	2⁴	78.96	3	41.84	1⁴	122.74

वर्ष 2004-05 के दौरान एक कार्यरत सांविधिक निगम द्वारा कुल 429.30 करोड़ रुपये के प्राप्त किए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी गई। वर्ष के अंत में गारंटी की कुल राशि 354.07 करोड़ रुपये लंबित थी।

6.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230 और 619 सहपठित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों के लेखे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अंतिम रूप से बनाये जाने आवश्यक हैं। इन्हें वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अंदर, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाना है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में इनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, इनका लेखा परीक्षण किया जाता है तथा इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

जैसा कि **परिशिष्ट 6.2** में देखा जा सकता है, नौ सरकारी कम्पनियों, दो सांविधिक निगमों तथा एक विद्युत नियामक आयोग में से मात्र तीन सरकारी कम्पनियों तथा एक विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप दिया गया। पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों/निगम द्वारा अक्टूबर 2004 से सितंबर 2005 तक

⁴ ये उन कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या है जिन्हे, वर्ष के दौरान, अंशपूंजी, ऋण, अनुदान और सहायता के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

की अवधि में पिछले वर्षों के छः लेखों को अंतिम रूप दिया गया। छ.ग.रा.वि.मं. द्वारा प्रारंभ से ही अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखे सितंबर 2005 को एक वर्ष से तीन वर्षों की अवधि हेतु अधूरे थे, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित है -

क्र.सं.	कार्यरत कम्पनी/निगमों की संख्या		अवधि जिस हेतु लेखों को अंतिम रूप दिया जाना है	अंतिम रूप दिए जाने वाले लेखों के वर्षों की संख्या	परिशिष्ट 6.2 के सरल क्रमांक का संदर्भ	
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	निरंक	1	2001-02 से 2004-05	4	निरंक	ख-1
2.	3	निरंक	2002-03 से 2004-05	3	क-3,4,6	निरंक
3.	1	1	2003-04 से 2004-05	2	क-5	ख-3
4.	2	निरंक	2004-05	1	क-1,2	निरंक
	6	2		10		

6.1.7 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यरत परिणाम

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी/कम्पनी एवं सांविधिक निगम) द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट 6.2** में दिए गए हैं।

अंतिम रूप से तैयार किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार, तीन कार्यरत सरकारी कम्पनियों को 5.51 करोड़ रुपये का घाटा हुआ तथा एक सरकारी कम्पनी एवं एक सांविधिक निगम द्वारा 10.64 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। तथापि, एक सांविधिक निगम द्वारा वर्ष 2004-05 में गत वर्ष के लिए 10.00 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया गया।

6.1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुई लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हुआ को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों तथा शासन से संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रमुखों द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, छः सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अगस्त 2005 तक आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जारी, निरीक्षण प्रतिवेदनों में अगस्त 2005 के अंत तक 537 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1402 कंडिकाएं लंबित थीं। इनमें से 1387 कंडिकाओं वाले 534 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, एक वर्ष से अधिक समय से नहीं दिए गए थे। 31 अगस्त 2005 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट 6.4** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं, तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि और उन पर टिप्पणियाँ, छः सप्ताह में भेजने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अग्रेषित की जाती हैं। अगस्त 2005 में विभिन्न विभागों को अग्रेषित तीन प्रारूप कंडिकाओं (परिशिष्ट 6.5 में वर्णनानुसार) में से किसी भी कंडिका का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन यह सुनिश्चित करे कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं का निर्धारित समय सीमा में उत्तर भेजने में असफल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रक्रिया विद्यमान है, (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की गई है और (ग) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया की व्यवस्था में सुधार किया गया है।

6.1.9 सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की चर्चा की स्थिति

सितंबर 2005 के अंत तक सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में चर्चा के लिए लंबित कंडिकाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शित समीक्षाओं और कंडिकाओं की संख्या	चर्चा के लिए लंबित कंडिकाओं की संख्या
1999-2000	5 ⁵	2
2000-01	7 ⁶	7
2001-02	2	2
2002-03	7	7
2003-04	8	8

5 मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की दो समीक्षाओं से संबंधित।

6 मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की एक समीक्षा से संबंधित।

6.2 लेन-देन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम मर्यादित

6.2.1 1.41 करोड़ रुपये की कीमत के होलोग्राम की वसूली न होने से हानि

छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम मर्यादित, रायपुर (कम्पनी) छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भारत में निर्मित विदेशी शराब के क्रय अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। कम्पनी ने 1.41 करोड़ रुपये की लागत का 12.06 करोड़ होलोग्राम, शराब की बोतलों के प्रमाणीकरण हेतु खरीदा एवं उसे भारत में निर्मित विदेशी शराब के आपूर्तिकर्ताओं को बोतलों को मुहरबंद करने हेतु प्रदाय किया।

वर्ष 2003-04 की निविदा आमंत्रण सूचना के उपबंध एवं शर्तों की कंडिका 2.2(ब) के अनुसार, कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई बोतलों पर होलोग्राम स्टीकर्स चिपकाये जाने थे। परंतु वसूली के लिये कोई प्रावधान न होने के कारण कम्पनी 1.41 करोड़ रुपये की लागत के होलोग्राम की, भारत में निर्मित विदेशी शराब के आपूर्तिकर्ताओं से, वसूली नहीं कर सकी जबकि यह सामग्री के लागत के अतिरिक्त भी जिसका परिणाम यह हुआ कि 3 जनवरी 2002 (होलोग्राम के क्रय को प्रारंभ करने की तिथि) से 31 मार्च 2004 के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब के आपूर्तिकर्ताओं को इतनी राशि का अनुचित लाभ हुआ एवं कम्पनी को तुल्य राशि की हानि हुई।

प्रबंधकों ने कहा (अक्टूबर 2005) कि वर्ष 2003-04 तक इसकी लागत की वसूली के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था किंतु वर्ष 2004-05 से निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन करके होलोग्राम की लागत वसूल करने की व्यवस्था कंडिका 4(ब) में की गई। प्रत्युत्तर से पुष्टि होती है कि वर्ष 2003-04 तक निविदा आमंत्रण सूचना के उपबंध एवं शर्तों में होलोग्राम की लागत वसूल करने संबंधी प्रावधान न करने से कम्पनी द्वारा भारत में निर्मित विदेशी शराब के आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

मामला शासन को सूचित किया गया (सितंबर 2005); प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

6.2.2 गोदाम किराया वसूल न होने से हानि 29.40 लाख रुपये

छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम मर्यादित रायपुर (कम्पनी) छत्तीसगढ़ में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) का एकल क्रय अभिकर्ता है। वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान आई.एम.एफ.एल. के पंजीयन एवं आपूर्ति के निविदा आमंत्रण सूचना के उपबंध एवं शर्तों की कंडिका 3.1 (डी) में उल्लेखित किया गया कि "कारपोरेशन को प्रदाय आई.एम.एफ.एल. माल के निस्तारण हेतु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। यदि स्टॉक 90 दिनों के भीतर निस्तारित नहीं किया गया तो आपूर्तिकर्ता प्रतिमाह गोदाम किराया एवं होलोग्राम खर्च के रूप में अवििक्रित स्टॉक के

लिए चार रुपये प्रति केस की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे अथवा इन्हें उनके प्रतिभूति राशि से समायोजित किया जायेगा। यदि आपूर्तिकर्ता 180 दिनों के भीतर स्टॉक के निस्तारण करने में असफल रहता है, तो निगम ऐसे स्टॉक की नीलामी करेगा तथा ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी वह उचित समझे"।

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान, कम्पनी ने गोदाम किराया के रूप में भण्डारगृह निगम को 51.68 लाख रुपये का भुगतान किया। इसी अवधि में आपूर्तिकर्ताओं से 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्टॉक को गोदाम में रखने के लिए 22.28 लाख रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार कम्पनी को 29.40 लाख रुपये की हानि गोदाम किराये की वसूली में चूक होने से हुई जो कि आवश्यक थी क्योंकि कम्पनी क्रय अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी तथा आपूर्तिकर्ताओं के लिए सामग्री के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के लिए गोदाम किराये पर लिये थे। चूंकि कम्पनी के पास गोदाम में रखे माल का स्वामित्व नहीं था तथा वह केवल इसकी संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी तथा गोदाम में रखे माल का स्वामित्व कभी भी कम्पनी के पास नहीं था, अतः 90 दिनों के पश्चात भण्डारण के लिए चार रुपये प्रति केस के स्थान पर कम्पनी द्वारा चुकाये गये गोदाम किराये की सम्पूर्ण राशि आपूर्तिकर्ताओं से कम्पनी हित में वसूल की जानी चाहिए थी।

प्रबंधकों ने कहा (अक्टूबर 2005) कि निविदा आमंत्रण सूचना के उपबंध एवं शर्तों में गोदाम किराया वसूल करने का प्रावधान नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपबंध एवं शर्तों में इस प्रकार की वसूली का प्रावधान न करके कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया था।

मामला शासन को सूचित किया गया (सितंबर 2005); प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

6.2.3 दावे कालातीत होने से हानि

निकिता कास्टिंग्स लिमिटेड, उरला, रायपुर उच्च दाब (एच.टी.) उपभोक्ता ने पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के साथ 2200 के.व्ही.उच्च दाब ऊर्जा आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था (मार्च 1991) जिसे जुलाई 1995 में बढ़ाकर 4500 के.व्ही. किया गया। ऊर्जा बिल रुपये 1.78 करोड़ के भुगतान न करने के कारण उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति स्थायी रूप से बंद (जनवरी 1997) कर दी गयी। मर्यादा विधान के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति ऊर्जा बिल की अदायगी न करने के कारण रोक दी गयी हो तो, सर्टिफिकेट केस, देय राशि की वसूली हेतु शीघ्र दायर किया जाना चाहिए। यदि सर्टिफिकेट केस तीन वर्ष के भीतर दायर नहीं किया गया तो देय राशि कालातीत हो जाती है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे जिसके कारण देय राशि कालातीत हो गयी तथा देय कालातीत राशि दोषी अधिकारी से वसूल की जा सकती थी।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की सम्पत्ति एवं दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को हस्तांतरित किये गये। अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने उपभोक्ताओं के विरुद्ध सर्टीफिकेट केस दायर करने के लिए समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिससे प्रकरण कालातीत हो गये। इस प्रकार समय सीमा में सर्टीफिकेट केस दायर न किये जाने के कारण बोर्ड को 1.78 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मामला शासन को सूचित किया गया (सितंबर 2005); प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2005)।

सातवां अध्याय

राजस्व प्राप्तियाँ

सामान्य

7.1 राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृत्ति

वर्ष 2004-05 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत तीन वर्षों के आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

सं. क्रं.	विवरण	(करोड़ रुपये में)			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
I	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व				
•	कर राजस्व	1,993.13 ¹	2,327.44	2,588.25	3,227.80 ²
•	कर-भिन्न राजस्व	722.38	956.56	1,124.41	1,243.93
	योग:-	2,715.51	3,284.00	3,712.66	4,471.73
II	भारत सरकार से प्राप्तियाँ				
•	विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	1,175.80 ¹	1,349.90	1,569.70	1,876.29 ²
•	सहायता अनुदान	484.39 ¹	783.40	676.96	900.85
	योग:-	1,660.19 ¹	2,133.30	2,246.66	2,777.14
III	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I+II)	4,375.70 ¹	5,417.30	5,959.32	7,248.87
IV	I से III का प्रतिशत	62	61	62	62

7.1.1 विगत तीन वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2004-05 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

¹ वर्ष 2001-02 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तुलना में भारत सरकार से प्राप्तियाँ-विभाज्य संघीय करों का राज्यांश और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के मध्य राजस्व प्राप्तियाँ के पुनः समायोजन के कारण आंकड़ों में अंतर है।

² विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे "क-कर राजस्व" - तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्ष वार ब्यौरे वार लेखा देखें। विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष "901-राज्यों को समानुदेशित निबल आगमों का हिस्सा" के दर्ज आंकड़े इस विवरण में "क-कर राजस्व के अंतर्गत संघ करों के निबल प्राप्तियाँ का राज्यांश" में सम्मिलित थे एवं अन्य शीर्षों की प्राप्तियाँ राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व में सम्मिलित हैं।

स. क.	राजस्व शीर्ष	(करोड़ रुपये में)				
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2003-04 की तुलना में 2004-05 में आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	• वाणिज्यिक कर	563.91	768.08	989.23	1,347.17	(+)36.18
	• केन्द्रीय विक्रय कर	376.19	334.35	309.39	326.69	(+)5.59
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	313.61	361.73	402.35	458.27	(+)13.90
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	121.35	148.10	170.87	247.77	(+)45.00
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	226.06	244.33	268.36	308.92	(+)15.11
5.	वाहनों पर कर	124.88	157.81	167.07	191.79	(+)14.80
6.	माल और यात्रियों पर कर	196.27	251.55	230.08	287.13	(+)24.80
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार एवं रोजगार पर कर	47.62*	42.41	42.96	27.13	(-)36.84
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.67*	6.52	4.13*	4.25	(+)2.91
9.	भू-राजस्व	16.57	12.56	3.81	28.68	(+)652.75
	योग	1,993.13*	2,327.44	2,588.25	3,227.80	(+)24.71

(*) वर्ष 2001-02 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तुलना में भारत सरकार से प्राप्तियों 'विभाज्य संघीय करों का राज्यांश' और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के मध्य राजस्व प्राप्तियों के पुनः समायोजन के कारण, आंकड़े भिन्न हैं।

विभागों से अन्तर्गतों के कारण माँगे गए थे, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2005)।

7.1.2 वर्ष 2004-05 के दौरान संग्रहित मुख्य कर-भिन्न राजस्व के विवरण विगत तीन वर्षों के आँकड़ों सहित नीचे दिए गए हैं:

स. क.	राजस्व शीर्ष	(करोड़ रुपये में)				
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2003-04 की तुलना में 2004-05 में आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	49.12	95.65	122.46	101.26	(-)17.31
2.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	48.42	77.26	86.38	69.23	(-)19.85
3.	वानिकी और वन्य जीवन	98.19	105.84	140.94	159.85	(+)13.42
4.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	454.04	538.14	629.68	679.83	(+)7.96
5.	विविध सामान्य सेवाएं (लॉटरी प्राप्तियों सहित)	6.04	1.99	67.47	37.45	(-)44.49
6.	उर्जा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	100.00	(+)100.00
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	38.20	53.73	44.85	67.26	(+) 49.97
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3.28	2.40	2.43	3.21	(+)32.10
9.	सहकारिता	3.58	3.99	4.14	4.17	(+) 0.72
10.	लोक निर्माण	6.95	10.03	8.56	5.63	(-)34.23
11.	पुलिस	2.70	2.59	6.80	3.74	(-)45.00
12.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11.86	64.94	10.70	12.30	(+)14.95
	योग	722.38	956.56	1,124.41	1,243.93	(+)10.63

विभागों से अन्तरो के कारण मांगे गए थे परन्तु प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 2004-05 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं -

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान (2004-05)	वास्तविक	अन्तर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
(क)	कर राजस्व				
1.	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	1,492.70	1,673.86	(+)181.16	(+)12.14
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	500.00	458.27	(-)41.73	(-)8.35
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	300.71	308.92	(+)8.21	(+)2.73
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	297.27	287.13	(-)10.14	(-)3.41
5.	वाहनों पर कर	180.00	191.79	(+)11.79	(+)6.55
6.	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	200.00	247.77	(+)47.77	(+)23.88
7.	भू-राजस्व	15.37	28.68	(+)13.31	(+)86.59
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	11.36	4.25	(-)7.11	(-)62.59
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर	45.00	26.60	(-)18.40	(-)40.89
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	1.10	0.53	(-)0.57	(-)51.82
	योग	3,043.51	3,227.80	(+)184.29	(+)6.05
(ख)	कर भिन्न राजस्व				
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	153.50	159.85	(+)6.35	(+)4.14
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	700.00	679.83	(-)20.17	(-)2.88
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	135.19	101.26	(-)33.93	(-)25.10
4.	वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई	93.83	67.26	(-)26.57	(-)28.32
5.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2.25	1.92	(-)0.33	(-)14.67
6.	पुलिस	5.32	3.74	(-)1.58	(-)29.70
7.	लोक निर्माण	16.21	5.63	(-)10.58	(-)65.27
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21.59	12.30	(-)9.29	(-)43.03
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3.90	3.21	(-)0.69	(-)17.69
10.	अन्य	149.79	208.93	(+)59.14	(+)39.48
	योग	1,281.58	1,243.93	(-)37.65	(-)2.94

यद्यपि अन्य शीर्षों के संबंध में अंतरों के कारण मांगे गए थे, पर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.3 संग्रहण की लागत

2003-04 हेतु संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं सकल संग्रहण पर किए गए व्यय के प्रतिशत निम्नानुसार थे:-

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	2003-04 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर	2001-02	940.09	10.44	1.11	1.15
		2002-03	1,102.43	11.60	1.05	
		2003-04	1,298.62	15.90	1.22	
		2004-05	1,673.86	11.95	0.71	
2.	वाहनों पर कर	2001-02	124.88	3.61	2.89	2.57
		2002-03	157.81	3.94	2.50	
		2003-04	167.07	4.18	2.50	
		2004-05	191.79	4.50	2.34	
3.	राज्य उत्पादन शुल्क	2001-02	313.61	39.71	12.66	3.81
		2002-03	361.73	22.94	6.34	
		2003-04	402.35	19.12	4.75	
		2004-05	458.27	18.51	4.04	

आबकारी आयुक्त ने बताया (फरवरी 2006) कि राज्य आबकारी शुल्क के संग्रहण की लागत में कमी का कारण वर्ष 2002-04 के दौरान, देशी मदिरा के थोक प्रदाय की निविदा दरों का कम होना था। साथ ही सेवा निवृत्ति एवं मध्य प्रदेश में स्थानान्तरण के कारण रिक्त पदों को नहीं भरा गया।

7.4 प्रति निर्धारित वाणिज्यिक कर का संग्रहण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारितों की संख्या	वाणिज्यिक कर राजस्व	राजस्व/निर्धारित
2001-02	42,581	940.10	0.022
2002-03	44,644	1,102.43	0.025
2003-04	48,233	1,298.62	0.027
2004-05	51,523	1,673.86	0.032

7.5 बकाया राजस्व

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2005 की स्थिति में 175.55 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया था जिसमें से 49.55 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक के समय से लम्बित थे जैसा निम्न तालिका में वर्णित है:-

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2005 को लम्बित राशि	31 मार्च 2005 को 5 वर्षों से अधिक समय से लम्बित राशि
1.	वाणिज्यिक कर	131.45	42.00
2.	वाहनों पर कर	3.81	2.51
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	19.28	4.71
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1.73	0.23
5.	विद्युत पर कर एवम् शुल्क	19.28	0.10
	योग	175.55	49.55

7.6 निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2004-05 के प्रारंभ में कर निर्धारण के लम्बित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण और वर्ष के अन्त में निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

कर का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	कुल निर्धारण योग्य प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	स्तंभ 5 का 3 से प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वाणिज्यिक कर	41,576	61,820	1,03,396	66,076	37,320	106.88
वृत्ति कर	21,156	22,685	43,841	28,189	15,652	124.26
प्रवेश कर	17,738	30,943	48,681	32,000	16,681	103.42
विलासिता कर	102	133	235	148	87	111.28
योग	80,572	1,15,581	1,96,153	1,26,413	69,740	109.37

7.7 कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर एवम् राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अन्तिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवम् विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर की माँगों के विवरण नीचे दिए गए हैं -

क्र. सं.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2004 को लम्बित प्रकरण	2004-05 के दौरान खोजे गए प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूर्ण की गई एवम् शास्ति सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2005 को अन्तिम निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	माँग की राशि (लाख रुपये में)	
1.	वाणिज्यिक कर	21	6	27	5	43.01	22
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	17	1	18	1	0.04	17

7.8 प्रतिदाय

विभागों द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2004-05 के प्रारंभ में लम्बित प्रतिदाय प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदायों और वर्ष 2004-05 के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.		वाणिज्यिक कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित दावे	266	1.33	13	0.29
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2954	18.08	22	0.59
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	2996	18.40	19	0.46
4.	वर्ष के अन्त में लम्बित शेष	224	1.01	16	0.42

7.9 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियों, वन प्राप्तियों एवं अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में निरीक्षण प्रतिवेदनों के 465 प्रकरणों में 432.69 करोड़ रुपये के राजस्व के अव-निर्धारण/कम करारोपण/हानि प्रकट हुई। लेखापरीक्षा के दौरान 2004-05 में इंगित किए गए 106 प्रकरणों में विभागों ने 56.85 करोड़ रुपये का अव-निर्धारण स्वीकार किया और 0.34 करोड़ रुपये वसूल किया। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रतिवेदन में 46.00 करोड़ रुपये के करों, शुल्कों, ब्याज एवं शास्तियों का अनारोपण/कम करारोपण वाली 36 कंडिकाएं सन्निहित हैं। विभाग ने 1.05 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अक्टूबर 2005 तक स्वीकार कीं। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.10 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाने हेतु अग्रेषित किया जाता है एवं उनसे आग्रह किया जाता है कि वे अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में विभाग से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य सतत रूप से दर्शाए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 41 (36 प्रारूप कंडिकाओं में संयोजित) प्रारूप कंडिकाएं (मई 2005 एवं सितंबर 2005 के मध्य) सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के नाम से भेजी गई थीं। अनुस्मारक पत्र जारी करने पर भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इन कंडिकाओं को विभाग के सचिवों के उत्तर के अभाव में प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है (अक्टूबर 2005)।

लेखा परीक्षा कंडिकाएँ

कर राजस्व

वाणिज्यिक कर

7.11 छूट का अनियमित प्रदाय किया जाना

नवीन उद्योगों को, कर छूट योजना 1986 के तहत, छूट केवल तभी दी जा सकती है जब कि इकाई ने 1 अप्रैल 1992 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो या उक्त तिथि से पूर्व उत्पादन के लिए प्रभावी कदम उठा लिए हों। यदि कर छूट की राशि पांच लाख रूपए या अधिक है, तो मान्यता प्रमाणपत्र के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र जिसमें इकाई के उत्पादन अवधि के विवरण दर्शाए हों प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो इकाइयों के कर निर्धारण अवधि 1999-2000 जो जुलाई 2002 एवं नवंबर 2002 में किए गए के उत्पादन जनवरी 1993 एवं फरवरी 1994 में प्रारंभ हुए। तथापि कर निर्धारण अधिकारी ने 1.02 करोड़ रूपए की कर छूट प्रदान की यद्यपि न तो उत्पादन के विवरणों को दर्शाने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया एवं न ही कर निर्धारण आदेश में उसका जिक्र किया गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि अप्रैल 1992 के बाद उत्पादन प्रारंभ किया गया जबकि उत्पादन के प्रभावी कदम उठाने के लिए भी न तो अभिलेख में था एवं न ही कर निर्धारण आदेश में वर्णित किया गया था। इनके अभाव में दी गई छूट अनियमित थी और 1.02 करोड़ रूपए का शासकीय राजस्व कम प्राप्त हुआ।

इसे दिसंबर 2004 में इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने एक प्रकरण में बताया कि निर्धारण नियमानुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मांगी गई छूट चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्रों से समर्थित नहीं थी। इसके बावजूद, बिना लेखापरीक्षित लेखों पर छूट दी गई, जो नहीं दी जानी चाहिए थी। अन्य प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामले विभाग एवं शासन को फरवरी 2005 से जून 2005 के मध्य भेजे गए; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.12 विक्रय की गलत कटौती

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 जो छत्तीसगढ़ में अंगीकृत किया गया (अंगीकृत अधिनियम) की धारा 2(X) के अनुसार, कर चुके माल से अभिप्राय है कोई विनिर्दिष्ट माल जो राज्य के अंदर पंजीकृत व्यवसाई से क्रय किया गया हो। आयुक्त द्वारा 19 जून 1997 को जारी परिपत्र के अनुसार, कर चुकी क्रय के बिलों का सत्यापन

करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को 0.20 लाख रुपए से अधिक के बिलों का सत्यापन करना चाहिए। 0.20 लाख रुपए से कम के बिलों का सत्यापन केवल संदेह होने पर ही किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि "एक्स" इकाई ने, जिसका कर निर्धारण जनवरी 2003 में पारित किया गया, अवधि 1999-2000 में 2.10 करोड़ रुपए का कर चुका माल खरीद कर उसे 2.91 करोड़ रुपए में बेचा। इकाई "एक्स" एवं क्रय इकाई "वाय" के अभिलेखों के परस्पर मिलान पर पाया गया कि अवधि 1999-2000 में इकाई "वाय" की सकल बिक्री केवल 0.61 करोड़ रुपए थी, जो जनवरी 2003 में निर्धारित की गई थी। अतः इकाई "एक्स" द्वारा 2.30 करोड़ रुपए का अधिक कर चुका माल दर्शाना अनियमित था एवं फलस्वरूप 84.61 लाख कर का कम आरोपण हुआ जिसमें न्यूनतम शास्ति 63.46 लाख रुपए शामिल थी।

तत्पश्चात इसके इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2004 में उत्तर दिया कि प्रकरण अधिनियम की धारा 28(i) में खोला जा रहा है। अभी तक अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को सूचित किया गया (अप्रैल 2005); इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2005)।

7.13 कर का अनारोपण

अंगीकृत अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तु "टावर" की बिक्री पर 31.12.99 तक आठ प्रतिशत एवं तत्पश्चात 12 प्रतिशत कर देय था।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक व्यवसायी के प्रकरण अवधि 1999-2000 में टावर से संबंधित कुल बिक्री 3.06 करोड़ रुपए दिसंबर 2002 में निर्धारित की गई जिसमें से 0.55 करोड़ रुपए की कीमत का माल अंतर्राज्जीय विक्रय किया। व्यवसाई का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने गलती से इस माल को कर चुका मान कर छूट दी। जिसके फलस्वरूप 28.99 लाख रुपए कर का अनारोपण हुआ।

इसे अगस्त 2004 में इंगित किये जाने पर, संभागीय उपायुक्त ने जून 2005 में उत्तर दिया कि आयरन एवं स्टील ट्यूब को काटकर उसमें छेद करके गेल्वेनाइजिंग की जाती है तथा टावर बनाया जाता है जो निर्माण प्रक्रिया नहीं है और इस पर कर देय नहीं था। तथ्यों के आधार पर उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुसूची II में टावर की अलग से प्रविष्टि है एवं तदनुसार कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

मामला विभाग एवं शासन को सूचित किया गया (जनवरी 2005); इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.14 क्रय कर का अनारोपण

अंगीकृत अधिनियम की धारा 10 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, जहां निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने हेतु बिना कर चुकाए कच्चे माल का क्रय किया जाता है तो क्रय मूल्य पर क्रय कर आरोपित होता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक निर्माता के प्रकरण अवधि 1998-99 जिसका कर निर्धारण अक्टूबर 2001 में हुआ, जूट क्लार्थ/जूट थैलों के निर्माण में प्रयुक्त होने हेतु 5.41 करोड़ रूपए का कच्चा माल घोषण-पत्रों पर बिना कर चुकाए खरीदा गया। कच्चे माल पर राशि 24.89 लाख रूपए क्रय कर आरोपित नहीं किया गया जो नए उद्योग की कुल कर छूट की सीमा में समायोजनीय था।

इसे सितंबर 2004 में इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया (अगस्त 2005) कि प्रकरण धारा 28(i) के अंतर्गत मार्च 2005 में पुनः खोला गया और 13.92 लाख रूपए क्रय कर निर्धारित कर आरोपित किया गया।

मामला विभाग एवं शासन को सूचित किया गया (जनवरी 2005); इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.15 शास्ति का न/कम लगाया जाना

अंगीकृत अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, यदि व्यवसाई ने अपना टर्नओवर या सकल क्रय राशि या क्रय विक्रय के झूठे विवरण दिए थे तो ऐसे छुपाए गए कर की राशि का कम से कम तीन गुना किंतु पांच गुना से अधिक नहीं की शास्ति का प्रावधान है।

दो क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि दो व्यवसाइयों के प्रकरणों अवधि 1999-2000 जिनके कर निर्धारण जनवरी 2003 में किए गए में से एक प्रकरण में 66.50 लाख रूपए की शास्ति आरोपित करने के बजाय कम से कम 72.60 लाख रूपए शास्ति आरोपित की जानी थी और दूसरे प्रकरण में यद्यपि शास्ति आरोपित करने हेतु आदेश पारित था परंतु न तो शास्ति की गणना की गई और न ही आरोपित की गई। फलतः 7.05 लाख रूपए की शास्ति अनारोपित रही। इस प्रकार 13.15 लाख रूपए का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

विभाग ने अगस्त 2004 एवं जून 2005 के मध्य दिये गये उत्तर में बताया कि एक प्रकरण धारा 28(i) पुनः खोला गया था जबकि दूसरे प्रकरण में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामला विभाग व शासन को जनवरी 2005 से अप्रैल 2005 के मध्य सूचित किया गया; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

- अंगीकृत अधिनियम की धारा 69 के अनुसार, यदि व्यवसाई द्वारा कुल देय एवं अदा किया गया कर निर्धारित कुल कर के 80 प्रतिशत से कम है, तो यह माना जावेगा कि व्यवसाई ने अपना टर्नओवर छुपाया है एवं आयुक्त निर्धारित शास्ति लगाने की कार्यवाही अलग से प्रारंभ कर सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि एक व्यवसाई के प्रकरण अवधि 1999-2000 जिसका कर निर्धारण आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2002 को पारित किया गया, जिसमें 1.15 लाख रूपए कर चुका दर्शाया गया था जबकि कर निर्धारण आदेश दिनांक तक वास्तविक कर रूपए 0.02 लाख चुकाया था जो निर्धारित कुल कर 1.18 लाख रूपए के 80 प्रतिशत से कम था। शेष 1.13 लाख रूपए व्यवसाई द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2002 को जमा किया गया जो कर निर्धारण आदेश दिनांक के बाद थे। अतः छुपाए गए कर के पांच गुने शास्ति आरोपणीय थी। 4.61 लाख रूपए की यह शास्ति आरोपित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में प्रकरण के तथ्यों को गलत प्रस्तुत किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (दिसंबर 2004); कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों की जांच की जा चुकी थी एवं शास्ति लागू नहीं होती थी। कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं था कि दिखाया गया कुल कर का भुगतान निर्धारित कर के 80 प्रतिशत से कम था।

मामला विभाग एवं शासन को अप्रैल एवं मई 2005 में सूचित किया गया; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.16 कर योग्य विक्रय पर कर का अनारोपण

अंगीकृत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, करयोग्य बिक्री पर कर उस दर से आरोपणीय है जो अधिनियम से संबंधित अनुसूची में उल्लेखित है। ड्यूटी इंटाइटिलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) भी एक वस्तु है जो कर योग्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि एक व्यवसाई के प्रकरण अवधि 1999-2000 जिसका कर निर्धारण दिसंबर 2002 में हुआ, डी.ई.पी.बी. की बिक्री राशि 1.55 करोड़ रूपए सकल और करयोग्य बिक्री में शामिल नहीं की गई थी। फलस्वरूप 14.28 लाख रूपए का आरोपणीय कर आरोपित नहीं हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को फरवरी 2005 में सूचित किया गया। विभाग ने आपत्ति को अक्टूबर 2005 में स्वीकार किया और धारा 28 में प्रकरण पुनः खोला।

7.17 कर की अनियमित वापसी

अंगीकृत अधिनियम की धारा 73(2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करता है तो वह राशि राज्य शासन द्वारा राजसात योग्य होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2004) में प्रगट हुआ कि दो प्रकरणों में एक व्यवसाई द्वारा माल की बिक्री में 1998-99 एवं 1999-2000 के मध्य उच्च दर से कर वसूला गया और प्रस्तुत आवधिक विवरणियों के साथ कर राजकीय कोष में जमा किया गया। अधिक वसूला गया कर राजसात योग्य था और व्यवसाई को कोई वापसी के लिए पात्र नहीं था। तथापि, यह पाया गया कि व्यवसाई ने अवधि 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए, जून 2002 तथा जुलाई 2003 के मध्य, 12.72 लाख रूपए की अनियमित कर वापसी प्राप्त की।

इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने 1999-2000 के एक प्रकरण में वापसी का कारण व्यवसाई को निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की खरीद पर दी गई मुजराई दिया जाना बताया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसाई ने वस्तुओं की बिक्री पर कर वसूल किया था। दूसरे प्रकरण में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

मामला विभाग एवं शासन को अप्रैल 2005 एवं मई 2005 के मध्य सूचित किया गया; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.18 सकल विक्रय का गलत निर्धारण

अंगीकृत अधिनियम एवं उन पर हुए निर्णयों³ के अधीन, घर पर माल उपलब्ध कराने की स्थिति में भाड़ा/परिवहन व्यय विक्रय मूल्य का भाग होगा।

वृत्त-2, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चार व्यवसाइयों के प्रकरणों अवधि 1999-2000, जिनके कर निर्धारण अगस्त एवं दिसंबर 2002 के मध्य हुए, में परिवहन व्यय राशि 1.31 करोड़ रूपए को घर पर माल प्रदाय स्थिति में सकल/करयोग्य बिक्री में शामिल नहीं किया गया जबकि यह विक्रय मूल्य का अंश था। फलस्वरूप 12.06 लाख रूपए का न्यून करारोपण हुआ।

इसे फरवरी 2005 में इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी दो प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु सहमत हुए। शेष दो प्रकरणों में उत्तर में बताया कि न्यायिक निर्णय⁴

³ मेसर्स बिरला जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य (1997) 19 टी एल डी 233 के प्रकरण में मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय।

⁴ (i) मेसर्स बेंगलोर सॉफ्ट ड्रिंक प्रायवेट लिमिटेड विरुद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2000)117 एसटीसी-413 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

(ii) विनोद कोल सिडीकेट विरुद्ध आयुक्त विक्रय कर (1989)73 एसटीसी-317 के प्रकरण में उत्तरप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ का निर्णय।

के प्रकाश में अलग से दिया गया परिवहन व्यय बिक्री मूल्य में नहीं जोड़ा गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शेष दो प्रकरणों में दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिन न्यायालयीन प्रकरणों को दर्शाया गया उनकी परिस्थितियां उद्धृत प्रकरणों में लागू नहीं थी। इस प्रकरण में अनुबंध में दर्शाई गई कीमत घर पर प्रदाय के आधार पर थी जबकि दर्शाए गए दो न्यायिक प्रकरणों में परिवहन के अलग अनुबंध थे या माल नियंत्रित विज्ञप्ति आदेश पर बेचा गया था।

मामला विभाग व शासन को जुलाई 2005 में सूचित किया गया; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.19 कर का कम आरोपण

अंगीकृत अधिनियम की धारा 9 बी के प्रावधान के अनुसार, मूल्य संवर्धन कर (वैट) व्यवसाई द्वारा कर चुकी क्रय एवं उसके विक्रय के मूल्य संवर्धन पर देय है।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक व्यवसाई के प्रकरण अवधि 1999-2000, जो जनवरी 2003 में निर्धारित किया गया, में कर चुकी तेल रहित खली (डी.ओ.सी.) का क्रय 1.26 करोड़ रूपए का किया गया और उसे 1.75 करोड़ रूपए में बेचा गया जिसमें रूपए 40.35 लाख का मूल्य संवर्धन था। मूल्य संवर्धन पर कर (वैट) 4.54 लाख रूपए आरोपित किया जाना था जबकि 0.09 लाख रूपए वैट आरोपित किया गया, फलस्वरूप 4.45 लाख रूपए वैट का कम करारोपण किया गया।

इसे माह अगस्त 2004 में इंगित किये जाने पर, शासन ने सितंबर 2005 में उत्तर दिया कि कर चुकी डी.ओ.सी. राशि 1.26 लाख रूपए की अन्तर्राज्यीय बिक्री की गई थी अतः मूल्य संवर्धन कर आरोपणीय नहीं था। शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यवसाई द्वारा करयोग्य एवं करचुकी बिक्री के लिए अलग-अलग खाते संधारित नहीं किए गए थे और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुके माल के अनुमानित मूल्य पर वैट आरोपित किया था। आगे, ऐसे दस्तावेज अभिलेखित नहीं थे जिसमें कर चुके माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री दर्शित होती थी।

मामला विभाग एवं शासन को सूचित किया गया (जनवरी 2005); इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

राज्य उत्पाद शुल्क

7.20 अल्कोहल का कम उत्पादन

राज्य सरकार ने शीरे के अतिरिक्त अन्य भूलों (वेसेस) से अल्कोहल उत्पादन हेतु मानकों का निर्धारण नहीं किया है। तथापि, टैक्नीकल एक्साइज मैनुअल में प्रावधानित है कि प्रति कुन्टल अनाज⁵ से औसतन 27.71 लीटर अल्कोहल उत्पादित होना चाहिए।

जिला दुर्ग में स्थित एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (मार्च 2005) कि 1,47,64,525.3 लीटर नियत अल्कोहल के उत्पादन के विरुद्ध 5,32,823 कुन्टल अनाज से, फरवरी 2003 से फरवरी 2005 के मध्य, औसतन 66.1 तीव्रता वाली 1,40,75,377.3 लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ। इस प्रकार 6,89,148 लीटर या 11,44,674.9 प्रूफ लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन होने से रु. 5.49 करोड़ राशि की राज्य उत्पाद शुल्क की भारी हानि हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग ने बताया (मार्च 2005) कि अल्कोहल का उत्पादन एक्साइज मैनुअल के मानकों के अनुसार हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आंकड़ों एवं तथ्यों से प्रकट हुआ कि मैनुअल में निर्धारित मानदंडों से उत्पादन काफी कम था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2005) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2005)।

7.21 स्प्रिट के न्यूनतम स्कन्ध का न रखा जाना

छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार आसवक (अनुज्ञप्ति धारी) आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया स्प्रिट का न्यूनतम स्कन्ध आसवनी में बनाये रखे। यदि आसवक ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध से कम पायी गयी स्प्रिट पर रु. 5/- प्रति प्रूफ लीटर से अनाधिक की दर से शास्ति आरोपणीय है। यह विचार किए बिना कि शासन को हानि हुई अथवा नहीं, आसवक (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा इस शास्ति का भुगतान किया जावेगा।

जिला बिलासपुर एवं दुर्ग में स्थित आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जुलाई 2002 एवं फरवरी 2005 के मध्य आसवक आसवनियों में स्प्रिट के निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध को बनाये रखने में असफल रहे जो 73.16 लाख प्रूफ लीटर कम था। राशि रु. 3.66 करोड़ की शास्ति आरोपित कर वसूल की जानी थी जो कि वसूल नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 3.66 करोड़ रूपए का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

⁵ गेहूँ, चावल, राई, जौ, जई एवं भारतीय मक्का

जून 2004 एवं फरवरी 2005 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आयुक्त उत्पाद, बिलासपुर ने उत्तर दिया कि पुराने संयंत्र के बंद होने एवं नये संयंत्र के विस्तार के कारण स्पिरिट के उत्पादन पर असर पड़ा। जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग ने बताया कि स्पिरिट का प्रदाय प्रभावित नहीं हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आसवानी नियमों में संयंत्र के विस्तार के आधार पर छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है एवं स्पिरिट का प्रदाय शास्ति के आरोपण से संबद्ध नहीं है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को सितंबर 2004 एवं फरवरी 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.22 उत्पाद शुल्क की हानि

छत्तीसगढ़ आसवानी नियम, द्वारा निर्धारित किया गया है कि शीरा में विद्यमान प्रति कुण्टल किण्वन योग्य शर्करा से न्यूनतम 91.8 प्रुफ लीटर अल्कोहल प्राप्त होना चाहिए। नियम 5 के अनुसार आसवानी अधिकारी राज्य उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित अंतराल पर शीरे के नमूने लेगा एवं उन्हें शीरा में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के निर्धारण के लिए विभागीय प्रयोगशाला में भेजेगा। विभागीय प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के आधार पर, आसवानी अधिकारी द्वारा अपेक्षित अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना की जायेगी। भारतीय स्टैन्डर्ड स्पेशिफिकेशन के अनुसार शीरा में विद्यमान न्यूनतम शर्करा की मात्रा के अनुसार तीन श्रेणियाँ 50,44 एवं 40 प्रतिशत है और इसका 95 प्रतिशत किण्वन निर्धारित किया गया है। अल्कोहल की सही मात्रा प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि शीरा से लिए गये नमूनों की जांच कम से कम समय में करायी जाए क्योंकि अधिक विलम्ब से परीक्षण कराये जाने पर शीरा में विद्यमान शर्करा की मात्रा कम हो जाती है।

दुर्ग स्थित एक आसवानी के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (मार्च 2005) कि शीरा की दो ग्रेड जिनमें 50 एवं 47.4 प्रतिशत शर्करा की मात्रा थी, आसवानी अधिकारी द्वारा जनवरी 2004 में चार समूहों में 26 नमूनों को परीक्षण के लिए प्राप्त किया गया था। इन नमूनों को 10 से 35 दिनों के बाद विभागीय प्रयोगशाला में भेजा गया तथा चार से पाँच माहों के विलंब के उपरांत परीक्षण किया गया। नमूनों की प्राप्ति एवं परीक्षण की अवधि में अन्तराल के कारण शीरा में किण्वन योग्य शर्करा की प्रतिशत मात्रा में 47.5⁶ एवं 45.51⁶ प्रतिशत से 42.83 एवं 41.21 प्रतिशत कम पायी गयी। कम पायी गयी शर्करा की मात्रा के आधार पर अल्कोहल का अनुमानित उत्पादन 16.17 लाख प्रूफ लीटर की गणना की गई जबकि शीरा की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम उत्पादन 17.92 लाख प्रूफ लीटर होना चाहिए था। 41,395 कुण्टल शीरा से 16.52 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल की वास्तविक प्राप्ति हुई जो कि नियमों के अधीन निश्चित मात्रा से अधिक थी लेकिन यदि परीक्षण पूर्व में कर लिया जाता तो अल्कोहल का अनुमानित उत्पादन 1.40 लाख लीटर से अधिक होता । इस प्रकार विलम्ब से परीक्षण के कारण राज्य उत्पाद शुल्क राशि 67.16 लाख रूपए की हानि हुई।

⁶ 50 एवं 47.4 का 95 प्रतिशत

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) दुर्ग ने बताया (मार्च 2005) कि वास्तविक अल्कोहल की प्राप्ति नियमों में निर्धारित मानकों से अधिक है। उत्तर आसवनी नियमों के स्वाभाविक दोष को रेखांकित करता है चूंकि नमूनों को लेने एवं उनका परीक्षण करने में अत्यधिक अंतराल का परिणाम यह होता है कि शीरे में विद्यमान किण्वनयोग्य शर्करा में कमी आती है। अतः भुगतान योग्य शुल्क परीक्षण के अंतराल पर निर्भर करता है, यह आवश्यक है कि नमूनों को एकत्रित करने एवं उनका परीक्षण करने के लिए समय सीमा निर्धारित हो। चूंकि सम्भावित राजस्व हानि अधिक है (67.16 लाख रूपए केवल इस प्रकरण में) यह आवश्यक है कि नियमों में नमूनों के परीक्षण की कुछ समय सीमा निर्धारित की जायें।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2005)।

7.23 व्यय की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ आसवनी नियम के नियम 4(41) के अनुसार, आसवनी पर राज्य सरकार की स्थापना पर किया गया व्यय आसवनी से उपार्जित राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक होने पर आसवक से वसूल किया जावेगा।

दुर्ग जिले की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (मार्च 2005) कि राज्य सरकार की स्थापना पर हुआ व्यय 28.74 लाख रूपए उपार्जित राजस्व 16.27 लाख रूपए की पाँच प्रतिशत सीमा (0.82 लाख) से वर्ष 2001-02 एवं 2004-05 के दौरान रु. 27.92 लाख अधिक था। इसे आसवक से वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2005) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.24 उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम 1995 के नियम 10-ए के अनुसार, विनिर्माण मद्य भाण्डागार से जिले में स्थित भण्डारण मद्य भाण्डागार तक देशी मदिरा की मोहरबंद बोतलों के परिवहन में मार्गस्थ हानि 0.1 प्रतिशत की दर से अनुमत्य है। सीमा से अधिक मार्गस्थ हानि हेतु आबकारी शुल्क अनुज्ञप्तिधारी से वसूल करना है।

सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, बिलासपुर, दुर्ग, एवं राजनांदगांव के अभिलेखों की जुलाई 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि विनिर्माण मद्य भाण्डागार से उसी जिले में स्थित भण्डारण मद्य भाण्डागार को 1,513 परमितों पर 27.45 लाख प्रूफ लीटर देशी मदिरा का परिवहन, भरी बोतलों में सितम्बर 2001 से फरवरी 2005 के मध्य, किया गया था, उसमें से 27.19 लाख प्रूफ लीटर ही प्राप्त की गयी। अनुमत्य मार्गस्थ हानि 2745 प्रूफ लीटर के स्थान पर 0.26 लाख प्रूफ लीटर मार्गस्थ हानि हुई जो कि 0.23 लाख प्रूफ लीटर अधिक थी। अधिक

हानि पर आबकारी शुल्क 11.31 लाख रुपए वसूली योग्य था, परंतु वसूल नहीं किया गया जिससे उस सीमा तक आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर ने जुलाई 2004 में उत्तर दिया कि प्रकरणों को निर्णय हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किया जा रहा था। जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग ने मार्च 2005 में बताया कि सत्यापन के उपरांत आसवक से हानि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी। सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर और जिला आबकारी अधिकारी दुर्ग से आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2005)। सहायक आयुक्त, आबकारी, राजनांदगांव से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2005) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.25 उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1995 के नियम 12 (4) एवं 13 के प्रावधानों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा की संपूर्ण मात्रा पर लगने वाला आबकारी शुल्क जमा करेगा या अंतर्निहित शुल्क की राशि के बराबर बैंक गारण्टी देगा या फिर पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बांड निष्पादन करेगा ताकि यदि निर्यातकर्ता 21 दिनों के अंदर विदेशी मदिरा की आयातक इकाई से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत नहीं करता है, तो आबकारी शुल्क वसूल किया जा सके। इसके अतिरिक्त नियम-19 के अधीन 50,000/- रुपए तक की शास्ति भी आरोपित की जा सकती है।

दुर्ग जिले की एक आसवनी के अभिलेखों की मार्च 2005 में की गई नमूना जांच में प्रगट हुआ कि 4725 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा जिसमें 3.31 लाख रुपए का आबकारी शुल्क सन्निहित था, बॉण्ड के अधीन मई 2005 में आसाम की एक इकाई के निर्यात किया। आठ माह व्यतीत होने पर भी आयातक इकाई से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शुल्क 3.31 लाख रुपए एवं शास्ति 0.50 लाख रुपए की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परिणामतः 3.81 लाख रुपए की राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित करने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) दुर्ग ने बताया (सितम्बर 2005) कि आसवक से सत्यापन रिपोर्ट मंगाने के लिए कहा गया है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि आसवक ने सत्यापन रिपोर्ट 21 दिनों के अंदर प्रस्तुत नहीं की थी, अतः आबकारी शुल्क शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2005); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

वाहनों पर कर

7.26 वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक वाहन पर निर्धारित दर से करारोपण किया जावेगा। देय कर जमा न करने पर वाहन स्वामी प्रतिमाह या उसके भाग की चूक के लिए कर की असंदत्त राशि के 1/12 की दर से लेकिन असंदत्त कर से अधिक नहीं शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यदि वाहन स्वामी असंदत्त कर या शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान अधिकारी मांग-पत्र जारी करेगा एवं भू-राजस्व की देय बकाया की तरह राजस्व की वसूली करेगा।

तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁷ (क्षे.प.अधि.), अतिरिक्त परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी, दुर्ग और जिला परिवहन अधिकारी, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न प्रकार के वाहनों⁸ के स्वामियों से सितंबर 2001 से मार्च 2004 के मध्य 1.6 करोड़ रूपए वाहन कर नहीं वसूला गया। राशि 1.6 करोड़ रूपए के बराबर शास्ति भी आरोपित होनी थी लेकिन आरोपित नहीं की गई। फलतः 3.20 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्त नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, क्षे.प.अधि. जगदलपुर ने फरवरी 2005 में बताया कि मैक्सी कैब वाहनों के लिए मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं, क्षे.प.अधि रायपुर ने मार्च 2005 में पुष्टि की कि वाहन वार स्पेयर मंजिली वाहनों और नियमित मंजिली वाहनों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अन्य इकाइयों के संबंध में यह कहा कि प्रकरणों की जांच पश्चात अवगत कराया जाएगा। आगे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2005)।

मामला विभाग एवं शासन को भेजा गया (दिसंबर 2004 और जुलाई 2005 के मध्य); इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवंबर 2005)।

7.27 अन्य राज्यों से कर की वसूली न होना

अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, प्रथम अनुसूची में दर्शाई गई दर से भुगतान पर अन्य राज्यों के वाहनों को राज्य में चलाने हेतु परस्पर अनुबंधों पर अनुज्ञप्त किया जाता है। यदि निर्धारित समय के अंदर कर का भुगतान नहीं किया जाता तो ऐसी चूक के लिए असंदत्त कर के 1/12 की दर से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए शास्ति भी आरोपणीय है जो असंदत्त राशि से अधिक नहीं होगी।

⁷ बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर।

⁸ नियमित मंजिलीयानें, मालयानें, निजी सेवा वाहनों, मैक्सी कैबवाहनों और आरक्षित या अतिरिक्त मंजिली यानें।

क्षे.प.अधि. रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2005) में पाया गया कि अप्रैल 2002 एवं मार्च 2003 की अवधि में परस्पर अनुबंधों पर चलित 12 लोक यानों पर 14.84 लाख रूपए यान कर का भुगतान नहीं किया गया जिसके लिए कर अधिकारियों द्वारा मांग नहीं की गई। 14.84 लाख रूपए की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई। फलतः कर व शास्ति राशि 29.68 लाख रूपए अनारोपित रही।

इसे मार्च 2005 में इंगित किये जाने पर, क्षे.प.अधि. ने बताया कि अभिलेखों की जांच के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

मामला विभाग एवं शासन को जुलाई 2005 में भेजा गया; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 2005)।

भू-राजस्व

7.28 प्रब्याजी एवं भू-भाटक का कम निर्धारण/भुगतान न करना

मध्य प्रदेश शासन ने (1983 एवं 1991 के मध्य) निर्देश जारी किए कि स्थानीय निकाय या शासकीय उपक्रम के लिए आबंटित भूमि का अधिपत्य प्रदान करने से पूर्व प्रत्याशित प्रब्याजी एवं शासन द्वारा निर्धारित किया गया वार्षिक भूभाटक अग्रिम रूप से वसूल किया जावेगा।

नगर पालिका परिषद, जांजगीर-नैला के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (सितम्बर 2004) कि कलेक्टर जांजगीर चाँपा द्वारा नगर पालिका परिषद, जांजगीर-नैला को 46,260 वर्गफुट नजूल भूमि जिसका मूल्य 60.83 लाख रूपए था एवं जो तीन विभिन्न स्थानों पर स्थित थी आबंटित/स्थानांतरित की गयी एवं सितम्बर 1998 में अग्रिम अधिपत्य प्रदान किया गया तथा भूमि पर रियायती दर 50 प्रतिशत से प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक 7.5 प्रतिशत दर, इस शर्त के साथ वसूल किया जाना था कि कुल राशि आदेश दिनांक से छः माह के अंदर जमा की जाना चाहिए। नगर पालिका परिषद ने नवम्बर 2001 में प्रब्याजी के मात्र 3.00 लाख रूपए जमा किए एवं शेष प्रब्याजी 27.19 लाख रूपए एवं वार्षिक भू-भाटक 22.64 लाख रूपए वर्ष 1999 से 2004 की अवधि का सितम्बर 2004 तक जमा नहीं किए।

लेखा परीक्षा द्वारा सितम्बर 2004 एवं अप्रैल 2005 में इंगित किए जाने पर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राशि जमा नहीं की जा सकी; तथापि राशि जमा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस भूमि पर निर्मित दुकानों की बिक्री/नीलामी से नगर पालिका को आय हुई थी इसलिये उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्राप्त राशि को जमा किया जाना चाहिए था।

7.29 दुकानों की नीलामी न होना

मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि पुस्तिका के अध्याय 109(2)(1)(c) (जो छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू है), मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कोई भी परिषद यह अधिकार प्रदान करता है कि वह स्थावर सम्पत्ति को पट्टे द्वारा, बिक्री/नीलाम द्वारा हस्तांतरण कर सकता है। शासन की ओर से नीलामी का समस्त प्रभार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास है।

नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2004) एवं जुलाई 2005 में एकत्रित की गई जानकारी में प्रकट हुआ कि लघु एवं मध्यम नगरीय एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा वर्ष 1997-98 से 2000-01 के मध्य विभिन्न स्थानों पर 93 दुकानों का निर्माण किया गया। दुकानों का निर्माण कार्य वर्ष 2000-01 में पूर्ण किया गया। चार वर्ष समाप्त होने के उपरांत भी उपरोक्त 93 दुकानों में से 36 निर्मित दुकानों की नीलामी नहीं हो सकी। अतः दुकानों की नीलामी न होने के कारण अप्रैल 2001 से मार्च 2005 की अवधि में 43.92 लाख रूपए की (प्रब्याजी + भू भाटक) राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जांजगीर-नैला ने बताया (सितम्बर 2004) कि पर्याप्त निविदाओं के अभाव में एवं स्थानीय निकायों के चुनावों के कारण निर्मित दुकानों की नीलामी नहीं हो सकी। शेष दुकानों की नीलामी हेतु अगस्त 2005 में कार्यवाही की जावेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समाचार पत्रों में विस्तृत प्रचार-प्रसार न होने के कारण 36 दुकानों की नीलामी चार वर्षों से अधिक समय में नहीं हुई एवं इन दुकानों की बिक्री हेतु परंतु ठोस उपाय नहीं किये गये।

प्रकरण विभाग को नवम्बर 2004 एवं शासन को अगस्त 2005 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.30 प्रब्याजी एवं भू-भाटक का कम निर्धारण

मध्य प्रदेश शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) के पैरा 26 (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत) के अनुसार, गत वर्ष के औसत बाजार मूल्य⁹ की गणना के आधार पर प्रब्याजी के 60 प्रतिशत के भुगतान पर नजूल भूमि¹⁰ गृह निर्माण मण्डल को बिना नीलामी के प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रब्याजी पर 7.5 प्रतिशत की दर से गणना करने पर आये भू-भाटक का 50 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक गृह निर्माण मण्डल से वसूल किया जावेगा।

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग ने गृह निर्माण मंडल को 45,302 वर्गफुट नजूल भूमि जो कि जी.ई.रोड पर राजनांदगांव में स्थित थी 20.39 लाख प्रब्याजी एवं 0.61 लाख

⁹ जिलाधीश द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गणना किया गया बाजार मूल्य।

¹⁰ शासकीय भूमि जिसका उपयोग भवन निर्माण या जन सुविधाएं या मनोरंजन स्थान एवं सड़कें बनाने के लिए होगा।

वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित की गयी थी। राजनांदागांव क्षेत्र के लिए भूमि के मूल्यांकन के लिए बनायी गयी मार्ग दर्शिका के अनुसार भूमि पर प्रब्याजी की दर 132/- वर्ग फुट देय थी। जिसके अनुसार प्रब्याजी रु. 35.88 लाख एवं छः वर्ष का वार्षिक भू-भाटक रु. 8.07 लाख वसूली योग्य था। अतः 15.49 लाख रूपए प्रब्याजी और 4.41 लाख रूपए भू-भाटक कुल 19.90 लाख रूपए की कम वसूली की गई।

अक्टूबर 2004 में इसे इंगित किए जाने पर, नजूल अधिकारी, राजनांदागांव ने उत्तर दिया कि शासन से निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2005) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

अन्य कर राजस्व

मुद्रांक शुल्क-पंजीयन फीस

7.31 बीमा क्षेत्र के अनाधिकृत व्यक्तियों से मुद्राकों का क्रय

मध्यप्रदेश मुद्रांक नियम 1942 (अंगीकृत) के अनुसार, अनुज्ञापित मुद्रांक विक्रेता को अधिकृत कोषालय से मुद्रांक का क्रय कर अधिकृत स्थान पर बेचना है। नियमानुसार मुद्रांक विक्रेता द्वारा पंजीयन में दर्शाए गये स्थान के अतिरिक्त मुद्रांक का क्रय/विक्रय अनुमत्त नहीं है। अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त मुद्रांक का विक्रय प्रतिबंधित है।

बीमा क्षेत्र में गैर न्यायालयीन मुद्रांक के क्रय एवं उपयोग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि, जीवन बीमा निगम संभाग रायपुर एवं शहडोल द्वारा गैर न्यायालयीन मुद्रांक दो अपंजीकृत मुद्रांक विक्रेताओं से 1999-2000 एवं 2000-2001 की अवधि के मध्य क्रमशः 48.83 लाख रूपए एवं 29.16 लाख रूपए की कीमत के मुद्रांक क्रय किए गए।

जून 2004 में इंगित किये जाने पर, जीवन बीमा निगम, संभाग रायपुर ने कोई उत्तर नहीं दिया तथा जीवन बीमा निगम संभाग शहडोल ने जुलाई 2004 में बताया कि चूंकि फर्म के हिस्सेदार उस समय उचित अनुज्ञप्ति धारण किये हुए थे जब मुद्रांकों का क्रय किया गया एवं मुद्रांक विक्रेता उचित अनुज्ञप्ति के साथ अधिकृत था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उसने जहां से मुद्रांक क्रय किए थे उस फर्म के हक में कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी।

इस प्रकार बीमा क्षेत्र में 77.99 लाख रूपए के क्रय किए गए मुद्रांक नियमानुकूल नहीं थे।

प्रकरण विभाग एवं शासन को दिसंबर 2004 में भेजा गया। शासन ने अप्रैल 2005 में अपने उत्तर में बताया कि जिला पंजीयकों को इस अनाधिकृत मुद्रांक क्रय करने की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है।

7.32 संपत्तियों का न्यून मूल्यांकन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है (प्रभावशील है) में आवश्यक है कि संपत्ति का बाजार मूल्य उसके हस्तांतरण के लिए किसी भी विलेख में विनिर्दिष्ट किया जाए। यह मूल्य आरोपणीय मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के निर्धारण का आधार है। अधिनियम उप पंजीयक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे विलेखों को संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए जिलाध्यक्ष को संदर्भित कर सकता है। यदि यह मानने के कोई कारण हैं कि दस्तावेजों में संपत्ति का बाजार मूल्य सत्य उल्लिखित नहीं किया गया है तब ऐसे प्रकरणों का निबटारा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के सितंबर 2003 के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष द्वारा 90 दिन के अंदर करना होता है।

तीन उप पंजीयकों जगदलपुर, जशपुरनगर एवं रायपुर के अभिलेखों की अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य की गई नमूना जांच में पाया गया कि 52 विलेख जिनका पंजीयन अप्रैल 2001 एवं फरवरी 2004 के मध्य किया गया का मूल्य 2.15 करोड़ रूपए आंका गया जबकि इन दस्तावेजों के निष्पादन के समय इनका बाजार मूल्य 4.70 करोड़ रूपए था। उप पंजीयक ने इन प्रकरणों को सही बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु जिलाध्यक्ष को संदर्भित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 25.43 लाख रूपए के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य आगे यह भी देखा गया कि उप पंजीयक जगदलपुर एवं रायपुर द्वारा अक्टूबर 2000 एवं नवम्बर 2004 के मध्य 126 विलेख जिला पंजीयक को सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु संदर्भित किये गये, जो अनिर्णित थे। इन विलेखों पर रू. 47.57 लाख मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूली योग्य था, जिसकी गणना उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य के आधार पर की गयी थी, वसूली शेष रही।

इसे इंगित किये जाने पर, अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य उप पंजीयक ने बताया कि प्रकरणों की जांच करने के बाद संपत्तियों के सही बाजार मूल्य निर्धारण हेतु इन विलेखों को जिलाध्यक्ष को संदर्भित किया जावेगा। उप पंजीयक जगदलपुर एवं रायपुर ने आगे बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु जिला पंजीयक को निवेदन किया जावेगा। इस मामले की आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2004 एवं जून 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.33 मुद्रांक शुल्क का गलत आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार, मुख्यारनामा विलेख जबकि वह ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किया जाता है जो उसके/उसकी पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन, पुत्र/पुत्री नहीं है, संपत्ति के विक्रय/हस्तांतरण अधिकार बिना प्रतिफल प्रदान किए गए हो तो मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूली योग्य है।

उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004) में प्रकट हुआ कि 8 विलेखों का मुख्यारनामा, अप्रैल 2002 एवं फरवरी 2004 के मध्य, उन व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किए गए जो विक्रय/हस्तांतरण के लिए अधिकृत नहीं थे। मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क प्रचलित बाजार मूल्य¹¹ 40.36 लाख रूपए के बजाय 7.16 लाख रूपए के गलत बाजार मूल्य पर वसूल किया गया, इसके परिणामस्वरूप 33.20 लाख रूपए का अवमूल्यांकन हुआ जिसका राजस्व पर प्रभाव रूपये 2.79 लाख था। आगे अन्य पाँच प्रकरणों में पंजीयन फीस रु.9,837 के बदले 330 रूपए गलत दर लागू करने के कारण रजिस्ट्री करने वाले प्राधिकारी द्वारा आरोपित किए गए। इसके परिणामस्वरूप राशि 2.89 रूपए के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/ वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, अगस्त 2004 में अपने उत्तर में बताया कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली विक्रय पत्र के पंजीयन के समय की जाएगी। उत्तर अधिनियम के प्रावधानानुसार न होने के कारण मान्य नहीं है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2004 एवं जून 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.34 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत छूट

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार, 15 नवंबर 1997 से, किसी संपत्ति का बाजार मूल्य, वह मूल्य होगा, जो जिलाध्यक्ष या अपील अधिकारी के अभिमत जैसा प्रकरण हो, के अनुसार होगा, जो बाजार में विक्रय करने पर प्राप्त होता। शासन की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 1980 के अनुसार, गृह निर्माण उद्देश्यों के लिए भू-अधिगृहण हेतु समितियों के पक्ष में निष्पादित किए गए विलेख मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।

उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004) में पाया गया कि समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित विलेखों में निम्न विवरणानुसार संगणित कुल 36.27 लाख रूपए की राजस्व हानि दृष्टिगत हुई।

¹¹ बाजार मूल्य की गणना हेतु जिलाध्यक्ष द्वारा दिशानिर्देश (गाइडलाइन) जारी किए जाते हैं।

अप्रैल 2002 एवं जनवरी 2004 के मध्य नौ विलेख जो समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित किए गए थे, में भूमि के क्रय का प्रयोजन नहीं दर्शाया गया। इसलिये संपत्ति के बाजार मूल्य पर (रूपए 92.49 लाख) विभाग को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित करनी थी लेकिन मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप 9.23 लाख रूपए पंजीयन एवं मुद्रांक फीस का कम आरोपण हुआ।

- भूमि के विक्रय से संबंधित तीन विलेख थे जो दो समितियों ने जनवरी 2001 से अगस्त 2003 के मध्य गृह निर्माण प्रयोजन हेतु अपने सदस्यों के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट का लाभ लेकर पूर्व में क्रय की गई थी। जिसका विक्रय अक्टूबर 2002 एवं सितंबर 2003 में उन व्यक्तियों को किया, जो समितियों के सदस्य नहीं थे। चूंकि समिति ने 46.61 लाख रूपए की भूमि अपने सदस्यों के गृह निर्माण प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की गई इसलिये इन विलेखों पर पूर्व में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की जो छूट दी गई थी वह वसूली योग्य थी। परंतु विभाग द्वारा वसूली हेतु मांग जारी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 8.26 लाख रूपए की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम प्राप्त हुई।

- तीन विलेखों में जिनका पट्टा मूल्य 2.82 करोड़ रूपए था एवं जिनका निष्पादन 15 नवंबर 1997 के बाद हुआ था और उनका पंजीयन अक्टूबर 2002 एवं सितंबर 2003 के मध्य किया गया था; भूखंडों का मूल्य, प्रचलित बाजार मूल्य से कम निर्धारित किया गया था। अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप 18.78 लाख रूपए की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, उप पंजीयक ने अगस्त 2004 में बताया कि गलत छूट एवं वसूली हेतु उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अव-मूल्यांकन के प्रकरणों की जांच हेतु मुद्रांक संग्राहक को भेजा जाएगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया (मई 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2004 एवं जून 2005 के मध्य भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.35 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत/अनाधिकृत छूट

शासकीय अधिसूचना (सितंबर 1978) के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के भूमि स्वामियों एवं अन्य भूमि स्वामी जो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि के धारक नहीं हैं, के द्वारा कृषि प्रयोजनों हेतु निर्दिष्ट बैंकों से लिये गये ऋण के लिए निष्पादित बंधक/गिरवी विलेख मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से मुक्त हैं।

उप पंजीयक, जगदलपुर एवं रायपुर के अभिलेखों की अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 51 बंधक पट्टों एवं पांच सुरक्षा प्रतिभूति विलेखों का पंजीयन अप्रैल 2002 एवं जनवरी 2004 के मध्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गलत छूट देकर कराया गया। ये लेनदेन शासकीय अधिसूचना में निर्धारित विभिन्न

मानदंडों की पूर्ति नहीं करते थे, इसलिये 10.02 लाख रूपए की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की दी गई छूट अनियमित थी।

इसे इंगित किए जाने पर, 6 प्रकरणों में उप पंजीयक, रायपुर द्वारा आपत्ति स्वीकार की गई तथा एक प्रकरण में बताया कि विभाग के उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। शेष सात प्रकरणों हेतु बताया कि बैंकों से वास्तविक तथ्यों का पता लगाकर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। उप पंजीयक, जगदलपुर ने बताया कि 42 प्रकरणों के दस्तावेजों की जांच कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। मामले में आगे की प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन की ओर अगस्त 2004 एवं जून 2005 के मध्य भेजा गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.36 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानानुसार वसूली योग्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण विलेखों में सन्निहित संपत्तियों के बाजार मूल्य एवं विलेखों की वर्गीकृत श्रेणी के आधार पर निश्चित किया जाता है। मुद्रांक अधिनियम में विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न दरें निर्धारित हैं जैसे व्यवस्थापन, न्यास, पट्टा दान इत्यादि।

उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की अगस्त 2004 में की गई नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2002 एवं अगस्त 2003 के मध्य 6 विलेखों का पंजीयन गलत वर्गीकृत¹² किया गया एवं इसलिये केवल 0.28 लाख रूपए का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की गई जबकि 6.73 लाख रूपए आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप 6.45 लाख रूपए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपित किए गए।

इसको इंगित किए जाने पर, उप पंजीयन ने बताया कि प्रकरण में वांछित कार्यवाही की जाएगी। मामले में आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई (मई 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को (नवंबर 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य) भेजा गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.37 चोरी के कारण राजस्व की हानि

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 (जैसा अंगीकृत है) के प्रावधानों के अनुसार विभाग/कार्यालय में प्राप्त होने वाले किसी भी शासकीय धन को उसी दिन चालान द्वारा बैंक/कोषालय में जमा किया जाना चाहिए या अपरिहार्य परिस्थितियों में अगले दिन जमा

¹² 'व्यवस्थापन' को 'न्यास' के रूप में (4), 'कब्जा' सहित 'बंधक' को पट्टों के रूप में (1), 'दान' को 'व्यवस्थापन' के रूप में (1)

किया जाना चाहिए अन्यथा इसे दो ताले प्रणाली वाली मजबूत तिजोरी में रखा जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश वित्त संहिता में भी यह प्रावधान दिया गया कि गबन या अन्य कारणों से होने वाली हानि की घटना जब भी पता लगे को संबंधित अधिकारी द्वारा तुरंत अपने विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् इन्हीं अधिकारियों को एक पूर्ण जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004) में पाया गया कि पंजीयन, फीस एवं फ्रेकिंग की संगणित राशि 3.23 लाख रूपए जो कि 6.11.2003 को प्राप्त हुए थे, को उसी दिन बैंक/कोषालय में जमा नहीं कराया गया और उन्हें साधारण रोकड़ संदूक (कैश बॉक्स) में रखा गया। उक्त नगद राशि रोकड़ संदूक से चुरा ली गई, जिसकी सूचना पुलिस को 7.11.2003 को और महानिरीक्षक पंजीयक को दी गई। पुलिस द्वारा वसूली न होने के कारण प्रकरण बंद कर दि.4.2.2004 को विभाग को सूचना भेजी गई। तथापि, विभाग द्वारा हानि के संबंध में विभागीय जांच एवं किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वांछित जाँच प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को नहीं भेजा गया। इस प्रकार रोकड़ की सुरक्षा हेतु बनाए गए आदेश एवं नियमों के पालन न करने के कारण, शासन को 3.24 लाख रूपए की हानि उठानी पड़ी और विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही भी नहीं की गई।

इसको अगस्त 2004 में ध्यान में लाए जाने पर उप पंजीयक ने कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मामले में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2004)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को भेजा गया था (नवंबर 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

कर भिन्न राजस्व

वन प्राप्तियाँ

7.38 बाँस कूपों से विदोहन न होने से राजस्व हानि

संभाग की संबंधित कार्ययोजना में निर्धारित किये अनुसार बाँसों का काटना/विदोहन तीन-चार वर्षों के दोहन-चक्र में किया जाता है। निर्धारित कार्य योजना के अनुसार जब नियत उन्मुख समय पर विदोहन नहीं किया जाता तो फसल त्वरित ह्रास/क्षरण की ओर हो जाती है। बाँस फसल का दोहन न करने से भी नई कोपलें/गुच्छों की वृद्धि को रोकता है, जो अंततः भविष्य की बाँस फसल का निर्माण करता है। राज्य शासन द्वारा जुलाई 1997 में जारी निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी

जाने वाली कार्य योजना में किसी विचलन की अनुशंसा करने हेतु प्रधान वन संरक्षक को राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है।

तीन¹³ सामान्य वन मंडलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसंबर 2003 एवं जून 2004 के मध्य) में पाया गया कि विदोहन हेतु नियत 420 कूपों के विरुद्ध केवल 161 कूप वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 के मध्य दोहन किए गए थे। 259 कूपों का दोहन न करना कार्य योजना में विचलन था जिसके लिए सक्षम अधिकारी से उचित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप 1,11,664.532 हेक्टेयर क्षेत्र से अनुमानित उत्पादन 95,498.117 मानक टन बाँस के आधार पर रूपए 27.40 करोड़ की राजस्व हानि हुई। अनुमानित उत्पादन विभाग द्वारा स्वयं तैयार किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, संबंधित वन मंडलाधिकारियों ने अक्टूबर 2004 एवं दिसंबर 2004 के मध्य बताया कि विदोहन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी न होने एवं नक्सल गतिविधियों के कारण नहीं हुआ। यह भी बताया गया कि अधिकांश प्रकरणों को वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त द्वारा अपलेखित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कूपों के विदोहन को अलाभकारी बताने संबंधी कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए एवं कार्य योजना में विचलन संबंधी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया (अक्टूबर 2004), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

7.39 वनोपज के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि

विभाग ने जनवरी 1984 में निर्धारित किया कि, बाँस के प्राक्कलित और वास्तविक उत्पादन में अंतर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि बाँस के प्राक्कलित और वास्तविक उत्पादन में संभावित अंतर के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए गए थे। कूप के सर्वेक्षण एवं सेम्पल प्लॉट निर्मित करके बाँस के उत्पादन का अनुमान निर्धारित किया जाता है।

दो वनमंडलाधिकारियों के अभिलेखों की सितंबर 2004 में की गई नमूना जांच में पाया गया कि बाँस एवं लकड़ी के वास्तविक उत्पादन विभाग द्वारा आंकलन किए गए बाँस और लकड़ी के प्राक्कलित उत्पादन से कम था। इसके परिणामस्वरूप 50.35 लाख रूपए कम राजस्व प्राप्त जिसका विवरण निम्नानुसार है -

¹³ दन्तेवाड़ा, सुकुमा एवं बीजापुर

क्र. सं.	संभाग का नाम	निकासी का वर्ष	वनोपज का नाम	प्राक्कलित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	कम उत्पादन	प्रतिशत अंतर	कम वसूली (रु.लाख में)
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	2001-02 से 2003-04	बाँस व्यवसायिक	700.00 एसयू	302.265 एसयू	397.735 एसयू	56.82	32.65
			औद्योगिक	2350.00 एसयू	1525.977 एसयू	824.023 एसयू	35.06	
2	कांकेर संभाग	2003-04	बाँस व्यवसायिक	210.00 एसयू	73.493 एसयू	136.507 एसयू	65.00	9.60
			औद्योगिक	615.00 एसयू	477.284 एसयू	137.736 एसयू	22.39	

इसे इंगित किए जाने पर, वनमंडलाधिकारियों ने सितंबर एवं अक्टूबर 2004 में बताया कि प्राक्कलित उत्पादन केवल स्थूल अनुमान था जो कि सेम्पुल प्लाट के आधार पर निर्धारित किया गया था और यह उत्पादन के लक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुमान स्वयं विभाग द्वारा तैयार किये गये थे एवं प्राक्कलित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का अंतर बहुत अधिक था जो कि 22 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के मध्य था। इस भारी अंतर का कोई कारण अभिलेख में नहीं था जिसके परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व रूपए 42.25 लाख की कम वसूली हुई।

3	कांकेर संभाग	2003-04	लकड़ी	325.528 ¹⁴	165.812	127.163	39.06	8.10
			जलाऊ	271.5 चट्टे	88 चट्टा	156.000 चट्टा	57.45	

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी ने सितंबर 2004 में बताया कि अनुमानित उत्पादन की गणना फॉर्म फैक्टर¹⁵ के आधार पर की गई है जो सर्वेक्षण स्थल की गुणवत्ता के अनुसार वास्तविक स्थल की स्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि इन तथ्यों को प्राक्कलित उत्पादन के निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाता है। अनुमत्य कमी को घटाने के बाद उत्पादन की कमी के परिणामस्वरूप रूपए 8.10 लाख की हानि हुई।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को नवंबर 2004 और जनवरी 2005 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे विभाग को अनुशंसा की है कि बाँस के प्राक्कलित तथा वास्तविक उत्पादन के बीच अधिकतम अनुमत्य अंतर हेतु मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए (जून 2005)।

¹⁴ 10 प्रतिशत की भिन्नता अनुमत्य है।

¹⁵ फार्म फैक्टर- स्थल पर पेड़ की ऊंचाई एवं परिधि दर्शाता है जिससे अनुमानित उत्पादन ज्ञात होता है।

खनन प्राप्तियाँ

7.40 रायल्टी की कम वसूली

खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9(1) सहपठित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (अक्टूबर 1998)¹⁶ के अनुसार, खनन पट्टाधारक पट्टाक्षेत्र से हटाए गए अथवा स्वयं के द्वारा उपभोग किए खनिजों के संबंध में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से रायल्टी का भुगतान करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि खदान से निकाले गये/हटाये गये खनिज की मात्रा के रायल्टी भुगतान का सही लेखा रखा गया है, पट्टेदार खनिज अधिकारी को खनन से निकाली गई एवं हटाई गई मात्रा की मासिक एवं वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा एवं माह एवं वर्ष के अंत में शेष स्कंध का लेखा प्रस्तुत करेगा।

खनिज अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2004) में पाया गया कि दो खनन पट्टाधारी वार्षिक एवं द्विवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे। चार द्विवार्षिक प्रतिवेदनों में, जनवरी 2002 एवं दिसंबर 2003 के मध्य, उन्होंने अपने चूना पत्थर के अंतिम स्टॉक को 3,36,563 एवं 3,57,249 मीट्रिक टन कम करके दर्शाया। इसमें से 1,61,983 एवं 3,57,249 मीट्रिक टन घटोत्री छनाई¹⁷ में दर्शाई गई। एक इकाई ने संपूर्ण मात्रा को घटोत्री छनाई के रूप में दर्शाया जबकि दूसरी ने 1,61,983 मीट्रिक टन छनाई में घटोत्री दर्शाई एवं शेष 1,74,580 मीट्रिक टन मात्रा के लिये कोई कारण नहीं दर्शाया गया। उक्त घटाई गई मात्रा के लिए खान एवं खनिज अधिनियम/नियम में कोई प्रावधान न होने के कारण किसी भी स्थिति में किसी भी कारण से अंतिम स्कंध के लेखे से मात्रा घटाना अनियमित था। घटाए गए स्कंध पर रायल्टी की राशि 2.79 करोड़ रूपए देय थी जिसका पट्टेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया। विभाग द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई परिणामस्वरूप राजस्व राशि 2.79 करोड़ रूपए का अनारोपण हुआ।

माह नवंबर 2004 में इंगित किए जाने पर, खनिज अधिकारी, रायपुर ने बताया कि उच्चाधिकारियों से उचित आदेश प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा। प्रगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन के अप्रैल 2005 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

¹⁶ उड़ीसा राज्य एवं अन्य विरुद्ध मैसर्स स्टील एथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जू (1998) एसएलपी 553।

¹⁷ चूना पत्थर के कुचलने (केसिंग) के दौरान उत्पन्न रद्द मात्रा।

7.41 रायल्टी पर ब्याज की वसूली न होना

खनिज संसाधन विभाग/मध्य प्रदेश शासन के पत्र दि.25.10.1999 के द्वारा खनिज पट्टेदार को 5.41 करोड़ रूपए के उपकर एवं उस पर देय ब्याज की बकाया राशि को 10 समान किश्तों में जमा करने की अनुमति दी गई थी। जबकि खनिज पट्टेदार के विरुद्ध रायल्टी की बकाया राशि 1.20 करोड़ रूपए दंड ब्याज सहित 10 समान किश्तों में वसूली योग्य शेष थी।

खनिज अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2004) में पाया गया कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित किश्तों में रायल्टी का भुगतान किया गया लेकिन 36.67 लाख रूपये के दंड ब्याज की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, खनिज अधिकारी ने नवंबर 2004 में बताया कि बकाया रायल्टी पर ब्याज की वसूली की प्रगति की सूचना, माँग पत्र जारी कर एवं वसूली की कार्यवाही किये जाने के पश्चात दी जावेगी। आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई (अगस्त 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अप्रैल 2005 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2005)।

7.42 खनिज पट्टे पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जैसा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग में लागू है, खनिज पट्टा नवीनीकरण के प्रकरण में आवेदन पत्र में दी गई निकाली जाने वाली अधिकतम खनिज मात्रा, पूर्व के तीन वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन की मात्रा एवं खनिज योजना (माइनिंग प्लान) में दी गई उत्पादन मात्रा के आधार पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क की गणना की जावेगी।

उप पंजीयक, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2004) में पाया गया कि एक चूना पत्थर के पट्टे के नवीनीकरण करते समय जो कि 4.8.1999 से 20 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील था, आवेदन पत्र में दर्शाए गए सम्भाव्य वार्षिक औसत रायल्टी राशि 4.40 करोड़ रूपए के आधार पर खनिज पट्टा विलेख पंजीकृत/निष्पादित कराया गया जबकि विगत तीन वर्षों के मध्य उत्पादित वार्षिक औसत मात्रा की रायल्टी राशि 5.64 करोड़ रूपए के आधार पर पंजीयन कराया जाना था। इसके परिणामस्वरूप कुल रूपए 48.79 लाख का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर खनिज अधिकारी ने नवंबर 2004 में बताया कि प्रकरण में आवश्यक जांच कर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। आगे उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अप्रैल 2005 में भेजा गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.43 अनिवार्य किराया एवं ब्याज का कम आरोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, पट्टेदार द्वारा खनिज क्षेत्र से निकाली गई खनिज मात्रा या अनिवार्य भाड़ा जैसा भी प्रकरण हो, के लिए निर्धारित तिथि तक रायल्टी (राज्यांश) का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, यदि वह निर्धारित तिथि के 16वें दिन की समाप्ति तक रायल्टी का भुगतान करने में असफल रहता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे और भी, शासन के (सितंबर 1995) के निर्देशानुसार अनिवार्य किराए का भुगतान प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी तक किया जाना है।

खनिज अधिकारी, रायपुर एवं दंतेवाड़ा के अभिलेखों की मई एवं नवंबर 2004 के मध्य की गई जाँच में प्रकट हुआ कि दो पट्टेदारों द्वारा अवधि 1999 एवं 2004 हेतु भुगतान किये जाने वाले अनिवार्य किराये की राशि 25.61 लाख रुपए के विरुद्ध 10.87 लाख रुपए का भुगतान किया। परिणामस्वरूप 14.74 लाख रुपए का भुगतान नहीं/कम किया गया इस पर 1.40 लाख रुपए का ब्याज भी आरोपणीय था। आगे, अनिवार्य किराये के विलंब से किये गये भुगतान पर 2.74 लाख रुपए का दंडब्याज आरोपणीय था लेकिन आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल रुपए 18.88 लाख (अनिवार्य भाड़ा 14.74 लाख रुपए एवं ब्याज 4.14 लाख रुपए) का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, खनिज अधिकारी, दंतेवाड़ा ने मई 2004 में बताया कि पट्टेदार को मई 2004 में मांग पत्र जारी कर दिया गया है। खनिज अधिकारी, रायपुर ने अपने उत्तर में नवंबर 2004 में बताया कि जांच के पश्चात वसूली की प्रगति से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। इस मामले में आगे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2005)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अप्रैल एवं जुलाई 2004 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

अन्य कर भिन्न राजस्व

मत्स्य पालन विभाग

7.44 रायल्टी की वसूली न होने से राजस्व की हानि

मत्स्य पालन विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर (महासंघ) द्वारा उत्पादित मछली पर रु.4 प्रति किलोग्राम की दर से राज्यांश वसूल करना चाहिए।

संचालक मत्स्याद्योग (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2004) एवं अप्रैल 2005 एवं जून 2005 में एकत्रित की गई अन्य जानकारी में प्रकट हुआ कि नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से महासंघ द्वारा 2562.61 मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन किया गया एवं 102.50 लाख का रायल्टी का भुगतान बकाया था। इसमें से केवल 12.00 लाख रूपए का भुगतान वर्ष 2003-04 में महासंघ द्वारा किया गया एवं नीचे दिये गये विवरण के अनुसार रु.90.50 लाख की राशि वसूली हेतु लंबित थी।

स. क्र.	वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मी.ट.)	दर प्रति कि.ग्रा.	राज्यांश की राशि	जमा राशि	बकाया राज्यांश
				(लाख रूपए में)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	2000-01 (11/2000)	464.95	4/-	18.598	निरंक	18.598
2.	2001-02	374.72	4/-	14.988	निरंक	14.988
3.	2002-03	768.78	4/-	30.751	निरंक	30.751
4.	2003-04	319.79	4/-	12.792	12.00	0.792
5.	2004-05 (2/05)	634.368	4/-	25.370	निरंक	25.37
	योग	2562.608		102.499	12.00	90.499

इसे इंगित किए जाने पर, संचालक ने उत्तर दिया कि रायल्टी की वसूली हेतु महासंघ से जून 2003 एवं मार्च 2005 के मध्य पत्राचार करने के उपरांत भी राज्यांश वसूल नहीं किया जा सका एवं अनुबंध में शास्ति का प्रावधान न होने के कारण शास्ति भी आरोपित नहीं की जा सकी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2004), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2005)।

लोक निर्माण विभाग

7.45 पट्टे की राशि एवं ब्याज की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग की नियम पुस्तिका के अनुसार, पट्टेधारी, पुलों पर पथकर वसूल करने के लिए पट्टा अनुबंध में निर्धारित दिनांक को पट्टा राशि की किश्तों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इसके विफल रहने पर विलंब से किए गए भुगतान राशि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है।

कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004) में प्रकट हुआ कि 20 मई 1993 से 5 अप्रैल 1994 की अवधि के लिए पथ कर वसूलने का अधिकार 49.51 लाख रूपये के पट्टे पर प्रदान किया गया। यह राशि 10 समान किश्तों में दिनांक 1.6.1993 से वसूली योग्य थी। पट्टाधारी द्वारा उक्त राशि के विरुद्ध मात्र 14.90 लाख रूपये 11 किश्तों में जमा किए गए एवं शेष राशि 34.61 लाख रूपये एवं इस पर अगस्त 2004 तक भुगतान किये जाने वाले ब्याज की राशि 35.98 लाख रूपये तक वसूल नहीं हुए। आगे, पट्टे की किश्तों का, 5 दिन से 31 दिन के विलम्ब से किये गये भुगतान पर 1.75 लाख रूपये

का ब्याज भी आरोपणीय था। शेष राशि एवं ब्याज को वसूल करने में असफलता के परिणामस्वरूप 72.33 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने बताया कि भू-राजस्व की बकाया की तरह राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को नवंबर 2004 एवं जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

7.46 लोक निर्माण विभाग में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तिका की कंडिका 9.048 के अनुसार, सभी प्रकार के पट्टों पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 35(बी) के अनुसार पट्टेदार आवश्यक मुद्रांक शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(घ) के अनुसार, एक वर्ष से अधिक के लिये पट्टे का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है तथा उस पर पंजीयन शुल्क भी भुगतान योग्य है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देश दि. 7.7.2000 एवं मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के निर्देश/आदेश दि.18.9.1996 के अनुसार, निजी पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा पथकर की वसूली से संबंधित पट्टा विलेखों के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूली योग्य है। जिला पंजीयक, रायपुर ने अपने पत्र दि.2.3.2002 द्वारा कार्यपालन अभियंता (सेतु निर्माण) रायपुर को सभी पट्टा विलेखों के पंजीयन कराने एवं उन पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त 2004) कि एक ठेकेदार को निजी पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग के साथ चार पुलों, पथकर, बूथ एवं अवरोधकों इत्यादि का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की थी जो पथकर की वसूली के लिये अधिकृत था। अनुबंध का निष्पादन मार्च 1999 में रु.3.20 करोड़ का कराया गया था लेकिन पट्टे विलेख का पंजीयन नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप रु.42.00 लाख की मुद्रांक और पंजीयन शुल्क की वसूली नहीं की गई।

इसे अगस्त 2004 में इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), रायपुर संभाग ने उत्तर दिया कि अनुबंध का निष्पादन शासन द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर किया गया था जिसमें मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के भुगतान का प्रावधान नहीं था। इसके अलावा शब्द पट्टा एवं पट्टेदार का अनुबंध में प्रयोग नहीं किया गया था और यह पट्टे का एक प्रकार नहीं था। प्रकरण विधि विभाग को उनकी टीप के लिए भी संदर्भित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महानिरीक्षक पंजीयन, अधीक्षक मुद्रांक एवं मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देश के अनुसार पट्टे के विलेखों पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क आरोपणीय है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2004 एवं जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, मुख्य अभियंता, सेतु परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने कहा (अगस्त 2005) कि लोक निर्माण विभाग ने विधि विभाग से टिप्पणी प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन से प्रार्थना की गई थी एवं इस प्रकरण में शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2005)।

रायपुर
दिनांक

(सुवीर मल्लिक)
महालेखाकार
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ कंडिका 1.8)

31 मार्च 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

31-03-2004 को		देयताएं	31-03-2005 को	
5571.68		आंतरिक ऋण		6928.52
	2466.11	ब्याज सहित बाजार ऋण	2786.54	
	1.75	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.51	
	908.18	अन्य संस्थाओं से ऋण	1061.53	
	--	अर्थोपाय अग्रिम		
	--	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष		
	2195.64	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	3077.94	
2937.87		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2339.20
	92.87	1984-85 से पूर्व के ऋण	79.98	
	118.55	आयोजनेत्तर ऋण	108.07	
	2676.00	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	2093.59	
	13.13	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	12.11	
	37.32	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	45.45	
40.00		आकस्मिकता निधि		40.00
1511.17		लघु बचत, भविष्य निधियां आदि		1569.25
772.83		निक्षेप		987.63
491.17		आरक्षित निधियां		750.77
- 262.05		उचन्त एवं विविध शेष		4.53
11062.67		योग		12619.90
परिसंपत्तियाँ				
4016.64		अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		5295.77
	56.94	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	87.86	
	3959.70	अन्य पूंजीगत परिव्यय	5207.91	
770.62		ऋण एवं अग्रिम		868.87
	514.50	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	561.79	
	258.72	अन्य विकास ऋण	311.81	
	- 2.60	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	- 4.73 [#]	
	--	आरक्षित निधि निवेश		
40.00		आकस्मिक निधि को विनियोग		40.00
- 2.69		अग्रिम		- 2.34 [#]
168.40		प्रेषण शेष		207.75
415.49		नगद		701.44
	- 1.21	कोषालय में नगद एवं स्थानीय प्रेषण	0.22	

#

सम्पत्तियाँ एवं दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छ.ग.शासन के बीच बंटवारा न होने की बजह से ऋणात्मक शेष

	- 1.58	रिजर्व बैंक में निक्षेप	7.48	
	5.51	स्थाई नगद अग्रदाय सहित विभागीय नगद शेष	8.50	
	412.78	नगद शेष निवेश एवं चिन्हित निधि निवेश	685.24	
5627.57		शासकीय लेखे में घाटा		5481.77*
	4692.10	(i) संचित घाटा	5627.57	
	294.37	(ii) विविध शासकीय लेखा	0.02	
	641.10	(iii) जोड़िये : चालू वर्ष का राजस्व घाटा	-	
	-	(iii) घटाईये : चालू वर्ष की राजस्व बचत	145.82	
26.64		अन्तर्राज्यीय समाशोधन		26.64
11062.67		योग		12619.90

* पूर्णांक करने के कारण एक लाख रूपये की वृद्धि

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ कडिका 1.8)

वर्ष 2004-05 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ			संवितरण					
2003-04		2004-05	2003-04		2004-05			
					आयोजनेतर	आयोजनगत	योग	
अनुभाग क राजस्व								
5959.32		राजस्व प्राप्तियाँ	7248.87	6600.42	राजस्व व्यय	5482.98	1620.07	7103.05
	2588.25	कर राजस्व	3227.80	2154.36	सामान्य सेवाएं	2491.89	2.08	2493.97
				2268.46	सामाजिक सेवाएं	1376.15	1054.81	2430.96
	1124.41	कर भिन्न राजस्व	1243.93	932.42	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	636.96	499.45	1136.41
				258.37	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	159.40	118.19	277.59
	1569.70	संघीय करों का राज्यांश	1876.29	243.12	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	67.83	160.39	228.22
	135.09	आयोजनेतर अनुदान	182.32	10.30	सूचना एवं प्रसारण	8.96	0.12	9.08
				482.99	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	385.10	75.87	460.97
	308.33	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	441.72	20.60	श्रम एवं श्रम कल्याण	18.24	6.56	24.80
				319.08	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	97.52	193.91	291.43
	233.54	केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	276.81	1.58	अन्य	2.14	0.31	2.45
				1917.23	आर्थिक सेवाएं	1362.45	563.18	1925.63
				1041.06	कृषि एवं संलग्न गतिविधियां	776.85	188.72	965.57
		--		294.50	ग्रामीण विकास	220.83	219.75	440.58
		--		--	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--		
		--		132.62	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	87.29	33.23	120.52
		--		207.86	ऊर्जा	75.15	78.82	153.97
		--		55.60	उद्योग एवं खनिज	38.86	21.89	60.75
		--		172.04	परिवहन	156.11	5.51	161.62
		--		0.87	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.43	1.08	1.51
		--		12.68	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.93	14.18	21.11
				260.37	सहायता अनुदान एवं अंशदान	252.49	--	252.49
641.10		अनुभाग ख को अग्रेनित 641.10 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा		--	II- अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत			145.82
6600.42		योग -क	7248.87	6600.42	योग - क	5482.98	1620.07	7248.87

अनुभाग ख अन्य								
718.16	III	स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	415.49	--	III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	--	--	--
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		--	IV पूंजीगत परिव्यय			
--				21.80	सामान्य सेवाएं	1.82	27.45	29.27
				185.47	सामाजिक सेवाएं	0.5	255.22	255.72
				37.02	शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति		53.28	53.28
				33.71	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		38.62	38.62
				44.12	जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		50.73	50.73
				--	सूचना एवं प्रसारण			
				36.61	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		101.36	101.36
				33.79	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.5	10.51	11.01
				0.22	अन्य सामाजिक सेवाएं		0.72	0.72
				808.23	आर्थिक सेवाएं	1.02	993.12	994.14
				23.35	कृषि एवं संलग्न गतिविधियां	0.99	33.65	34.64
				48.47	ग्रामीण विकास		33.67	33.67
				417.24	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		621.49	621.49
				--	ऊर्जा	--	--	--
				4.95	उद्योग एवं खनिज	0.02	17.31	17.33
				311.80	परिवहन		284.38	284.38
				2.42	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	2.62	2.63
				1015.50	योग (पूंजीगत लेखे)	3.34	1275.79	1279.13
--	V	अन्तर्राज्यीय समाशोधन		--	v अन्तर्राज्यीय समाशोधन		--	--
10.65	VI	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	14.80	557.68	vi ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण			113.04
	0.38	विद्युत परियोजनाओं से	--	504.76	विद्युत परियोजनाओं हेतु		47.28	
	2.59	सरकारी सेवकों से	2.29	1.29	सरकारी सेवकों को		0.17	
	7.68	अन्य से	12.51	51.63	अन्य को		65.59	
--	VII	अधनीत राजस्व बचत	145.82	641.10	VII अधनीत राजस्व घाटा		--	--
2431.98	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	1909.81	777.84	VIII लोक ऋणों का पुनर्भुगतान			1151.65
1977.60		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	1480.61	88.54	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण		123.78	

--		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन		--	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेन देन	--	--
454.39		केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	429.20	689.30	केन्द्र सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	1027.87	
--	IX	आकस्मिता निधि को विनियोग	--	--	IX आकस्मिता निधि को विनियोग	--	--
(-) 0.02	X	आकस्मिकता निधि को अन्तरित राशि	--	--	X आकस्मिकता निधि से व्यय	--	--
7070.53	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	9295.44	6823.69	XI लोक लेखा संवितरण		8536.1
		लघु बचत एवं भविष्य निधियां	449.19	375.43	लघु बचत एवं भविष्य निधियां	391.12	
		आरक्षित निधियां	301.07	17.93	आरक्षित निधियां	41.47	
		उच्चत एवं विविध	5427.58	3676.71	उच्चत एवं विविध	5161.01	
		प्रेषण	2217.39	2045.46	प्रेषण	2256.74	
771.28		निकष एवं अग्रिम	900.21	708.16	निकष एवं अग्रिम	685.76	
--	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्ष		415.49	XII वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		701.44
				- 1.21	कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.22	
				- 1.58	रिजर्व बैंक के पास जमा	7.48	
				5.51	स्थायी रोकड़ अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	8.50	
				412.77	रोकड़ शेष निवेश तथा चिह्नित निधियों का निवेश	685.24	
10231.30		योग ख	11781.36	10231.30	योग ख		11781.36

परिशिष्ट - 1.3
(संदर्भ कंडिका 1.8)
निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2003-04		स्रोत	2004-05	
राशि			राशि	राशि
5959.32	1. राजस्व प्राप्तियां			7248.87
10.65	2. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली			14.80
1654.15	3. लोक ऋण में वृद्धि			758.16
311.88	4. लोक लेखे से प्राप्तियां			798.69
97.87	अ. लघु बचतों में वृद्धि	58.07		
63.12	ब. निक्षेपों एवं अग्रिमों में वृद्धि	214.45		
140.30	स. आरक्षित निधियों में वृद्धि	259.60		
10.59	द. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव			
--	ई. उच्चत एवं विविध	266.57		
302.66	अंतिम नगद शेष में कमी			
8238.66	योग			8820.52
	उपयोग			
6600.42	1. राजस्व व्यय			7103.05
557.68	2. विकास एवं अन्य प्रयोजनों हेतु उधार			113.04
1015.50	3. पूंजीगत व्यय			1279.13
--	4. आकस्मिकता निधि लेन-देनों का निवल प्रभाव			--
65.06	5. लोक लेखे से उपयोग			39.35
65.06	अ. उच्चत एवं विविध लेन-देनों का निवल प्रभाव			
--	ब. विविध सरकारी लेखा			
--	स. प्रेषण लेन-देनों का प्रभाव	39.35		
--	6. अंतिम नगद शेषों में वृद्धि			285.95
--	7. अन्तर्राज्यीय समाशोधन			
8238.66	योग			8820.52

परिशिष्ट 1.1, 1.2 एवं 1.3 हेतु स्पष्टीकरण टिप्पणियां:

- विवरण पत्रों में दर्शाए गए संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जाएँ।
- सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट-1.1** में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे या मूल्य हास या भण्डार के आंकड़े इत्यादि में भिन्नता जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।
- उच्चत एवं विविध शेषों में जारी परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लंबित समाशोधन सम्मिलित हैं।
- रोकड़ शेष में समाविष्ट 'रिजर्व बैंक में जमा' से संबंधित लेखों में प्रतिबिम्बित आंकड़ों यथा 7.48 करोड़ रुपये (डेबिट) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 20.83 लाख रुपये (क्रेडिट) के मध्य 13.35 करोड़ रुपये (क्रेडिट) का अंतर था। 31 मार्च 2005 के लेखों को बंद करने के पश्चात मिलान योग्य निवल अंतर की राशि 13.35 करोड़ रुपये (क्रेडिट) थी।

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ कडिका 1.8)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

2003-04	भाग - क प्राप्तियाँ	2004-05
5959 (71)	1. राजस्व प्राप्तियाँ	7249 (79)
2588 (43)	(i) कर राजस्व	3228 (45)
1299 (50)	विक्रय, व्यापार, आदि पर कर	1674 (52)
402 (15)	राज्य उत्पाद शुल्क	458 (14)
171 (7)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	248 (8)
230 (9)	माल एवं यात्रियों पर कर	287 (9)
486 (19)	अन्य कर	561 (17)
1124 (19)	(ii) कर भिन्न राजस्व	1244 (17)
630 (56)	खनन तथा धातुकर्म उद्योग	680 (55)
141 (13)	वानिकी तथा वन्य जीवन	160 (13)
353 (31)	अन्य	404
1570 (26)	(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1876 (26)
677 (12)	(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	901 (12)
	2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	
5959	3. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2)	7249
11	4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	15
	4 (अ) अन्तर्राज्यीय समाशोधन	--
2432 (29)	5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1910 (21)
1978 (81)	आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त)	1481 (78)
--	अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन	
454 (19)	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	429 (22)
8402	6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+4(अ)+5)	9174
--	7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	
7071	8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	9295
15473	9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	18469
	भाग - ख व्यय/संवितरण	
6600 (81)	10. राजस्व व्यय	7103 (84)
1541 (23)	आयोजनागत	1620 (23)
5059 (77)	योजनेत्तर	5483 (77)
2154 (33)	सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	2494 (35)
2269 (34)	सामाजिक सेवाएँ	2431 (34)
1917 (29)	आर्थिक सेवाएँ	1926 (27)
260 (4)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	252 (4)

2003-04		2004-05
1016 (12)	11. पूंजीगत व्यय	1279 (15)
1014 (99.8)	आयोजनागत	1276 (99.8)
2 (0.2)	योजनेत्तर	3 (0.2)
22 (2)	सामान्य सेवाएँ	29 (2)
186 (18)	सामाजिक सेवाएँ	256 (20)
808 (80)	आर्थिक सेवाएँ	994 (78)
558 (7)	12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	113 (1)
--	12 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	--
8174	13. कुल व्यय (10+11+12+12(अ))	8495
778	14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1152
89 (11)	आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त)	124 (11)
--	अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन देन	--
689 (89)	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1028 (89)
--	15. आकस्मिक निधि में विनियोग	--
8952	16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	9647
--	17. आकस्मिक निधि संवितरण	
6824	18. लोक लेखा संवितरण	8536
15776	19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	18183
	भाग - ग घाटा	
641	20. राजस्व घाटा (+)/राजस्व बचत (-) (1-10)	(-) 146
2204	21. राजकोषीय घाटा (3+4+4(अ)-13)	1231
1150	22. प्राथमिक घाटा (21-23)	79
	भाग - घ अन्य आंकड़े	
1054	23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1152
3.5	24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	4
247	25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	353
--	26. लिए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिन)	
--	27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	
32321	28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	35156 ^{\$}
11144	29. बकाया ऋण (वर्षान्त)	12227
295	30. बकाया गारंटियां* (वर्षान्त)	620
807	31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	1343
70	32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	71
2438	33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	3042

टिप्पणियाँ :

कोष्टक में आंकड़े प्रत्येक उप शीर्ष के पूर्ण योग के निकटतम प्रतिशत को दर्शाते हैं।

* उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य बंटवारे हेतु मध्य प्रदेश में 9,667 करोड़ रुपये रोके गए।

^{\$} सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्ष 2003-04 के वृद्धि के दर के अनुसार गणना की गई है क्योंकि राज्य सरकार से अन्तिम आंकड़े प्रतीक्षित थे।

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ कंडिका 1.4)

पहले अध्याय में उपयोग में लाए गए शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार

शब्द	संगणना के आधार
तरलशीलता मापसूचक	माप सूचक की वृद्धि की दर (प्रतिशत) सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (प्रतिशत)
अन्य माप सूचक (Y) से तरलशीलता का मापसूचक (X)	माप सूचक की वृद्धि दर (X) माप सूचक की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
प्रवृत्ति/औसत	पिछले 5 वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति (लॉगेस्ट (1996-97 की राशि: 2001-02की राशि) - 1) * 100
अंश परिवर्तन/माप सूचक की परिवर्तन दर	व्यय अथवा राजस्व जैसा भी प्रकरण हो, में पांच वर्षों में अंश प्रतिशत की प्रवृत्ति के माप सूचक
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान)	ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएँ]/2]*100
ब्याज वृद्धि	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - भारित ब्याज दरें
दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज की प्राप्ति [(प्रारंभिक शेष ऋणों एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां ऋण '2408 - ऋण की कमी या परिहार्यता' के अंतर्गत ऋणों के अतिरिक्त सभी आयोजनागत अनुदानों एवं योजनेत्तर राजस्व व्यय

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ कडिका 1.7.1)

उपयोग न किये गये अनुदानों एवं ऋणों का विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	संस्थाओं की संख्या	कुल जारी अनुदान	व्यय ऋण/ अनुदान	शेष राशि	बचत का प्रतिशत
1	संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़	116	17.60	-	17.60	100
2	संचालक खाद्य एवं आपूर्ति छत्तीसगढ़ रायपुर	7	26.91	26.91	-	-
3	संचालक, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर	118	65.02	65.02	-	-
4	संचालक कृषि एवं संबद्ध सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर	3	15.13	13.60	1.53	10
5	मुख्य विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़, रायपुर	2	146.72	127.55	19.17	13
6	संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर	17	78.07	78.07	-	-
7	पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़, रायपुर	1	0.36	0.08	0.28	78
8	संचालक तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	6	2.78	1.96	0.82	29
	योग	270	352.59	313.19	39.40	

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ कंडिका 1.7.1)

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली इकाइयों का विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष							
		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	117	26.73	116	17.60
2	संचालक, खाद्य एवं आपूर्ति, छत्तीसगढ़, रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	3	0.80	7	26.91
3	संचालक, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	14	0.79	118	65.02
4	संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	11.29	3	15.13
5	मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	88.27	2	146.72
6	संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़, रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	30	65.85	17	78.07
7	पंजीयक सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	0.36
8	संचालक तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर	18	2.06	12	2.47	9	2.65	6	2.78
	योग	18	2.06	12	2.47	175	196.38	270	352.59

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ से अधिक राशि से कम पड़ा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा।

(करोड़ रुपये में)

सं. क्रं.	अनुदान संख्या का नाम	कुल प्रावधान	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
(अ)	राजस्व दत्तमत		
1.	01 सामान्य प्रशासन	56.46	10.13 (17.9)
2.	02 सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	3.58	2.30 (64.2)
3	03 पुलिस	342.31	65.13 (19)
4	05 जेल	29.94	10.37 (34.6)
5	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	685.81	138.63 (20.2)
6	07 वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	60.53	20.45 (33.8)
7	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	116.26	23.73 (20.4)
8	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	5.71	1.11 (19.4)
9	11 वाणिज्यक एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	26.38	13.23 (50.2)
10	13 कृषि	88.16	17.13 (19.4)
11	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	69.40	10.47 (15.1)
12	15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	20.10	6.47 (32.2)
13	17 सहकारिता	27.18	4.55 (16.7)
14	18 श्रम	9.31	2.86 (30.7)
15	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	212.55	29.01 (13.6)
16	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	124.79	31.81 (25.5)
17	21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	28.85	18.52 (64.2)
18	26 सांस्कृतिक विभाग से संबंधित व्यय	7.45	1.26 (16.9)
19	28 राज्य विधान मण्डल	10.50	2.60 (24.8)
20	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	72.50	29.42 (40.6)
21	30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	200.38	64.16 (32)
22	31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	7.42	2.09 (28.2)

1.	2.	3.	4.
23	32 जन सम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	22.84	4.00 (17.5)
24	34 समाज कल्याण	12.80	2.09 (16.3)
25	36 परिवहन	11.02	4.54 (41.2)
26	39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	486.62	58.65 (12.1)
27	41 आदिवासी क्षेत्र उप योजना	634.66	175.41 (27.6)
28	47 तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन	46.44	7.85 (16.9)
29	48 ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	38.97	23.68 (60.8)
30	54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	16.73	3.11 (18.6)
31	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	124.33	18.77 (15.1)
32	56 ग्रामोद्योग	20.17	4.30 (21.3)
33	58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	177.73	114.44 (64.4)
34	59 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	100.00	60.33 (60.3)
35	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	177.33	37.89 (21.4)
36	69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	20.33	14.85 (73)
37	78 ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	5.81	1.59 (27.4)
38	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	61.62	14.97 (24.3)
39	82 आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत	115.15	14.92 (13)
40	83 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3.20	2.36 (73.8)
	योग 'अ'	4281.32	1069.18
(ब)	राजस्व भारित		
41	01 सामान्य प्रशासन	5.48	1.59 (29)
42	12 उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	9.55	4.89 (51.2)
	योग 'ब'	15.03	6.48
(स)	पूँजीगत दत्तमत		
43	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	11.25	5.08 (45.2)
44	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	4.08	3.69 (90.4)
45	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	16.91	3.70 (21.9)
46	17 सहकारिता	58.63	29.66 (50.6)
47	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.36	1.31 (15.7)
48	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	17.51	8.29 (47.4)
49	21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	32.01	3.85 (12)
1.	2.	3.	4.

50	23	जल संसाधन विभाग	341.97	90.06 (26.4)
51	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	169.46	40.22 (23.7)
52	37	पर्यटन	4.12	1.50 (36.4)
53	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2.50	2.16 (86.4)
54	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	32.60	15.41 (47.3)
55	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	357.44	86.58 (24.2)
56	42	आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	230.83	79.86 (34.6)
57	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	66.28	7.15 (10.8)
58	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	14.43	5.68 (39.4)
59	48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	46.16	13.94 (30.2)
60	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	2.40	1.34 (55.8)
61	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1.55	1.55 (100)
62	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	132.11	97.02 (73.4)
63	65	विमानन विभाग	2.00	2.00 (100)
64	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1.67	1.06 (63.5)
65	67	लोक निर्माण कार्य भवन	61.93	19.52 (31.5)
66	68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन	45.37	7.41 (16.3)
67	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	3.36	1.81 (53.9)
68	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	5.10	4.40 (86.3)
69	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	5.51	3.56 (64.6)
		योग 'स'	1675.54	537.81
		योग (अ+ब+स)	5971.89	1613.47

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

प्रकरण जिनमें अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत बचतें सारभूत रही

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(अ) - राजस्व दत्तमत						
1	3- पुलिस	2055-109-121 केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	5.00	--	5.00	100
2	- तदैव -	2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	36.10	0.10	36.00	99.7
3	05-जेल	2056-101-1529-जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	7.52	--	7.52	100
4	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2052-091-0101-4295-संचालनालय वित्तीय प्रबंध सुचना प्रणाली	5.28	0.07	5.21	98.7
5	- तदैव -	2070-800-224-अन्य व्यय	150.00	--	150.00	100
6	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0101-8726-छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना	10.00	--	10.00	100
7	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801- 2498-परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	5.86	0.01	5.85	99.8
8	- तदैव -	2211-800-0801-6106-युनिवर्सल इम्युनिजेशन	12.18	--	12.18	100
9	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-191-0101-5367-भिलाई (साडा क्षेत्र) जल प्रदाय योजना	5.00	--	5.00	100
10	27-स्कूल शिक्षा	2) 2202-02-109-0701-5409-परिवर्तित क्लास परियोजनांतर्गत कम्प्यूटर प्रदाय	6.70	0.08	6.62	98.8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 20- स्कूल शिक्षा विभाग	2202-04-796-200-0702- 4479-सामाजिक शिक्षा कक्षाएँ	7.02	--	7.02	100
12	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना 38-उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-796-102-0102- 5472-बस्तर विश्वविद्यालय	5.50	--	5.50	100
13	- तदैव -	2202-03-796-102-0102- 5473-पद्मश्री राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय अम्बिकापुर	6.50	--	6.50	100
14	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सुखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य पर व्यय	2245-05-101-475-अशिक्षित निधियों और जमा लेखाओं का अंतरण प्राकृतिक आपदा अन खर्च मार्जिन धन निधि अकाल राहत निधि	46.19	0.22	45.97	99.5
15	- तदैव -	2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	50.00	0.01	49.99	100
16	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	2217-80-191-0801-5517- बाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना	14.00	--	14.00	100
17	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-800-1301-4845- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार, स्थानीय निकाय को अनुदान मुलभूत सेवाओं हेतु	5.62	--	5.62	100
		योग (अ)	378.47	0.49	377.98	
(ब)- राजस्व भारित						
18	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा से लिए गये ऋणों पर ब्याज	10.74	--	10.74	100
19	- तदैव -	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय पेशगियों और कैश बेलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज	12.00	--	12.00	100
20	- तदैव -	2049-01-200-4486-सामान्य बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज	5.39	--	5.39	100
		योग (ब)	28.13	--	28.13	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(स) - पूंजीगत दत्तमत						
21	17-सहकारिता	6425-107-0101-3242-राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण पत्रों का क्रय	11.25	1.18	10.07	89.5
22	- तदैव -	6425-107-0101-5567-जिला सहकारी बैंक रायगढ़ को ऋण	10.00	--	10.00	100
23	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215-01-101-0101-5368-नवीन शहरी जल प्रदाय योजनाओं हेतु एन.आई.सी. ऋण	10.00	-	10.00	100
24	23-जल संसाधन विभाग	4701-01-232-0101-5603-भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान	20.00	--	20.00	100
25	- तदैव -	4701-01-237-0101-5603-भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान	70.00	--	70.00	100
26	- तदैव -	4701-03-251-0101-5603-भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान	7.00	--	7.00	100
27	40-आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	4705-210-0701-2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण	16.10	--	16.10	100
28	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना (25-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-02-796-277-0102-9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण	5.92	0.03	5.89	99.5
29	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (31-जल संसाधन विभाग)	4701-01-796-253-0102-2898-बांध तथा संलग्न कार्य	43.50	--	43.50	100
30	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-5398-छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना	14.10	1.20	12.90	91.5
31	64-अनु.जातियों के लिए विशेष घटक योजना (19-लोक निर्माण विभाग)	5054-03-789-101-0103-6589-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत बृहद पुलों का निर्माण	8.73	0.36	8.37	95.9
32	- तदैव -	5054-04-789-800-0103-6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	48.18	0.66	47.52	98.6
33	- तदैव -	5054-04-789-800-0103-9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	26.10	2.41	23.69	90.8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (25-अ.ज./अ.ज.ज.और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-01-789-800-0103-5507-ग्राम गिरोदपुरी में जैतखम्ब का निर्माण	7.50	0.15	7.35	98
35	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त योजनाएँ	4701-03-252-0101-5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	37.00	2.91	34.09	92.1
		योग (स)	335.38	8.90	326.48	
(द) पूँजीगत दत्तमत						
36	लोक ऋण	6003-103-8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	5.55	--	5.55	100
37	- तदैव -	6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम	100.00	--	100.00	100
38	- तदैव -	6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	100.00	--	100.00	100
		योग (द)	205.55	--	205.55	
		योग (अ+ब +स +द)	947.53	9.39	938.14	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ कंडिका 2.3.1)

वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
1.	2.	3.	4
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ			
1	13 कृषि	2401-109-0701-5629-राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम	1.85
2	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-800-0701-5069-डेयरी विकास	3.55
3	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0701-620 उप स्वास्थ्य केन्द्र	1.01
4	26 सांस्कृतिक विभाग से संबंधित व्यय	2205-101-0701- 1-3077- बहु आयामी संस्कृति संस्थान	1.00
5	27 स्कूल शिक्षा	2202-01-101-0701-5660 एन.पी.ई.जी.ई.एल.	4.00
6	37 पर्यटन	5452-01-101-0701- 7630-केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का अंशदान	1.50
7	40 आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	4705-210-0701-2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण	16.10
8	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-04-796-200-0702-4479-सामाजिक शिक्षा कक्षाएँ	7.02
9	56 ग्रामोद्योग	2851-105-0701- 5406-छत्तीसगढ़ हाट की स्थापना	1.59
10	67 लोक निर्माण कार्य भवन	4216-01-106-0701-5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	1.00
11	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)	2215-01-796-191-0702-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	1.20
योग (अ)			39.82
(ब) केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएँ			
12	8 भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-5917-भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	3.00
13	10 वन	2406-02-110-0801-6538- इको डेवेलपमेंट	2.24
14	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-यूनिवर्सल इम्युनिजेशन	12.18

1.	2.	3.	4.
15	27 स्कूल शिक्षा	2202-02-109-0801-5410-शालाओं में विज्ञान शिक्षा का विकास	1.54
16	41 आदिवासी क्षेत्र उप योजना (25-अ.ज./अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-02-796-277-0802-5514-जशपुर एवं जगदलपुर में कन्या छात्रावास ग्राउंड एवं क्रीड़ा परिसर की स्थापना	1.00
17	69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	2217-80-191-0801-5517-बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना	14.00
		योग (ब)	33.96
(स)	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/ विशेष घटक योजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं		
18	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (25-अ.ज., अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग)	2225-02-794-190-0602-4675-स्वरोजगार योजना	2.00
19	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (13-3 उर्जा विभाग)	2801-06-793-800-0603-5084-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जात कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार	1.00
		योग (स)	3.00
		योग (अ) + (ब) + (स)	76.78

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ कंडिका 2.3.3)

अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है

(हजार रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि	मुख्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	राजस्व दत्तमत				
1	24 लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	1364907	1424945	60038	कारण सूचित नहीं किये थे (जुलाई 2005)
2.	67 लोक निर्माण कार्य भवन	814907	858440	43533	-- तदैव --
	योग (अ)	2179814	2283385	103571	
(ब)	राजस्व भारित				
3	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	13199439	13599091	399652	-- तदैव --
4	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	972	1206	234	-- तदैव --
5	10 वन	183380	184149	769	-- तदैव --
	योग (ब)	13383791	13784446	400655	
(स)	पूँजीगत दत्तमत				
6	15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6500	6774	274	-- तदैव --
7	81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	60000	66779	6779	-- तदैव --
	योग (स)	66500	73553	7053	
(द)	पूँजीगत भारित				
8	लोक ऋण	10694429	11516488	822059	-- तदैव --
9	42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	150	452	302	-- तदैव --
	योग (द)	10694579	11516940	822361	
	योग (अ+स) दत्तमत	2246314	2356938	110624	
	योग (ब+द) भारित	24078370	25301386	1223016	
	योग (अ+ब+स+द)	26324684	27658324	1333640	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं विवरण	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(क)	राजस्व मतदेय				
1	03 पुलिस	336.31	6.00	277.18	65.13
2	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	620.44	65.37	547.19	138.62
3	07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	60.22	0.31	40.08	20.45
4	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	112.23	4.03	92.53	23.73
5	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	5.05	0.66	4.60	1.11
6	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	23.82	2.56	13.15	13.23
7	12 उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	128.49	1.87	126.97	3.39
8	13 कृषि	78.73	9.43	71.03	17.13
9	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	62.09	7.30	58.93	10.46
10	16 मत्स्य पालन	6.07	0.12	5.96	0.23
11	18 श्रम	9.20	0.11	6.45	2.86
12	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	208.16	4.40	183.55	29.01
13	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	124.69	0.10	92.98	31.81
14	22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय	0.81	0.06	0.61	0.26
15	23 जल संसाधन विभाग	96.50	0.05	93.47	3.08
16	25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	18.84	1.32	18.54	1.62
17	27 स्कूल शिक्षा	633.88	21.46	597.59	57.75
18	28 राज्य विधान मण्डल	9.45	1.05	7.90	2.60
19	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	71.03	1.47	43.08	29.42

1.	2.	3.	4.	5.	6.
20	30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	180.95	19.43	136.22	64.16
21	31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	5.42	2.00	5.33	2.09
22	33 आदिम जाति कल्याण	385.59	0.31	369.35	16.55
23	34 समाज कल्याण	12.15	0.65	10.71	2.09
24	36 परिवहन	10.54	0.48	6.48	4.54
25	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विग से संबंधित व्यय	454.03	32.58	427.96	58.65
26	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	571.81	62.85	459.25	175.41
27	43 खेल और युवक कल्याण	3.87	0.15	3.06	0.96
28	45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	16.86	0.50	16.30	1.06
29	47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	45.72	0.72	38.59	7.85
30	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	120.81	3.53	105.57	18.77
31	56 ग्राम उद्योग	19.08	1.09	15.87	4.30
32	58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	164.92	12.81	63.29	114.44
33	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	152.62	24.71	139.44	37.89
34	66 पिछड़ा वर्ग कल्याण	22.81	0.02	21.05	1.78
35	69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	17.41	2.92	5.48	14.85
36	79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	57.22	4.40	46.65	14.97
37	80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	366.06	14.44	364.15	16.35

1.	2.	3.	4.	5.	6.
38	81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	305.53	1.00	303.52	3.01
39	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	115.10	0.05	100.23	14.92
	योग (क)	5634.51	312.31	4920.29	1026.53
(ख)	राजस्व भारित				
40	01 सामान्य प्रशासन	5.23	0.25	3.89	1.59
41	51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व	सांकेतिक	0.08	-	0.08
	योग (ख)	5.23	0.33	3.89	1.67
(ग)	पूँजीगत दत्तमत्त				
42	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6.25	5.00	6.17	5.08
43	17 सहकारिता	54.62	4.00	28.96	29.66
44	23 जल संसाधन विभाग	341.82	0.15	251.91	90.06
45	24 लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	163.05	6.40	129.23	40.22
46	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	309.95	47.50	270.87	86.58
47	42 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	212.38	18.45	150.97	79.86
48	47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	11.43	3.00	8.75	5.68
49	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	127.61	4.50	35.09	97.02
50	67 लोक निर्माण कार्य भवन	55.21	6.72	42.41	19.52
51	68 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन	45.22	0.15	37.96	7.41
	योग (ग)	1327.54	95.87	962.32	461.09
	योग (क +ख +ग)	6967.28	408.51	5886.50	1489.29

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(अ)	राजस्व दत्तमत्त				
1	01 सामान्य प्रशासन	43.84	12.62	46.33	10.13
2	10 वन	256.31	24.60	264.88	16.03
3	17 सहकारिता	19.68	7.50	22.63	4.55
4	26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	5.64	1.80	6.19	1.25
5	44 उच्च शिक्षा	124.06	11.72	128.54	7.24
6	46 विज्ञान और तकनीकी	1.21	1.30	1.51	1.00
7	65 विमानन विभाग	5.62	1.50	6.40	0.72
	योग (अ)	456.36	61.04	476.48	40.92
(ब)	राजस्व भारत				
8	13 कृषि	0.03	0.02	0.04	0.01
9	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.05	0.55	0.58	0.02
10	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	4.38	0.27	4.55	0.10
	योग (ब)	4.46	0.84	5.17	0.13
(स)	पूँजीगत दत्तमत्त				
11	10 वन	5.44	4.23	8.78	0.89
12	75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	150.00	12.00	150.92	11.08
13	76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	0.10	5.00	0.70	4.40
	योग (स)	155.54	21.23	160.40	16.37
	महायोग (अ+ब+स)	616.36	83.11	642.05	57.42

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ कंडिका 2.3.5)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अप्रयाप्त था।

(करोड़ रूपयों में)

स. क्रं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ) राजस्व दत्तमत्त					
1	67 लोक निर्माण कार्य	81.34	0.15	85.84	4.35
(ब) राजस्व भारित					
2	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1145.32	174.62	1359.91	39.97
3	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.03	0.07	0.12	0.02
4	10 वन	10.42	7.92	18.41	0.07
(स) पूँजीगत भारित					
5	लोक ऋण	932.66	136.78	1151.65	82.21
योग (अ+ब+स)		2169.77	319.54	2615.93	126.62

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ कंडिका 2.3.6)

योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(अ)	राजस्व दत्तमत्त					
1	07-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय	2030-02-101-2456-न्यायिकेत्तर स्टाम्प की लागत	0.75	2.52	1.77	236
2	12- उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2501-01-101-0101-3220-छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेंसी को सहायक अनुदान	1.17	2.79	1.62	138.5
3	13- कृषि	2401-102-0701-6510-एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मक्का विकास कार्यक्रम)	0.15	2.01	1.86	1240
4	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-4244-शीत ज्वर	1.10	3.02	1.92	174.5
5	23- जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0101-814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत एवं यांत्रिकी)	1.53	3.20	1.67	109.2
6	--यथा--	2701-80-799-0101-9191-भण्डार	0.25	1.91	1.66	664
7	24- लोक निर्माण सड़कें और पुल	3054-05-337-0801-165-अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	1.04	2.65	1.61	154.8
8	27- स्कूल शिक्षा	2202-01-101-0701-5634-कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय योजना	सांकेतिक	2.70	2.70	*
9	41- आदिवासी क्षेत्र उप योजना (25- आदिम जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2202-01-796-101-0102-5092-मेघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना	0.60	2.73	2.13	355

* सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोग (25-आदिम जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-02-796-277-0102-2299- निर्देशन एवं प्रशासन	0.68	7.04	6.36	935
11	48- ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान (20-स्कूल शिक्षा)	4202-01-202-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	सांकेतिक	1.95	1.95	*
12	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (25-अ.ज., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2202-02-789-109-0103-2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2.50	7.38	4.88	195.2
13	67- लोक निर्माण कार्य भवन	2059-80-799-1051-स्टॉक	2.00	4.68	2.68	134
14	--तदैव--	2059-80-799-4056-विविध लोक निर्माण पेशगियाँ	1.00	5.07	4.07	407
15	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-101-0101-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	0.01	1.11	1.10	11000
		योग (अ)	12.78	50.76	37.98	
(ब)	राजस्व भारित					
16	ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा	2049-01-101-5426-7.80% छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2012	4.40	14.73	10.33	235
17	-- तदैव --	2049-01-101-5539-6.35% छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2013	4.62	13.27	8.65	1.87
18	-- तदैव --	2049-01-123-5623-5.70% छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2014	सांकेतिक	3.04	3.04	*

* सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	-- तदैव --	2049-01-101-8434-13.75% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2006	2.99	6.01	3.02	101
20	-- तदैव --	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	3.07	9.89	6.82	222
21	-- तदैव --	2049-04-104-471-आयोजनेत्तर योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	12.69	46.87	34.18	269
		योग (ब)	27.77	93.81	66.04	
(स)	पूँजीगत दत्तमत					
22	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	4851-101-0101-9219-भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षति पूर्ति का भुगतान	0.90	1.90	1.00	111
23	23- जल संसाधन विकास	4701-01-232-0101-3264-मण्डल स्थापना	0.68	2.40	1.72	253
24	-- तदैव --	4701-01-244-0101-2898-बाँध तथा उससे संलग्न कार्य	1.00	5.80	4.80	480
25	-- तदैव --	4701-03-220-0101-9470-अपर जॉक	1.00	2.20	1.20	120
26	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (23- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	4515-796-800-0101-8284-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	सांकेतिक	3.75	3.75	।
27	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (25-अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-02-796-102-0602-5387-आदिवासी आंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	0.06	1.62	1.56	2600
28	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (31- जल संसाधन विभाग)	4701-03-796-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	19.95	73.05	53.10	266

* सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-8284-राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	सांकेतिक	12.52	12.52	*
30	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना(23-योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	4515-789-800-0103-8284-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	सांकेतिक	1.88	1.88	*
31	68- आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य भवन	4225-02-796-277-0102-5093-शिक्षक आवास गृह का निर्माण	3.67	8.58	4.91	133.8
		योग (स)	27.26	113.70	86.44	
(द)	पूँजीगत भारत					
32	लोक ऋण	6004-01-115-2644-पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कर्जे	सांकेतिक	1.41	1.41	*
		योग (द)		1.41	1.41	
		महायोग (अ+ब+स+द)	67.81	259.68	191.87	

* सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

गलत पुनर्विनियोग

कुछ प्रकरण जिनमें निधियाँ समर्पण/पुनर्विनियोग द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से आहरित की गईं यद्यपि लेखाओं में पहले से ही प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	अनुदान संख्या नाम एवं लेखा शीर्ष का नाम	मूल+पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजन पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोजन/समर्पण	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	03-पुलिस 2055-109-4491-सामान्य व्यय जिला स्थापना	144.50	146.87	2.37	(-)5.12	7.49
2	40-आयाकट विभाग से संबंधित व्यय 4705-206-0101-5594-सिंचाई के लिए फील्ड चैनल्स का निर्माण	4.00	5.11	1.11	(-)4.00	5.11
3	41-आदिवासी उप योजना 25-आदिम जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2202-02-796-109-0102-5480- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार	6.00	8.98	2.98	(-)1.06	4.04
4	49-अनुसूचित जाति कल्याण 2225-01-277-1396-छात्रावास	5.42	6.24	0.82	(-)0.78	1.60
5.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत का व्यय 3054-04-337-1467 जिला एवं अन्य सड़के	20.00	23.47	3.47	(-)3.04	6.51
6.	67-लोक निर्माण कार्य-भवन 4210-03-105-0101-4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	4.42	5.20	0.78	(-)0.97	1.75
7	79-चिकित्सा शिक्षा से संबंधित व्यय 2210-02-101-460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	2.96	3.71	0.75	(-)0.75	1.50
8	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 6217-60-191-0101-2175-नगर पालिकाओं को अन्य ऋण	6.00	6.68	0.68	(-)1.13	1.81

परिशिष्ट- 2.10

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

गलत पुनर्विनियोग

कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से प्रत्याहरण किया गया परिणामस्वरूप निम्नानुसार अंतिम रूप से आधिक्य रहा

(करोड़ रुपये में)

स. क्रं.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष का नाम	मूल+पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग/समर्पण	अंतिम आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7
1	01-सामान्य प्रशासन 2015-101-6262 राज्य निर्वाचन आयोग	17.46	13.37	4.09	(-)4.20	0.11
2	03-पुलिस 2055-104-4492 सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	71.00	69.46	1.54	(-)4.29	2.75
3	03-पुलिस 2055-114-4155-बेतार केन्द्र रायपुर	8.50	7.26	1.24	(-)1.50	0.26
4	05-जेल 2056-101-938-केन्द्रीय एवं जिला जेल	20.91	18.33	2.58	(-)3.08	0.50
5.	07-वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	8.67	5.60	3.07	(-)6.55	3.48
6	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय 2852-80-800-0101-5382-अधोसंरचनात्मक सहायता अनुदान	2.00	0.72	1.28	(-)1.69	0.41
7	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन 2015-103-3307-मतदाता सूचियाँ तैयार करना एवं मुद्रण	3.00	1.10	1.90	(-)2.05	0.15
8	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन 2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	27.00	8.97	18.03	(-)18.23	0.20
9	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 25-आदिम जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण 2202-02-796-109-0102-5232-आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान	8.00	2.94	5.06	(-)5.15	0.09

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना 2225-02-796-800-0702-3728- आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास	1.87	0.32	1.55	(-)1.71	0.16
11	47-तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग 2203-105-0101- 2668-पोलीटेक्निक संस्थाएँ	9.53	8.62	0.91	(-)1.82	0.91
12	48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान (07- राजस्व विभाग) 2402-102-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	2.89	1.36	1.53	(-)2.11	0.58
13	48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान (30- संस्कृति विभाग) 2205-103-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	1.57	0.20	1.37	(-)1.57	0.20
14	48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान (07- राजस्व विभाग) 4059-01-051-1301-4848-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	14.31	9.71	4.60	(-)5.22	0.62
15	48-ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान (07- राजस्व विभाग) 4216-01-106-1301-4848- ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	16.99	16.06	0.93	(-)11.59	10.66
16	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2245-01-102-2661-पेयजल पूर्ति	10.00	5.73	4.27	(-)9.75	5.48
17	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2245-80-800-8030-पुर्नःस्थापना के लिए अन्य कार्य हेतु व्यय	3.00	0.14	2.86	(-)3.00	0.14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2402-102-3142- भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान योजना	16.00	6.92	9.08	(-)13.89	4.81
19	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय 2702-80-800-3819-लघु सिंचाई (कृषि)	15.73	12.45	3.28	(-)8.42	5.14
20	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 2225-01-789-800-0703-5191-अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता/पुनर्वास एवं सहायता	2.48	1.22	1.26	(-)1.59	0.33
21	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ 4702-101-0101-9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अंतर्गत	70.00	58.03	11.97	(-)18.18	6.21
22	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय 2210-01-110-0101-1353-चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय	12.30	10.40	1.90	(-)2.00	0.10
23	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय 2210-05-105-0101-1352- चिकित्सा महाविद्यालय	7.01	6.47	0.54	(-)0.96	0.42
24	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय 2210-05-105-0101-1915-दन्त महाविद्यालय	5.23	0.92	4.31	(-)4.78	0.47
25	82-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (25-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) 2202-01-794-101-0602-4691-अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ	2.57	1.50	1.07	(-)1.18	0.11
26	82-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (25-अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग) 2202-01-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी उप योजना 7587- आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	2.00	0.24	1.76	(-)2.00	0.24

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण नीचे दिये गये हैं

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	मूल + पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	23-जल संसाधन विभाग 4701-03-251-0101-5603 भू-अर्जन हेतु मुआवजे का भुगतान	7.00	--	7.00	(+)3.00	10.00
2	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल 5054-04-800-0101-1513- जिले के मुख्य सड़कों का निर्माण	10.63	8.04	2.59	(+)0.92	3.51
3	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 4701-01-796-253-0103- 2898-बाँध तथा संलग्न कार्य	43.50	--	43.50	(+)10.00	53.50
4	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702-102-0101-5059-सूखा निवारण हेतु लघु सिंचाई की व्यवस्था	4.00	2.54	1.46	(+)4.25	5.71
5	49-अनुसूचित जाति कल्याण 2225-01-277-1391- छात्रवृत्तियों और वृत्तियाँ	5.00	4.59	0.41	(+)0.76	1.17

परिशिष्ट - 2.12

(संदर्भ कंडिका 2.3.7)

प्रकरण जिनमें अधिक व्यय को आवरण करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अत्यधिक आवर्धन हुआ

(करोड़ रुपये में)

सं. क्रं.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	मूल + पुरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध आधिक्य	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	3.07	9.89	6.82	(+)13.64	6.82
2	23-जल संसाधन विभाग 4701-01-232-0101-2898-बाँध तथा संलग्न कार्य	50.00	75.05	25.05	(+)39.00	13.95
3	23-जल संसाधन विभाग 4701-03-220-0101-9470-अपर जॉक	1.00	2.20	1.20	(+)6.00	4.80
4	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल 3054-05-337-0801-165-अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	1.04	2.65	1.61	(+)1.98	0.37
5	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल 5054-04-800-0101-6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	54.66	59.67	5.01	(+)11.26	6.25
6	32-जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय 2220-01-001-0101-2320-निर्देशन और प्रशासन	6.49	6.80	0.31	(+)1.00	0.69
7	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल 5054-03-796-101-0102-6589-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत बृहद पुलों का निर्माण	26.35	34.08	7.73	(+)9.57	1.84
8	67-लोक निर्माण कार्य भवन 4202-03-800-0101-5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास, स्टेडियम आदि	0.84	1.43	0.59	(+)1.05	0.46
9	67-लोक निर्माण कार्य - भवन 4210-02-103-0101-4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सेवाओं के लिए	3.99	4.38	0.39	(+)1.46	1.07

परिशिष्ट- 2.13

(संदर्भ कंडिका 2.3.8)

बजट प्रावधान का व्ययगत होना

(करोड़ रुपये में)

स. क्रं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	समर्पित राशि	समर्पित नहीं की गई राशि (कुल बचत का प्रतिशत)
1.	2.	3	4.	5.
(अ)	राजस्व दत्तमत्त			
1.	03 पुलिस	65.13	23.11	42.02 (64.5)
2.	06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	138.63	7.51	131.12 (94.6)
3	08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	23.73	13.61	10.12 (42.6)
4	10 वन	16.03	2.88	13.15 (82)
5	13 कृषि	17.13	--	17.13 (100)
6	14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	10.47	--	10.47 (100)
7	15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6.47	0.57	5.90 (91.2)
8	19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29.01	1.05	27.96 (96.4)
9	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	31.81	--	31.81 (100)
10	27 स्कूल शिक्षा	57.75	--	57.75 (100)
11	29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	29.42	20.29	9.13 (31)
12	30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	64.16	--	64.16 (100)
13	33 आदिम जाति कल्याण	16.55	10.33	6.22 (37.6)
14	39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	58.65	52.94	5.71 (9.7)
15	41 आदिवासी क्षेत्र उप योजना	175.41	37.62	137.79 (78.6)
16	44 उच्च शिक्षा	7.24	0.21	7.03 (97.1)
17	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	18.77	--	18.77 (100)
18	58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	114.44	99.37	15.07 (13.7)

1	2	3	4	5
19	59 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	60.33	--	60.33 (100)
20	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	37.89	23.23	14.66 (38.7)
21	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	14.85	0.85	14.00 (94.3)
22	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	16.35	6.10	10.25 (62.7)
23	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	14.92	8.54	6.38 (42.8)
	योग (अ)	1025.14	308.21	716.93
	(ब) पूंजीगत दत्तमत्त			
24	17 सहकारिता	29.66	--	29.66 (100)
25	20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	8.29	--	8.29 (100)
26	23 जल संसाधन विभाग	90.06	--	90.06 (100)
27	24 लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	40.22	16.96	23.26 (57.8)
28	41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	86.58	40.05	46.53 (53.7)
29	42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	79.86	66.63	13.23 (16.6)
30	45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य	7.15	--	7.15 (100)
31	64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	97.02	91.04	5.98 (6.7)
32	75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	11.08	3.18	7.90 (71.3)
	योग (ब)	449.92	217.86	232.06
	महायोग (अ+ब)	1475.06	526.07	948.99

परिशिष्ट - 2.14

(संदर्भ कंडिका 2.3.8)

निधियों का समर्पण

31 मार्च 2005 को कुल राशि के समर्पण के लिए जारी स्वीकृतियाँ

(रूपयों में)

सं. क्रं.	अनुदान संख्या	लेखा का प्रकार	28.2.2005 तक	1.3.2004 से 30.3.2005	31 मार्च 2005 को	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	लोक ऋण	पूँजी. (भा)	--	--	733359000	733359000
2	01	राज. (दे)	--	--	90395460	90395460
3		राज. (भा)	--	--	7483073	7483073
4	02	राज. (दे)	--	--	1792031	1792031
5	03	राज. (दे)	--	--	231118280	231118280
6	04	राज. (दे)	--	--	2704196	2704196
7	05	राज. (दे)	--	--	106741000	106741000
8	06	राज. (दे)	--	--	75059285	75059285
9		राज. (भा)	--	--	30000	30000
10		पूँजी. (दे)	--	--	15456660	15456660
11	07	राज. (दे)	--	--	183015450	183015450
12		राज. (भा)	--	--	1000	1000
13	08	राज. (दे)	--	--	136090000	136090000
14		राज. (भा)	--	--	2078000	2078000
15		पूँजी. (दे)	--	--	1875000	1875000
16	09	राज. (दे)	--	--	11294000	11294000
17		पूँजी. (दे)	--	--	5339000	5339000
18	10	राज. (दे)	--	--	28773000	28773000
19		पूँजी. (दे)	--	--	400000	400000
20	11	राज. (दे)	--	--	134167991	134167991
21		राज. (भा)	--	--	15000	15000
22		पूँजी. (दे)	--	--	36977000	36977000
23	15	राज. (दे)	--	--	5736528	5736528
24		पूँजी. (दे)	--	--	240000	240000
25	17	राज. (दे)	--	--	2339000	2339000
26	18	राज. (दे)	--	--	24507370	24507370
27		राज. (भा)	--	--	10000	10000
28	19	राज. (दे)	--	--	10469000	10469000
29	21	राज. (दे)	--	--	167606000	167606000
30		पूँजी. (दे)	--	--	9473000	9473000
31	22	राज. (दे)	--	--	2013348	2013348
32	24	राज. (दे)	--	--	31007000	31007000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	169600000	169600000
34	26	राज. (दत्तमत्त)	--	--	14911800	14911800
35	29	राज. (दत्तमत्त)	596500	--	202300820	202897320
36		राज. (भारित)	--	--	20000	20000
37	33	राज. (दत्तमत्त)	--	--	103258959	103258959
38		राज. (भारित)	--	--	100000	100000
39	34	राज. (दत्तमत्त)	--	--	26027150	26027150
40	35	राज. (दत्तमत्त)	--	--	3244000	3244000
41		राज. (भारित)	--	--	60000	60000
42		पूँजी. (दत्तमत्त)			772000	772000
43	36	राज. (दत्तमत्त)	--	---	35262097	35262097
44		राज. (भारित)	--	--	10000	10000
45	39	राज. (दत्तमत्त)	--	--	529426000	529426000
46		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	10000000	10000000
47	40	राज. (दत्तमत्त)	--	--	3301000	3301000
48		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	179099000	179099000
49	41	राज. (दत्तमत्त)	--	--	376172238	376172238
50		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	400468118	400468118
51	42	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	666250000	666250000
52	43	राज. (दत्तमत्त)			9915072	9915072
53	44	राज. (दत्तमत्त)	--	--	2142000	2142000
54	46	राज. (दत्तमत्त)	--	--	3460300	3460300
55	47	राज. (दत्तमत्त)	--	--	74263374	74263374
56		राज. (भारित)	--	--	10000	10000
57		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	44586000	44586000
58	48	राज. (दत्तमत्त)	--	---	224808663	224808663
59		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	248360000	248360000
60	49	राज. (दत्तमत्त)	--	---	11677644	11677644
61	53	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	100000	100000
62	56	राज. (दत्तमत्त)	--	--	43699021	43699021
63		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	1340000	1340000
64		राज. (भारित)	--	--	10000	10000
65	57	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	2790000	2790000
66	58	राज. (दत्तमत्त)	--	--	993665000	993665000
67		राज. (भारित)			2000000	2000000
68		पूँजी. (दत्तमत्त)			15500000	15500000
69	64	राज. (दत्तमत्त)	--	25000000	207303870	232303870
70		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	910420000	910420000
71	66	राज. (दत्तमत्त)	--	--	1363500	1363500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72		पूँजी. (दत्तमत्त)			50000	50000
73	67	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	156923000	156923000
74	68	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	48498000	48498000
75	69	राज. (दत्तमत्त)	--	--	8523000	8523000
76	75	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	31773000	31773000
77	76	पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	39000000	39000000
78	78	राज. (दत्तमत्त)	--	--	4913874	4913874
79	79	राज. (दत्तमत्त)	--	--	166056000	166056000
80		राज. (भारित)	--	--	110000	110000
81		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	33173000	33173000
82	80	राज. (दत्तमत्त)	--	--	60962275	60962275
83		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	634667	634667
84	81	राज. (दत्तमत्त)	--	--	74355000	74355000
85		राज. (भारित)	--	--	7000	7000
86		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	11316000	11316000
87	82	राज. (दत्तमत्त)	--	--	85354000	85354000
88		पूँजी. (दत्तमत्त)	--	--	290000	290000
		योग	596500	25000000	8297202114	8322798614

परिशिष्ट - 2.15

(संदर्भ कंडिका 2.3.9)

अविवेकपूर्ण और अवास्तविक समर्पण

प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक राशि का समर्पण किया गया

(करोड़ रुपये में)

स. क्रं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
1.	2.	3.	4
(अ)	राजस्व दत्तमत्त		
1	05 जेल	10.37	10.67
2	09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	1.11	1.13
3	11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	13.23	13.42
4	26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1.26	1.49
5	34 समाज कल्याण	2.09	2.60
6	43 खेल और युवक कल्याण	0.96	0.99
7	49 अनुसूचित जाति कल्याण	0.28	1.17
8	56 ग्रामोद्योग	4.30	4.37
9	79 चिकित्सा शिक्षा से संबंधित व्यय	14.97	16.61
10	81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3.01	7.44
	योग (अ)	51.58	59.89
(ब)	पूँजीगत दत्तमत्त		
11	40 आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	15.41	17.91
12	48 ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	13.94	24.84
13	82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.01	0.03
	योग (ब)	29.36	42.78
	महायोग (अ + ब)	80.94	102.67

परिशिष्ट - 2.16

(संदर्भ कंडिका 2.3.9)

अविवेकपूर्ण और अवास्तविक समर्पण

प्रकरण जिनमें व्यय अधिक होने के बावजूद राशियां समर्पित की गईं

(करोड़ रुपये में)

स.क्रं.	अनुदान संख्या एवं नाम	आधिक्य राशि	अभ्यर्पित राशि
1.	2.	3.	4
(अ) राजस्व दत्तमत्त			
1	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	6.00	3.10
	योग अ	6.00	3.10
(ब) पूँजीगत दत्तमत्त			
2	15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.03	0.02
3	81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	0.68	1.13
	योग ब	0.71	1.15
(स) पूँजीगत भारित			
4	लोक ऋण	82.21	73.34
	योग स	82.21	73.34
	महायोग (अ + ब + स)	88.92	77.59

परिशिष्ट - 2.17

(संदर्भ कंडिका 2.5)

पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितता का विवरण
1.	2	1 से 82	0.07	संबंधित शीर्षों में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होना जिनसे समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये थे।
2.	7	6,23,41,45,5 6 64 तथा 75	88.58	संबंधित शीर्षों का प्रावधान उपलब्ध नहीं होना जिनसे समर्पण/ पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये थे एवं आधिक्य की राशि का समर्पण स्वीकृति में गलत समायोजन।
3.	18	15,16,20,41, 50,55,64,80 तथा 82	57.46	वित्तीय वर्ष 2004-05 के समाप्त होने के बाद स्वीकृतियाँ जारी की गईं।
	योग		146.11	

परिशिष्ट - 2.18

(संदर्भ कंडिका 2.6)

वर्ष 2004-05 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपये में)

स. क्रं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान 2004-05	कुल व्यय 2004-05	मार्च 2005 में व्यय	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
1.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	43.44	26.36	16.59	62.9
2.	12- उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	164.60	155.27	108.51	69.9
3.	17- सहकारिता	85.81	51.59	28.75	55.7
4.	37- पर्यटन	17.37	15.87	11.07	69.8
5.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	489.12	428.31	202.49	47.3
6.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	992.20	730.11	316.19	43.3
7.	43- खेल और युवक कल्याण	24.03	23.06	10.54	45.7
8.	46- विज्ञान और तकनीकी	2.51	1.51	0.91	60.3
9.	51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1.10	0.63	0.29	46.0
10.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	179.48	63.29	54.61	86.3
11.	60- जिला योजनाओं से संबंधित व्यय	18.58	17.07	10.18	59.6
12.	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	309.44	174.53	75.24	43.1
13.	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	23.69	7.03	4.49	63.9
14.	76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	5.10	0.70	0.36	51.4
15.	78- ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	9.40	7.15	2.94	41.1

परिशिष्ट - 2.19

(संदर्भ कंडिका - 2.7.2)

योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचत का विवरण

(करोड़ रूपयों में)

स.क्रं.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	बचत (-)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या 13 - कृषि					
1.	2401	001-119-अधीनस्थ तथा विशेष कर्मचारी (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	22.10	17.46	-4.64
2.	2402	102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -3143- भूमि संरक्षण कटावरोधक संधान की योजना	8.76	7.00	-1.76
3.	2401	102-0701केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5411- आइसोपाम विकास योजना	3.04	1.66	-1.38
4.	2401	110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	2.00	0.62	-1.38
5.	2401	001-0101-4102-कृषि विस्तार योजना के अंतर्गत	3.91	2.89	-1.02
6.	2401	001-0101-4112-गहन विस्तार परियोजना प्रथम चरण राय आयोजना अंतर्गत व्यय	3.50	2.45	-1.05
कुल योजना 6			43.31	32.08	- 11.23
अनुदान संख्या 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
7.	2211	800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य -2498- परम्परागत गर्भ निरोधकों को प्रदाय	5.86	0.01	-5.85
8.	2210	01-110-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएँ)	5.60	2.19	-3.41
9.	2210	06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0101-858- कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	8.93	6.12	-2.81
10.	2210	03-110-748-औषधालय	4.05	2.16	-1.89
11.	2210	06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 4244- शीत ज्वर	10.61	9.17	-1.44
12.	2210	06-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6203- बहुउद्देश्य कार्यकर्ता दिशा निर्देश योजना (मूलभूत सेवाएं)	3.23	2.03	-1.20
कुल योजनाएं 6			38.28	21.68	-16.60
अनुदान संख्या 27 स्कूल शिक्षा					
13.	2202	01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 4396- सरकारी प्राथमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	295.6	265.81	-29.79

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	2202	02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 578- माध्यमिक विद्यालय	103.52	94.70	-8.82
15.	2202	02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5409- परिवर्तित क्लास परियोजनांतर्गत कम्प्यूटर प्रदाय	6.70	0.08	-6.62
16.	2202	02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3491- माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	10.05	6.93	-3.12
17.	2202	02-109-0101-राज्य योजना (सामान्य) 4193- शासकीय विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यवसायिकरण	11.76	9.67	-2.09
18.	2202	04-200-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 4478- सामाजिक शिक्षा कक्षायें	1.87	0.08	-1.79
19.	2202	01-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6956- प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा	2.25	0.58	-1.67
20.	2202	01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6092-पुस्तक बैंको की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	1.50	0.26	-1.24
कुल योजनाएँ 8		योग	433.25	378.11	-55.14
अनुदान संख्या 42 - आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल					
21.	5054	04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	45.11	14.16	-30.95
22.	5054	03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3710- राज्यों के राजमार्ग	13.69	3.62	-10.07
23.	5054	03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 4149- वृहद पुलों का निर्माण	16.35	4.11	-12.24
24.	5054	04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	49.00	15.29	-33.71
25.	5054	04-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 7654-आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	11.23	2.58	-8.65
26.	5054	04-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3539- मुख्य जिला सड़कें	8.92	5.86	-3.06
27.	5054	04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 4861- सड़कों और पुलों का निर्माण (अनुच्छेद 275(1))	10.00	8.02	-1.98
कुल योजनायें 7		योग	154.30	53.64	-100.66
कुल योजनायें 27		योग	669.14	485.51	-183.63

परिशिष्ट -- 2.20

(संदर्भ कंडिका - 2.7.2)

शून्य व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रूपयों में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	कुल अनुदान / विनियोग	कुल व्यय	बचत (-)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या 13 - कृषि					
1	2401	109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5629-राज्य में कृषि सुधार हेतु विस्तारण कार्यक्रम	1.85	0	-1.85
कुल योजनाएँ 1		योग	1.85	0	-1.85
अनुदान संख्या 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
2	2211	800-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6106-युनिवर्सल इम्युनिमेशन	12.18	0	-12.18
3	2210	06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5026-छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	2.00	0	-2.00
4	2210	03-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	1.01	0	-1.01
कुल योजनाएँ 3		योग	15.19	0	-15.19
अनुदान संख्या 27- स्कूल शिक्षा					
5	2202	02-109-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5410-शालाओं में विज्ञान शिक्षा का विकास	1.54	0	-1.54
6	2202	01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5660- एन.पी.ई.जी.ई.एल.	4.00	0	-4.00
कुल योजनाएँ 2		योग	5.54	0	-5.54
कुल योजनाएँ 6		महायोग	22.58	0	-22.58

परिशिष्ट - 2.21

(संदर्भ कंडिका -2.7.2)

योजनाओं के अंतर्गत आधिक्य व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपयों में)

स.क्रं.	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	कुल अनुदान	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या 13 - कृषि					
1	2401	102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6510- एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम मक्का विकास कार्यक्रम	0.15	2.01	1.86
कुल योजना 1		योग	0.15	2.01	1.86
अनुदान संख्या 19 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
2	2210	06-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	2	3.03	1.03
3	2210	06-101-8150-बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	4.8	6.25	1.45
4	2210	06-0101-4244-शीत ज्वर	1.09	3.02	1.93
5	2210	03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	57.36	63.44	6.08
6	2210	01-110-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 1473- जिला चिकित्सालय	17.96	18.97	1.01
कुल योजनाएँ - 5		योग	83.21	94.71	11.50
अनुदान संख्या 27- स्कूल शिक्षा					
7	2202	2202-01-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5634 - कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना	सांकेतिक	2.70	2.70
8	2202	01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3491- माध्यमिक शालाएँ (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	119.08	124.74	5.66
9	2202	01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5169-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	4.00	5.33	1.33
कुल योजनाएँ - 3		योग	123.08	132.77	9.69
अनुदान संख्या - 42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल					
10	5054	03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5418- चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कॉरीडोर का निर्माण	50.00	63.10	13.10
11.	5054	03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6589-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	26.35	34.08	7.73
कुल योजनाएँ - 2		योग	76.35	97.18	20.83
कुल योजनाएँ -11		महायोग	282.79	326.67	43.88

परिशिष्ट - 2.22

(संदर्भ कंडिका 2.7.3)

चयनित अनुदानों की योजनाओं में अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान/गलत पुनर्विनियोग दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

(अ) प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहे								
स. क्रं.	अनुदान संख्या	योजना का शीर्ष एवं नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	पुनर्विनियोजन	अंतिम (-) बचत (+) आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	19	2210-06-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 4244- शीत ज्वर	9.87	0.74	10.61	9.17	--	- 1.44
2.	19	2210-01-200-0801 केन्द्रीय क्षेत्रिय योजना (सामान्य) 77- दृष्टिहीनता बहरापन अन्धत्व निवारण के बचाव एवं नियंत्रण हेतु इकाई की स्थापना	2.95	0.10	3.05	2.87	--	- 0.18
3.	19	2210-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	निरंक	2.00	2.00	निरंक	-	-2.00
4.	27	2202-01-101-07-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5660- एन.पी.ई.जी.ई.एल.	निरंक	4.00	4.00	निरंक	-	-4.00
5.	42	5054-03-796-101-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 4149 वृहद पुलों का निर्माण	7.90	8.45	16.35	4.11	- 9.70	- 2.54
6.	42	5054-04-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	39.00	10.00	49.00	15.29	- 31.32	- 2.39
		योग (अ)	59.72	25.29	85.01	31.44	- 41.02	-12.55
(ब) प्रकरण जिनमें अनुपूरक अनुदान अप्रयाप्त रहे								
1.	13	2401 - 108 - 0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 4838 - मैक्रो मेनेजमेंट वर्किंग प्लान	8.40	4.26	12.66	12.97	--	+ 0.31
2.	19	2210 - 03 - 103 - 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	57.30	0.06	57.36	63.44	+0.95	+ 5.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	27	2202 - 01 - 800 - 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 4851 - प्रधानमंत्री ग्रामोदेय योजना	2.92	0.41	3.33	3.39	--	+ 0.06
4.	27	2202-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5169- विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	निरंक	4.00	4.00	5.33	-	+1.33
		योग (ब)	68.62	8.73	77.35	85.13	+0.95	+ 6.83
(स) प्रकरण जिनमें पुनर्विनियोजन दोषपूर्ण रहा								
1.	19	2210-03-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 620 - उप स्वास्थ्य केन्द्र	2.53	--	2.53	2.61	- 0.48	+0.56
2.	27	2202 - 01 - 101 - 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 3491 - माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	119.08	--	119.08	124.73	- 0.10	+ 5.75
		योग (स)	121.61	--	121.61	127.34	- 0.58	+ 6.31

परिशिष्ट - 2.23

(संदर्भ कंडिका 2.7.4)

योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों पर प्रावधान एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

स. क्रं.	मु.शी.	योजना का नाम	कुल			वेतन भत्तों पर व्यय		
			प्रावधान	व्यय	(-) बचत (+) आधिक्य	प्रावधान	व्यय	बचत
अनुदान संख्या: 13 - कृषि								
1	2402	102-0101-3143-भूमि संरक्षण कटाव रोधक बंधन की योजना	1.54	1.09	-0.45	1.43	1.04	-0.39
2	2401	109-0101-5278-राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अकाडेमी की स्थापना	0.5	0.01	-0.49	0.35	0	-0.35
		कुल आयोजना	2.04	1.1	-0.94	1.78	1.04	-0.74
		आयोजनेत्तर			0			0
3	2401	001-124-संभागीय स्तर का स्टाफ अधीक्षण	4.5	3.83	-0.67	3.97	3.3	-0.67
4	2401	001-119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृंद (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	22.1	17.46	-4.64	21.29	16.27	-5.02
5	2401	001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4102-कृषि विस्तार योजना के अंतर्गत राज्य आयोजनांतर्गत व्यय	3.91	2.89	-1.02	3.69	2.62	-1.07
6	2402	102-0101-3143-भूमि संरक्षण एवं कटाव रोधन बंधन योजनायें	7.22	5.91	-1.31	6.92	5.34	-1.58
		कुल आयोजनेत्तर	37.73	30.09	-7.64	35.87	27.53	-8.34
अनुदान संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण								
7	2210	06-101-8150-बहुउद्देशीय कर्मचारी योजना	4.80	6.25	३ 1.45	4.55	6.02	३ 1.47
8	2210	03-110-748-औषधालय	4.05	2.16	-1.89	2.91	1.74	-1.17
9	2210	01-110-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभुत सेवाएं)	5.6	2.19	-3.41	4.46	1.57	-2.89
10	2210	01-110-748-औषधालय	2.73	1.96	-0.77	1.69	0.87	-0.82
		कुल आयोजनेत्तर	17.18	12.56	-4.62	13.61	10.2	-3.41
		आयोजना			0			0
11	2210	06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 858-कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	8.93	6.12	-2.81	7.45	5.47	-1.98
12	2211	001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 1508-जिला स्तरीय स्थापना	3.75	3.22	-0.53	2.58	2.34	-0.24
		कुल आयोजना	12.68	9.34	-3.34	10.03	7.81	-2.22

अनुदान संख्या 27 - स्कूल शिक्षा									
13	2202	01-101-0101-4396- शासकीय प्राथमिक शालायें	आयोजनेत्तर	283.45	265.81	-29.78	282.52	259.95	-22.57
			आयोजना	12.14			11.02	11.54	+0.52
14	2202	01-101-0101-3491-माध्यमिक स्कूलों के लिए मूल न्युनतम कार्यक्रम	आयोजनेत्तर	105.73	124.74	5.66	102.49	107.46	+4.97
			आयोजना	13.35			12.19	10.69	-1.5
15	2202	02-109-0101-578- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	आयोजनेत्तर	77.04	94.7	-8.82	70.13	62.29	-7.84
			आयोजना	26.48			24.88	19.87	-5.01
			आयोजना	51.97	0	0	48.09	42.1	-5.99
			योग आयोजनेत्तर	466.22	485.25	-32.94	455.14	429.7	-25.44
अनुदान संख्या - 57 जल संसाधन विभाग को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ									
16	4701	01-247-1201-विदेशी से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य) 2339-निर्देशन और प्रशासन	आयोजना	1.2	0.46	-0.74	0	1.1	+1.1
			महायोग आयोजना	67.89			59.90	52.05	-7.85
			महायोग आयोजनेत्तर	521.13			504.62	467.43	-37.19
			महायोग	589.02	538.80	-50.22	564.52	519.48	-45.04

परिशिष्ट - 2.24

(संदर्भ कंडिका 2.7.6)

योजनाओं के अंतर्गत माह मार्च 2005 में व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	योजना का नाम	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय	कुल व्यय से मार्च माह के व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अनुदान संख्या - 13 कृषि				
1	2401-001-119-अधीनस्थ एवं निपुण स्टॉक (जिला एवं अधीन स्तर भारत)	0.04	0.02	50
2	2401-108-0101-9172-प्रदर्शनी मेला एवं विज्ञापन (कृषि)	0.03	0.01	33.33
3	2401-108-0701-4838-मैक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान	12.97	6.50	50.12
4	2401-108-0101-5596-आदिवासी कृषकों के लिए आयोजनेतर विशेष योजना	0.16	0.16	100
5	2401-110-0101-8702-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.62	0.53	85.48
6	4401-103-0101-2981-बीज प्रगुणन एवं वितरण	0.32	0.32	100
अनुदान संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
7	2210-06-003-3463-महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण स्कूल	0.40	0.20	50
8	2210-03-103-0101-4851 प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना	2.91	1.34	46.05
9	2210-06-101-0101-5572 सेकोलिन सेल का नियंत्रण एवं बचाव	0.88	0.67	76.14
10.	2210-06-101-0801-858-कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	0.17	0.17	100
11.	4210-01-110-0101-1473- जिला चिकित्सालय	6.58	2.57	39.06
अनुदान संख्या - 27 स्कूल शिक्षा				
12.	2202-01-102-0101-9948- प्राथमिक शालाएँ	5.04	2.92	57.94
13	2202-01-800-9005-भवनों का रखरखाव एवं मरम्मत	0.94	0.48	51.06
14	2202-02-800-0801-9005-भवनों का रखरखाव लघु कार्य एवं मरम्मत	0.79	0.36	45.57
15	2202-80-800-0101-2446-राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण एवं निधि स्थापना हेतु योगदान	0.06	0.06	100
16	2202-02-109-0101-5551-हाई स्कूल की छात्राओं को मुफ्त साइकिलों का वितरण	0.35	0.35	100
17	2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5634-कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना	2.70	2.70	100

1.	2.	3.	4.	5.
18	2202-01-105-0101-6956-प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी शिक्षा	0.58	0.51	87.93
अनुदान संख्या - 42 आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़के एवं पुल				
19	5054-03-796-101-0102-3710-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राज्य के राजमार्ग	3.61	1.18	32.69
20	5054-04-796-800-0102-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	15.29	6.53	42.71
21	5054-04-796-800-0102-4416-सर्वे	0.16	0.10	62.5
	योग	54.60	27.68	50.7

परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ कंडिका 3.1.8)

राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों में प्रारंभ से मार्च 2005 के दौरान नस्तीबद्ध, निराकृत एवं उम्रानुसार लंबित प्रकरणों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

प्रतितोषण	मार्च 2005 तक पंजीकृत प्रकरण	मार्च 2005 तक निराकृत प्रकरण (%)	मार्च 2005 के अंत में लंबित प्रकरण	उम्रानुसार लंबित प्रकरण			
				6 माह से कम के	6 माह से 1 वर्ष तक के	1 वर्ष से 3 वर्ष तक के	3 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य आयोग	2421	1725 (71)	696	282	141	273	--
जिला फोरम							
रायपुर	6959	6788 (98)	171	126	42	01	02
बिलासपुर	3309	2941 (89)	368	115	199	29	25
दुर्ग	3917	3472 (89)	445	135	215	90	05
राजनांदगांव	1489	1430 (96)	59	37	15	04	03
सरगुजा	1954	1670 (85)	284	89	90	100	05
बस्तर	1341	1107 (83)	234	20	19	195	--
रायगढ़	421	277 (66)	144	06	48	33	57
कोरिया	344	116 (34)	228	25	21	41	141
जशपुर	19	12 (63)	07	02	02	03	--
जांजगीर	199	134 (67)	65	14	29	22	--
कोरबा	269	134 (50)	135	26	55	44	10
कवर्धा	65	54 (83)	11	05	04	02	--
धमतरी	115	93 (80)	22	14	08	--	--
महासमुंद	147	128 (87)	19	11	08	--	--
कांकेर	76	69 (90)	07	01	06	--	--
दंतेवाड़ा	22	19 (86)	03	01	--	02	--
योग (जिला फोरम)	20646	18444 (89)	2202	627	761	566	248

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ कंडिका 3.2.6)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

आयोजना

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	योजना		एआईबीपी		नाबार्ड		आदिवासी उपयोजना		विशेष योजना घटक		अन्य		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2000-01 (11/2000 से)	6.11	4.00	1.77	1.50	15.81	12.53	17.70	8.97	0.36	—	1.99	2.54	43.74	29.54
2001-02	25.15	20.43	1.66	1.65	49.82	42.43	27.84	20.52	4.10	1.64	5.40	6.12	113.97	92.79
2002-03	41.64	36.65	4.90	4.07	70.39	68.01	60.22	33.85	5.39	2.07	6.17	6.17	188.71	150.82
2003-04	80.67	71.93	14.41	3.78	89.15	79.38	40.86	19.67	1.97	0.75	7.00	7.20	234.06	182.71
2004-05	143.73	129.97	16.85	12.28	140.85	112.05	37.51	22.71	5.22	4.31	7.05	7.42	351.21	288.74
योग	297.30	262.98	39.59	23.28	366.02	314.40	184.13	105.72	17.04	8.77	27.61	29.45	931.69	744.60

आयोजनेतर

वर्ष	मध्यम परियोजना की मरम्मत		लघु परियोजनाओं की मरम्मत		औजार एवं संयंत्र		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2000-01 (11/2000 से)	1.42	1.43	4.25	3.59	1.60	1.55	7.27	6.57
2001-02	4.88	4.64	6.55	6.15	0.23	0.61	11.66	11.40
2002-03	5.00	4.96	7.70	7.58	0.37	0.33	13.07	12.87
2003-04	5.90	5.94	7.80	7.73	0.35	0.37	14.05	14.04
2004-05	6.00	5.88	8.50	8.22	0.35	0.20	14.85	14.30
योग	23.20	22.85	34.80	33.27	2.90	3.06	60.90	59.18

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ कंडिका 3.2.19)

दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत

स. क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत (लाख रूपए में)	अनुबंध क्रमांक एवं वर्ष	राशि (लाख रूपए में)	यूएसआर पर निविदा प्रतिशत	मूल ठेकेदार का नाम	शेष कार्य (लाख रूपए में)	राशि (लाख रूपए में)	संविदा प्रतिशत	पश्चातवर्ती ठेकेदार का नाम	वसूली योग्य अतिरिक्त लागत
1.	जल संसाधन संभाग, जशपुर	हल्दीमुंडा व्यपवर्तन योजना के दौयी तट नहर के निर्माण का चैन 264 से 497 तक मिट्टी कार्य एवं 19 नग मेसनरी स्ट्रक्चर्स	173.12	3D1/2002-03	157.57	8.98 1998 के यूएसआर से कम	मेसर्स रानीसती ग्रेनाइट कंपनी मनेंद्रगढ़	87.83	96.17	9.49 1998 के यूएसआर से अधिक	श्री विनोद कुमार मिश्रा	16.22
2.	जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव	अमुदानिया व्यपवर्तन योजना के बाँयी तट मख्य नहर के चैन 165 से 203 तक मिट्टी कार्य एवं स्ट्रक्चर	9.43	32D1/1997-98	18.62	97.46 यूएसआर 1991 से अधिक	श्री दीनानाथ दुबे	3.72	9.56	156.94 1991 के यूएसआर से अधिक	श्री उत्तम चंद जैन	1.54
		योग										17.76

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ कंडिका 3.2.21)

संयुक्त कार्य का विभाजन तथा उच्चतर दरों पर निविदाएं स्वीकृत करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क.	एनआईटी	कार्यों का विवरण एवं घटती दूरी (आरडी)	अनुमानित लागत (लाख रूपए में)	संविदा राशि (लाख रूपए में)	संविदा प्रतिशत	अनुबंध क्र./ कार्यादेश क्र.	संविदा दर प्रवृत्ति	अंतर ¹	अतिरिक्त लागत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	1	मुख्य नहर के आरडी 0 से 6000 मी.	53.04	57.54	8.5% यूएसआर 1998 से अधिक	5DL/02-03 का.आ.दि. 8.5.03	3.76% अधिक	4.74%	251410
	2	मुख्य नहर के आरडी 0 से 6000 मी. पर 5 नग स्ट्रक्चर	29.73	47.25	37.07% यूएसआर 1998 से अधिक	2DL/02-03 का.आ.दि. 14.6.03	15.64% अधिक	21.43%	637114
	3	मुख्य नहर के आरडी 0 से 6000 मी. पर 5 नग स्ट्रक्चर्स	35.64	57.48	38.00% यूएसआर 1998 से अधिक	4DL/02-03, दि. 27.7.02	15.64% अधिक	22.36%	796910
			118.41	162.27					
II	1	मुख्य नहर के आरडी 6000 से 12000 मी. में मिट्टी कार्य	50.83	56.33	10.81% यूएसआर 1998 से अधिक	10DL/01-02 का.आ.दि. 17.11.02	3.76% अधिक	7.05%	358351
	2	मुख्य नहर के आरडी 6000 से 12000 मी.	83.71	99.47	15.64% यूएसआर 1998 से अधिक	12DL/01-02 का.आ.दि. 28.3.02	15.64% अधिक	--	--
	3	मुख्य नहर के आरडी 6000 से 12000 मी. में 4 नग स्ट्रक्चर्स	58.67	87.97	33.31% यूएसआर 1998 से अधिक	3DL/02-03 का.आ.दि. 19.6.02	15.64% अधिक	17.67%	1036699
			193.21	243.77					
III	1	मुख्य नहर के आरडी 12000 से 13050 में मिट्टी कार्य	81.15	84.21	3.76% यूएसआर 1998 से अधिक	8DL/01-02 का.आ.दि. 26.12.01	3.76% अधिक	-	-
		योग	392.77	490.25					30,80,484

¹ यह प्रचलित दर (स्तंभ-8) एवं स्वीकृत दर (स्तंभ-6) के मध्य सकल अंतर को दर्शाता है।

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ कंडिका 3.2.21)

अमनेर मोतीनाला योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु विभाजन एवं उच्चतर दर पर निविदा स्वीकृति को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	निविदा आमंत्रण क्र./दिनांक	स्वीकृति क्र./दि.	प्राक्कलित लागत (लाख रूपए में)	संविदा राशि (लाख रूपए में)	अनुबंध क्र./दि. कार्य आदेश क्र./दि.	कार्य का नाम	स्वीकृत निविदा प्रतिशत	प्रचलित संविदा दर	दरों में अंतर	अतिरिक्त लागत (लाख रूपए में)
1.	24/99-00 दि.21.1.00	मु.आ.म.लोक रायपुर, क्र.119/ 11.5.00	69.85	69.44	2DL/00-01 3971/17.6.00	मुख्य नहर के चैन 330 से 465 का 10 नग स्ट्रक्चर सहित निर्माण	0.58% यूएसआर (1998) से कम	5.79% कम	5.21% अधिक	363220
2.	--तदैव--	--तदैव-- क्र.120/3.5.00	50.26	47.35	1 DL/01-01 9352/14.6.00	7 नग स्ट्रक्चर्स सहित मुख्य नहर के चैन 465 से 565 का निर्माण	5.79% यूएसआर 1998 से कम	5.79% कम	--	--
3.	19/00-01 दि.24.2.01	--तदैव-- क्र.355/ 2.06.01	92.47	97.82	10/01-02 6543/ 28.8.01	5 नग स्ट्रक्चर्स सहित मुख्य नहर के चैन 565 से 615 तक निर्माण	7.533% यूएसआर 1998 से अधिक	5.79% कम	13.32%	1231700
4.	2/00-01 दि.19.8.00	--तदैव-- क्र.355/30.10.00	48.57	52.70	3/01-01 7223/10.11.00	5 नग स्ट्रक्चर्स सहित मुख्य नहर के चैन 615 से 665 का निर्माण	8.5% यूएसआर 1998 से अधिक	5.79% कम	14.39% अधिक	694065
5.	--तदैव--	--तदैव-- क्र.336/30.10.00	40.76	44.33	4/00-01 7225/10.11.00	3 नग स्ट्रक्चर्स सहित मुख्य नहर के चैन 665 से 715 तक का निर्माण	8.76% यूएसआर 1998 से अधिक	5.79% कम	13.55%	552298
6.	19/01-01 दि.24.2.01	--तदैव-- क्र.3354/2.6.01	68.76	71.99	11/01-02 6545/28.8.01	8 नग स्ट्रक्चर्स सहित मुख्य नहर के चैन 715 से 815 तक का निर्माण	4.70% यूएसआर 1998 से अधिक	5.79% कम	10.49%	721292
	योग		370.67	383.63						3562575

परिशिष्ट-4.1

(कंडिका 4.2.3 में उल्लिखित)

इमल्शन के स्थान पर विटामिन अपनाने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र.	अनुबंध क्रमांक	ढेका प्रतिशत दर	प्रमाणक क्रमांक एवं तिथि	ढेक कोट की मात्रा (वर्गमीटर में)	ढेकेदार को भुगतान की गई दर प्रति वर्गमीटर में	भुगतान की जाने वाली दर (रूपये) प्रति वर्गमीटर में	दरों में अन्तर (रूपये) प्रति वर्गमीटर	अतिरिक्त व्यय (रूपये) (4X 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9डी.एल.03-04	6.8%(+)	10/16.6.04	23940.70	16.00	8.00	8.00	204549
2	89डी.एल.02-03	29.96%(+)	27/7.2.04	7650	12.10	6.10	6.00	59652
3	89डी.एल. 02-03	29.96%(+)	27/7.2.04	7650	6.20	3.70	2.50	24854
4	71डी.एल.02-03	30.855%(+)	68/27.2.04	38940	14.80	7.00	7.80	397448
5	82डी.एल.02-03	18.93%(+)	9/16.6.04	476523.52	7.50	4.30	3.20	1813534
6	82डी.एल.02-03	18.93%(+)	9/16.6.04	88565	14.80	7.00	7.80	821576
7	46डी.एल.01-02	13.84%(+)	12/11.11.03	193507.57	6.20	3.70	2.50	550723
8	46डी.एल.01-02	13.84%(+)	12/11.11.03	31802.60	12.10	6.10	6	217224
9	195डी.एल.02-03	13.5%(+)	27/18.11.03	240344.56	8.00	5.00	3.00	818373
10	195डी.एल.02-03	13.5%(+)	27/18.11.03	23816.08	16.00	8.00	8.00	216250
11	195डी.एल.02-03	0.11%(+)	21/20.10.03	7817.02	12.10	6.10	6	46954
12	19डी.एल.02-03	0.11%(+)	21/20.10.03	38719.08	6.20	3.70	2.50	96904
13	5डी.एल.01-02	13.89%(+)	17/12.9.03	60880.60	6.20	3.70	2.50	173342
14	31डी.एल.02-03	3.49%(+)	17/11.7.03	400126.16	6.20	3.70	2.50	1035226
15	31डी.एल.02-03	3.49%(+)	17/11.7.03	44635.85	12.10	6.10	6	277161
16	1डी.एल.03-04	12.51%(+)	1/1.5.03	1124.35	8.00	5.00	3.00	3795
17	2डी.एल.03-04	12.50%(+)	19/27.1.03	11762.40	8.00	5.00	3.00	39698
18	7डी.एल.01-02	14.35%(+)	22/29.5.03	36372.04	6.20	3.70	2.50	103979
19	7डी.एल.01-02	14.35%(+)	22/29.5.03	29606.15	12.10	6.10	6	203128
20	86डी.एल.02-03	32.06%(+)	1/15.4.04	79057.36	14.80	7.00	7.80	814345
21	86डी.एल.02-03	32.06%(+)	1/15.4.04	79413.16	7.50	4.30	3.20	335594
22	57डी.एल.02-03	15.76%(+)	22/26.7.04	114112.39	6.20	3.70	2.50	330241
23	56डी.एल.02-03	15.76%(+)	23/26.7.04	67713.76	6.20	3.70	2.50	195964
24	59डी.एल.02-03	16.99%(+)	7/22.4.04	23499.29	16.00	8.00	8	219935
25	61डी.एल.02-03	13.99%(+)	9/16.2.04	85600.99	6.20	3.70	2.50	243941
26	42डी.एल.02-03	12.99%(+)	16/22.2.04	112112.27	6.20	3.70	2.50	316689
27	19डी.एल.02-03	14.97%(+)	19/22.2.04	54984.28	6.20	3.70	2.50	158039
28	33डी.एल.02-03	14.85%(+)	1/5.8.03	111717.57	6.20	3.70	2.50	320769
29	24डी.एल.02-03	8.00%(+)	16/11.8.03	27972.00	6.20	3.70	2.50	75524
30	41डी.एल.02-03	13.3%(+)	तृतीय चलित देयक	132584.90	6.20	3.70	2.50	375547
31	60डी.एल.02-03	16.96%(+)	11/24.7.03	34456.00	8.00	5.00	3.00	120899
32	34डी.एल.02-03	14.46%(+)	12/24.7.03	99602.00	6.20	3.70	2.50	285011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	34डी.एल.02-03	14.46%(+)	12/24.7.03	9590.00	12.10	6.10	6.00	65860
34	54डी.एल.02-03	13.96%(+)	31/26.7.03	19019.395	7.50	4.30	3.20	69358
35	54डी.एल.02-03	13.96%(+)	31/26.7.03	989.15	14.80	7.00	7.80	8792

36	52डी.एल.02-03	14.40%(+)	35/26.7.03	31554.00	14.80	7.00	7.80	281563
37	32डी.एल.02-03	13.86%(+)	36/26.7.03	71672.50	6.20	3.70	2.50	204016
38	21डी.एल.02-03	13.77%(+)	37/26.7.03	93377.13	6.20	3.70	2.50	265588
39	21डी.एल.02-03	13.77%(+)	37/26.7.03	8111.41	12.10	6.10	6.00	55370
40	51डी.एल.02-03	13.08%(+)	4/5.6.03	26455.20	14.80	7.00	7.80	233341
41	51डी.एल.02-03	13.08%(+)	4/5.6.03	26455.20	7.50	4.30	3.20	95730
42	29डी.एल.02-03	7.98%(+)	5/5.6.03	69611.80	6.20	3.70	2.50	187917
43	29डी.एल.02-03	7.98%(+)	5/5.6.03	40397.60	12.10	6.10	6.00	261728
44	20डी.एल.02-03	13.50%(+)	13/9.6.03	156008.49	6.20	3.70	2.50	442674
45	1डी.एल.02-03	14.88%(+)	10/28.4.03	14666.35	12.10	6.10	6.00	101092
46	1डी.एल.02-03	14.88%(+)	10/28.4.03	14666.35	6.20	3.70	2.50	42122
47	50डी.एल.02-03	14.79%(+)	11/26.4.03	31176.00	7.50	4.30	3.20	114518
48	50डी.एल.02-03	14.79%(+)	11/26.4.03	31176.00	14.80	7.00	7.80	279138
कुल								1.36 करोड़

टीप:- स.क्र.1 से 21 लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.3 रायपुर से संबंधित
स.क्र.22 से 48 लोक निर्माण विभाग संभाग बालोद से संबंधित

रु. 82,54,283.00

रु. 53,51,392.00

रु.1,36,05,675.00 (यथा 1.36 करोड़ रुपये)

परिशिष्ट- 4.2

(कंडिका 4.2.3 में उल्लिखित)

ताजी बिछाई गई बिटूमिनस परतों के मध्य टेक कोट प्रयुक्त करने से अनियमित भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	अनुबंध क्रमांक	निविदा (%) (+)	प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक	टेक कोट की मात्रा (वर्गमीटर में)	वियरिंग कोर्स की मात्रा (एम.एस.एस. अथवा एस.डी.बी.सी.)	अतिरिक्त टेक कोट (मी. ³ में)	दर (रुपये में)	अनियमित भुगतान		
								राशि	%	कुल राशि
1.	89डी.एल.02-03	29.96	27/7-1-04	15300	7650	7650	6.20(-) 3.70=2.50	19125	5730	24855
2.	71डी.एल.02-03	30.85	67/27-2-04	3000	1500	1500	6.20(-) 3.70=2.50	3750	1157	4907
3.	82डी.एल.02-03	18.93	9/16-6-04	476523.52	355384.06	121139.46	7.50(-) 4.30=3.20	387646	73381	461027
4.	46डी.एल.02-03	13.84	12/11.11.03	193507.57	107695.87	85811.70	6.20(-) 3.70=2.50	214529	29690	244219
5.	195डी.एल.02-03	13.50	27/18-11-03	240344.56	157476.86	82867.70	8.00(-) 5.00=3.00	248603	33561	282164
6.	19डी.एल.02-03	0.11	21/20-10-03	38719.02	21017.02	17702.02	5.20(-) 3.70=1.50	26553	29	26582
7.	5डी.एल.01-02	13.89	17/12-9-03	60880.60	26449.65	34431.06	6.20(-) 3.70=2.50	86079	11956	98035
8.	31डी.एल.02-03	3.49	17/11-7-03	400126.16	189740.90	210385.26	6.20(-) 3.70=2.50	525963	18356	544319
9.	86डी.एल.02-03	32.06	1/15-4-04	158112.72	79057.36	79057.36	7.50(-) 4.30=3.20	252983	81106	334089
10.	29डी.एल. 02-03	7.98	5/5-6-03	110009.40	62411.80	47597.60	6.20(-) 3.70=2.50	118994	9496	128490
11.	1डी.एल.02-03	14.88	10/28-04-03	29332.70	14666.35	14666.35	6.20(-) 3.70=2.50	36666	5455	42121
	कुल									2190808

टीप: 1 परिशिष्ट 4.1 के स्तंभ क्र.7 के आधार पर गणना की गई है

टीप: 2 सरल क्र.1 से 9 लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-3 रायपुर एवं 10 से 11 बालोद संभाग से संबंधित

परिशिष्ट-4.3

(कंडिका 4.2.8 में उल्लिखित)

स्थलस्थ ढलित अस्तरण (कास्ट-इन-सीटू लाइनिंग) के स्थान पर पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट अस्तरण (पी.सी.सी.लाइनिंग) के निष्पादन के कारण अतिरिक्त परिहार्य लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	प्रमाणक क्रमांक	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	एजेंसी	पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट स्लैब की प्रति वर्गमीटर दर (डेके में भुगतान की गई)	पूर्व ढलित सीमेंट कांक्रीट स्लैब (500 X 500 X 60 मि.मी.) का उपयोग करते हुए किए गए अस्तरण कार्य का कुल क्षेत्रफल	75 मि.मी.मोटाई मानते हुए घनमीटर में परिवर्तित किया गया अस्तरण कार्य (स्तंभ 7 X 0.075)	स्थलस्थ ढलित अस्तरण हेतु डेकेदार द्वारा उद्धृत प्रति घनमीटर दर (रूपये)	यदि स्थलस्थ ढलित अस्तरण उपयोग किया जाता तो अस्तरण की लागत (8X9)	वास्तविक भुगतान की गई राशि (6X7)	अधिक (11-10) (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	42डी.एल. 28.2.04	9डी.एल. 02-03	एस.ई.के.आर.डी.840 से 870 मी., 300 मी.से 3027, 14108 से 14192 पर सीमेंट कांक्रीट अस्तरण का निर्माण	मित्तल कंस्ट्रक्शनस्	211 रु.की दर से	2441.27	183.09	1590	2,91,113	5,15,108	2,23,995
2.	90डी.एल. 22.7.04	12डी.एल. 02-03	महानदी मुख्य नहर के आर.डी.390 से 23000 मी. पर सीमेंट कांक्रीट अस्तरण का निर्माण	बी.के.अग्रवाल	300 रु.की दर से	23,793.525	1784.51	2000	35,69,020	71,38,057	35,69,037
3.	23डी.एल. 10.6.04	16डी.एल. 02-03	महानदी मुख्य नहर की वितरणी 1 के आर.डी.0 से आर.डी.24870 पर सीमेंट कांक्रीट अस्तरण का पुनर्निर्माण	आई.बी.आर. सी.एल.	220 रु.की दर से	14,614.64	1096.09	1900	20,82,586	32,15,221	11,32,635
4.	74डी.एल. 16.7.04	15डी.एल. 02-03	महानदी मुख्य नहर के आर.डी.23000 मीटर से 49000 मीटर पर सीमेंट कांक्रीट अस्तरण का निर्माण	ए.पी.निर्माण	235 रु.की.दर से	7189.20	539.19	2000	10,78,380	16,89,462	6,11,082
										कुल	55,36,749
										यथा	55.37 लाख

परिशिष्ट 4.4

(कंडिका 4.3.1 में संदर्भित)

ऑकड़ों का अद्यतनीकरण (आधार वर्ष 2002) करने में अनियमित अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिले का नाम	तहसीलों की संख्या	अनुबंध का माह एवं वर्ष	प्रविष्टि दर प्रति नया खसरा (रूपये में)	पुराने प्रविष्टि हेतु प्रति प्रविष्टि अद्यतनीकरण दर (रूपये में)	कंप्यूटरीकरण के लिये अनुबंध में दज खसरा संख्या (आधार वर्ष 1999)	अनुबंध से पूर्व कंप्यूटरीकृत खसरों की संख्या (आधार वर्ष 1999) (कोष्ठक में प्रतिशत)	कंप्यूटरीकरण के पश्चात दर्शायी गयी वास्तविक खसरा संख्या (आधार वर्ष 1999)	वर्ष 1999-2002 (सितम्बर) के मध्य हुये नामांतरण एवं अनुमानित अधिकतम अद्यतनीकृत संख्या जो भुगतान हेतु मान्य ^δ	कुल खसरा संख्या जो अद्यतनीकृत दर्शायी गयी एवं भुगतान प्रति प्रविष्टि रूपये 1.80 की दर से किया गया (आधार वर्ष 2002)	खसरों की संख्या जिनके लिये अधिक भुगतान अद्यतनीकरण हेतु किया गया (10-9)	फर्म को किया गया अनियमित अधिक भुगतान (11X5) (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
बस्तर	04	मई 1999	2.15	1.80	5,00,000	निरंक	8,16,003	3,26,402	8,16,003	4,89,601	8,81,282.00
बिलासपुर	09	मई 1999	2.14	1.80	18,00,000	5,04,000(28) *	17,16,626	6,86,651	17,96,145	11,09,494	19,97,089.00
दुर्ग	11	मई 1999	2.11	1.80	21,00,000	42,000(02)	18,97,405	7,58,962	21,24,448	13,65,486	24,57,875.00
जशपुर	04	अगस्त 1999	2.15	1.80	7,00,779	6,561(0.94)	7,59,966	3,03,987	7,59,966	4,55,979	8,20,762.00
कांकेर	06	जून 1999	2.15	1.80	5,03,448	निरंक	6,03,000	2,81,200	7,05,000	4,23,800	7,62,840.00
रायगढ़	06	अगस्त 1999	2.14	1.80	12,59,419	निरंक	14,45,108	5,78,044	14,45,108	8,67,064	15,60,715.00
रायपुर	13	मई 1999	2.11	1.80	22,00,000	22,000(01) [#]	25,25,743	10,10,298	27,87,409	17,77,111	31,98,800.00
योग: रूपये											1,16,79,363.00

^δ कालम क्र. 8 का 40 प्रतिशत (प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से 4 वर्षों के लिये)

* वास्तविक विभागीय आंकड़े: 2,02,600 प्रविष्टियां

वास्तविक विभागीय आंकड़े: 50,928 प्रविष्टियां

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ कडिका क्र.4.5.1)

वेतन अग्रिमों के बकाया की सूची

स. क्र.	इकाई का नाम	बकाया राशि (रूपये में)	कर्मचारियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण सेवाएँ, जाँजगीर (चाँपा)	28,250	01
2.	सेनानी 3 वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, रायपुर	22,96,955	28
3.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बिलासपुर	32,800	08
4.	सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण, अम्बिकापुर	5,500	01
5.	संचालक सह उप-पंजीयक, हेन्डलूम, रायपुर	1,94,200	21
6.	संचालक, विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड, रायपुर	2,00,245	12
7.	उप-संचालक, कृषि, रायगढ़	25,875	02
8.	विधानसभा छत्तीसगढ़, रायपुर	8,13,820	76
9.	अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द	16,900	05
10.	पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रायपुर	2,34,890	40
11.	उप-संचालक, उद्यान, बिलासपुर	58,875	10
12.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर	10,450	02
13.	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, रायपुर	1,97,815	21
14.	पुलिस अधीक्षक (रेडियो) भिलाई, दुर्ग	5,51,938	115
15.	मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर	37,07,949	408
16.	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जाँजगीर	72,972	11
17.	जिला योजना एवं सांख्यिकी, सरगुजा	8,750	02
18.	अतिरिक्त संचालक, औद्योगिक संचनालय, रायपुर	5,74,561	09
19.	पुलिस अधीक्षक, कांकर	62,659	09
20.	प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	5,750	01
21.	पुलिस अधीक्षक, राजनांदगाँव	25,700	08
22.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर	61,230	13
23.	संचालक, उच्च शिक्षा संचनालय	2,85,875	40
	योग	94,73,959	843

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ कड़िका 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 एवं 6.1.5)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के संबंध में 31 मार्च 2005 को बजट से प्राप्त पूंजी, ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण एवं लंबित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कालम 3(क) से 4(च) तक के आंकड़े लाख रूप में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम के क्षेत्र एवं नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण [†]	वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर लंबित ऋण ^{††}			2004-05 के लिए ऋण अंशपूंजी का अनुपात (पूर्व वर्ष) 4च/3इ
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	धारक कंपनी	अन्य	योग	अंशपूंजी	ऋण		सरकार	अन्य	योग	
1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (इ)	4 (च)	5
क	कार्यरत सरकारी कंपनियां												
(क)	उद्योग												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम मर्यादित	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	14.54	--	--	--	14.54	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	वन												
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग निगम मर्यादित	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	562.09	92.40	--	--	654.49	--	--	--	--	--	--	--
(ग)	खनन												
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	100.00	--	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	--
(घ)	सार्वजनिक वितरण												
4.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	90.00	--	--	0.07	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1.11:1)
	योग (घ)	90.00	--	--	0.07	90.07	--	--	--	100.00	--	100.00	1.11:1 (1.11:1)

@ बाँड, ऋणपत्र, अंतर निगम जमाओं को सम्मिलित करते हुए।

** 2004-05 की समाप्ति पर लंबित ऋण, केवल दीर्घावधि ऋणों को दर्शाते हैं।

1.	2.	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	3 (घ)	3 (ङ)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ)	4 (च)	5
(ङ)	वित्त												
5.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	420.00	--	--	--	420.00	100.00	--	--	--	--	--	--
6.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	160.00	--	--	--	160.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ङ)	580.00	--	--	--	580.00	100.00	--	--	--	--	--	--
(च)	ऊर्जा												
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (च)	--	--	15.00	--	15.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	1346.63	92.40	15.00	0.07	1454.10	100.00	--	--	100.00	--	100.00	0.07:1 (2.52:1)
ख	सांविधिक निगम												
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	2311.50 ³⁵	--	--	--	2311.50	--	4728.00	--	69548.00	32533.00	102081.00	44.16
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	50.00	--	--	50.00	100.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	2361.50	--	--	50.00	2411.50	--	4728.00	--	69548.00	32533.00	102081.00	42.33:1 (5.94:1)
	महायोग (क+ख) ⁶	3708.13	92.40	15.00	50.07	3865.60	100.00	4728.00	--	69648.00	32533.00	102181.00	26.43:1 (0.49:1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल विनियोग 733.57 करोड़ या (अन्य 326.90 करोड़ रूपए) है। वित्त लेखों के आंकड़े 23.16 करोड़ रूपए हैं, अंतर मिलान के अधीन है।

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ कड़िका 6.1.6. एवं 6.1.7)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिए, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तंभ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रूप में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनियों का नाम	विभाग का नाम	निगमन का दिनांक	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचयी लाभ(+)/ हानि(-)	लगाई गई पूंजी (अ)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी (ब)	लगाई गई पूंजी से कुल वापसी का %	लेखों में विलंब वर्षों में	टर्न ओवर	जन शक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
क	सरकारी कंपनियाँ														
	कार्यरत														
(क)	उद्योग														
1	छत्तीसगढ़ राज्य मदीरा निगम मर्यादित	आबकारी	7.11.2001	2003-04	2004-05	(-) 74.82	--	14.54	(-) 65.99	(-) 53.62	(-) 74.82	--	1	430.18	38
	योग (क)	--	--	--	--	(-) 74.82	--	14.54	(-) 65.99	(-) 53.62	(-) 74.82	--	1	430.18	38
(ख)	वन														
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	22.5.2001	2003-04	2005-06	255.57	--	654.49	(-) 555.98	3458.83	255.57	7.39	1	2480.33	637
	योग (ख)	--	--	--	--	255.57	--	654.49	(+) 555.98	3458.83	255.57	7.39	1	2480.33	637
(ग)	खनन														
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित	भौमिकी एवं खनन	7.6.2001	2001-02	2004-05	79.23	--	55.00	(+) 79.23	130.42	79.23	60.75	3	403.13	220
	योग (ग)	--	--	--	--	79.23	--		(+) 79.23	130.42	79.23	60.75	3	403.13	220
(घ)	सार्वजनिक वितरण														
4	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.3. 2001	2001-02	2004-05	(-) 425.82	--	90.07	(-) 427.71	27959.88	767.30	2.74	3	29838.12	270
	योग (घ)	--	--	--	--	(-) 425.82	--	90.07	(-) 427.71	27959.88	767.30	2.74	3	29838.12	270

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
(इ)	वित्त														
5	छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित	वित्त	26.2.2001	2002-03	2004-05	(-)16.18	--	120.00	(-)27.22	41.26	(-)16.18	--	2	35.88	924
6.	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	2001-02	2004-05	(-) 50.84	--	160.00	(३) 94.75	187.00	(-) 50.84	--	3	232.02	203
	योग (इ)					(-) 67.02	--	280.00	(३) 67.53	228.26	(-) 67.02	--	5	267.90	1127
(च)	ऊर्जा														
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	19.5.2003	2004-05	2005-06	--	--	5.00	--						
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	19.5.2003	2004-05	2005-06	--	--	5.00	--						
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	19.5.2003	2004-05	2005-06	--	--	5.00							
	योग (च)							15.00							
	योग (क)					(-) 232.86		1109.10	209.04	31723.77	960.26	--	13	33419.66	2292
ख	सांविधिक निगम														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	ऊर्जा	15.11.2000	--	--	--	--	2311.50	--	--	--	--	4	--	17196
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम	खाद्य	2.5.2002	2002-03	2004-05	808.55	--	100.00	867.48	3464.99	809.75	23.37	2	2067.97	751
	योग (ख)		--	--	--	808.55	--	2411.50	867.48	3464.99	809.75	23.37	6	2067.97	17947
महायोग (क+ख)						575.69	--	3520.60	1076.52	35188.76	1770.01	--	19	35487.63	20239

(अ) लगाई गई पूंजी निवल स्थायी परिसंपत्तियों (वर्क-इन-प्रोग्रेस पूंजी सहित) तथा कार्यरत पूंजी का योग, वित्त कंपनियों/निगमों के उस प्रकरण को छोड़ जहां लगाई गई पूंजी को, प्रदत्त पूंजी, रक्षित निधि, बांडों, जमाओं और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष के योग के मध्यमान के रूप में निकाला गया हो को प्रदर्शित करती हैं।

(ब) लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल निवल आधिक्य में लाभ-हानि लेखे में प्रभासित उधार ली गई निधियों पर ब्याज के योग अथवा निवल हानियों में लाभ-हानि लेखे में उधार ली गई निधियों पर ब्याज को घटाने को प्रदर्शित करता है।

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ कड़िका 6.1.5)

वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता, प्राप्त गारंटियां, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर ऋण स्थगन प्रदान किया गया हो एवं वर्ष के दौरान अंशपूजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2005 के अंत तक लंबित प्राप्य सहायता तथा लंबित गारंटियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(कालम 3(क) से 7 तक में दर्शाये गये आंकड़े लाख रूप में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान ¹				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अंत में लंबित गारंटी					वर्ष के दौरान बकाया पर स्वत्व त्याग				ऋण जिन पर स्थगन प्रदान किया गया	वर्ष के दौरान अंशपूजी में परिवर्तित ऋण
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नगद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयत के संकेत में बैंकों द्वारा दिए गए साखपत्र	विदेरी सलाहकारों या ठेकेदारों से कचर के अंतर्गत भुगतान बंधन	योग	अपलिख किए गए ऋणों का पुनर्भुगतान	स्थगित ब्याज	स्थगित दायिक ब्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	कार्यरत सरकारी कंपनियां															
(क)	सार्वजनिक वितरण															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित	2145.00 --	1774.91 --	--	3919.91 --	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	2145.00 --	1774.91 --	--	3919.91 --	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	वित्त															
2	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित	500.00 --	2309.34 --	--	2809.34 --	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	500.00 --	2309.34 --	--	2809.34 --	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	2645.00 --	4084.25 --	--	6729.25 --	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--
ख	सांविधिक निगम															
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	-- (5652.01)	7460.65 (85.00)	--	7460.65 (5737.01)	--	42930.00 (35407.15)	--	--	42930.00 (35407.15)	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	-- (5652.01)	7460.65 (85.00)	--	7460.65 (5737.01)	--	42930.00 (35407.15)	--	--	42930.00 (35407.15)	--	--	--	--	--	--
	योग (क+ख)	2645.00 (5652.01)	11544.90 (85.00)	--	14189.90 (5737.01)	--	42930.00 (35407.15)	--	--	42930.00 (35407.15)	--	--	--	--	--	--

* स्तंभ 3(क) से 3(घ) में कोष्ठक के आंकड़े अनुदानों को प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ 4(क) से 4(ङ) के आंकड़े वर्ष के अंत में लंबित गारंटियों को प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 6.4
(संदर्भ कंडिका 6.1.8)

विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएं लंबित हैं
1.	ऊर्जा	1	514	1278	1985-86
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	2	10	31	1994-95
3.	वन	1	3	12	2001-02
4.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	4	48	2001-02
5.	भौमिकी एवं खनन	1	3	18	2001-02
6.	आबकारी	1	3	15	2002-03
	योग	8	537	1402	

परिशिष्ट 6.5
(संदर्भ कंडिका 6.1.8)

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं पर प्रत्युत्तर लंबित रहने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	निर्गमित वर्ष	रिमार्क
1.	ऊर्जा	1	2005-06	
2.	आबकारी	2	- तदैव -	
	योग	3	--	